सप्तम माला, 29 July 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 38, मंगलवार, 29 जुलाई, 1980/7 श्रावण, 1902 (शक)

विषय

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या 737 से 742

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या--736, 743 से 750 और 752 से 756।

अतारांकित प्रश्न संख्या--5915 से 5923, 5925 से 5974, 5976 से 5995, 5997 से 6026 और 6028 से 6058 ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में 157--159

सभा पटल पर रखे गये पत्र 159--162

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

धान के वसूली मूल्य के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश । 162--187

श्री चित्त बसू 164

श्री वीरेन्द्र सिंह राव 164

श्री मूल चन्द डागा 167

प्रो. मधु दण्डवते 171

श्री जी. एम. बनातवाला 177

श्री राम विलास पासवान 181

नियम 377 के अधीन मामले-- 187--192

(1) कृषि सेवा केन्द्रों की कठिनाइयों के समाचार
श्री प्रताप भानु शर्मा 137

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

1—596LSS/80

विषय	पृष्ठ
(2) रानीखेत कटक नगरपालिका, को पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता	188-189
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	
(3) सियालदह डिवीजन में नियमित रूप से स्थानीय रेल गाड़ियां चलाने की आवश्यकता	189
श्रीमती गीता मुखर्जी	
(4) हिमाचल प्रदेश की कतिपय छावनियों के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को व्यापार तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं देने की आवश्यकता	190
श्री कृष्ण दत्त	
(5) पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में वनरोपण की आवश्यकता	
श्री दिलीप सिंह भूरिया	190
(6) देश में परथेनियम नामक खरपतवार को समाप्त करने की आवश्यकता	192
श्री टी. आर. रामन्ना	
(7) तमिलनाडु में सरसाम की बीमारी को फैलाने से रोकने के उपाय	
श्री ईरा मोहन	
वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1980--	192-248
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री आर. एल. भाटिया	192
श्री सतीश अग्रवाल	195
श्री मोहन लाल सुखाड़िया	201
श्री गुलशेर अहमद	207
श्री के. पी. उन्नीकृष्णन	212
श्री भीखाभाई	218
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	221
श्रीमती गीता मुखर्जी	226
श्रीमती गुरविन्दर कौर ब्रार	229
श्री जयपाल सिंह कश्यप	234
श्री जमीलुर्रहमान	235
श्री नीरेन घोष	239
श्री कृष्ण दत्त ।	243

लोक सभा

मंगलवार, 29 जुलाई, 1980/7 श्रावण 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, संसद के इतिहास में पहली बार हमारी घड़ी काम नहीं कर रही है । यह वह सरकार है जो काम करती है ।

अध्यक्ष महोदय : समय रुक गया है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : ये इतना शोर मचाते हैं कि इससे घड़ियां भी प्रभावित हो जाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : घड़ियां नहीं, बल्कि स्वास्थ्य पर असर पड़ता है ।

तेल की खोज करने के काम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को सहायता देने वाली एजेंसियां

*737. **डा. कृपा सिन्धु भोई :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तट से दूर तेल की खोज करने के काम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कौन-कौन सी एजेंसियां सहायता दे रही हैं;

(ख) क्या भारत में तेल की खोज के लिए सोवियत संघ द्वारा किया गया भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ;

(ग) क्या आयल इन्डिया लिमिटेड ने, जो महानदी डेल्टा में तेल की खोज करने के काम में व्यस्त थी, भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है ; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अपतटीय अन्वेषण के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का किसी भी एजेंसी के साथ तकनीकी सहयोग नहीं है । फिर भी भूकम्पीय सर्वेक्षण तथा खुदाई जहाज विदेशों से ठेके के आधार पर प्राप्त किये गये हैं । जैसा कि उद्योग में होता है खुदाई तथा उत्पादन के लिए तकनीकी सेवा के सेवा अनुबन्ध तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दिये गये हैं ।

(ख) जी, हां। एक रूसी जहाज द्वारा 1965-67 में बंबई हाई, करयकल, दक्षिण तापती, दिव, दहानू तथा तारापुर के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद बम्बई हाई संरचना का प्रथम बार पता लगाया गया था।

(ग) और (घ) महानदी बेसिन के उड़ीसा अपतटीय क्षेत्र के 12,000 वर्ग किलोमीटर पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्र को वायुचुम्बकीय (एरोमैग्नेटिक्स) तथा समुद्री भूकम्पीय सर्वेक्षण के बाद, ओ. आई. एल. ने आंकड़ों के विश्लेषण के बाद तीन स्थानों का खुदाई के लिए पता लगाया था। महानदी कुआ-1, 2740 मीटर की गहराई तक खोदा गया पर हाईड्रोकार्बन नहीं प्राप्त हुए। दूसरे कुएं की 610 मीटर से नीचे खुदाई की जा रही है। आयल इंडिया इस संबंध में हुई प्रगति की सूचना देता रहता है।

डा. कृपा सिन्धु भोई : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास समुद्र में और भूमि पर खुदाई करने की आधुनिक तकनीक उपलब्ध है? यदि उपलब्ध नहीं है तो हम आधुनिक खुदाई तकनीक का आयात क्यों नहीं कर रहे हैं ताकि हम अपतटीय और भूमि पर खुदाई का कार्य और बेहतर ढंग से कर सकें? दूसरी बात यह है कि क्या सोवियत रूस ने, जिसके खुदाई जहाज को हम भारत में तेल की खोज में प्रयोग कर रहे हैं, भूकम्पीय सर्वेक्षणों-परान्त यह बतलाया है कि उड़ीसा की महानदी मुहाने वाले क्षेत्र के 5,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र तेल से भरा है। पुनः, संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्ल्सबर्ग नामक फर्म का ड्रिलिंग शिप जिसे हमने 1975-76 में खोज कार्यक्रम के लिए प्रयोग किया था, उसका क्या निष्कर्ष निकला?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास आधुनिक उपकरण हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे पास ये उपलब्ध हैं, परन्तु हम यह कह नहीं सकते हैं कि हमारे पास जो उपकरण उपलब्ध हैं वे पर्याप्त हैं। जहां कहीं हमें यह महसूस होता है कि हमें उपकरण किराये पर लेना है तो हम किराये पर लेने में नहीं हिचकते। हमारे पास सर्वेक्षण और ड्रिलिंग शिप हैं, परन्तु उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। हमारी यह पूरी कोशिश है कि हम उनका आयात करें या खरीदें चाहे कितनी ही संख्या में और कोई भी जहाज क्यों न मिले; परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा। तब तक, हम जहाजों, रिगों तथा उपकरणों को किराये पर लेते हैं। इन उपकरणों की मदद से हम सर्वेक्षण और ड्रिलिंग कार्य कर रहे हैं।

डा. कृपासिन्धु भोई : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ड्रिलिंग शिप को महानदी डेल्टा क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया है। कार्ल्सबर्ग फर्म द्वारा किए गए सर्वेक्षण का परिणाम क्या रहा? मेरे अनुसार, उन्हें भी उक्त क्षेत्र में तेल मिला था परन्तु उन्होंने कहा कि उच्च दबाव के कारण हमारे रिग 300 से 400 पौण्ड से अधिक दबाव सहने योग्य नहीं हैं। सरकार ऐसे रिगों के डिजाईन तैयार करने में क्या कर रही है जो 300 से 400 पौण्ड तक के दबाव सह सके? मेरा तीसरा प्रश्न यह है .....

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न सुस्पष्ट और युक्तियुक्त होने चाहिएं। आप उसकी सूची नहीं बना सकते। मैं इसे एक बार इजाजत देता हूं परन्तु इसकी अनुमति हमेशा नहीं दूंगा।

डा. कृपासिन्धु भोई : भारतीय तेल निगम खोज कार्यक्रम की प्रक्रिया में विलम्ब कर रहा है। इस क्षेत्र में हम जिस जहाज का उपयोग कर रहे हैं वह अमेरिकी है। क्या भारत सरकार को ऐसे रिगों के बारे में कोई संदेह है कि ये हमारे कार्यक्रम पर पानी फेर रहे हैं? क्योंकि मैसर्स कार्ल्सबर्ग ने भी यही बात कही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक दूसरी फर्म को भी यह कार्य सौंपा गया था। (व्यवधान) क्या भारत सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी, क्योंकि वे लोग

सीमाशुल्क के निपटान का बहाना बनाकर विलम्ब करते हैं ? क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा सागर तट क्षेत्र में तथा समुद्र में क्षेत्र ; अर्थात् महानदी क्षेत्र में कूआं की खुदाई के कार्य में तीव्रता लाई जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : डा. भोई, प्रश्न बहुत लम्बा हो रहा है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक इस ड्रिलिंग कार्य का संबंध है, सर्वेक्षण कार्य के पूरा होने पर ही कार्य शुरू किया जाएगा । इस क्षेत्र को आयल इंडिया लि. को लीज पर दे दिया गया है । समुद्र में तेल की खुदाई के कार्य के लिए आयल इंडिया लि. को बंगाल की खाड़ी, महानदी के मुहाने के क्षेत्र के 12,000 वर्ग कि. मि. क्षेत्र में तेल खोजने के लिए 1978 में लाइसेन्स दिया गया था। उस वर्ष के मध्य तक भूकम्पीय सर्वेक्षण, जिसमें 3178 लाइन कि. मि. की शूटिन्ग/रिकार्डिंग सम्मिलित है, पूरा कर लिए आयल इंडिया लि. को बंगाल की खाड़ी महानदी के मुहाने के क्षेत्र के 12,000 वर्ग कि. मि. उच्च कम्प्यूटर सेन्टर में भेजा गया था । आयल इंडिया लि. की परियोजना रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 25 करोड़ रुपये की लागत पर 3-वेल आफ शोर खोज कार्यक्रम का अनुमोदन किया है।

3 कूंओं में एक कूंए की खुदाई पूरी हो गई है, परन्तु दुर्भाग्यवश उसमें तेल नहीं मिला। दूसरे कुए की खुदाई हो रही है। वे 610 मीटर तक खुदाई कर चुके हैं । इसके पश्चात् हम तीसरे कुए की खुदाई करेंगे ।

जहां तक आफ-शोर क्षेत्र का संबंध है, महानदी मुहाने क्षेत्र में 6,800 वर्ग किलोमीटर आन-शोर क्षेत्र पहले ही वायुचुम्बकीय सर्वेक्षण द्वारा आ गया है । भूकम्पीय सर्वेक्षण का प्रस्ताव 1980-81 और 1981-82 में है। यदि सर्वेक्षण के बाद खुदाई की संभावना का पता चला तो ड्रिलिंग कार्य शुरू किया जाएगा। यह स्थिति है।

श्री बापू साहेब पारूलेकर : प्रश्न के (क) के उत्तर में यह उल्लिखित है कि भूकम्पीय सर्वेक्षण और ड्रिलिंग वेसेल्स विदेशों से समय समय पर ठेके पर लिया गया था । इस उत्तर को देखते हुए मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई भूकम्पीय सर्वेक्षण और ड्रिलिंग वेसेल्स का प्रबन्ध पिछले 3 वर्षों में किया गया है । यदि हां तो, उन्होंने कहां अपतटीय खोज कार्य किया और उसका परिणाम क्या निकला है और पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि उन्हें दी गई है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य पिछले 3 वर्षों के दौरान खुदाई कार्यक्रम के बारे में विवरण मांग रहे हैं। अच्छा तो यह होता यदि वे एक अलग प्रश्न पूछते । तभी मैं उत्तर दे सकूंगा ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह देश तेल आयातक देशों में है; और यदि मंत्रालय अपतटीय खुदाई को गंभीरता से लेता तो यह देश तेल में आत्म निर्भता आसानी से प्राप्त कर लेता और तेल निर्यात करने लगता। एक बम्बई हाई ही देश के तेल की सप्लाई का 35% उत्पादन कर रहा है; और यदि मंत्रालय गंभीरता से तेल की खोज करता तो उन्हें अधिक तेल मिलता । लेकिन मैं पाता हूं कि मंत्रालय में अपतटीय खुदाई के प्रति रुचि नहीं है । शायद इसका कारण यह है कि मंत्रालय सोवियत विशेषज्ञों पर पूरी तरह निर्भर है जिन्हें भूमि पर खुदाई की विशेषता प्राप्त है, और अपतटीय खुदाई को निरुत्साहित किया जाता है। क्या मंत्री महोदय सदन को यह बतलाएंगे कि वे विभिन्न अपतटीय खुदाई के लिए कौन सा ठोस कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह कहना सही नहीं है कि मंत्रालय अथवा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को और तेल प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं है और हम इस मामले में सोवियत सर्वेक्षण या सोवियत सहायता पर अधिक निर्भर कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं और अधिक तेल प्राप्त करना संभव है क्योंकि जो सर्वेक्षण कार्य किया गया है उस से यह पता चला है कि हमारे तेल का दो-तिहाई भाग अपतटीय क्षेत्र में है और सिर्फ एक तिहाई भूमि-क्षेत्र में । अतः, माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं यह अवश्य कहूंगा कि रूसियों ने ही सबसे पहले 1973-74 में बम्बई हाई में तेल का पता लगाया था। और इसके बाद, फ्रांस की एक फर्म की सहायता से हमने उक्त क्षेत्र का विकास किया था और इस समय बम्बई-हाई देश को 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक तेल दे रहा है। और हमें आशा है कि यह मात्रा 1982-83 में बढ़कर 60 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी । अतः, हमें यह कहना उचित नहीं होगा कि हम रूसियों पर निर्भर हैं और वे हमें सहायता नहीं कर रहे हैं और यह कि उन्हें और अधिक तेल प्राप्त करने में रुचि नहीं है। यह ठीक है कि हमने न सिर्फ रूस से सहायता ली है बल्कि उन सभी देशों से जो सहायता देने की स्थिति में थे; हम और अधिक तेल प्राप्त करने की हर कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि हमने हाल ही में एक निर्णय लिया है कि इस खोज कार्यक्रम में विदेशी पार्टियों को आमंत्रित किया जाए : और सचिव स्तर की एक समिति बनाई गई है जो इस मामले पर विस्तार से विचार करेगी तथा इस बात का पता लगाएगी कि कौन कौन विदेशी पार्टियां हैं और खुदाई तथा खोज कार्य में भाग लेने की उनकी क्या शर्तें हैं।

लोक गीतों के विकास की योजना

*738. **श्री अर्जुन सेठी**
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में लोक गीतों और लोक नृत्यों का विकास करने की योजना है ;

(ख) क्या सरकार ने फिल्मों के माध्यम से उत्कल प्रदेश के लोक नृत्यों और प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत लोक गीत और लोक नृत्य शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के अधीन संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से सरकार का समर्थन प्राप्त करते हैं । सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की अपनी योजनाओं के अन्तर्गत, संगीत नाटक अकादमी लोक नृत्य और लोक संगीत को बढ़ावा देने में रत विभिन्न संगठनों को अनुदान देती है । इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास में रत विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों को भी वर्षों तक सहायता दी गई है ।

2. अकादमी ने भारत के कुछ लोक और आदिवासी नृत्यों पर एक रंगीन फिल्म बनाई है। उसके संग्रहालय के लिए उड़ीसा की निम्नलिखित लोक परफार्मिंग कलाओं को फिल्माया गया है:--

(1) मयूर गंज के छाऊ नृत्य

(2) चड़ेया नृत्य

(3) रनापा नृत्य

(4) घुमरा नृत्य

(5) दलखई नृत्य

(6) दस किथया बैलरी

3. अकादमी द्वारा बनाई गयी एक फिल्म "छाया नाटक" का एक भाग उड़ीसा के छाया कठपुतली रूप से संबंधित है। राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना के अंतर्गत, 17 में से तीन पुरस्कार लोक परफार्मिंग कलाओं के क्षेत्र से लिए गए प्रख्यात व्यक्तियों को दिए जाते हैं।

4. फिल्म प्रभाग, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक माध्यम एकक है, ने उतकल प्रदेश (उड़ीसा) के नृत्यों, संस्कृति, कला, पुरातत्व स्मारकों और भूमि तथा लोगों पर अनेक डाकुमेंट्री फिल्में बनाई हैं। इन फिल्मों की सूची परिशिष्ट-I पर है "धरती की झंकार" और "फोक डान्सेस आफ इंडिया" नामक दो काकुमेंट्री फिल्मों में भी उड़ीसा के लोक नृत्यों को कवर किया गया है।

5. दूरदर्शन केन्द्र सामान्य कार्यक्रम गतिविधि के रूप में लोक संगीत सहित संगीत कार्यक्रम और विभिन्न क्षेत्रों के लोक नृत्य टेलीकास्ट करते रहे हैं सम्बलपुर केन्द्र एक सप्ताह में औसतन 60 मिनट की अवधि के लोक संगीत/नृत्य टेलीकास्ट कर रहा है।

6. इस मंत्रालय का एक अन्य माध्यम एकक गीत और नाटक प्रभाग भी अपने कार्यक्रमों में लोक गीतों और लोक नृत्यों का उपयोग करता है।

परिशिष्ट-I

1. सागा इन स्टोन
2. अवर ओरिजिनल इनहैबीटेन्ट्स
3. कोणार्क
4. उड़ीसा-दि लैण्ड दि पीपल
5. दि मैजिक टच
6. दि गलौरी आफ कोणार्क
7. दि हाउस दैट अनन्ता बिल्ट
8. ट्विंक्लिंग स्टार्स
9. ओडिसी नृत्य

10. वीवर्स आफ सम्बलपुर
11. उड़ीसा-फेथ एण्ड फेस्टीवल व्हील
12. हैण्डीक्राफ्ट्स आफ उड़ीसा
13. एप्पलीक आफ उड़ीसा
14. फोक पैंटिंगस आफ उड़ीसा
15. धनलीज़िरी शान्तिस्तूप
16. वूल कार्विंग्स आफ उड़ीसा
17. ब्यूटी इन स्टोन

श्री अर्जुन सेठी : जन माध्यम द्वारा लोक गीतों और लोक नृत्यों को लोक प्रिय बनाने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सराहना करते हुए, मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि अनुपम कलाओं और प्राचीन संस्कृति के संरक्षण तथा उन्हें लोक प्रिय बनाने हेतु इस क्षेत्र में बहुत कुछ और किया जाना बाकी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कला तथा संस्कृति संबंधी कार्यकारी दल की इस सिफारिश पर विचार कर रही है कि सांस्कृतिक विकास तथा परम्परागत लोक गीतों और लोक नृत्यों के संवर्धन हेतु एक राष्ट्रीय कला धर्मस्व स्थापित किया जाये और उसे सीधे सरकार से वित्तीय सहायता दी जाए और यदि हां तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है, जैसा कि मैंने अपने उत्तर के साथ सभा पटल पर रखे गये विस्तृत विवरण में कहा है, हम फिल्में बनाकर लोक संगीत और लोक नृत्यों के संरक्षण हेतु भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हमारी आदिमजातीय संस्कृति लोक नृत्यों और संगीत में सर्वाधिक समृद्ध है। परन्तु जहां तक धर्मस्व स्थापित करने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यह शिक्षा मंत्रालय का विषय है। मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यदि मेरे पास कोई ऐसा प्रस्ताव आता है, तो मैं अवश्य देखूंगा कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उन्होंने उड़ीसा में मयूरभंज के छाउ नृत्यों को लोक प्रिय बनाने हेतु सहायता दी है। अभी तक धन की कमी के कारण छाउ नृत्यों का विकास नहीं हो पाया है। हालांकि यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है, फिर भी मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह उड़ीसा राज्य सरकार के पर्यटन और सूचना विभाग की सहायता करेंगे ताकि वह उसे लोकप्रिय बना सकें तथा चित्र पट पर दिखा सकें। वह राज्य वित्त फिल्म निगम के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकते हैं ताकि उनकी समस्या हल हो जाये और वे देश भर में लोक प्रिय बन सके।

श्री वसन्त साठे : मैं अपने माननीय मित्र को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोक नृत्यों और संस्कृति को लोक प्रिय बनाने के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करेंगे। परन्तु जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है। संस्कृति के लिए तीन मंत्रालय उत्तरदायी हैं। प्रचार-प्रसार का कुछ कार्य शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, कुछ मेरे मंत्रालय के और कुछ पर्यटक और नागर विमानन मंत्रालय के अधीन है। हम समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मैं उन्हें यही बताना चाहता हूं।

श्री चिन्तामणि जैन : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सच है कि मयूरभंज जिले में छाऊ नृत्य, साम्भलपुर जिले में दालखाई नृत्य और गंजम जिले में दसखटिया नृत्य तथा कालहाडी जिले में अन्य नृत्य वित्तीय सहायता के अभाव के कारण नहीं पनप पाये हैं ? अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे ताकि उन्हें सीधे केंद्र से वित्तीय सहायता मिल सकें ?

श्री वसन्त साठे : यह सुझाव मैं अन्य संबंधित मंत्रालयों के समक्ष रखूंगा, क्योंकि वित्तीय सहायता सीधी मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं भाग (क) के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के लोकगीतों और लोक नृत्यों जैसा कि पुरूलिया के छाऊ नृत्य, मालदा के गम्भीर नृत्य और बर्दवान जिले के बोवल और बोलान नृत्य के संवर्दन, विकास और प्रोत्साहन के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वसन्त साठे : यह प्रश्न मूलतः उतकल से संबंधित है। परन्तु मैं जानता था कि इसके तुरन्त बाद सब क्षेत्रों के बारे में प्रश्न पूछे जायेंगे। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि मैं विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहा हूं और माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि कांस्टीट्यूशन क्लब के सचिव के नाते भी मैं ऐसा कर रहा हूं । इस के अतिरिक्त हम ने लोक नृत्यों और लोकगीतों को प्रोत्साहन देने के लिए दो क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये हैं तथा 16 एन. एम. की फिल्में बनाई जाती हैं । एक केन्द्र पूर्वी क्षेत्र के लिए है जिसके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व का समूचा क्षेत्र शामिल है तथा दूसरा केन्द्र दक्षिणी क्षेत्र के लिए है जिस में समूचा दक्षिणी क्षेत्र शामिल है । लेखागारों के लिए फिल्में तैयार की जाती हैं । यह सब मेरा मंत्रालय कर रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

पूर्वी क्षेत्र में कुकिंग गैस की कमी

*739. **श्री चित्त बसू** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में कुकिंग गैस की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) पिछले कुछ महीनों में पूर्वी क्षेत्र में खाना पकाने की गैस की कमी रही है।

(ख) पूर्वी क्षेत्र की शोधनशालाओं में खाना पकाने की गैस की कम उपलब्धता के कारण कमी पैदा हुई है।

(ग) हाल्दिया और गोहाटी शोधमशालाओं में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता बढ़ जाने के साथ अगस्त में स्थिति में अधिक सुधार होने की सम्भावना है ।

श्री चित्त बसु : आपने देखा होगा कि प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने आशा व्यक्त की है कि अगस्त में स्थिति काफी सुधर जायेगी । भारतीय तेल निगम के अनुसार, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए खाने बनाने की गैस की दैनिक आवश्यकता 20,000 सिलिन्डर्स प्रति दिन है । हल्दिया शोधनशाला जो अब एक मात्र है, की 8000 सिलिण्डर्स प्रति दिन क्षमता है । पूर्वी क्षेत्र को गैस सप्लाई करने के अतिरिक्त हाल्दिया शोधनशाला नेपाल और भूटान को भी गैस की सप्लाई करते हैं, यह विदित है कि गोहाटी से सप्लाई अनिश्चित है क्योंकि आसाम में निरन्तर आन्दोलन चल रहा है। इस संदर्भ में, मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी इस बात की उम्मीद कैसे करते हैं कि गैस की सप्लाई के संबंध में स्थिति अगस्त में सुधर जायेगी, क्या वह इस बात को स्पष्ट करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी क्योंकि गैस (एल. पी. जी.) का उत्पादन करने वाली तीन शोधनशालाओं में से बरौनी तो बिल्कुल बन्द है और हल्दिया अप्रैल-जून, 1980 के दौरान किसी तकनीकी समस्यों से ग्रस्त था। इसलिए, हाल्दिया पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने की स्थिति में नहीं था, यद्यपि उसकी उत्पादन क्षमता 2,500 टन है और गोहाटी शोधनशाला काम कर रही है वह भी रुक-रुक कर। इन कारणों से उस क्षेत्र में गैस (एल. पी. जी.) की कमी रही है। अब हाल्दिया शोधनशाला में स्थिति सुधर गई है और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं कह सकता हूं कि हाल्दिया शोधनशाला की सभी कठिनाइयां अब दूर कर दी गई हैं। हल्दिया शोधनशाला से पूर्वी क्षेत्र के लिये सप्लाई करना अगस्त से संभव होगा । इसके अलावा, हमें 1981 की पहली तिमाही से बम्बई हाई गैस से और कोयाली से पर्याप्त मात्रा में गैस (एल. पी. जी.) मिलने लगेगा और मथुरा शोधनशाला के पहले भाग से भी जिसमें संभवतः 1981 की पहली तिमाही से उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। इन तीन एककों के चालू होने पर, हमें पर्याप्त गैस उपलब्ध हो जाएगी और हमने एक लाख कनेक्शनस देने का कार्यक्रम बनाया है, फरवरी, 1981 से, हर महीने, हम और एक लाख कनेक्शनस, देना चाहते हैं । इसलिए, अगले वर्ष से स्थिति काफी सुधर जायेगी, जहां तक चालू वर्ष के लिए गैस (एल. पी. जी.) सप्लाई का सम्बन्ध है, अगले महीने अर्थात् अगस्त, 1980 से उसकी सुधरने की आशा है।

श्री चित्त बसु : समाचारपत्रों में ऐसी खबर आई है कि भारत सरकार गैस की सप्लाई के लिए बंगला देश के साथ बातचीत कर रही है । क्या मंत्री जी बताएंगे कि बातचीत इस समय किस दौर में है और उसकी क्या संभावनाएं हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हमारा सरकारी दल हाल में बंगला देश गया था और उनकी एक बैठक भी हुई थी । उस समस्या का एक ही बैठक में समाधान नहीं हो सकता । उन्होंने हमें प्राकृतिक गैस देने का प्रस्ताव किया है और हम वह गैस लेना चाहते हैं । किन्तु इसका अभी ब्यौरा तैयार करना शेष है। यह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है।

श्री निरेन घोष : बम्बई हाई गैस और कोयाली गैस का खाना पकाने के लिए प्रयोग करने के बजाए यह बेहतर होगा कि उसका प्रयोग आयात किये जाने वाले उर्वरक का उत्पादन करने वाले उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए किया जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हलदिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार किया जाएगा । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या दलकोनी में निम्न कार्बनीकरण संयंत्र, जिस पर काफी समय से विचार किया जा रहा है और रानीगंज में गैसीफिकेशन संयंत्र, जिस पर भी काफी समय से विचार हो रहा है, स्थापित किये जायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुख्य प्रश्न पूर्वी क्षेत्र को खाने पकाने की गैस मुहैया करने के बारे में है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बम्बई हाई में हमारे पास काफी गैस है । गैस का

प्रयोग केवल उर्वरक के प्रयोजन के लिए ही नहीं होता है। हम इसका प्रयोग खाना पकाने के प्रयोजन के लिए भी कर सकते हैं । एक संयंत्र बम्बई के पास यूरान में निर्माणाधीन है जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 1,20,000 टन उत्पादन होगा । उसी प्रकार कोयाली से भी हमें खाना पकाने की गैस मिलेगी । मथुरा तेल शोधक कारखाने से भी हमें खाना पकाने की गैस मिलने वाली है । मेरा अनुमान है कि 1982-83 तक हम 4.8 लाख टन उर्वरक गैस का उत्पादन कर सकेंगे । यही कारण है कि हम ने मास फरवरी 1981 से एक लाख कनेक्शन देने का प्रोग्राम बनाया है । अगले वर्ष के पश्चात् हमारे पास काफी गैस होगी। कोई कठिनाई नहीं रहेगी ।

श्री जेवियर अराकल : उपभोक्ता संगठनों ने शिकायतें की हैं कि खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों में कम गैस होती है और वह बाहर भी निकलती है । गैस का बाहर निकलना बहुत खतरनाक होता है। इससे कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है। सिलेन्डरों में गैस कम न पाई जाए, वह बाहर न निकले तथा ऐसी दुर्घटनाएं न हों इसके लिए क्या कार्यवाई की जा रही है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हमारे पास ऐसी कोई शिकायतें नहीं आई हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसी शिकायतें कम्पनी के पास आई हैं या नहीं। जैसे ही ऐसी शिकायतें आएंगी कम्पनी के अधिकारी कार्यवाई करेंगे ।

नर्मदा नदी योजना के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाएं

*740. **श्री सत्यनारायण भाटिया** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी योजना के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाएं कब तक उपलब्ध होंगी और क्या इस संबंध में कोई समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र जलमग्न हो जायेंगे और किन क्षेत्रों में सिंचाई होने की संभावना है?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने मध्य प्रदेश को सरदार सरोवर बांध स्थल पर उपलब्ध 28 मिलियन एकड़ फुट निर्भरयोग्य जल की कुल मात्रा में से 18.25 मिलियन एकड़ फुट जल इस्तेमाल के लिए आवंटित किया है। इसमें से, मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की मात्रा, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा उल्लेख किया गया है, 16.75 मिलियन एकड़ फुट होगी। नर्मदा घाटी के विकास के लिए मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की गई एक योजना के अनुसार, यह प्रस्ताव है कि नर्मदा घाटी में सिंचाई सुविधाओं का विकास कुल 22 वर्ष की अवधि में दो चरणों में किया जाए-पहला चरण 12 वर्ष का हो और दूसरा चरण 10 वर्ष का । पहले चरण में 9 मिलियन एकड़ फुट जल को उपयोग में लाने का प्रस्ताव है । धन उपलब्ध हो जाने पर, पहले चरण के निर्माण-कार्यों को 1989-90 तक और दूसरे चरण के निर्माण-कार्यों को 1999-2000 तक पूरा किए जाने की परिकल्पना है।

(ख) 29 बृहद सिंचाई और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं, 450 मध्यम परियोजनाओं तथा 3000 से अधिक लघु परियोजनाओं द्वारा नर्मदा घाटी में कुल 68 लाख एकड़ कृषि योग्य कमान क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है । इसके अलावा, मध्य प्रदेश, को अपनी परियोजनाओं से और गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना में अपने हिस्से से 455 मेगावाट फर्म विद्युत मिलेगी ।

विभिन्न परियोजनाओं द्वारा मध्य प्रदेश में जलमग्न होने वाले संभावित क्षेत्रों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अभी तक विस्तृत परियोजना-रिपोर्टें तैयार नहीं की गई है । तथापि, नर्मदा सागर परियोजना द्वारा जलभग्न होने वाला संभावित क्षेत्र 91425 हेक्टेयर होगा, जिसमें से कृषियोग्य क्षेत्र 45518 हेक्टेयर है । इसी प्रकार, ओंकारेश्वर परियोजना द्वारा जलमग्न होने वाला क्षेत्र 14160 हेक्टेयर होगा, जिसमें से कृषि योग्य क्षेत्र 4296 हेक्टेयर होगा । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना से मध्य प्रदेश में 22720 हेक्टेयर क्षेत्र, जिसमें 6712 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र होगा, जलमग्न हो जाएगा ।

श्री सत्यनारायण भाटिया : मैं यह जानना चाहता हूं कि नर्मदा घाटी योजना को साकार करने के लिए जो कार्यवाही की जा रही है, उसका स्वरूप क्या है । इस योजना के अन्तर्गत 18.25 एम ए एफ पानी मध्य प्रदेश को दिया जाने वाला है। उससे मध्य प्रदेश के कितने रकबे की सिंचाई हो सकेगी ? इसके अलावा मध्य प्रदेश को कितने मेगावाट बिजली मिलेगी ?

श्री केदार पांडे : मोस्ट्ली यह स्कीम मध्य प्रदेश की है । जहां तक सिंचाई का संबंध है, पहले फेज में 30 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी और दूसरा फेज में कुल मिला कर 70 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी । बिजली की फिगरज इस वक्त मेरे पास नहीं है । प्रश्न में सिंचाई की बात कही गई है।

श्री सत्यनारायण जाटिया : मंत्री महोदय ने बिजली के आंकड़े दिये थे। एक हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होने वाला है, उसमें से मध्य प्रदेश को कितनी मिलेगी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि बांध के बनाने के कारण जो भूमि जलमग्न हो जायेगी, उसके लिए मुआवजा किस दर पर दिया जायेगा और लोगों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देने वाली है।

श्री केदार पांडे : 2,07,522 हैक्टेयर भूमि सबमर्ज होगी, जिसमें से कल्टीवेबल एरिया सिर्फ 80,505 हैक्टेयर होगा। जहां तक मुआवजे का संबंध है, इसका कोई रेट तय नहीं हुआ है। यह स्टेट गवर्नमेंट की बात है। वे अपना रेट तय करेंगे। अभी जमीन सबमर्ज होने वाली है। अभी हम नहीं कह सकते हैं कि मुआवजे का रेट क्या होगा ।

श्री सत्यनारायण जाटिया : मैंने पूछा कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। यह योजना चालू हुई है या नहीं ?

श्री केदार पांडे : नर्वदा योजना में मध्य प्रदेश की बहुत सी योजनाएं है। उनमें तीन योजनायें आनगोइंग प्रोजक्ट्स हैं : तवा, बरना, सुक्ता । इस का काम बहुत दूर तक हो चुका है, जिसमें 10 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई फर्स्ट फेज में होने वाली है । बाकी दस प्रोजक्ट्स और हैं, जो चालू होने वाले हैं । इसमें कुछ काम हुआ है। लेकिन आगे जो एरिया सबमर्ज होने वाला है, उसके मुआवजे के रेट अभी तय नहीं हुए हैं।

श्री भेरावदन के. गधावी : इस समय न्यायाधिकरण द्वारा बांध की जितनी उंचाई की अनुमति दी गई है वह कम है । क्या सरकार इस प्रकार बुनियाद रखने की अनुमति देगी जिससे भविष्य में बांध की उंचाई को 500 फुट से ज्यादा तक बढ़ाया जा सके ।

श्री केदार पांडेय : मैं एसा कैसे कह सकता हूं । इसकी जांच की जाती है।

श्री अरविंद नेताम : नर्बदा घाटी योजना के अन्तर्गत जो स्कीम्ज हैं, उनके तहत काफी लोग प्रभावित होंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनके पुनर्वास के लिए सरकार के पास क्या ठोस कार्यक्रम है।

श्री केदार पांडे : पुनर्वास की स्कीम हमारे पास तैयार नहीं है लेकिन जब यह स्कीम तैयार होगी, तो उस के बारे में जरूर विचार किया जाएगा ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात में सरदार सरोवर योजना है, जिस में खासकर आदिवासी इलाके आते हैं और वहां के लोग पहाड़ी जमीन में खेती कर रहे हैं । उनकी जमीन डूबने जा रही है और इस कारण उन में बड़ा असंतोष है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन को फिर से वसाने के लिए सरकार के पास कोई योजना है।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दे दिया गया है ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : उन को कितना पैसा आप देंगे । वे गरीब लोग हैं और परेशान हैं । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

राजस्थान में तेल के लिए छिद्रण

*741. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में ऐसे क्षेत्र हैं जहां तेल के भण्डार मिलने की सम्भावना है ;

(ख) क्या ऐसे क्षेत्रों का पूरा सर्वेक्षण किया जा चुका है और यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं;

(ग) क्या इन में से कुछ क्षेत्रों में बहुत गहरी खुदाई किये बिना छिद्रण कार्य रोक दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार किन-किन स्थानों पर पहली बार छिद्रण कार्य शुरू करने का और किन-किन स्थानों पर पुन: छिद्रण कार्य करवाने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) राजस्थान में जैसलमेर जिले के पश्चिमी भाग में विशेष रूप से किशनगढ़ और शाहगढ़ क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन होने की काफी संभावना मानी जाती है। परन्तु राजस्थान में अब तक हाइड्रोकार्बन के कोई व्यापारिक भंडार नहीं मिले हैं ।

(ख) जैसलमेर जिले के समस्त पश्चिमी भाग में गुरुत्व चुम्बकीय तथा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किये गये हैं। किशनगढ़-जैसलमेर, मढ़ी आर्क तथा शाहगढ़ के उत्तरी और पूर्वी छोर में परम्परागत भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किया गया है। इस समय किशनगढ़ क्षेत्र में बेहतर तरीकों के साथ भूकम्पीय सर्वेक्षण जारी है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) भूकम्पीय सर्वेक्षण जो इस समय चल रहे हैं, के परिणामों के आधार पर नई खुदाई के लिए स्थलों का चयन किया जा रहा है ।

श्री सतीश अग्रवाल : इस बात को देखते हुए कि तेल की कमी है और एक-तिहाई तेल मरू भूमि में होता है क्या सरकार राजस्थान की सम्पूर्ण मरूभूमि का सर्वेक्षण करना चाहेगी? या अब तक क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है? यदि किया गया है तो उसका क्या परिणाम निकला है? अब तक कितना धन व्यय किया गया है तथा 1980-81 के लिए कितना धन नियत किया गया है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अब तक किया गया सारा काम इस प्रकार है:

व्यौरेवार मानचित्रण--3584 वर्ग किम.

विशिष्ट ब्यौरेवार मानचित्रण--25,082 वर्ग किम.

ट्रेवर्सिंग (सर्वेक्षण)--1,592 लाइन किम.

प्रारंभिक सर्वेक्षण--12,090 वर्ग किम.

गुरुत्व-एवं-चुम्बकीय सर्वेक्षण--35,469 स्टेशन

उथला छिद्रण--1.244 मीटर

भूकम्पीय सर्वेक्षण

जिसके अन्तर्गत सी. जी. जी. 5,624.36 लाइन किम. द्वारा किया गया कार्य भी है। अब तक 16 कुओं की खुदाई की जा चुकी है। सत्रहवें कूंए की बीकानेर जिले में खुदाई की गई है। अब तक यह काम हुआ है।

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है तथा चालू वर्ष के लिए क्या व्यवस्था की गई है । उसकी मुझे सूचना चाहिए ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप तेल का पता लगाने के लिए राजस्थान की सम्पूर्ण मरू भूमि का सर्वेक्षण करना चाहते हैं या कर चुके हैं ? आपने अपने उत्तर में जैसलमेर का और उसमें भी उसके एक भाग का ही उल्लेख किया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरे पास जो जानकारी है उस के अनुसार किशनगढ़-जैसलमेर-मढ़ी-आर्क तथा शाहगढ़ के उत्तरी और पूर्वी छोर में 1967 से 1976 तक परम्परागत तरीके से विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर जैसलमेर जिले के पश्चिमी भाग में 16 कूंए खोदे गये थे ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हम सारी मरू भूमी का सर्वेक्षण नहीं कर पाये हैं । माननीय सदस्य की यह धारणा है कि 16 कूएं सूखे पाये गये हैं और इसलिए हम उस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं । यह वास्तविक स्थिति नहीं है । हम संपूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण जारी रख कर उसे पूरा करना चाहते हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या डिल किये 16 कुओं में से--वास्तव में आपने 17वें कुएं की डिलिंग शुरू कर दी है--चार कुओं में कुछ गैस पाई गई थी ? भूतपूर्व सरकार पहले ही यह स्वीकार कर चुकी है। इसे क्यों छोड़ दिया गया ? क्या इसका कारण यह था कि उस समय यह वाणिज्यक दृष्टि से लाभदायक नहीं था? क्या इसका कारण जैसलमेर का दूरस्थ क्षेत्र, जोधपुर में 150 मील दूर होना है और लोग जैसलमेर में नहीं रहते हैं क्योंकि उनके परिवार जोधपुर में रहते हैं। क्या आप प्रधान कार्यालय जैसलमेर से जोधपुर ले जाएंगे ताकि वे जैसलमेर चले जाये और उनके परिवार जोधपुर में रह सकें? आपको 16 से 4 कुओं में, अर्थात् 25 प्रतिशत, गैस मिली है। देश में कमी को देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि आप जैसलमेर, जालौर और बाड़मेर का सर्वेक्षण कराएं। आपको राजस्थान में तेल मिलेगा। हिचकिये मत; करोड़ों रुपये खर्च कीजिये और आप समूचे देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये तेल मिल जायेगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह सच है कि अब तक खोदे गये 16 कुओं में से बहुत कम गैस मिली है। वाणिज्यिक दृष्टि से यह लाभदायक नहीं है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या हम उस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को व्यापक बनाना चाहते हैं। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि उस क्षेत्र को छोड़ देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम अपनी गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं। हम हाल ही में जैसलमेर का पूरा पश्चिमी भाग आयल इंडिया को सौंप चुके हैं, जो तेल की खोज और सर्वेक्षण करने वाला एक अन्य संगठन है। आगे और डिलिंग करने के लिए 'कामन डैपथ पाइंट तकनीक' नामक उन्नत तकनीक द्वारा सर्वेक्षण करना आवश्यक है। कार्य की गति तेज करने के लिए एक अन्य भूगर्भीय दल को लगाने का प्रस्ताव है। रेगिस्तान के लिये उपयुक्त फील्ड मोटर-गाड़ियों तथा आधुनिक अंकों वाले सैसमोग्राफ यंत्रों के लिये क्रमादेश दे दिए गये हैं। मोटरगाड़ियों और उपकरणों के आते ही एक अन्य दल कार्य करने लगेगा। इन भूगर्भीय सर्वेक्षणों के पश्चात संभावनाओं का पता लगाने, डिलिंग आदि का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा विचार इस क्षेत्र में तेल का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करने का है । वित्त इसमें बाधक नहीं है । हम कितना ही धन खर्च करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम इस समय तेल के आयात पर बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं । अतः अपने ही देश में तेल का पता लगाने पर हम अपेक्षित धन खर्च करने में संकोच नहीं करेंगे।

माननीय सदस्य ने प्रधान कार्यालय के स्थानान्तरित करने की बात कही। गतिविधियां आरम्भ करने से पहले मैं इस सुझाव पर अवश्य विचार करूंगा। गतिविधियों के बढ़ने पर जब इसकी आवश्यकता होगी, इसपर अवश्य विचार किया जायेगा ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : जैसलमेर में आपका एन.जी.सी का कार्यालय बना हुआ है, 15 लाख रुपये वहां भवन में खर्च किए हुए हैं, कर्मचारियों के लिए रहने की व्यवस्था है, रेस्ट हाउस है, सारी व्यवस्था है तो फिर क्यों जोधपुर के अंदर यह कार्य कर रहे हैं ? इस से कार्य में बाधा पड़ रही है.....

अध्यक्ष महोदय: वह तो हो गया। उस का तो जवाब उन्होंने दे दिया।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन: दूसरा प्रश्न यह है कि जब कि पाकिस्तान की सुई और भारी क्षेत्र में उधर के एरिया में बड़ी मात्रा में निकल गई है तो इस की इस में संभावना बहुत अधिक है, इसलिए इस के लिए आप युद्ध स्तर पर कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल: मैंने यह सुना है, मुझे मालूम नहीं है, कि हमारी एरिया के उस तरफ पाकिस्तान की एरिया में काफी गैस मिली है लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि यहां पर हम लोगों

के इतना करने केबाद भी हम लोगों को गैस या आयल नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि यह डेजर्ट एरिया है और डेजर्ट एरिया में गैस या आयल मिलता है, यह हमारा अनुभव है और ऐसा हम समझते हैं, इसलिए जितना भी इसके लिए हमें करना है वह हम कर रहे हैं, हमने इसका प्रोग्राम बनाया है और उस प्रोग्राम के लिए जितना भी धन खर्च होगा वह खर्च करने के लिए हम तैयार हैं।

श्री दौलत राम सारण: अध्यक्ष महोदय, बीकानेर और नागौर जिले में बहुत पुराना लिगनाइट कोल पाया गया है और स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां पर तेल और गैस के भी पाए जाने की अधिक संभावना है लेकिन वहां पर अभी तक कोई भी सर्वे का कार्य नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अधिक सम्भावना वाले क्षेत्र को देखते हुए क्या वहां पर तुरन्त सर्वे कराने की कोशिश की जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जैसा मैंने अभी कहा कि ओ.एन.जी.सी. ने अभी तक जो काम किया है वह किया है लेकिन अब ओ.एन.जी.सी. को छोड़कर आयल इंडिया लिमिटिड को यह काम सौंप दिया है, जहां भी सर्वे करना है वे करायेंगे और जहां भी वेल्स ड्रिल करने हैं वे वेल्स ड्रिल करने का इन्तजाम करेंगे।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया: क्या यह सच नहीं है कि ड्रिलिंग का यह कार्य उस क्षेत्र में 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण के कारण छोड़ दिया गया था ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ड्रिलिंग के कार्य की माननीय सदस्य को ज्यादा जानकारी होगी।

एक माननीय सदस्य: वे मुख्य मंत्री थे।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मंत्री महोदय की जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में तेल मिलने की बहुत संभावना है लेकिन वास्तव में 1965 में इसे छोड़ दिया गया था और उसके बाद इसे पुन: आरम्भ नहीं किया गया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसे छोड़ा नहीं गया है। हम इसे गहन करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

आदिवासी जीवन के बारे में बने वृत्त-चित्र

*742. **श्री गिरिधर गोमांगे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय ने आदिवासी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में 1977 से 1980 तक कौन-कौन से वृत्त चित्र बनाये;

(ख) उनके मंत्रालय का विचार भारत के आदिवासियों के बारे में चालू वर्ष के लिए फिल्में बनाने के लिए क्या योजना और कार्यक्रम बनाने का है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने छठी योजना में आदिवासी तथा संस्कृति पर लोगों को दिखाने के लिए छोटी फिल्में बनाने तथा उन्हें सुरक्षित रखने की कोई नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो इन फिल्मों तथा प्रस्तावित योजना के लिये अब तक कितनी धनराशी दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमति राम दुलारी सिन्हा: (क) आदिवासी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर इस मंत्रालय द्वारा 1977 से 1980 तक बनाई गई डाकुमेंट्री फिल्मों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) फिल्म प्रभाग के 1980-81 के कार्यक्रम में भारत के आदिवासियों पर निम्नलिखित फिल्मों का निर्माण करना शामिल है:--

1. मिजोरम
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की सांस्कृतिक समस्याएं
3. विंध्याचल में जीवन।
4. लम्बानिस
5. मध्य प्रदेश में मूल आदिवासी ।

(ग) 16 एम.एम. की फिल्मों के निर्माण के लिए पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों में प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने की फिल्म प्रभाग की एक स्कीम "योजना" (1978-83) में शामिल है। ये केन्द्र सम्बन्धित क्षेत्रों की भाषाओं में और पूर्वी तथा दक्षिण क्षेत्र की आदिवासी बोलियों में भी फिल्में बनाएंगे। इस स्कीम के अर्न्तगत आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी समस्याओं से विशेष रूप से संबंधित विषयों पर 8 प्रादेशिक भाषाओं में 16 फिल्में बनाने का प्रस्ताव है।

(घ) भारत के आदिवासियों पर अब तक बनाई गई फिल्मों और 1980-81 के दौरान फिल्मों के बनाने का काम हाथ में लेने का व्यय फिल्म प्रभाग के कुल बजट अनुदान में से किया जाता है। आदिवासियों पर फिल्में बनाने के लिए धनराशि अलग से नहीं रखी जाती। तथापि, दो प्रोडक्शन सेंटरों की स्थापना के लिए 310.00 लाख रुपये के कुल परिव्यय में से लगभग 30.00 लाख रूपए आदिवासी लोगों पर 8 प्रादेशिक भाषाओं में 16 फिल्मों के बनाने पर खर्च होने की उम्मीद है। उक्त स्कीम स्वीकृति के अन्तिम चरण में है।

विवरण

1977-78 तक आदिवासी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा बनाई गई डाकुमेंट्री फिल्मों के नाम दर्शाने वाला विवरण

फिल्म प्रभाग द्वारा बनाई गई फिल्में

क्रम संख्या डाकुमेंट्री फिल्मों के नाम

1. लैम्पस
2. व्हेअर टाइप स्टैंड्स स्टिल
3. सैटल्ड कल्टीवेशन

क्रम संख्या डाकुमेंट्री फिल्मों के नाम

4. रिद्म आफ ए न्यू लाइफ
5. आफ फारेस्ट्स ट्राइवल्स एंड प्रोग्रेस
6. मेघालय
7. छत्तीसगढ़
8. रिद्म आफ इस्टर्न रीजन
9. ए चेन्ज

दूरदर्शन द्वारा बनाई गई फिल्में

10. विहू फेस्टीवल आफ असम
11. यूथ एक्टिविटी इन ट्राइबल एरिया एट तालासारी
12. ताराबाई मोडक सोशल वर्कर इन ट्राइबल एरियाज
13. कटाकरी ट्राइब
14. ठक्कर ट्राइब
15. बालिका श्रम
16. आनन्दग्राम
17. बस्तार के आदिवासी

श्री गिरिधर गोमांगो : अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में फिल्म निर्माण केन्द्र स्थापित करने के लिये मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि किन स्थानों पर ये केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। अपने प्रश्न के भाग (ग), अर्थात् क्या आदिवासी जीवन तथा संस्कृति पर लोगों को दिखाने के लिए वृत चित्र बनाने के लिए टेलिविजन और फिल्म निर्माताओं के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त नियत करने की मंत्रालय की कोई नीति है, जिससे कि चलचित्रों के माध्यम से आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों की भी समस्याओं का पता चल सके, का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वसन्त साठे : चलचित्रों के निर्माण का मार्गदर्शन इस क्षेत्रों की जीवन और संस्कृति प्रदर्शित करने वाले चलचित्रों का चयन है। यही सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त है इसकी विशद व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह स्थान और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि, जैसा बताया जा चुका है, राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम और फिल्मस डिविजन 16 मि. मि. के चलचित्र बनायेंगे। हम बड़े पैमाने पर 16 मि. मि. चलचित्रों का निर्माण करना चाहते हैं क्योंकि ये सस्ते और लोकप्रिय होते हैं तथा स्थानीय आधार पर बनाए जा सकते हैं। 16 मि. मि. आन्दोलन इन क्षेत्रों में चलचित्रों के निर्माण के लिये आरम्भ किया जायेगा इन क्षेत्रों के बारे में दूरदर्शन भी चलचित्र बनाता है, जो हमारे संग्रहालयों और ग्रन्थालयों में सुरक्षित रखे जाते हैं। इस प्रकार आदिम जातियों के संस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर अधिक चलचित्रों का निर्माण करने के लिये ये गतिवीधियां साथ चलेंगी।

श्री गिरिधर गोमांगे : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि आदिम जातियों का 544 बोलियां हैं, और उनमें से लगभग 55 आदिम जातीय भाषाओं को अनुसूची में सम्मिलित की गई है ? क्या वे इन भाषाओं के चलचित्र बनाएंगे ताकि वे इन भाषा भाषियों को दिखाई जा सकें ?

क्या मंत्रालय चलचित्रों के निर्माण के लिये अपने पास से कोई धन नियत करता है? ग्रह मंत्रालय और प्रधान मंत्री ने अभी आदिम जातीय विकास के लिये धन नियत करने के लिये केन्द्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखे थे। क्या कोई धन नियत किया गया है जिससे कि फिल्मस डिवीजन बड़े पैमाने पर अधिक चलचित्र बना सके ताकि अधिक आदिम जातीय लोगों को लाभ मिल सके ?

श्री वसन्त साठे: कुल 310 लाख रुपये के प्रस्तावित परिव्यय में से 150 लाख रुपये चलचित्रों के निर्माण के लिये नियत किये गये हैं। इसमें से 30 लाख रुपये केवल आदिम जातीय जीवन पर चलचित्रों के निर्माण के लिये नियत किये गये हैं। आदिम जातियों के कल्याण के लिये अन्य मंत्रालयों ने भी कार्यक्रम तैयार किये हैं और धन नियत किया है। यदि अन्य मंत्रालय चलचित्रों के निर्माण के लिये धन देते हैं, तो हमें प्रसन्नता होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम चलचित्र बनाना चाहते हैं।

श्री एम. सत्यनारायण राव: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के "ख" भाग में आपने जवाब दिया है कि इस साल 1980-81 में आप मिजोरम, कल्चरल प्राब्लम आफ नार्थ-इस्टर्न रीजन, लाइफ इन विंध्याचल, लम्बानिस, एबोरीजनल ट्राइबस इन मध्य प्रदेश वगैरह की ट्राइबल फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं यह पूरे हाउस को बतलाना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी एक कोया ट्राइब है जहां आपको मालूम है श्री रामचन्द्र सीता जी के साथ 8 साल तक गोदावरी के किनारे रहे थे और इस ट्राइब ने श्री रामचन्द्र जी और सीता जी की खिदमत की थी ।

क्या मंत्री महोदय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राम और सीता ने वहां पर आठ वर्षों तक निवास किया था, वहां के लोगों की संस्कृति लोगों को दिखायेंगे ? क्या सरकार इन आदिम जातियों पर चलचित्र बनाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री वसन्त साठे : हम निश्चय ही इस जानकारी को महत्व देंगे कि एक विशिष्ट जाति ने राम और सीता की सेवा की थी। मैं अन्य लोगों को जानता हूं जिन्होंने राम की बहुत सेवा की थी जैसे हनुमान और उनकी पूर्ण जाति। **(व्यवधान)**

आन्ध्र आदिम संस्कृति में बहुत समृद्ध है। मैं इस बात की सराहना करता हूं। इसलिये हमने लम्बाड़ी को पहले ही शामिल कर लिया है, जो आन्ध्र तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश कुछ भागों से है।

श्री रतन सिंह राजदा: यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे थोड़ी सी निराशा हुई जब श्री साठे ने पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि संस्कृति तीन मंत्रालयों में बंटी हुई है। मेरे विचार में संस्कृति अविभाज्य है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, आदिम संस्कृति को प्रोत्साहन और उसका संवर्धन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि हम आरम्भ से ही इस ओर ध्यान देते, तो यह पूर्वोत्तर समस्या उत्पन्न ही न हुई होती । जवाहरलाल नेहरू आदिम जातियों की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में बहुत रूचि रखते थे। वास्तव में वे आदिम जातियों के लोगों के बीच गये . . . . . व्यवधान . . . . . और एक उदाहरण रखा । उन्होंने उनके साथ नृत्य भी किया । मैंने उन्हें उनके साथ नृत्य करते हुए एक वृत्त चित्र में देखा है और उन्होंने इस प्रकार उनकी संस्कृति का

संवर्धन किया है। क्या वे अपने अन्य सहयोगी मंत्रियों सहित आदिम जातियों के बीच जाकर और नृत्य करके एक उदाहरण रखेंगे और इसके द्वारा आदिम जातीय संस्कृति को बढ़ावा देंगे ? इसका स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें ।

श्री वसन्त साठे : मैं उनका सुझाव स्वीकार करूंगा क्योंकि मैं आदिम लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता । लेकिन यदि मेरे मित्र मेरे साथ चलें तो मैं वहां जाकर उनके साथ नृत्य करने के लिये तैयार हूं।

श्री रतन सिंह राजदा: मैं उनके साथ जाने के लिये तैयार हूं ।

श्री रामवतार शास्त्री : बिहार पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्सों में संथाल, उरांव, रो और मुण्डा जातियों के लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और बहुत ही पिछड़े हुए हैं। उनको आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उठाना अत्यावश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन इलाकों में संथाल, उरांव और मुण्डारी भाषाओं में फिल्म बनाने की कोई योजना आप ने बनाई है ? अगर बनाई है तो वह क्या है ? यदि नहीं बनाई है तो शीघ्र से शीघ्र आप इस तरफ जाने का कोई विचार है या नहीं ?

श्री वसंत साठे: आपके सुझाव पर अवश्य विचार किया जाएगा और आप का सहयोग यदि मिले तो वहां भी फिल्म बनाई जा सकती है।

श्री रामवतार शास्त्री: इस का मतलब है कि आप के पास कोई योजना नहीं है

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, सभा पटल पर रखे हुए विवरण से पता चलता है कि बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र है जो हिन्दुस्तान का सुविख्यात आदिवासी क्षेत्र है और वह आज तक इस मंत्रालय द्वारा उपेक्षित रहा है । क्या मंत्री जी इस ओर विचार करेंगे कि वहां की जो संस्कृति है, उस छोटे नागपुर के सांस्कृतिक जीवन पर कोई फिल्म बनाई जाए ?

श्री वसन्त साठे: छोटा नागपुर के इलाके के बारे में पहले फिल्म बन चुकी है। इसलिए इसमें 1980-81 में उसका कोई उल्लेख नहीं है पर इस में आप विश्वास रख सकते हैं कि हिन्दुस्तान का कोई भी क्षेत्र जहां आदिवासी लोग रहते हैं, उस को उपेक्षित नहीं रखा जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डीजल के आबंटन के लिये नीति

*736. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल पम्पों को डीजल दिये जाने का सतथ्य आधार क्या है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजपथों पर स्थित तथा राज्यीय राजपथों पर स्थित डीजल पम्पों को डीजल दिये जाने के लिए कोई अनुपात निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि नही, तो क्या राष्ट्रीय राजपथों पर तथा अन्य स्थानों पर डीजल पम्पों को डीजल तेल के आबंटन की नीति वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जायेगी और यदि हां, तो यह नीति कब तक तैयार हो जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) डीजल पम्पों को हाई स्पीड डीजल तेल का आवंटन तेल कम्पनियां मोटे तौर पर इन पेट्रोल पम्पों में हुई पिछली बिक्री के आधार पर करती हैं। परन्तु सूखा, कृषि और अन्य क्षेत्रों आदि से विशिष्ट उपभोक्ता मांगों जैसे पहलुओं के लिए प्राथमिकता दी जाती है । विशिष्ट पेट्रोल पम्पों को सप्लाई, संबंधित राज्य सरकार की सलाह पर उनके द्वारा बताई गई प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर अधिक अथवा कम भी की जा सकती है।

(ख) ऐसा कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अक्तूबर, 1979 से हाई स्पीड डीजल का मासिक आवंटन कर रहा है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों की कृषि, परिवहन आदि जैसी मांग के लिए डीजल के वितरण के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करें । राष्ट्रीय राजपथों और अन्य स्थानों पर डीजल पम्पों को डीजल का आवंटन तेल कम्पनियों द्वारा उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर में दिखाये गये अन्य पहलुओं और उनकी पिछली बिक्री के आधार पर किया जाता है।

नेवेली तापीय बिजली घर तमिलनाडु को अन्तर्रित करना

*743. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने 600 मैगावाट क्षमता के नैवेली तापीय बिजली घर को केन्द्रीय नियंत्रण से हटा कर राज्य के नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव किया है जिससे उत्पादन और वितरण संबंधी प्रबंध में अधिक कार्यकुशलता आ सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए. बी. ए. गुनी खान चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र को मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल की मांग

* 744. **श्री आर. के. महालगी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र ने जून, जुलाई और अगस्त, 1980 के लिये मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल की माहवार कितनी मात्रा की मांग की और कितनी मात्रा आवंटित की गई ;

(ख) केन्द्रीय सरकार का कौन सा तंत्र यह देखने का कार्य करता है कि क्या राज्यों में हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल का वितरण उसके द्वारा दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों अथवा अनुदेशों के अनुसार किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के इन दो चीजों के वितरण से संतुष्ट है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जून, जुलाई और आगस्त, 1980 के लिए महाराष्ट्र को मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल तेल का दिया गया आवंटन निम्न प्रकार है :--

(आंकड़े मी० टन में)

माह	मिट्टी के तेल का आवंटन	हाई स्पीड डीजल का आवंटन
जून, 1980	62270	1075000
जुलाई, 1980	66470	1075000
अगस्त, 1980	64100	95200

इन महीनों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल के लिए किसी विशिष्ट मात्रा की मांग नहीं की थी और केवल जुलाई, 1980 के चौथे सप्ताह में यह अनुरोध किया था कि जुलाई के लिए 4,800 मी. टन के करीब मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आबंटन दिया जाए । यह देखते हुए कि केवल कुछ ही दिन शेष थे, इस अनुरोध के आधार पर 3,000 मी. टन मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आबंटन दिया गया था।

(ख) और (ग) : मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल उत्पादों का राज्य के अंदर वितरण मूल रूप से राज्य सरकार का दायित्व है । परन्तु राज्य एवं जिला स्तर पर तेल उद्योग के लिए समन्वयक अधिकारी, जो राज्य की राजधानी और जिले के मुख्यालय पर काम करते हैं, राज्य सरकार तथा जिला अधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखते हैं और खपत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार एच. एस. डी. और मिट्टी के तेल के उचित और साध्य वितरण के लिए सहायता देते हैं । पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता तथा परिवहन क्षमता की वर्तमान समस्याओं के अंदर देश में अधिकांश रूप से इन उत्पादों के नियंत्रित वितरण की वर्तमान प्रणाली सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही है ।

* 745. **श्री एच. एन. नन्जे गौंडा**
श्री के. लक्कप्पा } क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रतिकारियों द्वारा बिल बनाने का काम कम्प्यूटर से करने के कारण बिल बनाने में बहुत विलम्ब होता है जिससे उपभोक्ताओं को अत्यधिक परेशानी होती है ;

(ख) क्या कुछ उपभोक्ताओं को एक वर्ष से अधिक समय से बिल प्राप्त नहीं हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या है ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कम्प्यूटर स्कीम लागू किए जाने की वजह से उपभोक्ताओं के बिल बनाने में गड़बड़ी हुई है।

(ख) हाथ से बिल बनाने की प्रणाली के स्थान पर कम्प्यूटर द्वारा बिल बनाने की प्रणाली अपनाने से प्रारंभिक समस्याओं के कारण, वर्तमान कम्प्यूटर स्कीम के अन्तर्गत आने वाले 4.72 लाख उपभोक्ताओं के मामले में, बिल भेजने की प्रक्रिया में कुछ महीने की, कुछ मामलों में 8 महीने तक की अवधि की देरी हुई है । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि कुछ मामलों में, विशेषरूप से नए कनेक्शनों के संबंध में, क्षेत्र से सूचना देर से भेजे जाने के कारण, बिल भेजने में लगभग एक वर्ष का विलम्ब भी हुआ होगा ।

(ग) उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने की दृष्टि से, समस्त अवधि के लिए समेकित बिल भेजने की बजाय, 4 महीने में किये गये उपभोग बिल भेजे जा रहे हैं तथा उपभोक्ताओं को बिलों का भुगतान किस्तों में करने का विकल्प दिया गया है। दिल्ली

विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि नए कनेक्शनों के बिल बनाने में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए संस्थान द्वारा कदम उठाये गये हैं।

कम्प्यूटर द्वारा बिल बनाने की प्रणाली की, बिलों में अशुद्धियों की तथा उपभोक्ताओं की बिल भेजने में होने वाली देरियों आदि की जांच करने और इस संबंध में अपनी सिफारिशें देने हेतु भारत सरकार ने सदस्य, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है। समिति को अपनी रिपोर्ट एक महीने के अंदर देने को कहा गया है

कोयला प्रक्षालन-शालाओं में कोयला धोल का निकलना

*746. **श्री ए. के. राय** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयला प्रक्षालन-शाला एकक संख्या 1 और 2 दुग्दा, मजीदीह और सन्तालदीह से कोयले के धोवन के बह जाने के कारण राष्ट्रीय राजकोष को भारी हानि उठानी पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने सार्वजनिक धनराशि के इस भारी नुकसान को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : संतालडीह में कोई वाशरी नहीं है । आमतौर से वाशरी जो धोवन निकालती है उसमें कुछ निलम्बित बढ़िया कोयला भी बना रहता है । ऐसी रिपोर्ट मिली है कि दुग्दा-I और दुग्दा-II का कुछ धोवन निथार-पेखरों से ऊपर बह जाता है। धोवन से बढ़िया कोयला निकालने में सुधार के लिए कार्रवाई की जा रही है। इससे राष्ट्रीय कोष को कोई बड़ी क्षति नहीं हो रही है।

अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

*747. **श्री गुलाम रासूल कोचक**
श्री एन. डैनिस } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री मार्ग से आने वाले और राज्य व्यापार निगम के रक्षित भंडार से बिक्री किये जाने वाले दोनों मामलों में आयातित अखबारी कागज के मूल्यों में 100 रु. प्रति टन की और वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

यह वृद्धि कब से लागू होगी ; और

(घ) क्या इससे समाचार-पत्र उद्योग, विशेषकर छोटे और माध्यम दर्ज के समाचार पत्रों के प्रकाशनों की लागत में वृद्धि हो जाएगी ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां । राज्य व्यापार निगम ने अखबारी कागज का मूल्य हाई-सी बिक्री और राज्य व्यापार निगम के बफर-स्टाक दोनों मामलों में अंतिम रूप से 100 रुपये प्रति टन बढ़ा दिया है ।

(ख) हाई-सी बिक्री और दफर-स्टाक दोनों के लिए अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि अखबारी कागज के भारित लागत-बीमा भाड़े मूल्य और प्रासंगिक प्रभारों में वृद्धि के कारण हुई है ।

(ग) मूल्यों में उपरोक्त वृद्धि 1 जुलाई, 1980 से प्रवृत्त है।

(घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई अनन्तिम वृद्धि का समाचारपत्रों की मुद्रण लागत पर कुछ प्रभाव हो सकता है, किन्तु यह वृद्धि शायद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि, विनियम दरों और अन्य लागतों के कारण अपरिहार्य थी ।

हजीरा काम्पलैक्स के लिये विदेशी सहयोग

*748. **श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ती**
श्री वी. वी. देसाई } : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार हजीरा काम्प्लैक्स के लिये विदेशी सहयोग के विभिन्न प्रस्ताओं पर इस समय विचार कर रही है

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहयोग के जिन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है :

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है :

(घ) क्या विश्व बैंक ब्रितानिया और जापान इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त ऋण उपलब्ध करने को सहमत हो गये हैं :

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी, और

(च) काम्प्लैक्स द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) : सरकार ने हाजिरा उर्वरक काम्प्लैक्स के अमोनिया और यूरिया प्लांटों के लिये विदेशी परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्णय किया है। यूरिया प्लांट के लिये इटली के स्नेम प्रोगेटी की परामर्शदाता के रूप में चुना गया है । तथापि अमोनिया प्लांट के लिये परामर्शदाता के चयन के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है ।

(घ) से (च) : इस प्रायोजना की विदेशी मुद्रा की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऋण देने के प्रश्न पर विश्व बैंक, यू. के. और जापान विचार कर रहे हैं। सभी प्रकार की मंजूरियां दिये जाने के बाद 48 महीनों के अन्तर्गत इस प्रायोजना के पूरा होने की आशा है।

कोल इंडिया लिमिटेड को ऋण

*749. **श्री एन. ई. होरो** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियां को, इनकी प्रदत्त पूंजी के अनुसार हाल ही में कोई ऋण प्रदान किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कितना और इस ऋण से होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : ऋण चुकता पूंजी (पेड अप केपिटल) पर मंजूर नहीं किए जा रहे हैं । किन्तु, सरकार इंडिया लि. को कंपनी की विकास योजनाओं के लिए धन मुहैया करने की दृष्टि से दीर्घकालीन ऋण देती है । ये ऋण इसकी इक्विटी पूंजी में अंशदान के अतिरिक्त हैं । वर्ष 1980-81 के दौरान कोल इंडिया लि. की योजनागत स्कीमों के लिए 53.26 करोड़ रुपये इक्विटी के संबंध में और 8.5 करोड़ रुपये ऋण के संबंध में मंजूर किए गए हैं । कोल इंडिया लि. को यह धनराशि अपना कोयले का उत्पादन बनाए रखने तथा पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के स्तर तक बढ़ाने के लिए मंजूर की गई हैं। चालू वर्ष की वार्षिक योजना के अंतर्गत 99 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करने की परिकल्पना है।

फास्फेट उर्वरक का उत्पादन करने हेतु सेनेगल के साथ समझौता

* 750. **डा. फारूक अब्दुल्ला**
श्री पी. एम. सईद } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और सेनेगल फास्फेट उर्वरक के उत्पादन हेतु सेनेगल में एक संयुक्त परियोजना की स्थापना करने के लिये सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) परियोजना में भारत की भूमिका क्या होगी ; और

(ङ) इसकी शर्तें क्या होंगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) सिद्धान्त रूप में यह सहमति दी गई है कि सैनेगल में एक संयुक्त क्षेत्रीय फास्फेट उर्वरक प्लांट की स्थापना में भारतीय कम्पनियों का एक संघ भागीदार बनेगा ।

(ख) जी, नहीं ;

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) : प्रस्तावित भागीदारी सैनेगलीज कम्पनी की साम्य पूंजी के 20% तक होगी, जोकि 20 मिलियन डालर के बराबर है । नई कम्पनी के प्रबन्ध में भागीदार बनने के अलावा भारतीय संघ प्रस्तावित प्रायोजना में उत्पादन किये जाने वाले 33% फोस्फोरिक एसिड को प्राप्त करने का भी हकदार होगा ।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन की मांग

752. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यमान दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन की विभिन्न महिला संगठनों की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार अधिनियम को और व्यापक बनाने का है ताकि दहेज की बुराई की रोकथाम की जा सके ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) विद्यमान दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन करने के लिए विभिन्न महिला संगठनों की मांग पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(ख) जी हां ।

ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम का उल्लंघन

*753. **श्री ज्योतिर्मय बसू** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी अथवा इसकी किसी सम्बद्ध/उपकम्पनी द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कम्पनी द्वारा कम्पनी कानून के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी मंत्री (श्री. पी. शिवशंकर) : (क) तथा (ख) : एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता है ।

विवरण

ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी (अब ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) के संबंध में सरकार की सूचना में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उल्लंघन का कोई मामला नहीं आया है । इसकी कोई समवर्गी/सहायक कम्पनियां नहीं हैं । तथापि, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने कम्पनी के विरुद्ध निम्नलिखित दो जांचें प्रारंभ की हैं:--

(क) कम्पनी द्वारा निम्नलिखित अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त होने के आरोप में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 10(क)(4) के अंतर्गत अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों की जांच

(1) कतिपय शीर्षों के अन्तर्गत ज्यादा व्यय

(2) स्वेच्छा से मूल्य वृद्धि

(3) मूल्य विभेद

(ख) कम्पनी द्वारा निम्नलिखित अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त होने के आरोप में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 10(क)(3) के अन्तर्गत अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों की जांच

(1) सीमा आवंटन

(2) पुनर्विक्री मूल्य रखरखाव

(3) केवल व्यापार

ये जांचें अभी तक आयोग के समक्ष अनिर्णीत हैं । कम्पनी के विरुद्ध आयोग द्वारा एकाधिकारिक व्यापार प्रथा के संबंध में कोई जांच प्रारंभ नहीं की गई है ।

फिल्मों में नारी का चरित्र-चित्रण

*754. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि 75 प्रतिशत से भी अधिक वाणिज्यक हिन्दी फिल्मों तथा कलात्मक फिल्मों में नारी को पुरुष से हीन चित्रित किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) : यह सामान्यकरण करना कठिन होगा कि 75 प्रतिशत से अधिक हिन्दी फिल्मों में नारियों को पुरुषों से हीन चित्रित किया गया है। ऐसा हो सकता है कि कुछ फिल्मों में भारतीय नारियों की छवि का विकृत चित्रण होता है । तथापि, जहां ऐसी विकृतियां, सार्वजनिक व्यवस्था, शीलीन्ता और नैतिकता से संबंधित चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा उन फिल्मों में आवश्यक काट-छांट की जाती है ।

बंगला देश द्वारा प्राकृतिक गैस की सप्लाई

*755. **श्री मोहम्मद असरार अहमद**
श्री हन्नान मोल्लाह } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश ने भारत को दस खरब घन फुट प्राकृतिक गैस बेचने का प्रस्ताव किया है और भारत सरकार पाइप लाइनें बिछाने के सारे व्यय को वहन करने को सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित किये जाने और सप्लाई आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं और यदि हां तो इसकी शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) : बांगलादेश से प्राकृतिक गैस का आयात करने की सम्भावना का पता लगाने के लिये हाल ही में दोनों पक्षों के बीच केवल प्रारंभिक बातचीत हुई है । दोनों में से किसी भी तरफ से किसी प्रकार निश्चित वायदा नहीं किया गया है।

भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा निर्वाचन आयोग को दिया गया ज्ञापन

*756. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य परिषद् (कौंसिल) ने निर्वाचन आयोग को कोई ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ज्ञापन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री(श्री पी. शिवशंकर): (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में यह अभिकथन किया गया है कि 59--मुजफ्फरपुर, 66--शिवहर, 75--हरलाखी, 80-झंझापुर, 81--फुलपरास, 83--मधेपुर, 84--मणिगाछी, 85--वहेड़ा, 86--घनश्यामपुर, 87--वहेड़ी, 100--रोसेड़ा, 113--त्रिवेणीगंज, 117--सहरसा, 119--सिमरी--बख्तियारपुर, 191--शेखपुरा, 211--फुलवारी, 246--घोसी और 260--वारसलिगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केन्द्रों पर मतदान में धांधली और उन पर कब्जा करने की घटनाएं हुई ।

(ग) राज्य प्राधिकारी इस ज्ञापन की विषय-वस्तु का अन्वेषण कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग उनसे इस सम्बन्ध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है । निर्वाचन आयोग में एक सेल भी इन बातों की जांच पड़ताल कर रहा है ।

"रियल मनी वर्सेज रियल जनता" शीर्षक समाचार

5915. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 25 मई, 1980 की "सन्डे" पत्रिका में "रियलमनी वर्सेज़ रियल जनता" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किसको वास्तविक जनता के रूप में मान्यता दी गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर): (क) जी हां।

(ख) इस समय निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग ने किसी भी दल को "जनता पार्टी" के रूप में मान्यता नहीं दी है। फिर भी मई, 1980 में हुए नौ राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए आयोग ने 30 अप्रैल, 1980 को श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाले "जनता पार्टी" के समूह को तदर्थ आधार पर "जनता पार्टी" (जे.पी.) के नाम से राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी थी । आयोग ने 25 अप्रैल, 1980 को श्री अटल विहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले समूह को "भारतीय जनता पार्टी" के नाम से एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की थी ।

निर्वाचन आयोग ने यह भी विनिश्चय किया है कि जब तक डा. मुरली मनोहर जोशी के तारीख 14 अप्रैल, 1980 के आवेदन से उद्भूत विवाद पर अंतिम विनिश्चय नहीं कर दिया जाता तब तक दोनों में से कोई भी समूह "जनता पार्टी" के नाम का प्रयोग नहीं करेगा।

कालायात और नागौर में पीने के पानी की सप्लाई के लिए उठाऊ सिंचाई योजना

5916. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कालायात और नागौर क्षेत्र के गांवों के लिए स्थाई आधार पर पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए, लुंकारन्तार उठाऊ योजना के अन्तर्गत बनाई गई नहर की भान्ति कालायात और नागौर उठाऊ नहर योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने का विचार है जिससे कि सरकार को इस कार्य के लिए प्रति वर्ष तदर्थ व्यवस्था करने के लिए जो अनावश्यक खर्च करना पड़ता है उसे बचाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) : राजस्थान सरकार ने फरवरी, 1977 में राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो में संशोधन किया था और उसमें पांच लिफ्ट स्कीमों की व्यवस्था की थी, जिनमें राजस्थान नहर के पूर्व में स्थित कालायात और नागौर क्षेत्रों की स्कीमें भी शामिल थीं । हालांकि ये स्कीमें मुख्यत: सिंचाई स्कीमों के रूप में तैयार की गई हैं लेकिन इनसे संबंधित क्षेत्रों में पीने के पानी की भी व्यवस्था होती । बाद में, 1978 में राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार किया गया और एक संशोधन प्रस्ताव तैयार किया गया जिसमें राजस्थान नहर के पश्चिम में स्थित कुछ अन्य क्षेत्रों में प्रवाह-सिंचाई करना ही शामिल था । इस संशोधित प्रस्ताव में भी उपर्युक्त क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने की जरूरत को स्वीकार किया गया था। लेकिन राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने इस मामले में कोई अन्तिम फैसला नहीं किया है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में समयबद्ध पदोन्नति

5917. **श्री थाभाई एम. करुणानिधि :** क्या उर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन तमिलनाडू में 1979 में "समय-वद्ध पदोन्नति योजना" लागू की गई थी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कार्मिक विभाग ने उपरोक्त योजना पर स्वीकृति दे दी है ;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नतियों पर उपरोक्त योजना के अचानक लागू किये जाने के कारण बुरा प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ ने पहले प्रश्न पर प्रबन्धक से अभ्यावेदन किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रबन्धकों द्वारा इन पर की गई उपचारात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि उपरोक्त योजना अचानक लागू न की जाती तो, 1 जनवरी, 1979 से अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारियों की पदोन्नति हो जाती, तत्सम्बन्धी ग्रेडवार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां । यह सही है कि नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12(3) के अधीन दिनांक 18-10-1978 को किए गए व्यापक मजदूरी समझौते के एक भाग के रूप में समयबद्ध पदोन्नति स्कीम को दिनांक 1-1-1979 से लागू किया गया था ।

इस स्कीम के अन्तर्गत अपने अपने ग्रेड में अथवा वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के बाद, वहां एक ग्रेड से ऊंचे ग्रेड/पद पर पदोन्नति की जाती है जहां पदोन्नति की जाती है नियमित लाइन है और जहां पदोन्नति की कोई निश्चित लाइन नहीं है वहां उससे अगला ऊंचा वेतनमान दिया जाता है । पदोन्नति के लिए जहां कोई इम्तहान आदि पहले से निर्धारित है उसे पास करना पड़ता है । इस प्रकार की पदोन्नति का वही लाभ होगा जो नियमित रिक्तियों पर नियमित रूप से पदोन्नत कर्मचारियों को मिलता है ।

इस स्कीम का अनुमोदन नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के निदेशक मण्डल ने किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । वे चाहते थे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति की निर्धारित अवधि (10 वर्ष) को कम कर दिया जाए । इस पर सहमति नहीं हो सकी क्योंकि सामान्य पदोन्नति के मामले में भी ऐसी छूट नहीं है ।

उन्हें सूचित किया गया कि यदि वास्तव में खाली जगहें हैं और उन्हें भरने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जिससे 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली हो, तो ऐसे मामले में खाली जगहों को पहले (सम्यबद्ध पदोन्नति योजना लागू होने से पूर्व) जो सेवा वर्ष अलग अलग पदों के लिए निर्धारित थे उनको ध्यान में रखकर पदोन्नति की जाती है तथा रोस्टर प्वाइंटों का पूरा पूरा कड़ाई से पालन किया जाता है ।

(घ) समयबद्ध पदोन्नति स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति रिक्तियों के आधार पर नहीं की जाती । तथापि, जनवरी, 1979 से मार्च, 1980 तक हुई वास्तविक रिक्तियों (लगभग 125) में 40 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार सामान्यता 27 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की पदोन्नति हुई होती । किन्तु, समयबद्ध पदोन्नति योजना लागू होने के बाद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लगभग 77 लोगों को पदोन्नति का लाभ मिला है ।

आंध्र प्रदेश में ओंगोले स्थान पर सोडा एश के कारखाने की स्थापना करना

5918. **श्री पसाला पेचांलैया** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में ओंगोले स्थान पर सोडा एश फेक्टरी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की अनुमानित लागत तथा क्षमता क्या है; और

(ग) क्या इसकी स्थापना विदेशी सहयोग के साथ होगी और होगी और यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अम्लों (एसिडों) का उत्पादन

5919. **श्री ए. नीलालोहिया दसन नाडार** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 से लेकर 1980 तक प्रत्येक वर्ष में (एक) सल्फ्यूरिक एसिड (गन्धक का अम्ल), (दो) हाइड्रोक्लोरिक एसिड (लवण का अम्ल), (तीन) नाइट्रिक एसिड, (चार) फार्मिक एसिड, (पांच) एसिडिक एसिड, (छ) एस्कार्बिक एसिड तथा (सात) टारटेरिक एसिड का अलग-अलग कुल वार्षिक उत्पादन कितना हुआ है; और

(ख) भारत में उपरोक्त प्रत्येक एसिड का उत्पादन वाली एककें कौन-कौन सी हैं;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1976 से 1980 तक के वर्षों के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड और एस्कार्बिक एसिड नामक पांच रासायनों का संगठित क्षेत्र में कुल वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार है:--

क्रम सं०	मद	उत्पादन (टनों में)				
		1976	1977	1978	1979	1980 (जनवरी से जून)
1.	सल्फ्यूरिक एसिड	16,60,000	20,20,000	21,10,000	20,60,000	12,00,000
2.	हाइड्रोक्लोरिक एसिड	2,30,000	1,60,000	1,90,000	1,80,000	1,10,000
3.	नाइट्रिक एसिड	5,50,000	4,90,000	5,40,000	6,00,000	3,10,000
4.	एसिटिक एसिड	24,983	23,978	30,978	32,077	14,860 (अस्थोई)
5.	एस्कार्बिक एसिड	408.55	569.45	685.82	797.87	226.68 (जनवरी से अप्रैल, 1980)

फार्मिक एसिड के सम्बन्ध में वार्षिक उत्पादन के आंकड़े वित्तीय वर्ष आधार पर उपलब्ध हैं। वे निम्न प्रकार हैं:--

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
1976-77	987
1977-78	1093
1978-79	1296
1979-80	945

संगठित क्षेत्र में टारटरिक एसिड का निर्माण करने वाली कोई यूनिट नहीं है ।

(ख) भारत में उपरोक्त एसिडों के निर्माण में लगी हुई यूनिटों के नाम विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

मद संख्या : 1 (सल्फ्यूरिक एसिड)

संगठित क्षेत्र में निम्नलिखित 74 यूनिटें सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में व्यस्त हैं:--

आंध्र प्रदेश

1. मैसर्स आन्ध्र फर्टिलाइजर प्रा. लि.,
तदनाली, जिला गंतूर ।

2. मैसर्स आन्ध्रा सुगर लि.,
वेंकटारयापुरम, टांकू
जिला, वेस्ट गोदावरी ।

3. मैसर्स कोरमंडल फर्टिलाइजर्स लि.,
विशाखापत्तनम, जिला वेस्ट गोदावरी ।

4. मैसर्स हैदराबाद केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.,
मौला अली, हैदराबाद ।

5. मैसर्स किरशना इंडस्ट्रीयल कार्पो. लि.,
निदादा वोला, जिला वेस्ट गोदावरी ।

6. मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि.,
विशाखापतनम, जिला वेस्ट गोदावरी ।

असम

7. मैसर्स एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज (पी.) लि.,
चन्द्रापुर, जिला कनोप (नजदीक गोहाटी) ।

8. मैसर्स असाम आयल कं. लि.,
डिगबोई, जिला डिब्रूगढ़ ।

9. मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पो. लि.,
नामरूप ।

बिहार

10. मैसर्स स्टील आथरटी आफ इंडिया लि.,
बोकारो स्टील सीटी,
डिस्ट्रिक्ट, धनबाद ।

11. मैसर्स इंडियन स्टील एण्ड वायर प्रोडक्ट लि.,
टाटानगर, डिस्ट्रिक्ट, जमसेदपुर ।

12. मैसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज लि.,
डालमिया नगर, जिला रोहतास ।

13. मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि.,
जमसेदपुर, जिला सिंगभूम ।

14. मैसर्स टीनप्लेट कम्पनी आफ इंडिया लि.,
गोलमुसी, जिला सिंगभूम ।

15. मैसर्स यूरेनियम कार्पो. आफ इंडिया लि.,
जादुगुदा माइन्स, जिला सिंगभूम ।

16. मैसर्स फर्टिलाइजर कार्पो. आफ इंडिया लि.,
सिंदरी, जिला धनबाद ।

17. मैसर्स हिन्दुस्तान कापर कम्पाउण्ड,
घटशिला, जिला सिंगभूम ।

दिल्ली

18. मैसर्स डी. सी. एम. केमिकल लि.,
नजफगढ़ रोड, दिल्ली ।

गुजरात

19. मैसर्स आदर्श केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि.,
उधना, जिला सूरत ।

20. मैसर्स अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लि.,
अहमदाबाद ।

21. मैसर्स अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लि.,
भावनगर ।

22. मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स लि.,
अतुल, जिला बलसर ।

23. मैसर्स बडौदा रेयन कार्पो लि.,
उधना, जिला सूरत ।

24. मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लि.,
फर्टिलाइजर नगर, जिला बड़ौदा ।

25. मैसर्स इंडियन रेयन कार्पो.,
वेरावल, जूनागढ़ रोड ।

26. मैसर्स नवीन फलोराइन इंडस्ट्रीज लि.,
बस्तर, जिला सूरत ।

27. मैसर्स पौसाक लि.,
बड़ौदा ।

हरियाणा

28. मैसर्स इंडियन सल्फ एसिड इंडस्ट्रीज लि.,
सहाबाद, जिला कुरुक्षेत्र ।

29. मैसर्स दारूहेरा केमिकल्स कं.,
दारूहेड़ा ।

30. गेगन फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लि.,
बेलागुला, जिला मंडिया ।

केरल

31. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.,
उद्योगमण्डल, जिला अरुनाकुलम ।

32. मैसर्स फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.,
अम्बालानाडु, जिला कोचीन ।

33. मैसर्स ट्रावनकोर रेयन लि.,
रेयनपुरम, अरुनाकुलम ।

34. मैसर्स ट्रावनकोर टिटानियम प्रो. लि.,
कोचुवेली, जिला त्रिवेन्द्रम ।

35. मैसर्स कोमिनको बिनानी जिंक लि.,
विहानीपुरम, जिला अरुनाकुलम ।

महाराष्ट्र

36. मैसर्स सेंचूरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफेक्चरिंग कं, लि.,
कल्याण, बम्बई ।

37. मैसर्स धरमसी मोरारजी एण्ड केमिकल्स कं लि.,
अम्बरनाथ, जिला थाना ।

38. मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.,
मारवली, चम्बूर, बम्बई ।

39. मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.,
रसायनी, पनवल, कोलाबा ।

40. मैसर्स इंडियन डाइस्टफ इंडस्ट्रीज,
कल्याण, साहद ।

41. मैसर्स नेशनल रेयन कार्पो.,
मोहरू कल्याण ।

42. मैसर्स वेस्टर्न केमिकल्स इंडस्ट्रीस,
गोरेगाव, ईस्ट बम्बई ।

43. मैसर्स वैस्ट इंडिया केमिकल्स लि.,
लोहीकला घाट, जिला पूना ।

44. मैसर्स सोलन केमिकल्स,
चन्द्र पुर ।

45. मैसर्स अल्बराईट मोरारजी एण्ड पंडित लि.,
अम्बरनाथ, जिला थाना ।

मध्य प्रदेश

46. मैसर्स ग्वालियर रेयनशिल्क मैनू. (विविंग) कम्पनी लि.,
बिरला ग्राम, जिला नागदा ।

47. मैसर्स धर्मसी मोरारजी केमिकल्स कं लि.,
कुम्भरी, जिला दुर्गापुर ।

48. मैसर्स्स स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.,
भिलाई, जिला दुर्गापुर ।

उड़ीसा

49. मैसर्स स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.,
राउरकेला ।

पंजाब

50. मैसर्स पंजाब सल्फर प्रोडक्ट्स,
रेल नगर, बालाचौर, जिला होशियारपुर ।

राजस्थान

51. मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि.,
देवारी, जिला उदयपुर।

52. मैसर्स श्रीराम रेयन्स,
श्रीराम नगर, कोटा ।

53. हिन्दुस्तान कापर कार्पो.,
खेतरी नगर ।

54. मैसर्स भारत अल्मूनियम एंड केमिकल्स लि.,
अलवर, जिला अलवर ।

तमिलनाडु

55. मैसर्स कोठारी (मद्रास) लि.,
एन्नोर, मद्रास ।

56. मैसर्स कोअम्बटूर पाइनियर फर्टिलाइजर लि.,
कोएम्बेटूर, जिला कोएम्बेटूर ।

57. मैसर्स ई. आई. डी. पैरी लि.,
रानी पेट, जिला नार्थ एरकोट ।

58. मैसर्स ई. आई. डी. पैरी लि.,
एन्नोर, मद्रास ।

59. मैसर्स साहवालेस एण्ड कं. लि.,
काडूवेली, मद्रास ।

60. मैसर्स साउथ इंडिया विशकोस लि.,
श्रीमुघा, जिला कोएम्बटूर ।

61. मैसर्स नागपाल पेट्रो-केमिकल्स लि.,
मनाली, मद्रास ।

62. मैसर्स सदर्न पैट्रो-केमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पो. लि.,
तूतीकोरिन, जिला त्रिनलवेली ।

उत्तर प्रदेश

63. मैसर्स कान्पुर केमिकल वर्कर्स प्रा. लि.,
अनवरगंज, कानपुर ।

64. मैसर्स जे. के. काटन स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स कं. लि.,
जे. के. पुरी, कान्पुर ।

65. मैसर्स रेलिस इंडिया लि.,
(केमिकल डिविजन),
मगरवारे, जिला उन्नाव ।

पश्चिम बंगाल

66. मैसर्स बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स,
काणीहाटी, जिला 24 परगना ।

67. मैसर्स हिन्दुस्तान हैवी केमिकल्स लि.,
खरदाह, जिला 24 परगना ।

68. मैसर्स स्टील अथारिटी आफ इंडिया,
(मारिस) (पुरी रेलवे), जिला दुर्गापुर ।

69. मैसर्स इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि.,
बर्नपुर, जिला बर्धवान ।

70. मैसर्स केसोराम इंडस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लि.,
त्रिवेणी, जिला हुगली ।

71. मैसर्स फास्फेट कम्पनी लि.,
रिसरा, जिला हुगली ।

72. मैसर्स जयश्री केमिकल्स एण्ड फर्टिलैजर्स,
खरदाह, जिला 24 परगना ।

73. मैसर्स सी. डी. ठाकर एण्ड कं,
जेमन, जिला रूपनारनपुर ।

74. मैसर्स हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड,
हल्दिया, जिला मिदनापुर ।

मद संख्या : 2 (हाइड्रोक्लोरिक एसिड)

संगठित क्षेत्र में निम्नलिखित 26 यूनिटें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण में व्यस्त हैं ।

आंध्र प्रदेश

1. आंध्रा सुगर लि.,
कोव्वूर-534350 ।

बिहार

2. रोहतास इंडस्ट्रीस लि.,
डा. डालमानगर-252320 ।

दिल्ली

3. डी. सी. एम. केमिकल वर्क्स,
नजफगढ़ रोड ।

गुजरात

4. अहमदाबाद मैनुफैक्चरिंग एण्ड केलिको प्रिंटिंग कं. लि.,
केलिको मिल्स (केमिकल डिविजन),
अहमदाबाद-380022 ।

5. अतुल प्रोडक्ट्स लि.,
डा. अतुल, जिला बलसर (पश्चिम रेलवे) ।

6. टाटा केमिकल्स लि.,
डा. मिठापुर, ओखामण्डल ।

हरियाणा

7. बल्लापुर इंडस्ट्रीज लि.,
जगाधरी, पो. ओ. यमुनानगर ।

कर्नाटक

8. बलारपुर इंडस्ट्रीज लि.,
गांव बिनागा,
डा. कारवार ।

केरल

9. ट्रावनकौर कोचीन केमिकल्स लि.,
एल्लूर, डा. उद्योगमण्डल,
विया-अलवाय ।

मध्य प्रदेश

10. ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग (विविंग) कं. लि.,
(केमिकल्स डिविजन), डा. बीर अरगाम ।

11. हुकम चन्द जुट मिल्स लि.,
डा. अमलाई पेपर मिल्स, जिला साहदोल ।

12. नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि.,
डा. नेपानगर ।

महाराष्ट्र

13. अहम्दाबाद मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड केलिको प्रिंटिंग कं. लि.,
(केलिको केमिकल, प्लास्टिक एण्ड फाइबर डिविजन),
अनिक चैम्बर, बम्बई-400074 ।

14. बलारपुर इंडस्ट्रीज लि.,
डा. बलारपुर ।

15. सैंचूरी केमिकल्स,
मुरबाद रोड, कल्याण रोड ।

16. जे. के. केमिकल्स लि.,
पचकाड़ी, थाना ।

17. नेशनल रेयन कार्पो. लि.,
मोहने, कल्याण ।

18. स्टेण्डर्ड मिल्स कं. लि.,
घांडसोली, थाना, बेलापुर रोड, थाना ।

उड़ीसा

19. जयश्री केमिकल्स लि.,
डा. गंजम ।

राजस्थान

20. श्रीराम विनायल एण्ड केमिकल इंडस्ट्रीज लि.,
श्रीराम नगर, कोटा-324004 ।

तमिलनाडु

21. धरगंधरा केमिकल्स वर्क लि.,
साहुपुरम-628202 ।

22. मेटूर केमिकल्स इंडस्ट्रीयल कारपो. लि.,
मेटूर डैम-636402 ।

उत्तर प्रदेश

23. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि.
डा. रेनूकूट ।

पश्चिम बंगाल

24. अल्कली एण्ड-केमिकल कार्पो., आफ इंडिया लि.,
डा. रिसरा-712248 ।

25. दुर्गापुर केमिकल्स लि.,
डा. दुर्गापुर-4 ।

26. हिन्दुस्तान हेवी केमिकल्स लिमिटेड,
15, जी. टी. रोड, खरदाह ।

मद संख्या : 3 (निटीरिक एसिड)

संगठित क्षेत्र में निम्नलिखित 7 यूनिट निटरिक एसिड के निर्माण में व्यस्त हैं ।

1. मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव लि.,
गोमिआ (बिहार) ।
2. मैसर्स दीपक नाइट्रेट प्रा. लि.,
नन्देशरी (गुजरात) ।
3. मैसर्स फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया,
सिन्दरी बिहार ।
4. मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.,
नया नंगल, होशियारपुर (पंजाब) ।
5. मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.,
चैम्बूर, बम्बई (महाराष्ट्र) ।
6. मैसर्स स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.,
राउरकेला, उड़ीसा ।
7. मैसर्स सदर्न नाइटा केमिकल्स लि.,
तहसील सैदापेट, चिंगलेपुट (तमिलनाडू) ।

मद संख्या : 4 (एसिटिक एसिड)

संगठित क्षेत्र में निम्नलिखित 12 यूनिट एसेटिक एसिड के निर्माण में व्यस्त हैं ।

1. मैसर्स हैदराबाद कंस्ट्रक्शन कम्पनी, हैदराबाद ।
2. मैसर्स आंध्र सुगर लि.,
तानूकू, आंध्र प्रदेश ।
3. मैसर्स सिरशिल्क लि.,
सिरपुर कागज नगर, आंध्र प्रदेश ।
4. मैसर्स मैसूर सुगर लि.,
माण्डेया, कर्नाटक ।
5. मैसर्स इंडियन आर्गेनिक केमिकल्स लि.,
खोपोली, महाराष्ट्र ।
6. मैसर्स कोहलापुर शुगर मिल्स लि.,
कोहलापुर, महाराष्ट्र ।
7. मैसर्स सोमाया आर्गेनो-केमिकल्स लि.,
शकरवाडी, जिला अहमदनगर ।
8. सोमाया आर्गेनिक्स इंडिया लि.,
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।

9. यूनियन कार्बाइड इंडिया लि.,
बम्बई ।

10. मैसर्स गुजकेम डिस्टीलर्स इंडिया लि.,
विल्लोमोरी, गुजरात ।

11. मैसर्स त्रिची डिस्टीलरीज एण्ड केमिकल्स,
त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु ।

12. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.,
मुजफफरपुर, बिहार ।

मद संख्या : 5 (एस्कोर्बिक एसिड)

संगठित क्षेत्र में निम्नलिखित 3 यूनिटें एस्कार्बिक एसिड के निर्माण में व्यस्त हैं ।

1. मैसर्स जयन्त विटामिन्स लि.,
बम्बई ।

2. मैसर्स एम. साराभाई एम. केमिकल्स,
बडौदा ।

3. मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि.,
पिम्परी पूना ।

मद संख्या : 6 (फार्मिक एसिड)

संगठित क्षेत्र में केवल एक एकक अर्थात् मैसर्स पेरिया केमिकल्स प्रा. लिमिटेड, उद्योग-मण्डल, केरल फार्मिक एसिड के निर्माण में लगा हुआ है।

विज्ञापन सेवाओं से आय

5920. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की विज्ञापन सेवाओं के द्वारा वर्ष 1979 के दौरान सरकार को राज्यवार कुल कितनी आय हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : आकाशवाणी द्वारा विज्ञापन सेवा से वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान अर्जित राजस्व के राज्य-वार अनन्तिम आंकडे विवरण में दिए गए हैं ।

दूरदर्शन के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	कुल	कमीशन	निवल
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	1,51,54,327	22,14,294	1,29,40,033
2.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	1,28,24,765	17,66,962	1,10,57,803
3.	पश्चिम बंगाल	1,11,18,187	15,80,165	95,38,022
4.	तमिल नाडु	90,36,045	12,56,347	77,79,698
5.	कर्नाटक	59,60,550	8,70,161	50,90,389
6.	गुजरात	61,99,943	8,99,635	53,00,308
7.	आंध्र प्रदेश	74,35,844	10,87,717	63,48,127
8.	उड़ीसा	21,86,945	3,04,856	18,82,089
9.	बिहार	40,11,744	5,69,721	34,42,023
10.	राजस्थान	43,31,236	6,31,500	36,99,736
11.	केरल	36,94,402	5,27,524	31,66,878
12.	पंजाब और हरियाणा	70,51,957	9,74,212	60,77,745
13.	उत्तर प्रदेश	75,76,102	10,84,421	64,91,681
14.	मध्य प्रदेश	43,55,279	6,17,517	37,37,762
15.	काश्मीर	20,17,762	2,73,341	17,44,421
16.	असम	3,000	450	2,550
	कुल	10,29,58,088	1,46,58,823	8,82,99,265

रेडियो स्टेशनों से क्षेत्रीय भाषाओं में गीतों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त

5921. **श्री. के. प्रधानी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रसारण केन्द्रों द्वारा प्रसारण हेतु क्षेत्रीय भाषाओं में गीतों का अनुपात निर्धारित करने के संबंध में कोई मार्गदर्शी सिद्धांन्त है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन मार्गदर्शी सिद्धान्त को क्रियान्वित के बारे में विभिन्न रेडियो स्टेशनों से पता कर लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं । किन्तु आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्र सुगम और लोक गीतों को मुख्यत: क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में प्रसारित करते हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

जिला झाबुआ में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना करना

5922. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978 में जिला झाबुआ में राज्य सरकार के सहयोग के साथ एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए एम. पी. एग्रो-मोरारजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को एक आशय पत्र जारी किया गया था ;

(ख) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाई की गई है;

(ग) इस राक फास्फेट आधारित कारखाने की संभावना एवं लाभप्रदता के बारे में सरकार को प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह कारखाना कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : चूंकि प्रस्तावित उर्वरक कम्पलैक्स झाबुआ खानों से उपलब्ध राक फासफेट पर आधारित है, मैसर्स धर्मसी मोरार केमिकल्स कम्पनी लि., जो कि परियोजना के सहयोगियों में से एक है, इस राक के प्रयोग पर पायलट प्लांट का अध्ययन कर रही है । पायलट प्लांट अध्ययनों के सफल सिद्ध होने के तत्काल बाद परियोजना का कार्यान्वयन कर दिया जायेगा । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पैट्रोल की खपत

5923. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पैट्रोल और पैट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग में मितव्ययता बरतने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने के बाद गत छह महीनों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों ने मंत्रालय-वार पैट्रोल की कितनी खपत की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर शीघ्र ही रख दिया जायेगा ।

गुजरात में उद्योग तथा कृषि क्षेत्रों के सामने विद्युत का संकट

5925. **श्री अमर सिंह वी. राठवा** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में उद्योग तथा कृषि क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां की स्थिति का अध्ययन करने के लिए केन्द्र से कोई दल भेजा गया है ;

(ग) क्या उक्त दल ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिश की गई है, और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार स्थिति का अध्ययन करने के लिए वहां निकट भविष्य में एक दल भेजने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गुजरात में वर्षा न होने के कारण कृषि क्षेत्र की मांग में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप तथा कुछ उत्पादन यूनिटों की बंदी के कारण प्रणाली उत्पादन में कमी होने तथा अहमदाबाद विद्युत सप्लाई कं. में कोयला श्रमिकों की हड़ताल होने के कारण राज्य को पिछले सप्ताह विद्युत की कुछ कमी का सामना करना पड़ा था । कुछ यूनिटों को पुनः चालू होने से अब स्थिति में सुधार हुआ है तथा केवल सीमान्त प्रतिबंध लागू हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) राज्य सरकार से ऐसे सहायता के लिए जब कभी कोई अनुरोध प्राप्त होगा, तब उस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ।

दहेर और पोंग बांध जल-विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली बिजली में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा

5926. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार दहेर और पोग बांध जल-विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली बिजली में से अपना हिस्सा मांग रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार ने इस मामले को एक एक सदस्यीय आयोग को भेज दिया है; और

(ग) आयोग को किस संभावित तारीख तक अपना निर्णय देने के लिए कहा गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : व्यास परियोजना से प्राप्त विद्युत में हिस्सों को अंतिम रूप से निर्धारित करने का प्रश्न ऊर्जा मंत्रालय के परामर्शदाता को सिफारिशें देने के लिए भेजा गया था । ये सिफारिशें विचाराधीन हैं । तथापि, अंतिम निर्णय संबंधित राज्यों के साथ परामर्श करके लिया जाएगा ।

महो बजाज सागर सिंचाई परियोजना से राजस्थान को जल की आपूर्ति

5927. **श्री चतुर्भुज** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और राजस्थान के संयुक्त बोर्ड के समझौते के अनुसार वर्ष 1979 से लेकर 30 जून, 1980 तक की अवधि के दौरान महो बजाज सागर सिंचाई परियोजना से राजस्थान को पानी दिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसे क्या कारण थे कि उनके स्वयं बोर्ड के सभापति होने पर भी वह समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य को पानी नहीं दिला पाये हैं ; और

(ख) उक्त योजना से राजस्थान राज्य कितने पानी को प्राप्त करने का अधिकारी था और 1 जनवरी, 1979 से 30 जून, 1980 तक की अवधि के दौरान राज्य को वास्तव में कितना पानी दिया गया है और राज्य को समझौते की शर्तों के अनुसार पानी की पूरी मात्रा न दिये जाने के क्या कारण थे तथा इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) माही बजाज सागर परियोजना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा माही नियंत्रण बोर्ड के निदेशन में बांसवाडा में माही नदी पर एक बांध का निर्माण किया जा रहा है । इस परियोजना से राजस्थान को जल सप्लाई करने के कार्यक्रम के बारे में राजस्थान और गुजरात राज्यों द्वारा कोई करार नहीं किया गया है । लेकिन परियोजना की प्रगति की नियतकालिक समीक्षा के दौरान, जून 1979 तक जल के आंशिक संचयन और इस प्रयोजन से वर्कस के समय पर पूरा होने पर, जल राजस्थान को सप्लाई करने का एक प्रस्ताव किया गया था । लेकिन चूंकि ये निर्माणकार्य ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से काम किये जाने और सीमेंट की कमी, आदि के कारण पूरे नहीं किये जा सके और अभी भी इन पर काम चल रहा है, इसलिए इस परियोजना से राजस्थान को अभी तक कोई पानी सप्लाई नहीं किया गया है ।

काशी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड

5928. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काशी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी, उत्तर प्रदेश के निदेशक मण्डल के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) इसके मुख्य शेयरधारी कौन हैं, उनके पास तथा निदेशकों के पास भिन्न भिन्न वर्गों के कितने मूल्य के शेयर हैं ;

(ग) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन उक्त कम्पनी द्वारा समुचित विवरणियां नहीं दी जाती हैं और इसने विभिन्न अन्य अनियमितताएं भी की हैं ;

(घ) यदि हां, तो कम्पनी, प्रबंध निदेशक/प्रमुख अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं और उनके द्वारा की गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) विगत तीन वर्षों में इसकी कुल बिक्रियां तथा अन्य वसूलियां क्या थीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) कम्पनी के निदेशक मण्डल निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा गठित है :--

(1) श्री लक्ष्मी निवास डालमिया

(2) श्रीमती सावित्री देवी डालमिया

(ख) कम्पनी के हिस्सेधारियों के नाम, एवं उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित हिस्सों की संख्या निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	नाम	धारित हिस्से	हिस्सों का कुल मूल्य
			रु०
1.	श्री लक्ष्मी निवास डालमिया (निदेशक)	100 रु० की दर के पूर्ण प्रदत्त 5,300 साम्य हिस्से	5,30,000
2.	श्रीमती सावित्रीदेवी डालमिया (निदेशक)	100 रु० की दर के पूर्ण प्रदत्त 3,300 साम्य हिस्से	3,30,000

3. श्रीमती सावित्री देवी डालमिया (कुणाल डालमिया, अवयस्क की मां तथा प्राकृतिक संरक्षिका, के रूप में	100 रु० की दर के पूर्ण प्रदत्त साम्य हिस्से	1,00,000
4. कुमारी आशा डालमिया	100 रु० की दर के पूर्ण प्रदत्त साम्य हिस्से 400	40,000
योग	10,000 साम्य हिस्से	10,00,000

(ग) तथा (घ) : कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कम्पनी द्वारा विवरणियों के प्रस्तुत करने में की गई चूकों तथा उन पर की गई कार्यवाही के ब्यौरे प्रदर्शित करते हुए एक विवरण संलग्न है ।

(ङ) 31-12-76, 31-12-77 तथा 31-12-78 के वर्ष समाप्ति के मध्य कम्पनी के बिक्री व्यापारावर्त 'कुछ नहीं' थे । तथापि, ऊपर वर्णित वर्षों के लाभ-हानि लेखाओं में प्रदर्शित की गई आमदनी निम्न प्रकार है :--

ब्यौरे	31-12-76	31-12-77	31-12-78
1. लाभांश	22,066 78	21,000.00	84,000.00
2. काशी कोल्ड स्टोरेज नामक फर्म, जिसमें यह कम्पनी एक भागीदार है, से लाभ का भाग	93,185.85	63,023.57	86,999.80
3. ब्याज	कुछ नहीं	2,360.38	—
4. पीछे लिखित सिन्डरी क्रेडिटरों का शेष	1,934.58	—	—
योग	1,17,207.21	86,383.95	1,70,999.80

विवरण

क--कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विवरणियों के प्रस्तुत करने में चूकें ।

अभिलेख	प्रस्तुत करने की तारीख	प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1. 31-12-70 का तुलन-पत्र . .	30-5-71	31-8-71	25 ० का अतिरिक्त शुल्क लगाचा गया ।
2. 21-4-71 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी .	20-6-71	31-7-71	75 रु० का अरिक्त शुल्क लगाया गया ।
3. 31-12-71 का तुलन-पत्र . .	26-7-72	16-9-72	50 रु० का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया ।
4. 26-6-72 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी .	25-8-72	16-9-72	50 रु० का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया ।
5. 31-12-72 का तुलन-पत्र . .	29-7-73	2-8-74	150 रु० का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया ।

1	2	3	4
6. 28-6-79 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी .	27-8-79	10-9-79	कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया (2) उत्तर की प्रतीक्षा है ।
7. 31-12-77 का तुलन-पत्र . .	—	—	धारा 220 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया । कुल 1500 रु० का जुर्माना किया गया ।

ख—वार्षिक लेखाओं के अभिस्वीकरण में चूकें :—

	अभिस्वीकरण की देय तारीख	अभिस्वीकरण की वास्तविक तारीख	की गई कार्यवाही
(1) 31-12-74 का तुलन-पत्र .	30-6-75	10-6-76	कुछ नहीं ।
(2) 31-12-77 का तुलन-पत्र . .	30-6-78	24-5-79	कुछ नहीं ।

आपात स्थिति के दौरान आकाशवाणी के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति

5929. **श्री टी. एस. नेगी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के निदेशकों के विरुद्ध जांच के बारे में 5 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5756 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कतिपय अधिकारियों को स्थिति के दौरान समय-पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनमें से किसी अधिकारी को बाद में बहाल कर दिया गया था ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और क्या उनमें से कुछ अधिकारी अभी भी कार्यरत हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रशासन में स्वच्छता लाने की दृष्टि से सरकार का विचार समय समय पर उच्च पदासीन अधिकारियों के कार्यकरण का मूल्यांकन करते रहने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण, जिसमें आकाशवाणी के केन्द्र निदेशकों के बारे में सूचना दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(घ) मूल नियम, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और सिविल सेवा विनियमों के अन्तर्गत पहले से ही ऐसे प्रावधान मौजूद हैं जो सरकार को यह अधिकार देते हैं कि वह जनहित में किसी सरकारी कर्मचारी को, उसके आचरण और कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर (उसकी सामान्य सेवा निवृत्ति की तारीख से पहले) निर्दिष्ट आयु के होने पर अथवा निर्दिष्ट सेवा अवधि पूरा कर लेने पर सेवा निवृत्त कर दे ।

विवरण

क्रम सं०	अधिकारी का नाम और पदनाम	शिकायत का ब्यौरा और सेवा निवृत्ति) के कारण	क्या बाद में सेवा में बहाल किए गए और यदि हां, तो उसका कारण	क्या अभी भी सेवा में हैं
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती एस० आर० वेंकटरामन, केन्द्र निदेशक ।	मूल नियम 56 (जे) के अन्तर्गत कार्य निष्पादन की समीक्षा के परिणाम स्वरूप समय से पूर्व सेवा निवृत्त किया गया ।	इनके द्वारा दायर की गई याचिका में उच्चतम न्यायालय के उनके पक्ष में आदेश के परिणाम: स्वरूप इन्हें बहाल किया गया ।	नहीं (30-4-80 को अधिवार्षिकी आयु के होने पर सेवा-निवृत्त हुई ।
2.	श्री वी० वी० भोंसले, केन्द्र निदेशक ।	-तदैव-	नहीं ।	नहीं
3.	श्री बी० एस० कुमार, केन्द्र निदेशक ।	-तदैव-	समय से पूर्व सेवा निवृत्ति के विरुद्ध किए गए अभ्या-वेदन की समीक्षा करने के परिणाम स्वरूप बहाल किया गया ।	हां
4.	श्री पी० धर्मगनानी, केन्द्र निदेशक ।	-तदैव-	-तदैव-	हां

प्राकृतिक गैस सप्लाई करने के लिये बंगला देश के साथ करार

5930. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस सप्लाई करने के लिये बंगलादेश के साथ एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना से कलकत्ता को गैस सप्लाई करने के लिये इफ्को "लो कार्बोनाइजेशन" योजना बेकार हो जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : बंगला देश से प्राकृतिक गैस का आयात करने की सम्भावना का पता लगाने संबंधी केवल प्रारंभिक बातचीत दोनों पक्षों में हाल ही में हुई है । दोनों में से किसी ओर से निश्चित वायदा नहीं किया गया है ।

समाचार पत्रों का मूल्य नियत करने का प्रस्ताव

5931. **श्री सुन्दर शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा मध्यम दर्जे के सामाचार पत्रों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से समाचार पत्रों का मूल्य उनकी पृष्ठसंख्या के अनुसार निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार ने विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में औपचारिक घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पनी विधि बोर्ड में लंबित मामले

5932. **श्री एस. ए. शिवप्रकाश :** क्या **विधि, न्याय और कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी विधि बोर्ड संख्या 4 और 5 में 5, 4, 3, 2 वर्षों से भी पुराने मामले अनिर्णित हैं ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों में कौन-कौन सी पार्टियां हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमन् जी ।

दो मामले हैं, जो कम्पनी विधि बोर्ड बैंच संख्या 4 और 5 के पास 2 वर्षों से अधिक समय से अनिर्णीत हैं ।

(ख) तथा (ग) : पार्टियों के नाम और अनिर्णीत होने के कारणों को सम्मिलित करते हुए मामलों के संलग्न विवरण में दिये जाते हैं ।

विवरण

क्रम सं०	याचिका संख्या	याचिका का नाम	विपरीत पार्टी का नाम यदि कोई है	तिथि जिसको याचिका प्रस्तुत की गई	विषय वस्तु 1. क्या पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन 2. प्रयोजन वाक्य में परिवर्तन आदि	2 वर्षों से अधिक अनिर्णीत याचिका के सम्बन्ध में विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	49 (141) सी० एल० बी०/डब्ल्यू० आर०/78 (बैंच संख्या 4) ।	मै० पेपर प्लांट पैकेजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ।	कम्पनी रजिस्ट्रार, ग्वालियर ।	31-12-77 (अपूर्व पत्र) ; 11 चूकदोष 11-4-78 को पुन: प्रस्तुत किया	बैंक आफ महाराष्ट्र के पक्ष में 50,000 रु० के 17 अगस्त 1973 के चार्ज के परिशोधन जिसका 25 जून, 1976	मामला बैंच नियमों के अन्तर्गत अनुदेशनार्थ अनिर्णीत रहा है तथा याचिका द्वारा कार्य स्थगन की मांग की गई ।

1	2	3	4	5	6	7
					को संशोधन किया गया था, के विवरणों को प्रस्तुत करने में विलम्ब की माफी।	मामला अब निपटान के लिए परिपक्व है तथा सुनवाई की तारीख 26-7-80 तय हुई है।
2. 26/17/एम० आर० वी०/78 (बैंच संख्या 5)।	मै० वेंकटारामण शुगर एंटरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड (आंध्र प्रदेश)।	कम्पनी रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद।	31-1-78	कम्पनी द्वारा 25-5-77 को सम्पन्न असाधारण बैठक में कम्पनी को कम्पनी की भूमि, भवन और संयंत्र तथा मशीनरी के पट्टे मे कम्पनी के किसी सदस्य या फर्म जिसमें इस प्रकार का सदस्य साझीदार हैं या किराए के आधार पर वाह्य करने की शक्ति के लिए पारित विशेष संकल्प की शर्तों के नए वाक्य को जोड़ने के लिए संस्था ज्ञापन के खंड III में परिवर्तन की पुष्टि के लिए।	याचिका बैंच नियमों के अन्तर्गत याचिका द्वारा विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए 11-4-79 तक अनिर्णीत थी। इसके पश्चात् याचिका 6-12-79, 24-1-80 की सुनवाई की सूची में रखी गई किन्तु याचिका की प्रार्थना पर स्थगित कर दिया गया। अन्त में मामला 31-3-80 को निश्चित हुआ, कम्पनी रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश, जिस के पास कम्पनी पंजीकृत है को याचिका कम्पनी की लेखा वहियों का याचिका की विषय वस्तु के विषय में सीमित निरीक्षण का वादेश दिया गया था उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बिहार की विचाराधीन सिंचाई योजनाएं

5933. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अनुमोदन के लिये विचाराधीन पड़ी बिहार की सिंचाई योजनाओं के नक्शे तैयार कर लिए गये थे ; और

(ख) प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत कितनी है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) : बिहार सरकार ने सिंचाई विकास की कोई मास्टर योजना केन्द्रीय सरकार के पास नहीं भेजी है । इस समय केन्द्रीय सरकार के पास निम्नलिखित चार परियोजनाएं विचाराधीन पड़ी हैं :--

(1) कोयला-कारो-स्वर्णरेखा अन्तर्बेसिन सिंचाई परियोजना जिसकी लागत 105.92 करोड़ रुपये है । इसकी जांच केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है ।

(2) उत्तर कोयला परियोजना जिसकी लागत 113.77 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया है परन्तु इसका योजना आयोग द्वारा अभी अनुमोदन किया जाना है ।

(3) भैरवा जलाशय स्कीम जिसकी लागत 3.03 करोड़ रुपये है । इसकी केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है ।

(4) पुनासी जलाशय स्कीम (संथाल परगना) जिसकी लागत 26.09 करोड़ रुपये हैं । इसकी केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है ।

कावेरी बेसिन, तमिलनाडु में तेल की खोज

5934. **श्री एस. सिंगारवाडीवेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में तेल की खोज करने की योजना को आगे न बढ़ाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या वर्तमान स्थितियों में तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में तेल संसाधनों की खोज करना उपयोगी और उत्पादकारी है ; और

(ग) क्या वर्तथान समस्या को देखते हुए सरकार का विचार तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में तेल संसाधनों की खोज के लिये फिर से विचार करने और उस दिशा में कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अन्वेषण कार्य जारी है ।

(ख) जी, हां । कावेरी बेसिन में अन्वेषण कार्य जारी रखना उचित समझा गया है ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष

5935. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बोर्ड के सम्मुख विद्यमान समस्याओं को उजागर किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्याओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) जी हां ।

(ख) जिन समस्याओं को उजागर किया गया है उनके अन्तर्गत दिल्ली वक्फ सम्पत्तियों को दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के कार्यक्षेत्र से छूट, दिल्ली में वक्फ सम्पत्तियों पर सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का विस्तारण, बोर्ड की वित्तीय दशा में गिरावट, कुछ नगरीय वक्फ सम्पत्तियों का विकास आदि भी हैं ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के कार्यक्षेत्र से वक्फ सम्पत्तियों को छूट देने तथा दिल्ली में वक्फ सम्पत्तियों पर सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के विस्तारण के संबंध में सुझावों की समीक्षा की है और उस प्रशासन ने यह पाया कि उन्हें स्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं है । दिल्ली प्रशासन अन्य सुझावों की समीक्षा कर रहा है ।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने के यूनिटों, उपकरणों आदि की नीलामी ।

5936. **श्री ए. के. राय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने के संयत्र की नीलामी के बारे में 1 जुलाई, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 332 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने के किन-किन एककों (यूनिटों) तथा उपकरणों की नीलामी की जा रही है तथा उनकी दशा और नीलामी मूल्य क्या है ;

(ख) क्या उक्त नीलामी का औचित्य सिद्ध करने के लिये कोई तकनीकी अथवा अन्य रिपोर्ट मिली है; आदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सिंदरी कारखाने की नीलामी करने का निर्णय काम चलाऊ सरकार के शासन काल में लिया गया था; और

(घ) क्या वर्तमान सरकार का विचार उक्त नीलामी को अस्थायी रूप से स्थगित करके उक्त निर्णय पर पुनः विचार करने का है; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) किसी यूनिट की नीलामी नहीं की जा रही है पुराने सिन्दरी प्लांट के बेकार/बेकार होने वाले प्लांटों के नाम जिनका निपटान अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के बाद निविदा के आधार पर किया जा रहा है, निम्नलिखित हैं:--

1. सेमी-वाटर और प्रोड्यूसर गैस प्लांट ।
2. गैस रिफर्मिंग प्लांट ।
3. अमोनिया प्लांट (केमिकल कन्स्ट्रक्सन कार्पोरेशन)
4. अमोनिया प्लांट (मोन्टीए टीनी) ।
5. नैप्था रिफर्मिंग प्लांट ।

6. एयर सेपरेशन यूनिट (लिन्डे) ।

7. एयर सेपरेशन यूनिट (फ्रेंकंस सिन्डे)

8. यूरिया प्लांट ।

9. अमोनियम सल्फेट लाइटेड प्लांट ।

सिर्फ वे ही प्लांट और उपकरण, सम्बद्ध स्टोर्स और स्पेयर्स समेत जो फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ. सी. आई.), अन्य सकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अपेक्षित नहीं थे, बेचे जा रहे हैं ।

बिक्री द्वारा निपटान किये जाने वाले सभी प्लांट नैप्था रिफोर्मेशन प्लांट को छोड़ कर बेकार हो गये हैं । यह प्लांट हालांकि चालू हालत में है, ठीक ढंग से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी मरम्मत में काफी व्यय न किया जाये और इसके परिणामस्वरूप यह कार्य करने में गैर किफायती होगा ।

सबसे ऊंची बोली देने वालों द्वारा दिया गया मूल्य, जिनको प्लांट और सम्बद्ध स्टोर्स और पुर्जे बेचे जा रहे हैं, 400.25 रुपये हैं ।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है । तथापि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया ने इस मामले पर समय-समय पर विचार किया तथा इस कम्पनी ने 4 जनवरी, 1980 को फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के निदेशक बोर्ड की बैठक के आधार पर अखिल भारतीय पत्र विज्ञापन के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर उपकरणों के निपटान का निर्णय लिया था । प्राप्त निविदाओं की जांच विधिवत गठित निविदा समिति द्वारा की गई थी और उस मूल्य का जिस पर इन उपकरणों को बेचा जा रहा है दिनांक 29 मई, 1980 की निदेशक बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया था ।

(ग) और (घ) पुराने सिन्दरी यूनिट के बेकार/बेकार होने वाले और फालतू उपकरणों के निपटान का निर्णय उपक्रम की क्षमता के अंतर्गत है । इसलिए इस बारे में सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने का प्रश्न और इसकी समीक्षा का प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम में आन्दोलन के कारण वहां तेल शोधक कारखानों, पाइपलाइनों को क्षति

5937. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष से असम में चल रहे आन्दोलनों के कारण तेल शोधक कारखानों, पाइपलाइनों और अन्य पेट्रोलियम संसाधनों को अनुमानतः कितनी क्षति हुई है ; और

(ख) इन संस्थानों को और नुकसान होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिनगर, दिल्ली में प्लास्टिक उद्योगों/कारखानों को विद्युत कनेक्शन

5938. **श्री भीखा भाई** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिनगर, दिल्ली में प्लास्टिक उद्योगों/कारखानों को विद्युत पावर कनेक्शन लेना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो त्रिनगर में प्राधिकृत तथा अप्राधिकृत पावर कनेक्शनों से अलग अलग कितने प्लास्टिक उद्योग/कारखाने चलाए जा रहे हैं; और

(ग) त्रिनगर, दिल्ली में बिजली के गैर-कानूनी प्रयोग पर रोक लगाने के लिए सरकार का विचार क्या सुधारात्मक उपाय करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) प्लास्टिक उद्योगों सहित सभी औद्योगिक यूनिटों को सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करके औद्योगिक विद्युत कनेक्शन लेने होते हैं ।

(ख) त्रिनगर में प्राधिकृत विद्युत कनेक्शनों वाले 154 प्लास्टिक उद्योग/फैक्टरी हैं । दिल्ली नगर निगम की रिपोर्टों के अनुसार त्रिनगर में 76 बगैर लाइसेंस वाली फैक्टरी हैं ।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बनाए गए टैरिफ नियमों के अनुसार, बिजली के अनधिकृत उपयोग का मामला जब कभी संस्थान के नोटिस में आता है तो बिजली के अनधिकृत उपयोग का मामला जब कभी संस्थान के नोटिस में आता हो तो बिजली के अनधिकृत उपभोक्ताओं से बिजली प्रभार दण्डस्वरूप दर पर वसूल किया जाता है । इस प्रकार के दुरुपयोग के लिए प्रभारों का बिल, दुरुपयोग का मामला पकड़े जाने की तारीख से पिछले तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा कनेक्शन दिए जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, उपभोक्ता को इस आशय का औपचारिक नोटिस देने के पश्चात् बनाया जाता है ।

रुग्ण विद्युत संयंत्रों का सरकारी अधिकार में लिया जाना

5939. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के विद्युत संयंत्रों को अपने अधिकार में ले लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के संयंत्रों सहित अन्य विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए जा रहे विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है ; और

(ग) मध्य प्रदेश के वे विद्युत संयंत्र कौन-कौन हैं तथा कहां-कहां स्थित हैं जिन्हें सरकार का अपने अधिकार में लेने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) : देश में रुग्ण विद्युत संयंत्रों को अपने अधिकार में लेने के संबंध में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

परित्यक्त तेल के कुओं से तेल की प्रगति

5940. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय वैज्ञानिक ने जैनेटिक्स (आनुवंशिकी) में ऐसी खोज की है जो परित्यक्त तेल के कुओं से तेल की प्राप्ति में सहायक होगी ;

(ख) क्या सरकार का विचार विकसित तकनीकी जानकारी को हमारे देश में उपयोग के लिये प्राप्त करने का है ; और

(ग) क्या उस वैज्ञानिक को उसकी इस महान खोज के लिए सम्मान देने की कोई योजना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : **(क) से (ग)** : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी विभागों द्वारा निकाले गए प्रकाशन

5941. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निकाले गए हिन्दी और अंग्रेजी प्रकाशनों के नाम क्या हैं ;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक प्रकाशन में काम कर रहे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है और उनके वेतनमान क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार इन अंग्रेजी और हिन्दी प्रकाशनों में काम कर रहे कर्मचारियों को दिए गए वेतनमान और सुविधाएं एक समान होनी चाहिएं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास "कुरुक्षेत्र", "भगीरथ", "योजना" तथा अन्य हिन्दी प्रकाशनों में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतनमानों तथा उन्हें दी गई सुविधाओं तथा अंग्रेजी प्रकाशनों में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन मानों तथा उन्हें प्राप्त सुविधाओं की तुलना में जो असंगतियां और असमानताएं हैं उन्हें दूर करने की कोई योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से प्रकाशन विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किए जा रहे प्रकाशनों के नाम तथा प्रत्येक प्रकाशन में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या और उनके वेतन मान विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) जी, नहीं । तथापि, केन्द्रीय हिन्दी समिति ने 12 और 13 दिसम्बर, 1977 को अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि अंग्रेजी की पत्रिकाओं में कार्यरत कर्मचारियों की तुलना में हिन्दी पत्रिकाओं में कार्यरत सम्पादकीय कर्मचारियों के वेतनमानों, पदनामों और अन्य सेवा शर्तों में कोई असमानता नहीं होनी चाहिए ।

(घ) ''कुरुक्षेत्र'', 'योजना' और अन्य हिन्दी प्रकाशनों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन मानों एवं अन्य सुविधाओं में अंग्रेजी की पत्रिकाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन मानों एवं अन्य सुविधाओं की तुलना में कोई असमानता नहीं है ।

विवरण

क्रम संख्या	प्रकाशन का नाम	आवधिकता	स्टाफिंग पैटर्न			
			प्रधान संपादक वेतनमान (1500-1800 रु०)	सम्पादक/वरिष्ठ संवाददाता वेतनमान 1100-1600 रु०)	सह-संपादक वेतनमान (650-1200 रु०)	उप-संपादक वेतनमान (470-750 रु०)
1	2	3	4	5	6	7
1.	योजना (अंग्रेजी)	पाक्षिक	1	—	2	1
2.	योजना (हिन्दी)	–तथैव–	—	1	1	2
3.	कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी)	–तथैव–	—	1	2	1
4.	कुरुक्षेत्र (हिन्दी)	मासिक	—	—	1	1
5.	बालभारती (हिन्दी)	–तथैव–	—	1	—	1
6.	आजकल (हिन्दी)	–तथैव–	—	1	—	1
7.	इण्डियन एण्ड फारेन रिव्यू (अंग्रेजी)	पाक्षिक	1	—	2	1
8.	एम्प्लायमेंट न्यूज (अंग्रेजी)	(साप्ताहिक)	—	1	—	—
9.	रोजगार समाचार (हिन्दी)	–तथैव–	—	—	1	—

नोट : (1) प्रधान सम्पादक (योजना) का पदधारी ''योजना'' के अन्य सभी भाषायी संस्करणों के सम्पादन कार्य के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी है । ''बाल भारती'' (हिन्दी) के सह-सम्पादक के पद को फरवरी, 1979 में सम्पादक के पद में परिवर्तित कर दिया गया था ।

(2) एक अन्य पत्रिका ''भगीरथ''-हिन्दी और अंग्रेजी को कृषि और सिंचाई मंत्रालय की ओर से उसकी नीति और स्टाफिंग पैटर्न पर बिना किसी नियंत्रण के, प्रकाशन विभाग द्वारा मुद्रित किया जाता है ।

(3) ''रोजगार समाचार'' ''एम्प्लायमेंट न्यूज (अंग्रेजी)'' का अनुवाद है ।

फर्मांफिन व्यापार समझौता

5942. **डा. वसन्त कुमार पंडित** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री 17 अप्रैल, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 752 के उत्तर के सम्बन्ध में जिसमें कि सदन को इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड और इटली की फर्मांफिन के बीच हुए फर्मांफिन समझौते की जांच के लिए वित्त मंत्रालय को भेजने का आश्वासन दिया गया था ; यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय को ऐसा कोई सन्दर्भ भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो सन्दर्भ की तिथि और शर्तें क्या हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सभा में दिये गये आश्वासन को अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उस समय के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री का निर्णय यह था कि मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. और इटली की फार्मांफिन के मध्य करार से संबंधित मामले को, करार में दिये गये सभी एण्टीबायोटिक्स के लिए गारंटी परीक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात् उस समय के उप प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री के पास भेजा जा सकता है । जबकि टेट्रासाइक्लीन, हाइड्रो-क्लोराइड, एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट और डाक्सीसाइक्लीन के लिए गारंटी परीक्षण पूर्ण हो चुके हैं तथा अर्द्ध-सिंथेटिक पेनिसिलिन के लिये गारंटी परीक्षण अभी पूर्ण किये जाने हैं ।

पोलिएस्टर फाइबर तथा पोलिएस्टर फिलामेन्ट उद्योगों की स्थापना किया जाना

5943. **श्री कृष्णा कुमार गोयल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों के, राज्यवार, नाम क्या हैं जिन्होंने विगत सात वर्षों में पोलिएस्टर फाइबर तथा पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमति हेतु आवेदन किए थे ?

(ख) उन कम्पनियों के राज्यवार नाम क्या हैं, इस प्रयोजन के लिए जिनके आवेदन-पत्र मंजूर किये गये थे ; और

(ग) क्या राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के एककों से भी इस बारे में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और यदि हां, तो इस बारे में क्या स्थिति है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी में उन आवेदन पत्रों की संख्या शामिल है जिन पर अभी निर्णय लिया जाना है । आवेदन पत्रों पर निर्णय लिए जाने तक सरकार के समक्ष विचाराधीन पत्रों का विवरण प्रकाशित नहीं किया जाता ।

संविधान के संशोधित हिन्दी अनुवाद की छपाई

5944. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान का संशोधित अनुवाद अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में नहीं छापा गया था और यदि हां, तो इसकी छपाई में विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ख) क्या इसके हिन्दी संस्करण उपलब्ध होने की कोई तारीख नियत की गई है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) और (ख) : संविधान का संशोधित अंग्रेजी पाठ (15 जनवरी, 1980 तक यथाउपांतरित) फरवरी, 1980 में मुद्रित हुआ था और इस पाठ के साथ उसका हिन्दी पाठ मुद्रित नहीं किया गया क्योंकि आशय यह रहा है कि हिन्दी पाठ को प्राधिकृत अनुवाद के रूप में, ऐसे प्राधिकृत पाठ के प्रकाशन का उपबंध करने वाली विधि के अधिनियमन के शीघ्र पश्चात् उस विधि के अधीन प्रकाशित किया जाए । हिन्दी में संविधान के संशोधित पाठ के प्रूफ प्राप्त हो गए है । इन प्रूफों में संशोधन और उनमें सुधार की दृष्टि से उनकी जांच की जा रही है । इन प्रूफों की जांच अगस्त, 1980 की समाप्ति के पूर्व पूरी हो जाने की संभावना है । इसके पश्चात् शीघ्र ही उन्हें अंतिम रूप से मुद्रण के लिए भेज दिया जाएगा । इसे यथासंभव शीघ्र मुद्रित कराने के सभी संभव प्रयास किए जाएंगे ।

औषधियों का निर्यात और आयात

5945. **श्री एम. रामन्ना राय** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उत्पादित-भेषज और औषधियां देश की आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ;

(ख) क्या भारत जीवन रक्षक औषाधियों का निर्यात कर रहा है यदि हां, तो किन देशों को ; और

(ग) क्या भारत किसी प्रकार की, जीवन रक्षक औषधियों और भेषजों का आयात कर रहा है यदि हां, तो किन देशों से तथा वर्ष 1979-80 में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बल्क औषधों के मामले में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयात अभी भी आवश्यक है । फार्मूलेशनों के मामले में यद्यपि देश अधिकांश तौर पर आत्म निर्भर है फिर भी केंसर निरोधी फार्मूलेशनों जैसे जीवन रक्षक फार्मूलेशनों की थोडी मात्राओं का आयात किया जा रहा है ।

(ख) जी, हां । भारत जीवन रक्षक औषधों और दवाईयों सहित काफी औषध मदों का निर्यात कर रहा है । उन प्रमुख देशों, जिनको ऐसे निर्यात किये जा रहे है, के नाम निम्न प्रकार है :--

मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, हांग कांग, फिलिपाइन्स, केनिया, जाम्बिया, यू. ए. ई., मस्कटकट, नाईजीरिया, तन्जानिया, साऊदी अरब आदि ।

(ग) जी, हां । वर्ष 1979-80 के दौरान सी. पी. सी. के माध्यम से आयात की गई बल्क औषधों में निहित विदेशी मुद्रा 21.18 करोड़ रुपये सूचित की गई है । उन प्रमुख देशों, जिनसे औषधों का आयात किया जा रहा है, के नाम निम्न प्रकार है ।

इटली, जापान, यू.के., वेस्ट जर्मनी, चीन, यू.एस.ए., पुर्तगाल, यू.एस.एस.आर., स्वीटजरलैंड, स्पेन, डेनमार्क । वास्तविक प्रयोगकर्ताओं तथा एक्सपोर्ट हाउसिज द्वारा किये गये आयातों सहित औषधों के आयात में निहित विदेशी मुद्रा की धनराशि के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

"पी. वी. सी." रेजिन का उत्पादन

5946. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों से कौन सी कम्पनियां "पी. वी. सी." रेजिन का उत्पादन कर रही है और उन्होंने कितनी मात्रा में उसका उत्पादन किया ;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रेजिन की कितनी मात्रा की बिक्री की गई और किन राज्यों को की गई ;

(ग) क्या इन्में से कोई कम्पनी "पी. वी. सी. रेजिन" से "पी. वी. सी. कम्पाउन्ड" का निर्माण कर रही है ;

(घ) क्या इन कम्पनियों के उक्त कार्य को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन ठहराया गया है और यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष वहां के लोगों को पी. वी. सी. रेजिन की कितनी मात्रा दी गयी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण में संलग्न है ।

(ख) एवं (ङ) पी. वी. सी. रेजिन का वितरण सरकार द्वारा नियंत्रित नहो किया जाता । यह सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पी. वी. सी. रेजिन से संबंधित किसी भी मामले में सरकार ने कम्पनियों के विरुद्ध जांच नहीं लागू की है ।

विवरण

मात्रा (मी० टनों में)

क्रम संख्या	एकक	वर्ष				
		1976	1977	1978	1979	1980 (जनवरी से जून तक)
1.	दि० अहमदाबाद मैन्यूफक्चरिंग एण्ड केलिको प्रिंटिंग कं० लि०	5293	5678	6836	5334	शून्य
2.	केमिकल्स एण्ड प्लास्टिक इंडिया लि०	11384	11128	13972	12095	3336
3.	नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स लि०	13025	17389	21373	19343	8178
4.	प्लास्टिक रेजिन्स एण्ड केमिकल्स लि०	2571	7026	717	शून्य	शून्य
5.	श्रीराम केमिकल्स इण्डस्ट्रीज	14465	15800	18520	22449	4684
	कुल	46738	57021	61418	59221	16225

अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायाधिकरणों की नियुक्ति

5947. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अन्तर्राज्यीय' जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अब तक कौन-कौन से न्यायाधिकरण नियुक्त किये गये हैं और किन-किन न्यायाधिकरणों ने किस-किस तारीख को अपने-अपने पंचाट दे दिये हैं तथा इनमें से किन-किन न्यायाधिकरणों के पंचाट अभी तक प्रतीक्षित हैं और इनमें से प्रत्येक न्यायाधिकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ख) क्या न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए पंचाटों को अब तक कार्यान्वित कर दिया गया है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) अब तक अन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तीन न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है । इस बीच इन न्यायाधिकरणों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं । ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

न्यायाधिकरण का नाम	अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया व्यय लाख रुपए
1. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण	27-5-1976	30.7
2. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण	7-12-1979	72.6 (लगभग)
3. गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण	7-7-1980	38.6 (मार्च, 1980 तक)

(ख) अधिनियम के अनुसार न्यायाधिकरण का निर्णय, केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे राजपत्र में प्रकाशित किये जाने के पश्चात्, अन्तिम हो जाता है और यह विवाद के पक्ष-राज्यों पर आबद्धकर हो जाता है और इसका उनके द्वारा पालन किया जाना जरूरी है । इसलिए अब यह राज्य सरकारों के लिए है कि वे न्यायाधिकरणों द्वारा उन्हें आवंटित जल के अपने-अपने भाग के समुपयोजन के लिए स्कीमें तैयार करें । यह अनिवार्य रूप से धीरे-धीरे होने वाला कार्य है ।

किन्तु नर्मदा न्यायाधिकरण के पंचाट में अन्य बातों के साथ-साथ, एक अन्तर्राज्यिक प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना करना भी परिकल्पित है, जिसे "नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण" कहा जाएगा, इसकी स्थापना का उद्देश्य न्यायाधिकरण के निर्णय की अनुपालना करना और एक "पुनरीक्षण समिति" का गठन करना है जिसे कुछ मामलों के संबंध में उपर्युक्त प्राधिकरण के निर्णयों का पुनरीक्षण करने का अधिकार होगा । केन्द्रीय सरकार से भी इस तंत्र में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है । इसके प्रभावी कार्यचालन के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक समझा गया है कि यह प्राधिकरण एक विशिष्ट वैधानिक संगठन के रूप में कार्य करे । इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरण के निर्णय की कार्यान्विति के लिए आवश्यक सभी मामलों को अमली रूप देने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक समझा गया था कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाए । इस उद्देश्य से, अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 1980 प्रस्तुत किया जा चुका है और यह इस समय संसद के समक्ष है ।

पेट्रोलियम क्षेत्र में रोजगारों का बनाया जाना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

5958. **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र (सरकारी उपक्रमों) में कितने रोजगार (तकनीकी और गैर-तकनीकी, दोनों प्रकार के) बनाए गये ;

(ख) उपरोक्त रोजगारों/रिक्त पदों में से अब तक कितने भरे जा चुके हैं; और

(ग) उपरोक्त उल्लिखित (क) में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित किए गए और रिक्त पदों (तकनीकी और गैर-तकनीकी) पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कार्मिकों की भर्ती की गई।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल के शान्त घाडी क्षेत्र का एक राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तन

5949. **श्री पी० जे० कुरियन**
श्री वी० एस० विजयराघवन } : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केरल के शान्त घाटी क्षेत्र को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या केरल सरकार ने इसका विरोध किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने मई, 1980 में अपने पत्र में केरल के मुख्य मंत्री को यह सुझाव दिया था कि कुन्डास, अत्तापाड़ी, न्यू अमराम्बल और साइलेंट वैली के आरक्षित वनों के लिए संयुक्त रूप से, केन्द्रीय सहायता से, साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थापित करने के लिए वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 35 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके उत्तर में, केरल के मुख्य मंत्री साइलेंट वैली जल विद्युत परियोजना का कार्य आगे बढ़ाने के लिए शीघ्र सहमति दिए जाने की बात पर जोर देते हुए इस बात पर सहमत हो गए हैं। साइलेंट वैली आरक्षित वन का बकाया क्षेत्र तथा अन्य कुछ और आरक्षित वनों का एक नेशनल पार्क बना दिया जाए।

फरक्का ताप बिजलीघर में रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती

5950. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्षवार, फरक्का ताप बिजलीघर के लिए रोजगार कार्यालय के माध्यम से तथा सीधे ही कितने-कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई और किन-किन पदों पर की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के लिए लागू भारत सरकार के संगत निदेशों के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय के जरिए भरती किए जाने वाली श्रेणियों में से अभी तक फरक्का ताप विद्युत परियोजना के लिए रोजगार कार्यालय के जरिए या स्थानीय स्तर पर सीधे ही किसी भी कर्मचारी की भर्ती नहीं की गई है।

इस समय फरक्का में 39 नियमित कर्मचारी तैनात हैं, इनका ब्यौरा तथा इनकी प्रति वर्ष भर्ती नियमानुसार है :—

1979-80

18 अधिकारी (सभी कम्पनी मुख्यालय द्वारा अखिल भारतीय विज्ञापन, प्रतिनियुक्ति आदि के आधार पर भर्ती किए गए)। लेखाकारों सहित 9 पर्यवेक्षक (5 कम्पनी मुख्यालय द्वारा अखिल भारतीय विज्ञापन, प्रतिनियुक्ति आदि के आधार पर भर्ती किए गए तथा चार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की अन्य परियोजनाओं से स्थानान्तरित किए गए हैं)।

1980-81

6 अधिकारी (सभी कम्पनी मुख्यालय द्वारा अखिल भारतीय विज्ञापन, प्रतिनियुक्ति आदि के आधार पर भर्ती किए गए) एक स्टोर कीपर (बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से स्थानान्तरित)। उपरोक्त के अतिरिक्त, इस परियोजना में जब कभी भी 90 दिन से कम अवधि के लिए आवश्यकता होती है, तब नैमित्तिक आधार पर, दैनिक मजदूरों पर काफी संख्या में आदमी रखे जाते हैं। इनके संबंध में रोजगार कार्यालय को सूचना देना आवश्यक नहीं है।

राजभाषा हिन्दी के स्वीकृत पदों पर की गई नियुक्तियां

5951. **श्री जैनुल बशर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के उत्थान के लिए कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनके विरुद्ध किस किस्म की नियुक्तियां की गई हैं तथा सभी पदों के वेतनमान और सेवा-शर्तें क्या-क्या हैं; और

(ख) राजभाषा उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्या स्थिति है और उन्हें अभी तक पूरी तरह से कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) सिंचाई मंत्रालय (खास) में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए 5 पद स्वीकृत हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) हिन्दी अधिकारी	1
(2) हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-एक)	2
(3) हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-दो)	2

हिन्दी अधिकारी के पद का वेतनमान 650-30-740-35-810-द०रो०-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रुपए है और इस पद को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन होने तक तदर्थ आधार पर भरा गया है।

अनुवादक (ग्रेड-एक) के पदों का वेतनमान 550-20-650-25-800 रुपए है । इन पदों की अनुवादकों (ग्रेड-दो) की पदोन्नति द्वारा तदर्थ आधार पर भरा गया है । इन पदों के वर्तमान पदधारियों को नियुक्ति को भर्ती-नियमों के अनुसार नियमित किया जायेगा । अनुवादक ग्रेड-दो के पदों का वेतनमान 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रुपये है और इन पदों की भर्ती नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया है ।

इन पदों के पदधारियों पर, सेवा संबंधी सभी मामलों के बारे में, केन्द्रीय सरकार के नियम लागू होते हैं ।

मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) प्रश्न का सम्बन्ध सम्भवत : संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति से है । समिति ने अभी सिंचाई मंत्रालय (खास) का निरीक्षण नहीं किया है । जहां तक मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

अन्तर्राज्यीय और क्षेत्रीय ट्रांसमिशन पद्धति के लिए निधि

5952. **श्री राजन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क)

क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को अन्तर्राज्यीय और क्षेत्रीय ट्रांसमिशन पद्धति के लिए केन्द्र द्वारा प्रदान किए गए फन्इस वापिस कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा, राज्यवार कितनी कितनी धनराशि वापिस की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां । राज्यों को अन्तर्राज्यीय और क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रदान की गई, निधियां गत तीन वर्षों के दौरान वापिस की गई हैं ।

(ख) निधियों को वापिस करने के मुख्य कारण नियमानुसार हैं ।

(1) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों को ऋण सहायता, बिजली बोर्डो द्वारा (वित्तीय वर्ष को अन्तिम तिमाही को छोड़कर) वास्तविक व्यय कर दिए जाने के पश्चात् प्रतिपूर्ति के रुप में की जाती है तथा अनेक बिजली बोर्डो की प्रतिपूर्ति किए जाने से पहले, अपने ही साधनों से निधियां जुटाने में कठिनाई होती है ।

(2) अन्तर्राज्यीय लाइन को शीघ्रता से पूरा करने में कुछ राज्यों में पर्याप्त रुचि न होना ।

(3) दुर्लभ सामग्री की कमी ।

(4) कुछ क्षेत्रों में श्रमिक समस्याएं ।

(5) कुछ मामलों में परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत किए जाने और अनुमोदन किए जाने में विलम्ब ।

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार के पिछले तीन वर्षों के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों में किए गए प्रावधान की राशि तथा राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी-1182/80]

मध्य प्रदेश में रसायन उद्योग समूह स्थापित करना

5953. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का यह प्रस्ताव है कि मध्य प्रदेश में रसायन उद्योग समूह स्थापित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उद्योग समूह सम्भवत: कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ग) उसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटल) : (क) भविष्य में गैस पर आधारित उर्वरक प्लांटों के लिये संभावित स्थानों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित कार्यदल ने यह बताया है कि इनमें से एक प्लांट मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कोई अन्य रसायन प्लांट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) इस प्रायोजना का स्थल, अनुमानित लागत आदि के ब्यौरे तभी प्राप्त हो सकते हैं जब विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाये जिसमें इनफ्रास्ट्रैक्चर की उपलब्धता, मांग पद्धति, कच्चा माल और तैयार उर्वरकों के परिवहन की प्रणाली और अन्य संबंधित तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया हो और उनका मूल्यांकन किया गया हो।

डाल्टगंज में एक आकाशवाणी केन्द्र खोलना

5954. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में डाल्टनगंज में आकाशवाणी का एक प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का है क्योंकि यह जिला बहुत बड़ा है और अनेक प्रमुख स्थानों के बीच में है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) और (ख) डाल्टगंज में स्थानीय प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव संशोधित पंचवर्षीय योजना 1980–85 के प्रारूप में शामिल है । तथापि, इसका कार्यान्वयन स्कीम की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

आकाशवाणी केन्द्र दरभंगा में मैथिली भाषी के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित समय

5955. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा आकाशवाणी केन्द्र कब स्थापित किया गया था और किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था;

(ख) मैथिली भाषा और अन्य भाषाओं के कार्यक्रमों के लिये कितना समय दिया जाता है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मैथिली भाषा के लिये अधिक समय दिये जाने का विचार है क्योंकि यह आस-पास के नेपाली क्षेत्र में तराई क्षेत्र की मातृभाषा है; और

(घ) क्या केन्द्र को अधिक शक्ति और उपयोगी बनाने के लिये एक और अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का विचार है; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) उत्तरी बिहार की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये आकाशवाणी का दरभंगा केन्द्र 2-2-1976 को चालू किया गया था।

(ख) विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों के लिये समय का आवंटन जनसंख्या की प्रतिशतता, आवश्यक संचार सुविधाओं, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता और प्रेषण समय की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। तदनुसार दरभंगा केन्द्र से विभिन्न भाषाओं को आवंटित समय निम्नानुसार है :—

भाषा का नाम	अवधि			
	उच्चारित शब्द आदि		रिले किए गए समाचार	
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट
हिन्दी	33	05	29	57
मैथिली	28	20	—	—
उर्दू	20	09	07	—
अंग्रेजी	17	27	13	45
संस्कृत	—	45	04	16

(ग) जी, नहीं।

(घ) दरभंगा में और अधिक शक्ति वाली ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि वर्तमान (10 कि० वा० मीडियम वेव) ट्रांसमीटर, पटना से सहलग्नताओं सहित, को पर्याप्त समझा जाता है।

हरियाणा में साहिबी नदी पर मसानी के निकट एक बाँध का निर्माण

5956. **श्री राम सिंह यादव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहिबी नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये हरियाणा में मसानी गांव के निकट एक बांध बनाया जा रहा है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप पानी में डूब जाने की आशंका वाले राजस्थान के गांवों के निवासियों को उनकी आवासीय तथा कृषि सम्पत्तियों को अधिगृहीत किये जाने के नोटिस दे दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई अन्तरिम मुआवजा दिया गया है; और

(घ) क्या जिन निवासियों की सम्पत्तियां अधिगृहीत की जानी हैं उन्हें मुआवजा अदा कर दिया गया है और यदि हां, तो किस दर पर; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) हरियाणा सरकार ने 35.96 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर हरियाणा में मसानी गांव के निकट साहिबी नदी पर एक बराज के निर्माण के लिए एक परियोजना-रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग के पास जांच के लिये भेजी है। इस परियोजना-रिपोर्ट को योजना आयोग द्वारा क्रियान्वयन के लिये अभी स्वीकृति दी जानी है। इस बीच, हरियाणा सरकार 1977-78 से बराज का निर्माण कर रही है।

(ख) से (घ) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि अभी तक राजस्थान में भूमि और सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

नेप्था झाकरी और थेन बाँध परियोजनाएं

5957. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरियाणा सरकार से नेप्था-झाकरी और थीन बांध परियोजनाओं में अंतर्राज्यीय करार का पुनरीक्षण करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) नेप्था-झाकरी से संबंधित अन्तर्राज्यीय करार के पुनरीक्षण हेतु हरियाणा सरकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है। थीन बांध के संबंध में, इस परियोजना से होने वाले विद्युत् संबंधी लाभों में हिस्से के लिये हरियाणा ने अनुरोध किया है।

(ख) थीन बांध परियोजना के संबंध में मतभेदों के समाधान हेतु, संबंधित राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है।

पुरूलिया, पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खानें

5958. **आचार्य बासुदेव** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में कितनी अवैध कोयला खानें चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन खानों का कार्य बंद करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंचाई अधीन कृषि-भूमि

5959. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार ऐसी कुल कितनी एकड़ कृषि भूमि है जिसे सिंचाई-अधीन लाया जाना है;

(ख) राज्यवार कुल कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है; और

(ग) इसमें से कितने एकड़ भूमि को क्रमशः बड़ी, मध्य तथा छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन लाया जा चुका है और कितनी भूमि को इन योजनाओं के अधीन लाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

(आंकड़े हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य	अन्ततः सृजनीय क्षमता			1979-80 (अनन्तिम आंकड़े) तक सिंचाई (सृजित क्षमता) के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र			सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्र		
		वृहद और मध्यम परियोजनाएं	लघु परियोजनाएं	जोड़	वृहद और मध्यम परियोजनाएं	लघु परियोजनाएं	जोड़	वृहद और मध्यम परियोजनाएं	लघु परियोजनाएं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	5000	4200	9200	2932	1985	4917	2068	2215	4283
2.	असम .	970	1700	2670	103	288	391	867	1412	2579
3.	बिहार .	6500	5900	12400	2452	2335	4787	4048	3565	7613
4.	गुजरात .	3000	1750	4750	1047	1431	2478	1953	319	2272
5.	हरियाणा .	3000	1550	4550	1769	1257	326	1231	293	1524
6.	हिमाचल प्रदेश	50	285	335	—	96.5	96.5	50	188.5	2385
7.	जम्मू और कश्मीर .	250	550	800	105	312.5	417.5	145	237.5	382.5
8.	कर्नाटक .	2500	2100	4600	1100	1015	2115	1400	1085	2485
9.	केरल .	1000	1100	2100	479	310	789	1721	790	2511

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11
10.	मध्य प्रदेश	6000	4200	10200	1403	1550	2953	4597	2650	7247
11.	महाराष्ट्र	4100	3200	7300	1283	1632	2915	2817	1568	4385
12.	मणिपुर	135	105	240	8	26.3	34.3	127	78.7	205.7
13.	मेघालय	20	100	120	—	24.5	24.5	20	75.5	95.5
14.	नागालैण्ड	10	80	90	—	42	42	10	38	48
15.	उड़ीसा	3600	2300	5900	1429	665	2094	2171	1635	3806
16.	पंजाब	3000	3550	6550	2307	2913.5	5220.5	693	636.5	1329.5
17.	राजस्थान	2750	2400	5150	1547	1812	3359	1203	588	1791
18.	सिक्किम	20	22	42	—	9	9	11	13	24
19.	तमिलनाडु	1500	2400	3900	1188	1887	3075	312	513	825
20.	त्रिपुरा	100	115	215	—	38.4	38.4	100	76.6	176.6
21.	उत्तर प्रदेश	12500	13200	25700	6013	8850	14853	6487	4360	1121.7
22.	पश्चिम बंगाल	2310	3800	6110	1573	1430	3003	787	2370	3107
23.	संघ राज्य क्षेत्र	160	320	480	10	100.3	110.3	150	149.7	299.7
	जोड़	58475	54927	113402	26748	30000	56748	31727	24927	56654

तेल हेतु खुदाई करने वाले उपकरण को पीलीभीत से अन्यत्र ले जाना

5960. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल हेतु खुदाई करने वाले उपकरण को पीलीभीत जिले से अन्यत्र ले जाये जाने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं; यदि हां, तो कारण क्या हैं;

(ख) क्या दो स्थानों पर खुदाई कार्य किया जाना था किन्तु एक स्थान पर भी काम पूरा किये बगैर ही इस उपकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है; और

(ग) क्या भूविज्ञानी सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार पीलीभीत में दोनों स्थानों पर बहुत अधिक मात्रा में गैस और तेल पाये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

बिहार में कुकिंग गैस एजेंसियाँ

5961. **श्री कुंवर राम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने शहरों में कुकिंग गैस की एजेंसियां हैं; और

(ख) अगले साल या दो वर्षों में कितने और शहरों में एजेंसियां खोले जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय बिहार राज्य के 23 शहरों में खाना पकाने की गैस की एजेन्सियां ह।

(ख) यह विचाराधीन है।

फरक्का बराज के कार्य-प्रभारी कर्मचारियों को नियमित किया जाना

5962. **श्री रेणुपद दास** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फरक्का बराज के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को नियमित और स्थाई करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को कब स्थाई और नियमित किया जायेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) फरक्का बराज परियोजना के कार्यभारित कर्मचारियों को "औद्योगिक" और "गैर-औद्योगिक" कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया

गया है। "गैर-औद्योगिक" कर्यभारित श्रेणी के पदों को नियमित कर्मचारियों के पदों में बदलने और 50 प्रतिशत "औद्योगिक" कार्यभारित श्रेणी के पदों को स्थायी पदों में परिवर्तन करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं। नियमित कर्मचारियों में लाए गए गैर-औद्योगिक श्रेणी के पदों को स्थायी पदों में बदलने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

(ख) गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के कार्य भारित कर्मचारियों को "औद्योगिक" और "गैर-औद्योगिक" कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत करने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है ताकि उन्हें स्थायी पदों में बदला जा सके।

उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

5963. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में छः महीनों से अधिक समय से लम्बित मामलों की कुल संख्या कितनी है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में गैस कनेक्शन

5964. **श्री केशवराव पारधी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिलावार कितने व्यक्तियों ने गैस कनेक्शन के लिये नाम दर्ज कराये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अगले कुछ महीनों में गैस के नये कनेक्शन देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) महाराष्ट्र में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन खाना पकाने की गैस का विपणन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के पास 1-1-1980 को महाराष्ट्र में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन देने संबंधी 5,34,180 आवेदन पत्र थे। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के पास बकाया आवेदन पत्रों के जिला-वार ब्यौरे तुरंत उपलब्ध नहीं हैं। 30-6-80 को भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के पास डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्रतीक्षा सूची में दर्ज जिला-वार व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

अहमदनगर	7797
कुलाबा	7119
पूना	30093

शोलापुर	6488
थाने	33482
ग्रेटर बम्बई	153555
नासिक	15141
धुलिया	3876
कोल्हापुर	11098
औरंगाबाद	6238
सतारा	5614
सांगली	9441
नागपुर	14225
अमरावती	7719
अकोला	7439
जलगांव	8821

(ख) और (ग) देश में नये गैस कनेक्शन बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से तरल पेट्रोलियम गैस के निकालने की सुविधाओं को चालू होने से तथा बाद में मथुरा और कोयाली शोधन-शालाओं में उत्पाद की अतिरिक्त उपलब्धता हो जाने से, 1981 के आरम्भ में बड़े पैमाने पर दिये जाने की संभावना है।

बंगला देश से प्राकृतिक गैस की सप्लाई और पाइपलाइन बिछाना

5965. **श्री जगदीश टाइटलर**
श्री इन्द्र जीत गुप्त } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हमने बंगलादेश के एक खरब क्यूबिक महाशंख (ट्रिलियन) फुट प्राकृतिक गैस खरीदने का अनबंध किया है और हमने बंगलादेश के उत्तरी भाग को कलकत्ता से जोड़ने के लिये कई सौ किलोमीटर पाइपलाइन बिछाना मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा और इसमें लगभग कितना समय लग जाएगा जब गैस भारत पहुंचने लगेगी और यह किन एजेंसियों के माध्यम से आएगी तथा इससे संबंधित अन्य ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उस गैस को असम और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भेजने के प्रश्न पर विचार किया है क्योंकि ऐसा करना गैस को कलकत्ता ले जाने की अपेक्षा अधिक किफायती होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) बांगला-देश से प्राकृतिक गैस के आयात की संभावनाओं पर हाल ही में दोनों पक्षों के बीच प्रारम्भिक बातचीत हुई है। दोनों में से किसी पक्ष ने भी इस बारे में ठोस वायदा नहीं किया है।

उककाई जल विद्युत केन्द्र का कार्य-निष्पादन

5966. **श्री नवीन रवाणी :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उकई जल विद्युत् केन्द्र के सभी यूनिट संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहे हैं और वहां एक न एक यूनिट अक्सर बन्द रहता है जिससे बिजली की सप्लाई पर बहुत असर पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और उक्त केन्द्र के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1977 में गठित किए गए बहु-विद्या दल द्वारा सिफारिश किये गए विभिन्न आशोधन मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा कर दिये जाने के बाद उकई जल विद्युत् केन्द्र (4×75 मैगावाट) की चार विद्युत् उत्पादन यूनिटों में से तीन यूनिटें पूर्ण संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं। यूनिट-चार को भी, जो आशोधन के लिये बंद थी, पूर्ण रूप से नवीकरण किये जाने के बाद हाल ही में चालू कर दिया गया है।

उककाई में सिंचाई परियोजना स्कीम

5967. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उकई सिंचाई परियोजना स्कीम की नहरों के दाएं और बायें किनारों में कमांड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है;

(ख) कमांड क्षेत्र में बारहों महीने और सीजन में होने वाली पानी की सप्लाई का ब्योरा क्या है और प्रत्येक किनारे पर वास्तव में कितने क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती है;

(ग) कमांड क्षेत्र की क्षमता से कम पानी की अपर्याप्त सप्लाई करनें के क्या कारण हैं और इसके लिये कौन जिम्मेदार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :—

	दाएं किनारे	बाएं किनारे
	(हेक्टेयर)	
कमान क्षेत्र	67,400	85,000
बारह-मासी	10,110	4,250
मौसमी	66,726	66,300
1979–80 में वास्तविक सिंचित क्षेत्र		
बारह-मासी	614	7,180
मौसमी	4,917	4,279

(ग) सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन और प्रचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सिंचित क्षेत्र, सन्तोषजनक स्तर से कम नहीं समझा जाता क्योंकि क्षमता हाल ही में विकसित की गई है और आन-फार्म विकास कार्य भी हाल ही में पूरे हुए हैं।

(घ) यह सवाल पैदा नहीं होता।

मीजिया कोयला खानों में तापीय संयंत्र

5968. **श्री अजित कुमार साहा**
आचार्य वासुदेव } : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का मीजिया कोयला खानों के क्षेत्र में एक तापीय संयंत्र लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) और (ख) कोयला-शक्यता सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने पश्चिम बंगाल में मीजिया ब्लाक की कोयला-शक्यता का अन्वेषण करने के लिये कार्रवाई आरम्भ की है। मीजिया कोयला क्षेत्र में ताप विद्युत् केन्द्र की स्थापना इस क्षेत्र में कोयले की उपलब्धता संबंधी प्रमाणों पर निर्भर होगी।

भाखड़ा और चम्बल परियोजनाओं में बिजली की उत्पादन लागत

5969. **श्री दौलतराम सारण**: क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भाखड़ा और चम्बल परियोजनाओं में बिजली की क्या लागत आती है और इसे उपभोक्ताओं को किस दर पर दिया जाता है; और

(ख) औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को बिजली किस दर पर दी जाती है और इस सम्बन्ध में उन्हें क्या छूट दी जाती है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में चैम्पलास्ट मेटयूर द्वारा विनिर्मित प्लास्टिक के पाइप

5970. **श्री के० अर्जुनन**: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में चैम्पलास्ट मैटयूर द्वारा विनिर्मित पाइपों का पूरे देश में प्रमुखतया जल तथा जल विकास बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जाता है और उसका उत्पादन केवल 50 प्रतिशत ही है;

(ख) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार शत प्रतिशत उत्पादन के लिये क्या कदम उठाने जा रही है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) और (ख) मैसर्स केमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स इंडिया लि० ने बताया है कि तमिलनाडु में अल्कोहल की गंभीर कमी होने के कारण पी० वी० सी० पाइपों का उनका उत्पादन जनवरी-जून, 1980 के दौरान 1979 के औसतन उत्पादन की तुलना में 31 प्रतिशत कम हुआ है।

(ग) तमिलनाडु सामान्यतः अल्कोहल और शोरे में आत्म-निर्भर है। राज्य के अन्दर औद्योगिक यूनिटों को इन पदार्थों का वितरण करना राज्य सरकार के अधिकार में है। तमिलनाडु सरकार को परामर्श दिया जा रहा है कि वे मैसर्स कैमप्लास्ट को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध करायें। कम्पनी ने अपने उत्पादन को बनाये रखने के लिये इथीलीन डिक्लोराइड के आयात पर आयात शुल्क में कुछ रियायतें देने का अनुरोध किया है। यह सरकार के विचाराधीन है।

दूरदर्शन केन्द्रों में पुरुष और महिला कर्मचारियों की प्रतिशतता

5971. **श्री राम अवध**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में कार्य कर रहे विभिन्न वर्गों के स्थाई और अस्थाई स्टाफ आर्टिस्टों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या तथा प्रतिशतता कितनी कितनी है; और

(ख) कार्यक्रम, इंजीनियरी तथा प्रशासकीय कर्मचारियों सहित पुरुष तथा महिला स्थाई कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

फरक्का बराज के विस्थापितों का पुनर्वास

5972. **श्री शिबु सोरन**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरक्का बराज के कारण बेघर हुए 677 परिवारों के पुनर्वास के लिये सरकार की क्या योजना है;

(ख) उनकी अभिगृहीत भूमि के बदले में उनको कितनी क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी;

(ग) क्या नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी जायेगी;

(घ) यदि हां, तो उनको कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय): (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र के विद्युत संयंत्रों के लिये कोयले की आवश्यकता

5973. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के विद्युत संयंत्रों के लिये कोयले की मासिक आवश्यकता क्या है;

(ख) गत छः महीनों के दौरान कितनी मात्रा सप्लाई की गई है;

(ग) सप्लाई में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में बिजली की कटौती को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जनवरी से जून, 1980 तक के पिछले छः महीनों के दौरान महाराष्ट्र में ताप विद्युत संयंत्रों की कोयले की आवश्यकता (आवंटन), वास्तविक प्राप्ति तथा इसके उपयोग को विवरण में दिया गया है।

(ग) आवंटन की तुलना में कोयले की सप्लाई में कमी का मुख्य कारण रेल तथा सड़क द्वारा कोयले की पर्याप्त ढुलाई न होना है।

(घ) महाराष्ट्र सहित देश में विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिये कई उपाय किये गये हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों की कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें।

(2) कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है और विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिये उच्च स्तरीय अन्तर-मंत्रालयीय बैठकें भी समय समय पर की जाती हैं।

(3) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग मंत्रिमण्डलीय औद्योगिक अवसंरचना समिति द्वारा भी साप्ताहिक आधार पर की जा रही है।

(4) विद्युत केन्द्रों को दैनिक आधार पर कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग करने के लिये रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

विवरण

(आकड़े हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	ताप विद्युत केन्द्र का नाम		1/80	2/80	3/80	4/80	5/80	6/80	जोड़	अभ्युक्ति
1.	भुसावल	आ०	45	85	80	80	80	80	450	
		प्रा०	21	30	45	42	61	55	254	
		उ०	28	29	42	45	59	56	259	
2.	खापरखेड़ा	आ०	33	30	30	30	30	30	183	
		प्रा०	29	29	31	35	33	28	185	
		उ०	33	34	28	27	28	28	178	
3.	कोराडी	आ०	212	220	220	220	220	220	1312	
		प्रा०	109	168	158	221	211	209	1166	
		उ०	199	178	168	203	184	187	1119	
4.	नासिक	आ०	120	150	150	160	160	160	900	
		प्रा०	109	101	130	110	138	120	708	
		उ०	122	100	116	115	132	112	697	
5.	पारस	आ०	40	40	40	40	40	40	240	
		प्रा०	26	30	31	29	35	39	190	
		उ०	33	29	27	30	39	40	198	
6.	पारली	आ०	35	25	25	35	35	35	190	
		प्रा०	21	27	23	22	30	24	147	
		उ०	27	27	24	24	27	40	159	
7.	बल्लारशाह	आ०	9	9	10	10	10	10	58	
		प्रा०	9	7	7	7	7	8	45	
		उ०	10	7	9	8	7	8	49	
8.	ट्राम्बे	आ०	13	15	15	शून्य	शून्य	शून्य	43	तेल/गैस
		प्रा०	—	5	7	2	—	—	14	पर प्रचा-
		उ०	—	—	—	—	—	—	—	लित
9.	चोला	आ०	31	25	25	25	25	25	156	केन्द्रीय
		प्रा०	23	24	19	19	20	17	122	रेलवे का
		उ०	24	25	21	18	19	21	128	बिजली घर
									कुल जोड़ आ०–3532	

आ०–आवंटन
प्रा०–प्राप्ति
उ०–उपयोग

प्रा०–2832 (80%)
उ०–2787

पश्चिमी बंगाल की स्वीकृति के लिए विचाराधीन सिंचाई परियोजनाएं

5974. **श्री गदाधर साहा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अब तक कौन सी सिंचाई परियोजनायें केन्द्रीय सरकार के पास भेजी हैं और किनके लिये स्वीकृति प्राप्त की है; और

(ख) परियोजनाओं की लागत कितनी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1961 से भेजी गई और योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई सिंचाई परियोजनाओं की तथा उनकी अनुमानित लागत दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	लाभ (हजार हेक्टेयर में)	अनुमोदन की तारीख
1.	कंग्सवती	2526	402	13-11-61
2.	सहरजोर	21.00	5.00	29-8-61
3.	हिंगलो	97.94	12.40	12-3-65
4.	कुमारी	60.95	3.60	2-5-72
5.	तरगोनिया	36.83	0.769	8-2-74
6.	वाराभूम	73.49	2.024	8-2-74
7.	मुटोरजोर	40.29	0.891	8-2-74
8.	परगा	41.62	0.725	8-2-74
9.	तीस्ता बराज (प्रथम चरण का पहला उपचरण)	6972.00	379.50	8-5-75
10.	साली जलाशय	30.89	0.82	17-5-75
11.	रामचन्द्रपुर	62.38	1.68	17-5-75
12.	बेको	64.28	1.58	17-5-75
13.	टुटकों	97.85	2.49	17-5-75
14.	साली व्यपवर्तन	74.80	2.230	17-5-75
15.	हनुमंता	83.34	2.10	28-5-75
16.	पटलोई	89.98	2.16	25-7-75
17.	लिपानियाजोर	73.08	1.58	21-5-76
18.	गोलामारजोर	51.93	1.00	21-5-76
19.	तुर्गा	50.75	0.860	20-7-76
20.	दिम्मु	28.153	0.466	30-3-78
*21.	अपर कंग्सवती जलाशय परियोजना	4384.00	59.00	
*22.	वामनगोला हवीवपुर सिंचाई स्कीम	2167.65	31.09	
*23.	तेगन घाटी सिंचाई स्कीम	1360.00	43.456	

*इन परियोजनाओं को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है लेकिन योजना आयोग द्वारा अभी इन परियोजनाओं को अनुमोदित किया जाना है।

उडीसा की जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

5976. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के जनजाति उप-योजना क्षेत्रों की उन बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो विश्व बैंक से ऋण लेने की योजना में सम्मिलित की गई है;

(ख) विश्व बैंक ऋण से अब तक इन परियोजनाओं को दी गई परियोजना-वार राशि कितनी है;

(ग) क्या जनजाति उपयोजना क्षेत्रों की छोटी सिंचाई परियोजनाओं को भी ऋण दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी आई० टी० डी० पी० परियोजना राशियां दी गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडेय) : (क) और (ख): अक्तूबर, 1977 में विश्व बैंक के साथ उड़ीसा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये हुए ऋण-करार के अन्तर्गत शामिल करने के लिये राज्य सरकार द्वारा जनजातीय उपयोजना में से प्रस्तावित सिंचाई परियोजनायें निम्नलिखित हैं :—

एक—निर्माधीन परियोजनाएं

1. सुनेई
2. रेमल
3. तलसारा
4. पोलासालकी
5. सरपगढ़
6. हरभंगी
7. कनझारी
8. बड़ानाला

दो—नई परियोजनाएं

1. वंकावल
2. कंसबहल
3. बरसुअन

इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार उन परियोजनाओं के लिये जो विश्व बैंक की सलाह से तैयार किये गये तकनीकी आर्थिक मानदण्ड पर पूरी उतरती है, और जिनको केन्द्रीय

जल आयोग में इस प्रयोजन से स्थापित मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए, कुल खर्च के 50 प्रतिशत तक के लिये विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति की मांग करती है । उपर्युक्त 11 स्कीमों में से, राज्य सरकार ने अब तक पांच निर्माणाधीन परियोजनाओं के बारे में 4.25 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की मांग की है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 28.41 करोड़ रुपये हैं और इसे मूल्यांकन समिति ने अब तक स्वीकृति दे दी है। 58 मिलियन डालर (52.2 करोड़ रुपये) की कुल ऋण-राशि में से विश्व बैंक द्वारा उड़ीसा को विभिन्न मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये, जिनमें जनजातीय उप-योजना को उक्त निर्माणाधीन परियोजनायें भी शामिल हैं, 31 मई, 1980 तक लगभग 13.69 मिलियन डालर (12.32 करोड़ रुपये) की वास्तविक प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

(ग) मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये ऋण-सहायता के बारे में विश्व बैंक के साथ हुए करार में लघु सिंचाई स्कीमों को सहायता देने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, राज्य सरकार ने बताया है कि जन-जातीय उप योजना क्षेत्रों को 329 लघु सिंचाई लिफ्ट स्कीमों के लिये जिन्हें 2.12 करोड़ रुपये का संस्थागत धन मिला हुआ है, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (ए० आर० डी० सी०) पुनर्वित्त व्यवस्था की जाती है जिसे इसके लिये विश्व बैंक से धन मिलता है।

(घ) राज्य सरकार ने बताया है कि 329 स्कीमों के लिये आई० टी० डी० पी० के अनुसार निम्नलिखित धनराशि दी गई है :—

(लाख रुपये)

क्रम सं०	जिले का नाम	कृषि पुनर्वित और विकास निगम द्वारा स्वीकृत लिफ्ट सिंचाई परि-योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय
1.	मयूरगंज	63	37.64	19.36
2.	सुन्दरगढ़	56	50.96	28.00
3.	सम्बलपुर	7	5.98	3.53
4.	क्योंझर	15	15.44	8.08
5.	बालासोर	3	1.33	0.33
6.	कोरापुट (आई० टी० डी० पी०)	60	51.15	21.41
	(टी० डी० ए०)	125	49.81	29.22
		329	212.31	109.93

(ङ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण का परियोजना प्रतिवेदन

5977. **श्री गिरिधर गोमाँगो** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1957 में दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण्य के पृथक परियोजना प्रतिवेदन में बृहद योजना तैयार करने तथा उसे निष्पादित करने का सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वह कार्य जो सम्बन्ध अधिकारियों को सौंपा गया था, पूरा हो गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या उपाय आरम्भ किये गये हैं; और

(घ) इस परियोजना के आरम्भ होने से डी० डी० ए० कोरापुट उड़ीसा को वर्षवार कितनी धनराशि दी गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां। 1958 में प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट में मास्टर प्लान तैयार करने का सुझाव दिया गया था ।

(ख) और (ग) दण्डकारण्य क्षेत्र के लिये सन्दर्श योजना नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन द्वारा तैयार की गई है। इससे पूर्व कि संदर्श योजना तैयार की जा सकती विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये वहुत से विकास कार्यक्रम शुरू करने पड़े थे । जबकि योजना आयोग द्वारा अपनी पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में इस योजना की जांच तथा समीक्षा की जा रही है और जहां कहीं संभव है इसका उपयुक्त प्रयोग किया जा रहा है, दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों का निर्माण सिंचाई परियोजनायें शिक्षा सुविधायें तथा पीने के पानी की सप्लाई, भूमि उद्धार तथा विकास, कृषि विकास, पशु पालन तथा विपणन सुविधायें, राज्य बिजली बोर्डों को सहायता व प्रेरणा प्रदान करके बिजली पहुंचाने जैसे विभिन्न कार्य रूप किये गये हैं। इन उपायों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में क्षेत्र के विकास में पर्याप्त योगदान मिला है।

(घ) दण्डकारण्य परियोजना द्वारा व्यय की गई धनराशि के वर्षवार आंकड़े दर्शाने वाला विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

दण्डकारण्य परियोजना द्वारा अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 1979-80 तक वर्षवार किये गये व्यय को दर्शाने वाला विवरण :

क्रम संख्या	वर्ष	किया गया व्यय (रुपये लाखों में)
(1)	(2)	(3)
1.	1957-58	6.16
2.	1958-59	100.10
3.	1959-60	222.92

1	2	3
4.	1960-61	398.49
5.	1961-62	474.10
6.	1962-63	445.09
7.	1963-64	481.24
8.	1964-65	340.77
9.	1965-66	364.18
10.	1966-67	315.33
11.	1967-68	331.77
12.	1968-69	358.37
13.	1969-70	324.13
14.	1970-71	368.95
15.	1971-72	397.45
16.	1972-73	489.02
17.	1973-74	460.39
18.	1974-77 (तीन वर्ष)	2311.15
19.	1977-78	1444.50
20.	1978-79	1454.78
21.	1979-80	1184.68
	योग	122,73.57

इसके अलावा, विस्थापित व्यक्ति परिवारों को, जबकि उन्हें शिविरों/कर्मी शिविरों में रखा गया, राहत सहायता की व्यवस्था करने पर दण्डकारण्य परियोजना द्वारा 1979-80 तक 876.28 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

उलहासनगर, महाराष्ट्र के विस्थापितों के मुआवजे संबंधी आवेदन-पत्र

5978. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उलहासनगर (जिला थाणे, महाराष्ट्र) के विस्थापित व्यक्तियों की ओर से प्राप्त मुआवजे के दावों सम्बन्धी कुल कितने आवेदन पत्र दिनांक 30 जून, 1980 तक अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) ये आवेदन कब से निपटान के लिये पड़े हैं;

(ग) इसमें कितनी धनराशि का प्रश्न है; और

(घ) इस दावे के आवेदन पत्रों को कब तक अन्तिम रूप से निपटाया जायेगा;

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) 60 मामले ।

(ख) ये मामले एक बार निपटा दिये गये थे किन्तु समय समय पर विभागीय अधिकरणों द्वारा पारित किये गये न्यायिक आदेशों के आधार पर इन पर फिर से कार्यवाही की जा रही है।

(ग) अनुमानतः 1.25 लाख रुपये।

(घ) इन मामलों का निपटान, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्य सरकारों से जानकारी वापसी प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर निर्भर करता है। इन मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उल्हासनगर टाउनशिप, महाराष्ट्र के बारे में 'स्क्रीनिंग' समिति का प्रतिवेदन

5979. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास विभाग द्वारा नियुक्त "स्क्रीनिंग" समिति ने उल्लहासनगर, जिला थाना (महाराष्ट्र) टाउनशिप के बारे में कुल कितने निर्णय किये हैं ;

(ख) ये निर्णय कब किये गये थे;

(ग) उनमें से कितनों को क्रियान्वित किया गया है;

(घ) शेष को कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की गई छानवीन समिति ने 1966 से 1971 तक कार्य किया और अनधिकृत निर्माण/कब्जे सम्बन्धी 6915 मामलों पर विचार किया। 1 जुलाई, 1971 में बन्दोबस्त संगठन की अवशिष्ट परिसम्पत्तियों का प्रशासन तथा प्रबन्ध महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिये जाने के पश्चात् समिति का कार्य समाप्त हो गया।

(ग) से (ङ) इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से हैं और उन्होंने इस प्रयोजन के लिये अपनी छानबीन समिति का गठन किया है।

कम्पनियों में कार्यकारी निदेशकों के पद

5980. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जानकारी है कि अनेक पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों ने कार्यकारी निदेशकों के पद बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो कानून के अन्तर्गत इन अधिकारियों को क्या कार्य सौंपे गये हैं ।

(ग) क्या ऐसे पद बनाये जाने और उन पर नियुक्ति के लिये सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मौजूदा नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत इन कार्यकारी निदेशकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के बारे में सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) सरकार को जानकारी है कि कुछ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में कार्यकारी निदेशकों के पद हैं । इस प्रकार के निदेशकों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों का कानून में उल्लेख किये जाने का कोई प्रबन्ध नहीं है और ना ही इस प्रकार के पदों के सृजन के लिये सरकारी अनुमोदन अपेक्षित हैं। तथापि, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के प्रबन्धकीय या पूर्णकालिक निदेशक के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 609 के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

(ङ) तथा (च) : पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के निदेशकों को पारिश्रमिक की अदायगी के लिये कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 198/309/310/637 कक के अन्तर्गत सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है ।

बड़े औद्योगिक गृहों के कर्मचारियों के लिये सुविधायें

5981. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री के कम्पनी कर्मचारियों की परिलब्धियों के बारे में 1 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2548 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि कुछ बड़े औद्योगिक गृह अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 के अर्थ के अन्तर्गत गणना करते समय असीमित पैट्रोल आदि सहित कम्पनी के खर्च पर उन्हें दिये गये 'स्टाफ कारों' के रूप में नामकरण वाले परिवहनों चाहे वे स्वयं कर्मचारियों द्वारा चालित हों अथवा चालक द्वारा, पर आने वाले व्यय को शामिल नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या इससे बचने के लिये समूचे व्यय को सवारी आदि जैसे कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो कानून के इस प्रकार के उल्लंघन, विशेषकर जब तेल के मूल्य तथा कारों के रख-रखाव में अत्यधिक वृद्धि हो गई है की रोकथाम के लिये उनका क्या सक्रिय कार्यवाही करने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, कार्यकारियों के पारिश्रमिक (परिलब्धियों को सम्मिलित करते हुए) के लिये, सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के निदेशकों

या प्रबन्धकों को देय पारिश्रमिक में परिलब्धियां जो, भोग्य हैं, भी सम्मिलित होती हैं। सरकार को, कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के वाहनों के अनधिकृत प्रयोग के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में किये गये व्ययों तथा साथ साथ प्रबन्धकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक की अदायगी, और सरकार द्वारा जारी संस्वीकृतियों के उल्लंघनों को सामान्यतः कम्पनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा देखा जाता है। इस प्रकार की कोई घटना के मामले में, लेखा परीक्षकों, से अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को योग्य ठहराने की आशा की जाती है, जिसके आधार पर विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

विभाग कम्पनी अधिनियम की धारा 209 क के अन्तर्गत निरीक्षण और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 295/237 के अन्तर्गत, जहां इस प्रकार की जांच/निरीक्षण का आदेश दिया जाता है, के दौरान इन मामलों में स्वन्तत्र रूप से ध्यान देता है।

व्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट के निर्माण के कारण संचार व्यवस्था का भंग होना

5982. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास सतलुज लिंक प्राजेक्ट के प्राधिकारियों को यह पता है कि स्लैप्पर में प्रोजेक्ट और इसकी इकाइयों के निर्माण से स्लैप्पर-हरनोडा सड़क के जलमग्न हो जाने के कारण हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले के अन्दरूनी हिस्से में स्थित इस गांव की संचार व्यवस्था भंग हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सुरंग के रास्ते से एक वैकल्पिक सड़क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है ताकि इस गांव का शेष जिले से सम्पर्क स्थापित किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी तथा कब तक इस सड़क का निर्माण हो जाने की आशा है और किस एजेन्सी को इस सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) स्लैप्पर-हरनोडा सड़क जलमग्न नहीं हुई है बल्कि केवल क्षतिग्रस्त हुई है। व्यास सतलुज लिंक परियोजना के बाई-पास जल प्रवाह (शूट) के कारण ऐसा हुआ।

(ख) और (ग) : वैकल्पिक सड़क का अन्तिम संरक्षण तथा उसका अनुमान हिमाचल प्रदेश सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यह निर्माण कार्य उन्हें करना है। जो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है उसके लिये परियोजना प्रशासन, अपनी ओर से, मुआवजे के रूप में समुचित राशि देने के लिये तैयार रहेगा।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की इंजीनियरी सेवा

5983. **श्री एस० एस० कृष्ण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से ग्रुप "ए" इंजीनियर के पद पर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में भर्ती होने वाले इंजीनियरों को पहली पदोन्नति पाने में लगभग 10 वर्ष लग जाते हैं जबकि अन्य विभागों में केवल चार या पांच वर्ष ही लगते हैं और इसके कारण अनेक लोग इन विभागों को छोड़कर जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप सेवा में विकास तथा कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में इंजीनियरी सेवा को अधिक आकर्षक बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में इंजीनियरों के लिये, वर्ष 1973 में तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार एक संगठन सेवा संभवतः किस तारीख तक स्थापित कर दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां । इस समय संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य भार संभालने वाले श्रेणी-1 के इंजीनियर को अपनी अगली पदोन्नति पाने में लगभग 10 वर्ष लग जाते हैं।

(ग) और (घ) एक अध्ययन दल, जिसको आकाशवाणी और दूरदर्शन की इंजीनियरी सेवाओं के संवर्ग ढांचे का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किया गया था, ने संगठित इंजीनियरी सेवा के गठन सहित कतिपय सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों, जो सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं के कार्यान्वित हो जाने पर आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरों के पदोन्नति अवसरों में सुधार होने की आशा है।

ऊत्तरी बिहार में बिजली के प्रति व्यक्ति खपत

5984. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की तुलना में उत्तरी बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : उत्तरी बिहार के सम्बन्ध में अलग से सूचना सहज ही उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1979-80 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत (दामोदर घाटी निगम द्वारा सप्लाई की गई बिजली को मिलाकर) (लगभग) 79.09 यूनिट थी। दिल्ली में इसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति खपत (लगभग) 383.73 यूनिट थी।

उत्तर प्रदेश में बिजलीघरों के लिए कोयले की मासिक आवश्यकता तथा उसकी आपूर्ति

5985. **श्री मोहम्मद अस्रार अहमद** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊत्तर प्रदेश में बिजली घरों के लिये प्रति माह कोयले की कितनी आवश्यकता होती है;

(ख) उत्तर प्रदेश के बिजली घरों को जनवरी, 1980 से जून, 1980 तक प्रत्येक माह कितना कितना कोयला दिया गया है;

(ग) बिजली घरों को कम कोयला दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश में बिजली घरों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला दिये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जनवरी से जून, 1980 तक के पिछले छः महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश में ताप बिजली घरों को कोयले की आवश्यकता (आवंटन) वास्तविक प्राप्ति तथा इसके उपयोग को विवरण में दिया गया है।

(ग) कोयले की सप्लाई में कमी के मुख्य कारणों में ये निम्नलिखित शामिल हैं; रेल द्वारा कोयले की पर्याप्त ढुलाई न होना तथा वैगनें दिये जाने में देरी होना आदि।

(घ) उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न ताप बिजली घरों को कोयले को सप्लाई बढ़ाने के लिये कई उपाय किये गये हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें।

(2) कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है और विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिये उच्च स्तरीय अन्तर-मंत्रालयीय बैठकें भी समय समय पर की जाती है।

(3) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग मंत्रिमण्डलीय औद्योगिक असंरचना समिति द्वारा भी साप्ताहिक आधार पर की जा रही है ।

(4) विद्युत केन्द्रों को दैनिक आधार पर कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग करने के लिये रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

विवरण

(आंकड़े हजार मीटरी टनों में)

क्रम सं०	ताप विद्युत केन्द्र का नाम		1/80	2/80	3/80	4/80	5/80	6/80	जोड़
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	हरदुआगंज 'ए'	आ०	30	30	30	30	*	**	120
		प्रा०	30	29	19	30	—	—	108
		उ०	26	22	23	16	—	—	87
2.	हरदुआगंज 'बी' और 'सी'	आ०	100	120	120	140	140	140	760
		प्रा०	90	85	124	105	112	72	588
		उ०	100	84	124	94	95	73	570
3.	कानपुर (आर पी एच)	आ०	35	30	30	30	30	30	185
		प्रा०	19	18	25	10	15	16	103
		उ०	20	18	16	15	15	15	99
4.	ओबरा	आ०	269	220	220	230	230	250	1419
		प्रा०	209	199	227	209	239	236	1319
		उ०	244	215	266	212	285	244	1466
5.	(1) पनकी	आ०	20	25	25	25	25	25	145
		प्रा०	24	29	28	16	16	17	130
		उ०	20	17	19	22	20	18	116
	(2) पनकी विस्तार	आ०	60	60	60	80	80	80	420
		प्रा०	27	36	74	42	64	47	290
		उ०	37	43	69	45	51	55	300
6.	रेणुसागर	आ०	90	80	80	80	80	80	490
		प्रा०	73	88	99	63	88	68	479
		उ००	84	84	77	87	85	82	499
7.	लघु ताप विद्युत केन्द्र	आ०	62	62	52	53.5	53.5	53.5	336.5
		प्रा*	40	40	40	40	40	40	240
		उ०*	40	40	40	40	40	40	240
						कुल जोड़ :	आ०		3875.5
							प्रा०		3257 (84%)
							उ०		3377

*अनुमानित आंकड़े

**आग दुर्घटना के कारण बिजली घर 26–4–80 से बन्द पड़ा है।

'आ'—स्थाई कोयला लिंकेज समिति द्वारा आबंटन

'प्रा'—वास्तविक प्राप्ति

'उ'—कोयले का उपयोग

रोहिलखंड मंडल में रेडियो/दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करना

5986. **श्री मोहम्मद असरार अहमद**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के रोहिलखण्ड मण्डल के किसी पिछड़े जिले में रेडियो/दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कब तक निर्णय लिया जायेगा और उक्त केन्द्र स्थापित करने का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश का अधिकांश रोहिलखण्ड मण्डल रामपुर और लखनऊ के आकाशवाणी केन्द्रों के प्राथमिक ग्रेड दिवाकालीन सेवा क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त, लखनऊ के वर्तमान 50 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर 300 कि० वा० मीडियम वेव करने की एक स्वीकृत "योजना" स्कीम है। इस स्कीम के कार्यान्वित होने पर लगभग समूचे रोहिलखण्ड मण्डल के लखनऊ और रामपुर के आकाशवाणी केन्द्रों के सेवा क्षेत्रों के अन्दर आ जाने की आशा है। इसलिये रोहिलखण्ड मण्डल में दूसरा रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, संसाधनों की कमी और सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण रोहिलखण्ड मण्डल में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना संभव नहीं हुआ है।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक में क्वाटरों पर अनधिकृत कब्जे के संबंध में सर्वेक्षण

5987. **श्री ए० के० राय**: क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी नगर में अनधिकृत निर्माण के बारे में 8 जुलाई, 1980 के अन्तारांकित प्रश्न संख्या 3386 कि भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने विशेषकर रंगामाती, मनहर नगर तथा रामगढ़ कालोनी की सीमा, पर इस प्रकार क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जे और उनके विस्तार के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है; यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ हैं;

(ग) क्या सिन्दरी के भूमि हथियाने वाले व्यक्ति भी ऐसे नेता हैं जिनके पास अपने गुण्डे हैं और जो जून, 1980 में हुए हाल के दंगों के लिये उत्तरदायी हैं; और

(घ) यदि हां तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री विरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश द्वारा मिट्टी के तेल और डीजल की मांग

5988. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल—जून और जुलाई—सितम्बर, 1980 की तिमाही के लिये डीजल और मिट्टी के तेल के कितने कोटे की मांग की है;

(ख) इन तिमाहियों के लिये उस राज्य को इनका वास्तविक आवंटन कितना किया गया और (अब तक) इन अवधियों के लिये कितना सप्लाई किया गया अथवा उठाया गया; और

(ग) आवंटन में कमी के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री विरेन्द्र पाटिल): (क) मध्य प्रदेश सरकार ने समय समय पर हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की अपनी मांग बताई है, जो क्रमश: करीब 40,000 मी० टन और 20,000 मी० टन है।

(ख) अप्रैल से जुलाई, 1980 के दौरान मध्य प्रदेश को किये गये हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल के आबंटन के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(आंकड़े मी० टन में)

	हाई स्पीड डीजल		मिट्टी का तेल	
	आवंटन	बिक्री	आवंटन	बिक्री
अप्रैल, 1980	38,000	35163	15889	13811
मई, 1980	38000	36320	16500	13880
जून, 1980	32150	29805	16490	14750
जुलाई, 1980	36630	महीना पूरा नहीं हुआ है	17110	महीना पूरा नहीं हुआ है

अगस्त, 1980 के लिये हाई स्पीड डीजल का 32,000 मी० टन और मिट्टी के तेल का 14,100 मी० टन आवंटन किये जाने का प्रस्ताव है। सितम्बर, 1980 के लिये आवंटन अभी निश्चित नहीं किया गया है।

(ग) सभी राज्यों, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, को हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन उत्पाद की उपलब्धता, पिछले विक्रय और परिवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

प्रयुक्त तेल के इधर उधर ले जाने पर प्रतिबन्ध

5989. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयुक्त तेल (बर्नट आयल) को एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ख) क्या नितारने की क्रिया द्वारा इस प्रयुक्त तेल से मोबिल आयल भी बनाया जाता है;

(ग) क्या प्रयुक्त तेल को नितारने की क्रिया वैध है; और

(घ) क्या यह शोधित तेल किन्हीं अन्य प्रयोजनों के उपयोग में भी लाया जाता है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री विरेन्द्र पाटिल): (क) जी, नहीं।

(ख) मोबिल आयल से सामान्यतः तात्पर्य इंजन तेल से है। प्रयोग किये गये इंजन तेल को वैक्यूम डिस्टीलेशन तेजाब के साथ उपचार तथा अन्य तरीकों से दुबारा साफ करके स्नेहक तेल तैयार किये जा सकते हैं। केवल फिल्टरेशन (छनन) से अच्छी किस्म का तेल नहीं बन सकता।

(ग) इस समय प्रयोग किये गये तेल के छानने की प्रक्रिया कानूनी तौर पर स्वीकृत नहीं है। परन्तु इस मंत्रालय ने स्वैच्छा से पंजीकरण करवाने की एक परियोजना चलाई है ताकि जो यूनिट तेल को पुनः साफ करते हैं वे प्रयोग किये गये तेल के पुनः शोधन के लिये अपना पंजीकरण करा सकें जिससे कि तेल का पुनः शोधन सही तरीके से किया जाये।

(घ) दुबारा साफ किया गया असली तेल का ग्रीस के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है और किया जाता है।

"रॉ पैट्रोलियम कोक" के लिये दोहरी मूल्य पद्धति

5990. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रॉ पेट्रोलियम कोक के लिये दोहरी मूल्य पद्धति को समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री विरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) देशी एवं आयातित आर० पी० सी० की बिक्री के लिये 'पूल कीमत प्रथा" लागू करने का निश्चय किया गया है क्योंकि आयातित आर० पी० सी० की कीमत देशी आर० पी० सी० की कीमत से ज्यादा थी क्योंकि आर० पी० सी० के आयात से सीमा शुल्क तथा अन्य अनुषंगी सीमा शुल्क लगता है।

आकाशवाणी के दिल्ली और बम्बई केन्द्रों से मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेंसियां

5991. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के बम्बई केन्द्र के विज्ञापन विक्रय यूनिट और दिल्ली केन्द्र के वाणिज्य सेवा ने यह सिफारिश की थी कि कुछ विज्ञापन एजेंसियों की पात्रता वापस ले ली जाये क्योंकि उनका आचरण अच्छा नहीं पाया गया;

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध गत दो वर्षों में ऐसी सिफारिश की गई थी और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन विज्ञापन एजेंसियों ने जिनके बारे में केन्द्र निदेशकों ने गत तीन वर्षों में मान्यता वापस लेने की सिफारिश की थीं महानिदेशालय में विज्ञापन एजेंसियों से सम्बद्ध अधिकारियों से मिलकर मान्यता प्राप्त कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, तथा ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया और ऐसी विज्ञापन एजेंसियों के नाम क्या हैं;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) दुर्व्यवहार के आधार पर मैसर्स आडियो एडवर्टाइजिंग एजेंसी दिल्ली की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की गई थी, किन्तु जांच करने पर यह पाया गया कि इस प्रकार की कार्रवाई करने का औचित्य नहीं था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर

5992. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के स्थाई कलाकारों को उनके अपने अपने विषयों में विशेषज्ञ समझा जाता है और उनकी नियुक्तियां भी उनके किसी विशेष क्षेत्र में दक्षता प्राप्त होने के आधार पर ही की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे विशेषज्ञों जो कार्यक्रम तैयार करते हैं और कार्यक्रम तैयार करने के संवर्ग में हैं, के लिये पदोन्नति के अवसर पैदा क्यों नहीं कर रही है जिससे कि वे आकाशवाणी में उच्चतम पद तक पहुंच सकें?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों सम्बन्धी कार्य के लिये दीर्घकालिक संविदा पर विभिन्न पदों पर

स्टाफ आर्टिस्टों को लगाती है। नियुक्तियां विशिष्ट कार्य की आवश्यकताओं और इस प्रकार के पद के लिये निर्धारित भर्ती नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। तथापि, यह नहीं समझा जाता कि स्टाफ आर्टिस्ट उन पदों के लिये विशेषज्ञ होते हैं जिनके लिये उनको इस प्रकार नियुक्त किया जाता है।

(ख) आकाशवाणी में प्रोड्यूसरों की श्रेणी के लिये, प्रोड्यूसरों के लिये सलैक्शन ग्रेड और उप मुख्य प्रोड्यूसरों/मुख्य प्रोड्यूसरों के पदों पर पदोन्नति के रूप में अवसर विद्यमान हैं।

सरकारी नीलामकर्ता

5993. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य में किन किन सरकारी नीलामकर्ताओं की नियुक्ति की है।

(ख) सरकारी नीलामकर्ताओं की नियुक्ति करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या-क्या सिद्धान्त, शर्तें तथा मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं; और

(ग) वे कितना कमीशन वसूल कर सकते हैं?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान तथा 1979-81 की अवधि के लिये प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा नियुक्त किये गये सरकारी नीलामकर्त्ताओं की सूची सभा पटल पर रख दी गई है।

विवरण–1

(ख) इस के लिये, कोई पक्के मानक, शर्तें या मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं, लेकिन नीलामी सम्बन्धी करारनामा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है :—

(1) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय या किसी अन्य सरकारी निकाय के लिये नीलामी करने का पूर्व अनुभव।

(2) वित्तीय हालत।

(3) पुलिस सत्यापन रिपोर्ट।

(4) नीलाम-कमीशन की उद्धृत दर तथा उस में सम्मिलित सेवायें।

(5) नीलामी करने वाली फर्म का स्थान तथा नीलामी से संबंधित आवश्यक सुविधायें देने के लिये उपलब्ध संगठन।

(ग) वर्तमान नीलामी करारनामों के अनुसार, जो 1979-81 की अवधि के लिये वैध है, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न नीलामकर्ताओं को देय कमीशन की दरों से संबंधित विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। (विवरण 2)।

विवरण-1

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा नियुक्त किये गये सरकारी नीलामकर्ता

केन्द्रीय क्षेत्र : (जिसमें दिल्ली, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश) शामिल हैं।

दिसम्बर, 1977-78 की अवधि के लिए

1. मैसर्स नियदार माल जय किशन, नई दिल्ली।
2. मैसर्स रांगी लाल्स, नई दिल्ली।
3. मैसर्स प्रतापसिंह कालरा एण्ड संस, नई दिल्ली।
4. मैसर्स मोहन लाल एण्ड कम्पनी, अम्बाला कैन्ट।
5. मैसर्स जे० आर० बशेशर नाथ, दिल्ली।

1979-81 की अवधि के लिए

1. नियदार माल जय किशन नई दिल्ली।
2. मैसर्स रांगी लाल्स, नई दिल्ली।
3. मैसर्स प्रताप सिंह कालरा एण्ड सन्स, नई दिल्ली।
4. मैसर्स मोहन लाल एण्ड कम्पनी, अम्बाला कैन्ट।
5. मैसर्स जे० आर० बशेशर नाथ, दिल्ली।
6. मैसर्स दी फ्रस्ट नेशनल ऑक्शनर्स, नई दिल्ली।
7. मैसर्स मोती लाल एण्ड कम्पनी, दिल्ली।
8. मैसर्स ट्रेड मेडिया (सर्विस) दिल्ली।
9. मैसर्स किशन लाल एण्ड ब्रादर्स, दिल्ली (मई, 1980 के अवधि के)।

पूर्वी क्षेत्र (जिसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम और सिक्कम शामिल हैं)।

1977-78 की अवधि के लिए

1. मैसर्स धर्मपाल चण्डा एण्ड सन्स, कलकत्ता।
2. मैसर्स गोपी चन्द एण्ड सन्स, कलकत्ता।
3. मैसर्स पुर्स एण्ड कम्पनी, कलकत्ता।

1979-81 की अवधि के लिए

1. मैसर्स धर्मपाल चड्डा एण्ड सन्स, कलकत्ता।
2. मैसर्स पुर्स एण्ड कम्पनी, कलकत्ता।
3. मैसर्स इण्डिया अबसन मार्के (मार्च, 1979 तक, 29-2-80 को परीक्षण पर, अवधि में और आगे वृद्धि करने के लिये उनके मामले पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिमी क्षेत्र (जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा शामिल हैं)

1977-78 की अवधि के लिए

1. मैसर्स शंकर रामचन्द्र एण्ड सन्स, पुणे।
2. मैसर्स गांधी एण्ड कम्पनी, बम्बई।
3. मैसर्स आर० एस० करावेन एण्ड सन्स, नासिक।

1979-81 की अवधि के लिए

1. मैसर्स शंकर रामचन्द्र एण्ड सन्स, पुणे।
2. मैसर्स आर० एस० करावेन एण्ड सन्स, नासिक।

दक्षिण क्षेत्र (जिसमें तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पाण्डिचेरी शामि हैं)।

1977-78 की अवधि के लिए

1. मैसर्स मुरे एण्ड कम्पनी, मद्रास।
2. मैसर्स चन्द्रमणि, मद्रास।

1979-81 की अवधि के लिए

1. मैसर्स मुरे एण्ड कम्पनी, मद्रास।
2. मैसर्स चन्द्रमणि एण्ड कम्पनी, मद्रास।

विवरण-2

1979-81 की अवधि के लिये पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा नियुक्त नीलामकर्त्ताओं को दिए जाने वाले नीलामी कमीशन की दरें

विभिन्न क्षेत्रों के नीलामकर्ताओं के साथ किए गए चालू नीलामी करारों के अनुसार भिन्न-भिन्न नीलामकर्ताओं के लिए लागू कमीशन की दरें (1-1-79 से 31-12-1981 तक की अवधि के लिए वैध) नीचे दी गई हैं :—

नीलाम कर्ता का नाम	मासिक बिक्री की वसूली पर कमीशन की दरें					
	प्रथम रु० 25,000/-	रु० 25001 से 50,000/- तक	रु० 50,000 से 100,000 तक	रु० 100,001 से 300,000/- तक	3 लाख से अधिक	10 लाख से अधिक
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय क्षेत्र :	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	
1. मैसर्स नियदार माल जय किशन, नई दिल्ली	2.00	1.90	1.30	1.00	0.25	—
2. मैसर्स रांगी लाल्स, नई दिल्ली	2.00	2.00	1.75	1.00	0.25	—
3. मैसर्स प्रताप सिंह कालरा एंड सन्स, नई दिल्ली	1.92	1.92	1.32	1.00	0.25	—
4. मैसर्स मोहन लाल एंड कम्पनी, अम्बाला कैन्ट	1.96	1.90	1.82	1.00	0.25	—
5. मैसर्स जे० आर० बशेशर नाथ, दिल्ली	1.70	1.40	1.40	1.20	0.25	—
6. मैसर्स दी फर्स्ट नेशनल ऑक्शनर्स, नई दिल्ली	1.90	1.80	1.65	1.00	0.25	—
7. मैसर्स मोती लाल एंड कम्पनी, दिल्ली	2.00	2.00	2.00	0.92	0.25	—
8. मैसर्स ट्रेड मेडिया (सर्विस) इंडिया, दिल्ली	2.40	2.00	1.60	1.00	0.25	10 लाख से अधिक पर 20 प्रतिशत निवल रकम
9. मैसर्स किशन लाल एंड ब्रदर्स	2.00	2.00	1.50	1.05	0.22	

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिमी क्षेत्र :						
1. मैसर्स शंकर रामचन्द्रा एंड ब्रदर्स, पुणे . .	3.00	2.50	2.00	1.50	0.50	—
2. मैसर्स आर० एस० करेवेन, सन्स एंड कम्पनी, नासिक	3.00	2.50	2.00	1.50	0.50	—
पूर्वी क्षेत्र :						
1. मैसर्स धर्मपाल चड्डा एंड सन्स, कलकत्ता . .	2.50	2.00	1.50	1.00	0.50	—
2. मैसर्स पर्से एंड कम्पनी, कलकत्ता . . .	2.50	2.00	1.50	1.00	0.50	—
3. मैसर्स इंडिया आक्शन मारट, कलकत्ता . . (मार्च, 1979 से फरवरी, 1980 तक की अवधि के लिए—आगे वृद्धि के लिए विचाराधीन)	2.50	2.00	1.50	1.00	0.50	—
दक्षिणी क्षेत्र :						
1. मैसर्स मैरी एंड कम्पनी, मद्रास . .	2.50	2.00	1.50	1.00	0.50	—
2. मैसर्स चन्द्रामनी एंड कम्मनी, मद्रास . . .	2.50	2.00	1.50	1.00	0.50	—

सरकारी उपक्रमों द्वारा विज्ञापनों पर किया गया व्यय

5994. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन प्रत्येक सरकारी उपक्रम द्वारा गत दो वर्षों के दौरान विज्ञापनों पर किए गए वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उपयुक्त अवधि के दौरान प्रत्येक सरकारी उपक्रम का प्रचार कार्य किस-किस विज्ञापन एजेंसी ने किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विज्ञापनों पर खर्च किए गए व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण ।

उपक्रम का नाम	विज्ञापनों पर किया गया व्यय		विज्ञापनों का स्वरूप और उद्देश्य		विज्ञापन एजेंसियों के नाम जिन्होंने प्रचार कार्य किया
	1978-79	1979-80	1978-79	1979-80	
1	2		3	4	5 6
फिल्म वित्त निगम ।	4.00 लाख रुपए ।	8.37 लाख रुपए ।	3.90 लाख रुपये फिल्मों के उपयोग पर, 0.10 लाख रुपए कर्मचारियों की भर्ती, आदि पर ।	8.16 लाख रुपये फिल्मों के उपयोग पर, 0.21 लाख रुपये कर्मचारियों की भर्ती, आदि पर ।	1. मैसर्स बम्बई पब्लिसिटी । 2. मैसर्स डिसप्ले पब्लिसिटी । 3. मैसर्स स्टूडियो प्रभा एडवर्टाइजर्स । 4. मैसर्स सर्वोदय स्टूडियो । 5. मैसर्स जीनत एडवर्टाइजर्स । 6. मैसर्स सिने पब्लिसिटी । 7. मैसर्स लिंकार्ट एडवर्टाइजर्स एंड प्रिंटर्स । 8. मैसर्स सोनेजी ब्लाक स्टूडियो । 9. मैसर्स न्यू भारत एडवर्टाइजर्स एण्ड प्रिंटर्स ।

1	2	3	4	5	6
भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ।	2409.50 रुपये ।	21,684.00 रुपये ।	कर्मचारियों की भर्ती, आदि पर।	भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का एक होर्डिंग लगाने और बाल फिल्म संस्था द्वारा प्रकाशित स्मारिका में एक विज्ञापन के लिए 10,000 रुपए भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और फिल्म वित्त निगम के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ समामेलन के आदेश के हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशन पर 7,000 रुपये, कर्मचारियों को भर्ती, आदि पर 4,584 रुपये ।	विज्ञापनों को किसी विज्ञापन एजेंसी की सेवाओं का उपयोग किए बिना समाचार-पत्रों को सीधे ही दिया गया था।

समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने का मापदण्ड

5995. श्री अर्जुन सेठी
श्री एन० ई० होरो } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं/सामयिक पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन दिए जाने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ समाचार-पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं आदि को विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) 1977-78 में जिन समाचार-पत्रों आदि को विज्ञापन दिए गए थ उनमें से प्रत्येक को 1976-77 में दिए गए भुगतान की तुलना में कितनी राशि दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों, आदि को विज्ञापन देने के लिए मानदंड सरकार की उस विज्ञापन नीति में निहित है जिसका विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में अनुसरण किया जाता है। इस विज्ञापन नीति की एक प्रति संलग्न है। तथापि, इस नीति का सरकार द्वारा हाल ही में गठित एक समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) जी, हां । कुछ ऐसी रिपोर्टें रही हैं कि गत दो वर्षों के दौरान समाचार-पत्रों को उक्त नीति के विपरीत संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन देने से इंकार किया गया था। उन मामलों की नए सिरे से जांच की गई और शोधक कदम उठाए जा चुके हैं।

(घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा किसी भी समाचारपत्र को भुगतान की जाने वाली राशि सामान्य व्यापार प्रथा के अनुसार गोपनीय समझी जाती है ।

विवरण

सरकार की विज्ञापन नीति

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, जो भारत सरकार का एक केन्द्रीय प्रचार संगठन है, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और अनेक स्वायत्तशासी निकायों की ओर से विभिन्न समाचार-पत्रों और नियतकालिक पत्रों को विज्ञापन देता है । सरकारी विज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य यथा संभव अधिक से अधिक प्रचार करना है। सरकारी विज्ञापनों को देने में राजनीतिक संबद्धताओं को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तथापि, विज्ञापन उन समाचार-पत्रों और नियतकालिक पत्रों को जारी नहीं किए जाएंगे जो साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काते हों या हिंसा का प्रचार करते हों या सार्वजनिक शालीनता और नैतिक आदेशों सम्बन्धी सर्वमान्य परम्पराओं पर आघात करते हों ।

2. लक्ष्य यह है कि विज्ञापनों को संतुलित और सम्यक रूप से दिया जाए। सरकारी विज्ञापनों का लक्ष्य किसी को वित्तीय सहायता देना नहीं है। तथापि, सरकार के मुख्य सामाजिक उद्देश्यों के अनुसरण में, निम्नलिखित को उपलक्ष्य धन (वेटेज) दिया जाएगा या उनके प्रति उदारता बरती जाएगी :—

(क) छोटे और मझोले दर्जे के समाचार-पत्र और नियतकालिक पत्र;

(ख) विशिष्ट, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं;

(ग) भाषायी समाचार-पत्र और नियतकालिक पत्र ;

(घ) पिछड़े, दूरस्थ या सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रकाशित होने वाले पत्र और नियतकालिक पत्र ;

(ङ) अन्य कोई श्रेणी जिसे सरकार विशेष और वास्तविक कारणों से उपयुक्त समझे।

3. छोटे, मझोले और बड़े समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया जाएगा : —

(1) छोटे . 15,000 परिचालन संख्या वाले।

(2) मझोले . 15,000 और 50,000 के बीच परिचालन संख्या वाले।

(3) बड़े . 50,000 से अधिक परिचालन संख्या वाले।

4. विज्ञापन देने के लिए समाचार-पत्रों का चयन करने में, उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा :—

(क) जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के पाठकों में प्रचार करना, विशेषकर राष्ट्रीय अभियानों के मामले में।

(ख) विज्ञापनों के संदेश पर निर्भर करते हुए समाज के विशिष्ट वर्गों तक पहुंचना।

(ग) केवल उन्हीं समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों का उपयोग करना जिनकी बिक्री की न्यूनतम संख्या 2,000 प्रतियों से कम न हो।

निम्नलिखित मामले में ढील दी जाएगी :—

(1) उर्दू और सिंधी के पत्रों के मामले में बिक्री की न्यूनतम 1,000 प्रतियां।

(2) विशिष्ट, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं के मामले में, बिक्री की न्यूनतम 500 प्रतियां सरकारी विज्ञापणों के लिए अर्हक होंगी।

(3) संस्कृत के पत्रों और विशेषकर पिछड़े, सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों या जनजाति भाषाओं में या मुख्य रूप से जनजातियों के पाठकों के लिए प्रकाशित होने वाले पत्रों के मामले में, बिक्री की न्यूनतम 500 प्रतियां सरकारी विज्ञापनों के लिए अर्हक होंगी।

(घ) समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों का कम से कम 6 महीने तक निर्विघ्न और नियमित प्रकाशन होना चाहिए।

(ङ) केवल उन्हीं यथार्थ समाचार-पत्रों का उपयोग करना जो सामयिक मामलों पर समाचार या लेख प्रकाशित करते हैं ; इसी तरह केवल उन्हीं मानक पत्रिकाओं/नियतकालिक पत्रों का उपयोग करना जो वैज्ञानिक, कला, साहित्य, खेलकूद, फिल्म सांस्कृतिक मामलों इत्यादि के विषयों पर होते हैं।

(च) घरेलू पत्रिकाओं और स्मारिकाओं को शामिल नहीं किया जाएगा।

(छ) प्रभाव, मुद्रण स्तर तथा भाषा और क्षेत्र जिनमें प्रचार किया जाना है।

5. मुद्रण स्तरों के बारे में निम्नलिखित विशिष्टियां लागू होंगी :—
एक दैनिक समाचारपत्र के प्रतिदिन न्यूनतम चार पृष्ठ होने चाहिए और उसका आकार 45 सेंटीमीटर × 7 स्टेंडर्ड कालम चौड़ा या उसमें समकक्ष मुद्रित स्थान होना चाहिए। साप्ताहिकों और पाक्षिकों के पृष्ठ और उनका आकार निम्नानुसार होना चाहिए :—

मुद्रित क्षेत्र इससे कम न हो	न्यूनतम पृष्ठ संख्या
30 सें० मी० × 4 कालम	8 या समकक्ष मुद्रित स्थान
20 सें० मी० × 3 कालम	12 —तथैव—
15 सें० मी० × 2 कालम	24 —तथैव—

साप्ताहिकों और पाक्षिकों से इतर नियतकालिक पत्रों के निम्नलिखित पृष्ठ और आकार होने चाहिए :—

आकार	न्यूनतम पृष्ठ सं०
20 सें० मी० × 3 कालम	32
15 सें० मी० × 2 कालम	40

अपवाद केवल उन्हीं समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों के मामले में ही किया जाएगा जो जनजाति भाषाओं या जनजातियों के पाठकों के लिए प्रकाशित होते हैं।

6. बड़े और मझौले पत्रों/नियतकालिक पत्रों के मामले में, परिचालन संख्या किसी व्यावसायिक और ख्याति प्राप्त निकाय या संस्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर स्वीकृत की जाएगी। छोटे समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों के मामले में, परिचालन संख्या के बारे में रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र होना चाहिए। परिचालन संख्या के आंकड़े गलत पाए जाने पर समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों को विज्ञापनों के लिए अपात्र कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनके विरुद्ध अन्य वह कार्रवाई भी की जा सकेगी जो सरकार उपयुक्त समझे।

7. विज्ञापन दरें

सरकारी विज्ञापनों की दरों का ढांचा उपर्युक्त सिद्धान्तों पर आधारित होगा।

कोयला विभाग और निगमित निकायों में शीर्षस्थ पदों का भरा जाना

5997. श्री गुलाम रसूल कोचक
डा० फारुख अब्दुल्ला } : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला विभाग और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमित निकायों में कुछ शीर्षस्थ पदों को भरने में केन्द्रीय सरकार के अनिश्चित रवैए के कारण अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निर्णय करने सम्बन्धी प्रक्रिया में बाधा पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऊर्जा विभाग में भी यही स्थिति है;

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ङ) उक्त पदों को भरने में विलम्ब के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में कहां तक बाधा पड़ी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोयला विभाग तथा इसकी निगम संस्थाओं में इस समय वरिष्ठ स्तर के छः पद खाली हैं। चूंकि अवलम्ब रूप वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है अतः निर्णय लेने सम्बन्धी प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंची है ।

(ख) और (ग) विद्युत विभाग के अधीन संगठनों में कुछ पद खाली हैं। चयन करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है । चूंकि उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है अतः निर्णय लेने में कोई रुकावट नहीं आई है ।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

5998. श्री गुलाम रसूल कोचक
डा० फारुख अब्दुल्ला : } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के सात पद रिक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त पड़े हैं ;

(ग) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) क्या जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय अथवा उस राज्य से किसी न्यायाधीश को अब तक उच्चतम न्यायालय में नियुक्त नहीं किया गया है ;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय में जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर लगभग सभी राज्यों से न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं । उहीं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के केवल दो पद रिक्त हैं । ये पद अभी तक भरे नहीं गए हैं ।

(ख) और (ग) ये पद नवम्बर, 1979 में तब उपलब्ध हुए थे जब सरकार ने यह विनिश्चय किया था कि उच्चतम न्यायालय में कार्य करने वाले न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी जाए । इन दो पदों को भरने के प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

(घ) और (ङ) जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए गए हैं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फार्मास्यूटिकल्स उद्योग का अन्तरिम मूल्य राहत

5999. श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री बी० वी० देसाई } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्क औषधों तथा फार्मुलेशनों के सम्बन्ध में फार्मास्युटिकल उद्योग को कुछ अन्तरिम मूल्य राहत देने के सरकार के प्रस्ताव में कोई रुकावट आ गई है—क्योंकि उद्योगों के संगठन ने कुछ आपत्तियां की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या मुख्य आपत्तियां उठाई हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उनकी आपत्तियों पर विचार कर लिया है ;

(घ) अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ; और

(ङ) क्या उन्होंने इस बारे में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों पर आपत्ति उठाई है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं पैट्रोलियम पर आधारित कच्चे मालों और अन्य कच्चे मालों के मूल्य में वृद्धि के कारण औषध उद्योग संघ अन्तरिम सहायता के लिए जोर डाल रहे हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) मूल्य संशोधन, जहां अपेक्षित है, तभी संभव है जब प्रक्रिया और सिद्धान्त जिन पर ऐसे संशोधन स्वीकृत किए जा सकते हैं, को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता, जिसमें कुछ और अधिक समय लगेगा ।

(ङ) ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल कास्ट्स एण्ड प्राइसेस, बल्क औषधों और फार्मुलेशनों के मूल्य के बारे में अपनी सिफारिश औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के आधार पर करता है। भारतीय भेषज उत्पादक संगठनों (ओ० पी० पी० आई०) ने उक्त आदेश के संदर्भ में अपने दिनांक 2 जून, 1980 के ज्ञापन में मार्क-अप, मूल्य निर्धारण के सिद्धान्तों से सम्बन्धित कुछ सुझाव दिए हैं ।

राज्यों द्वारा बिजली के लिये वृहद योजना का बनाया जाना

6000. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री पी० एम० सईद : } : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने बिजली के लिए एक दस वर्षीय वृहद् योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ और राज्यों ने भी बिजली के लिए वृहद् योजनाएं बनाई हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितने राज्यों ने स प्रकार की विद्युत योजनाएं बनाई हैं ;

(घ) क्या इन योजनाओं को केन्द्र सरकार को दिखाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने योजनाओं के कार्यान्वयन में इन राज्य सरकारों को सहायता और मदद देने का निर्णय किया है ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :(क) उड़ीसा सरकार ने विद्युत के लिए कोई 10 वर्षीय मास्टर प्लान प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ख) और (ग) 1980–85 की अवधि की छठी पंच वर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा सघ शासित क्षेरों में अनुरोध किया गया था कि वष 1980–85 के 5 वर्षीय विद्युत कार्यक्रम के लिए वे अपने प्रस्ताव भेजें । कुछ राज्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं तथा शेष राज्यों को भी अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ताकि छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा सके ।

(घ) अन्तिम छठी योजना के राज्यों के प्रस्तावों पर योजना आयोग में विचार किए जाने तथा उसके बाद उन पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार करने के बाद अन्तिम रूप दिया जाना है । चूंकि इस कार्यवाही का समन्वय योजना आयोग द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सरकार अपने आप ही इससे समबद्ध है ।

(ङ) विद्युत विकास के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता, राज्यों की समस्त विकास योजना के लिए दी जाने वाली समग्र केन्द्रीय सहायता में इसके एक भाग के रूप में शामिल होती है । विशेषज्ञता पूर्ण मानोटरिंग करके, प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करके तथा दुर्लभ सामग्रियां और फुटकर पुर्जे उपलब्ध करा कर भी केन्द्रीय सरकार राज्यों की सहायता करती है ।

बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० में परामर्शदाता पद पर नियुक्ति :

6001. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, के भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी निदेशक श्री आर० पी० डे को वर्तमान प्रबन्धकों द्वारा उक्त कम्पनी के कैफीन के तकनीकी विकास तथा "डपसोन प्लांट" के लिए परामर्शदाता के रूप में 10,000 रुपए के वेतन पर नियुक्त कर लिया गया है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इन्हीं श्री आर० पी० डे को पहले उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध के आरोपों के कारण, बंगाल कैमिकल्स से त्यागपत्र देने को मजबूर किया गया था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां । बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लि० (बी० सी० पी० डब्ल्यू०) ने डैप्सोन, कैफीन, निकेथामाइड, टोलबुटामाइड और सोडियम कलोराइड (आई० पी० ग्रेड) नामक पांच विस्तार कार्यों के लिए परामर्शी सेवा, परिव्यय तैयार करने और फ्लो मानचित्र बनाने के लिए श्री आर० पी० डे को लगाया ; इन कार्यों में से प्रत्येक के लिए 2,000 रुपए दिए जाएंगे ।

(ख) बी० सी० पी० डब्ल्यू० में मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा कम्पनी के अधिग्रहण के पूर्व ही कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा समाप्त कर दी गई थी। उनके विरुद्ध आरोप थे जो उनकी कम्पनी में कार्य करने के समय से सम्बन्धित थी किंतु उनके कम्पनी में काम करते न रहने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की जा सकती ।

लियम उत्पादों का मूल्य

6002. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सदन का चालू सत्र आरम्भ होने के पूर्व पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि की जो घोषणा की गई थी उससे प्रति वर्ष कुल कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है ;

(ख) उक्त मूल्य वृद्धि के पहले और बाद में प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद का (खुदरा) मूल्य क्या था ; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य में कितनी बार वृद्धि की गई है और प्रत्येक अवसर पर कितनी वृद्धि की गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 8-6-1980 से मूल्य वृद्धि के कारण पेट्रोल से कुल अनुमानित अतिरिक्त प्रतिप्राप्ति प्रतिवष 145.53 करोड रुपए हैं।

(ख) मूल्य वृद्धि से पहले और बाद में कुछ मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्य विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना विवरण 2 में दी गई है ।

विवरण-1

बम्बई में कुछ चुने हुए पेट्रोलियम उत्पादों के फुटकर विक्रय मूल्य

उत्पाद	8-6-1980 से पहले	8-6-1980 से (रुपए/कि० लिटर)
1. मोटर स्पिरिट	4.43	5.15
2. मिट्टी का तेल (एस० के० ओ०)	1.39	1.39
3. हाई स्पीड गीजल (एच० एस० डी०)	1.50	2.21
4. कुकिंग गैस (एल० पी० जी०)	33.96 (14.2 कि० ग्रा० प्रति सिलेण्डर)	33.96
5. लाइट डीजल तेल (कोई फुटकर विक्रय नहीं होता है)	1281.49	1971.99
6. भट्टी का तेल (–वही–)	1288.91	1971.41
7. एविऐशन टर्बाइन ईंधन (घरेलू विमान सेवा के लिए)	2650.39	4003.39
8. एविएशन टर्बाइन ईंधन (अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा के लिए)	2682.37	3145.87

विवरण-2

भण्डारण स्थल से बाहर आने पर 1-3-1975 से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य।

(रुपए/विक्रय केन्द्र)

दिनांक	एम० एस० 83	ए० टी० एफ०	एस० के० ओ०	एच० एस० डी० ओ०
1	2	3	4	5
1-3-75	2944.83	1267.13	914.24	894.89
14-7-75	,,	,,	964.24	974.89
1-12-75	,,	,,	1084.24	1094.89
16-12-77	,,	,,	,,	,,
1-3-78	3050.38	1286.30	1103.41	1113.90
1-3-79	3538.07	1376.85	1193.98	1208.70
17-8-79	3888.07	2116.85	1363.98	1378.70
11-9-79	,,	,,	1294.93	1309.55
8-6-80	4538.07	3216.85	,,	1959.55

भण्डारण स्थल से बाहर आने पर 1-3-1975 से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

(रुपए/विक्रय केन्द्र)

एन० डी० ओ०	एफ० ओ०	बिटुमन पैक्ड	एल० पी० जी० घरेलू	नैफ्था	
				उर्वरकों से भिन्न	उर्वरक
6	7	8	9	10	11
879.64	683.07	858.58	1148.27	1000.00	1486.31
,,	763.07	951.91	1315.98	1012.00	,,
,,	883.07	,,	1482.65	,,	1596.31
,,	883.07	..	,,	,,	,,
886.97	889.06	960.91	1495.15	,,	,,
807.17	,,	,,	1632.65	,,	,,
1206.98	1209.06* 829.06**	1460.91	1965.98	2482.00	,,
,,	,,	,,	,,	,,	,,
1856.97	1859.06* 829.06**	2110.91	,,	2692.00	1071.31

*उर्वरकों से भिन्न ।

**उर्वरकों के लिए ।

ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड

6003. **श्री ज्योतीमर्य बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :—

(क) एक विदेशी बहुराष्ट्रीय निगम की व सहायक कम्पनी मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी के निदेशक बोर्ड में इस समय कौन-कौन सदस्य हैं;

(ख) इस कम्पनी का पूंजीगत ढांचा क्या है ;

(ग) प्रत्येक मुख्य शेयरधारी के पास कितने तथा कितने मूल्य के शेयर हैं; और

(घ) कम्पनी के उन कार्यकारी अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जो प्रतिवर्ष 50 हजार रुपए से अधिक मूल्य का वेतन परिलब्धियों तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और प्रत्येक कार्यकारी अधिकारी को प्रतिवर्ष कितनी राशि मिल रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) ब्रिटानियां बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड का वर्तमान नाम ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड है । कम्पनी एक अप्रैल 1978 से विदेशी बहुराष्ट्रीय निगम कन्ट्रोल नोमीनीज लिमिटेड यू० के० की सहायक नहीं रही ।

वर्ष 1979-80 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की संरचना निम्न प्रकार है :—

श्री एम० एम० साबरवाल	अध्यक्ष	
श्री एन० सी० चौधरी	प्रबन्धकीय	निदेशक
श्री डी० के० बोस	निदेशक	
श्री पी० सी० खन्ना	निदेशक	
श्री आर० के० लाल	निदेशक	
श्री जे० मुखर्जी	निदेशक	
श्री आर० जी० पामेर	निदेशक	
श्री आर० बी० राव	निदेशक	
श्री ए० जी० सेठ	निदेशक	
श्री के० जुलियन स्काट	निदेशक	
श्री एन० सीता राम	निदेशक	

(ख) दिनांक 31-3-1980 तक के कम्पनी तुलनपत्र के अनुसार, उसकी प्राधिकृत पूंजी 631.40 लाख रु० की साम्य पूंजी और 0·15 लाख रु० की अधिमान पूंजी सहित अनुमानित की गई थी ।

(ग) कम्पनी के दस मुख्य शेयरधारियों के नाम और 2-8-1979 तक कम्पनी की वार्षिक विवरणी के अनुसार उनके द्वारा धारित 10 रु० प्रत्येक के शेयरों की संख्या नीचे दी जाती है :—

शेयरधारी का नाम	10 रु० प्रत्येक धारित शेयरों की संख्या
1	2
1. दि कन्ट्रोल नोमीनीज लिमिटेड यू० के०	24,08,530
2. लाइफ इंशोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया	6,91,895
3. यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	2,40,147
4. जनरल इंशोरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया	1,10,232
5. नैशनल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड	1,09,656
6. यूनाइटेड इण्डिया इंशोरेंस कम्पनी लि०	1,00,960
7. ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड	57,580
8. श्री आनन्द बासुदेव कसबेकर	40,052
9. श्री प्रदीप खन्ना	29,894
10. श्री अशोक खन्ना	29,462

(घ) वर्ष 1979-80 की कम्पनी के निदेशक की रिपोर्ट के भाग को निर्धारित करते हुए कर्मचारियों के विवरण के ब्यौरे के अनुसार, 64 कर्मचारियों को वर्ष भरमें नियुक्त किया गया था तथा 2 कर्मचारी वर्ष में कुछ समय के लिए नियुक्त किए गए थे, उन्हों ने वर्ष 1979-80 की अवधि में 50,000 रु० प्रतिवर्ष से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया था इन कर्मचारियों के नामों उनके पदों तथा वर्ष 1979-80 की अवधि में उनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक विवरण जाता है ।

विवरण

कम्पनी के कर्मचारियों के नाम, पदनाम तथा उनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, जिन्होंने 1979-80 के वर्ष में, कुल 50,000रु० प्रतिवर्ष से अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त किया था ।

क्रम सं०	नाम	पदनाम	प्राप्त/प्राप्त योग्य पारिश्रमिक (रुपए में)
1	2	3	4
1.	श्री के० एस० आचार्य . .	टैन्डर्न प्रबन्धक	51,582
2.	श्री एस० पी० एस० आहलूवालिया	कार्मिक प्रबन्धक	57,821
3.	श्री एस० के० अलाध . .	समूह उत्पाद प्रबन्धक	65,094
4.	श्री सी०डी० अनटोनी . .	महा प्रन्बधक	1,26,493
5.	श्री पी० के० बनर्जी . .	सहायक सचिव	66,192
6.	श्री वी० एम० वार्वे . .	कार्यकारी वाणिज्य प्रबन्धक फ्रीजन फूड	60,795
7.	श्री एस० भट्टाचारजी . .	सहायक खरीद प्रबन्धक	54,362
8.	श्री डी० के० बोस . .	वित्त प्रभाग तथा फ्रीजन खाद्य विभाग का प्रधान	1,47,422
9.	श्री के० के० चटर्जी . .	वित्तीय नियंत्रक	72,068
10.	श्री एन० सी० चौधरी .	प्रबन्ध निदेशक	1,94,987
11.	(कुमारी) पी० क्रास्टू .	प्रबन्ध निदेशक की प्रशासनिक सहायक	51,187
12.	श्री बी० एन० दास गुप्ता .	कार्मिक प्रबन्धक	77;302
13.	श्री जे० एम० दत्ता . .	कम्पनी स्टैण्डर्ड प्रबन्धक	1,08,480
14.	श्री एस० ग० देवलालकर .	कार्मिक प्रबन्धक	82,242
15.	श्री एफ० ए० डी• सूजा .	इंजीनियरिंग विकास प्रबन्धक	63,293
16.	श्री ए० के० गांगुली . .	महा प्रबन्धक	1,01,615

1	2	3	4
17.	श्री आर० एन० गांगली	सहायक सचिव	73,973
18.	श्री ओ० पी० गिल	चयन तथा प्रशिक्षण प्रबन्धक	56,453
19.	श्री एन० घोष	कार्यालय प्रबन्धक	70,288
20.	श्री पी० के० घोष	खरीदार प्रबन्धक	78,733
21.	श्री एस० बी० घोष	उत्पादन योजना प्रबन्धक	74,123
22.	श्री ए० के० गुहा	कम्पनी सेवा इंजीनियर	81,915
23.	श्री आर० एन० गुहा	कार्यकारी कारखाना प्रबन्धक	64,809
24.	श्री एस० के० गुहा	आन्तरिक लेखा-परीक्षक	73,514
25.	श्री आर० के० जैन	कार्यालय प्रबन्धक फ्रीजन खाद्य	55,471
26.	श्री आर० जयराम	प्रधान, रिसर्च तथा विकास प्रभाग	1,18,520
27.	श्री के० कक्कड़	परियोजना प्रभाग का विशेष कार्यकारी	1,26,825
28.	श्री पी० खेतान	उत्पाद विकास प्रबन्धक	70,087
29.	श्री पी० सी० खन्ना	निदेशक तथ महा प्रबन्धक	1,94,706
30.	श्री एस० पी० किल्लेकर	समुद्री खाद्य संचालन, फ्रीजन खाद्य का कारखाना प्रबन्धक	89,678
31.	श्री रवि कृष्णा	कारखाना प्रबन्धक (पदनाम)	63,637
32.	श्री के० जी० कृष्णन्	खरीदारी प्रबन्धक	70,899
33.	श्री बी० एम० लाल	कारखाना प्रबन्धक	97,140
34.	श्री आर० के० लाल	बाजार निदेशक, तथा सोया प्रभाग के प्रभारी	1 48;635
35.	श्री एस० एन० मजुमदार	तकनीकी तथा स्टैन्डर्ड प्रबन्धक	58,358
36.	श्री जी० एच० मखीजा	खरीदारी प्रबन्धक	56,916
37.	श्री जे० मुखर्जी	निदेशक तथा महा प्रबन्धक	1,46,998
38.	श्री एम० मुखर्जी	सहायक कारखाना प्रबन्धक	60,651
39.	श्री एस० मुखर्जी	औद्योगिक इंजीनियर	53,683
40.	श्री एम० डी० नाम जोशी	औद्योगिक सम्बन्ध प्रबन्धक	59,224
41.	श्री यू० एस० नटराजन	कार्यालय प्रबन्धक	77,633
42.	श्री एस० एच० फेरवानी	महा प्रबन्धक सोया प्रभाग	1,25,683
43.	श्री प्रेम चन्द सुशील	विक्री प्रबन्धक	77,691
44.	श्री यू० के० ए० आर० राजू	प्रणाली प्रबन्धक	54,862
45.	श्री एस० एन० रामन	कार्मिक प्रबन्धक	67,169
46.	श्री के० रामचन्द्रन्	कारखाना प्रबन्धक	89,474
47.	श्री एम० वी० के० राव	कम्पनी उत्पाद योजना प्रबन्धक	66,949
48.	श्री आर० बी० राव	तकनीकी निदेशक	1,84,778

1	2	3	4
49.	श्री सी० एम० ए० रशीद	स्कीपर	57,919
50.	श्री एस० पी० राय	कार्यालय प्रबन्धक	53,930
51.	श्री ए० जे० सेट	निदेशक परियोजना प्रभाग	1,35,277
52.	श्री पी० एम० एस० आर० के० शर्मा	कार्यालय प्रबन्धक	63,415
53.	श्री ए० के० सेन	निर्यात प्रबन्धक	1,03,153
54.	श्री एन० सी० सेन	कारखाना प्रबन्धक	1,00,774
55.	श्री वी० के० सिंह	बिक्री प्रबन्धक	59,823
56.	श्री आर० सिन्हा	बिक्री प्रबन्धक	87,384
57.	श्री एन० सीतारामन्	कम्पनी सचिव	1,08,738
58.	श्री ए० टी० सोरेस	सहायक बिक्री प्रबन्धक	53,999
59.	श्री ए० एन० सूद	बिक्री प्रबन्धक	84,739
60.	श्री पी० के० टैगोर	ट्रेवलर संचालन प्रबन्धक	75,366
61.	श्री जी० ए० वजीरानी	विकास प्रबन्धक	84,532
62.	श्री आर० के० वैन्कटारामन	बजट नियंत्रक	77,014
63.	श्री एम० वी० वागले	कार्याकारी सहायक कारखाना प्रबन्धक	50,250
64.	श्री जी० पी० वाही	बेकरी में प्रबन्धक	70,513
65.	*श्री एन० एस० नागर	कारखाना प्रबन्धक	1,00,905
66.	*श्री जे० पी० सैगल	कार्मिक तथा प्रशिक्षण प्रभाग के प्रधान	65,999

*ये दो कर्मचारी वर्ष के एक भाग के लिए नियुक्त किए गए थे ।

भारतीय तेल निगम (विपणन विभाग) में कार्य का वर्गीकरण

6004. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम (विपणन विभाग) में वेतन के ग्रेडों के अनुसार कार्य का वर्गीकरण कर दिया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) भारतीय तेल निगम लिमिटेड (वि० वि०) में उन गैर सुपरवाइजरी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो वेतन के ग्रेड के अनुसार अधिकारी हैं ;

(ग) क्या उपर्युक्त वर्ग के कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों विशेषकर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा स्थाई आदेश अधिनियम के अन्तर्गत सुविधाएं प्रदान की जाती है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) भारतीय तेल निगम लि० (वि० वि०) में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो 10 वर्षों से भी अधिक समय से अपने वर्तमान वेतन मान पर रुके हुए हैं ; और

(ङ) उन्हें गतिरोध से राहत दिलाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पक्के तौर पर ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है । फिर भी कर्मचारियों के प्रत्येक ग्रेड के लिए कार्य-विवरण तथा दायित्व निर्धारित किए गए हैं ।

(ख) और सुपरवाइजरी कर्मचारियों को "अधिकारी" नहीं माना जाता ।

(ग) यूनियन संवर्ग कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 तथा स्थाई आदेश नियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत आते हैं ।

(घ) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है । इसके अलावा, इंडियन आयल कारपोरेशन जैसे बड़े संस्थान से ऐसी सारिव्यक सूचना प्राप्त करने में समय लगेगा ।

(ङ) गतिरोध से राहत दिलाने का विषय प्रबन्धकों तथा मान्यता प्राप्त यूनियनों के बीच सुलझाया जाता है । समझौता वार्ता प्रगति पर है ।

गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में विद्युतीकृत गांवों की संख्या

6005. श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में कुल कितने गांव हैं ;

(ख) जिन गांवों में बिजली पहुंच गई है उनकी प्रखंड-वार संख्या कितनी है; और

(ग) जिन गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है उनमें बिजली पहुंचाने के लिए क्या योजना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) छोटा उदयपुर एक जिला नहीं है बल्कि गुजरात राज्य के बड़ोदरा (बड़ौदा) जिले में एक तालुका है । इस तालुका में 279 आबाद गांव हैं जिसमें से 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार 82 गांव विद्युतीकृत हो चुके थे ।

(ग) हिरन बांध परियोजना में जल मग्न हो रहे 50 गांवों को छोड़ कर, शेष सभी गांवों का विद्युतीकरण अगले पांच वर्षों अर्थात् 1980–85 में करने की स्वीकृति तथा कार्यक्रम है ।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

6006. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई भारतीय फिल्मों की कुल संख्या कितनी है और फिल्मों के नाम क्या हैं ; और

(ख) निर्यात किन देशों को किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन में कर्मचारी

6007. डा० ए० यू० आजमी
श्री रशीद मसूद : } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित सरकारी उपक्रमों में सुपरवाइजरी तथा एग्जीक्यूटिव ग्रेड में पृथक-पृथक कुल कितने प्रबन्ध कर्मचारी हैं ;

(एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ;

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ; और

(ख) इन कर्मचारियों में से प्रत्येक ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान में पोंग बांध के विस्थापितों को जमीन का आबंटन रदद किया जाना

6008. श्री नारायण चन्द पराथर : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पोंग बांध के विथापितों को जमीन का आबंटन रद्द करने के बारे में शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि राजस्थान के अधिकारियों द्वारा रद्द करने के ऐसे तरीके और अन्य तरीकों से विस्थापितों को परेशान न किया जाए ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है तथाकिन तारीखों से ऐसे उपायों को अमल में लाया गया है ;

(घ) पोंग बांध के विस्थापितों को कुल कितनी जमीन आबंटित की गई है और कितनी भूमि को पहले ही रद्द करके उनको नोलामी द्वारा बेच दी गई है ; और

(ङ) पहले ही रद्द जमीन विस्थापितों को पुनः देने के लिए क्या कार्यवाहो करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) समस्याओं की जांच करने तथा उनके समाधान को सिफारिश करने के लिए सचिव (सिंचाई) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें विद्युत विभाग के प्रतिनिधि हैं तथा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकारों के सम्बन्धित अधिकारी हैं। समिति की सिफारिशें शीघ्र प्राप्त होने की आशा है इन पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा तथा समुचित कार्रवाई की जाएगी। जहां तक भूमि के आबंटन का सम्बन्ध है, 9169 विस्थापितों को भूमि आवंटित कर दी गई है, जिसमें से 6873 विस्थापितों ने वास्तव में कब्जा ले लिया। 4336 विस्थापितों के आवंटन किस्तों का भुगतान न करने, आवंटन नियमों की शर्तों का उल्लघन करने आदि जैसे कारणों से रद्द कर दिए गए थे। यह समिति इस पहलू पर भी विचार करेगी।

पेट्रोल पम्पों/तरल पेट्रोलियम गैस एजेंसियों के आबंटन के लिये मानदण्ड

6009. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल पम्पों/तरल पेट्रोलियम गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए निर्धारित मानदण्ड प्रक्रिया का वास्तविक आबंटन में कड़ाई से पालन किया जाता है और क्या उन जिलों के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता भी दी जाती है जहां ये पेट्रोल पम्प/एजेंसियां स्थापित किए जाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू तथा कश्मीर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा चण्डीगढ़ संघ क्षेत्रों में उक्त मानदण्ड/प्रक्रिया का उल्लंघन किए जाने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे शिकायतें किस तरह की हैं और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, उर्वरक और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटर शिप के आवंटन के लिए निर्धारित मार्ग सिद्धान्तों का सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। जहां तक स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का सम्बन्ध है नई नीति के अन्तर्गत उम्मीदवारों को सम्बंधित राज्य का निवासी होना चाहिए।

(ख) और (ग) जी, हां। डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटर शिप देने में अनियमितताओं सम्बन्धी कुछ थोड़ी सी शिकायतें प्राप्त हुई थी और उन पर औपचारिक कार्रवाई करने के लिए तुरंत जांच की गई थी।

केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन राजस्थान की बड़ी और मझली सिंचाई योजनायें

6010. **श्री चतुर्भुज :** क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की बड़ी और मझली सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग विचाराधीन है; और यदि हां, तो कितनी ;

(ख) प्रत्येक योजना किस तारीख को राजस्थान सरकार से प्राप्त हुई थी और प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत क्या है तथा केन्द्रीय जल आयोग ने किन कारणों से अभी तक उन पर निर्णय नहीं लिया है ; और

(ग) इन योजनाओं पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा और कार्य कब आरम्भ होगा ।

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) योजना आयोग की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त राजस्थान की नई वृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों की स्थिति दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। कुल 10 स्कीमें में से, 2 स्कीमें तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं परन्तु उन्हें अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना है । शेष 8 स्कीमों में से, 5 स्कीमों के मामले में राज्य को अन्तर्राज्यिक पहलुओं को तय करना है और 3 स्कीमों की आशोधित/संशोधित रिपोर्टें तैयार करनी हैं ।

8 स्कीमों को प्रोसेस करना अन्तर्राज्यिक पहलुओं के तय हो जाने पर और इस बात पर निर्भर करेगा कि आशोधित/संशोधित रिपोर्टें किस समय और किस ढंग से तैयार की जाती है ।

विवरण

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	जांच की स्थिति
1	2	3	4
योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा जिन स्कीमों पर विचार किया गया और स्वीकार्य पाया परन्तु जिनके लिये योजना आयोग के औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा है ।			
मध्यम स्कीमें			
1. विलास सिंचाई परियोजना	275.20	10-8-79	19 मार्च, 1980 को हुई अपनी बैठक में तकनीकी सलाहकार समिति ने स्वीकृति दी। योजना आयोग की औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा है ।
2. सावन भादों सिंचाई परियोजना	418.88	2-4-80	7 जून, 1980 को हुई अपनी बैठक में तकनीकी सलाहकार समिति ने स्वीकृति दी । योजना-आयोग के औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा है ।

वे स्कीमें जिनके बारे में राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राज्यिक पहलुओं को तय किया जाना है।

(क) बृहद

1. लिफ्ट सिंचाई स्कीम चम्बल चरण—एक	1136.00	3-2-79	मध्य प्रदेश के साथ अन्तर्राज्यिक पहलू
2. बूंदी शाखा विस्तार स्कीम चम्बल चरण—एक	1600.00	16-2-79	
3. सिंधमुख सिंचाई स्कीम	2595.15	16-7-79	हरियाणा और पंजाब के
4. नाहर सिंचाई स्कीम	959.34	20-6-79	के साथ अन्तर्राज्यिक पहलू

(ख) मध्यम

1. हिन्डलाट सिंचाई परियोजना	256.82	27-1-79	मध्य प्रदेश के क्षेत्र के जलमग्न हो जाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है ।

वे स्कीमें जिनके बारे में राज्य द्वारा संशोधित /आशोधित रिपोर्टें भेजी जानी हैं।

(क) बृहद स्कीमें

1. गंगा नहर का आधुनिकीकरण	8750.00	13-12-79	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के साथ विचार विमर्श करने के बाद निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संशोधित/ आशोधित रिपोर्टें तैयार करें ।
2. भाखड़ा नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	3405.00	13-12-79	
3. जयसमन्द टैंक का आधुनिकीकरण	1625.00	25-1-80	

राजस्थान नहर का दूसरा चरण

6011. **श्री चतुर्भुज :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के दूसरे चरण पर इस बीच कार्य शुरू हो गया है और यदि हां, तो दूसरे चरण के साथ सरकार ने क्षेत्र विकास परियोजना भारत सरकार को सौंपी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र परियोजना और राजस्थान नहर के दूसरे चरण पर कितना व्यय किया जाएगा ;

(ग) भारत सरकार के प्रयास से विदेशों में उक्त परियोजना के लिए कितना धन उपलब्ध किया गया है ; और

(घ) यह धन कब प्राप्त होगा और किन देशों अथवा संस्थाओं से प्राप्त होगा तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो का निर्माण-कार्य 1972 में हाथ में लिया गया था । राजस्थान सरकार ने इस पर 246 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया है ।

राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो के कमान क्षेत्र विकास के लिए राज्य सरकार ने दो भागों वाली एक योजना बनाई है । कमान क्षेत्र विकास के भाग-एक के लिए राज्य सरकार ने कुल 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 2.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 191 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक परियोजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है । कमान क्षेत्र विकास के भाग-दो से सम्बन्धित परियोजना अभी तक राज्य सरकार ने प्रस्तुत नहीं की है ।

(ग) और (घ) परियोजना के चरण-2 और कमान क्षेत्र विकास के लिए विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अभी तक कोई प्रबंध नहीं हुए हैं ।

संसद की कार्यवाही का आकाशवाणी द्वारा प्रसारण

6012. **श्री रामविलास पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा संसद की कार्यवाही का उतना प्रसारण नहीं किया जा रहा है जितना किया जाना चाहिए और प्रसारणों में महत्वपूर्ण अंशों को शामिल नहीं किया जाता है ;

(ख) क्या समाचारों के प्रसारण में पक्षपातपूर्ण रूख अपनाया जा रहा है ; और

(ग) क्या विपक्ष के नेताओं के भाषणों का प्रसारणों में उचित रूप से समावेश नहीं किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जी, नहीं । आकाशवाणी, संसद की कार्यवाहियों को वास्तविक और निष्पक्ष रूप से कवर कर रहा है। महत्वपूर्ण अंशों को प्रसारणों से नहीं निकाला जाता । विपक्षी नेताओं के भाषण भी उपयक्त रूप में कवर किए जा रहे हैं ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के विकास हेतु सर्वेक्षण

6013. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री के० मालन्ना : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के विकास एवं प्रगति के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कौन-कौन से राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य-क्रम के कार्यान्वयन के मामले ; समयावधि से पीछे चल रहे हैं ; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण के लिए अलग से ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार किए जाते हैं और उनके द्वारा ही कार्यान्वित किए जाते हैं तथा जहां राज्य बिजली बोर्ड नहीं हैं वहां यह कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ग्राम विद्युतीकरण के लिए निधियों की व्यवस्था भी राज्य योजना परिव्यय में की जाती है। राज्यों के सामान्य विकास कार्यक्रम के लिए दी जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त, ग्राम विद्युतीकरण निगम राज्य बिजली बोर्डों आदि को तकनीकी तौर पर व्यवहार्य और वित्तीय तौर पर जीवन पक्ष पाई जाने वाली ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ऋण सहायता भी उपलब्ध कराता है। जुलाई, 1976 में हुए राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से परिप्रेक्ष्य योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनसे यह पता चला है कि 1994-95 तक देश के सभी गांवों का विद्युतीकृत करना संभव हो सकेगा बशर्ते कि इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान 3,360 करोड़ रुपए तक का धनराशि उपलब्ध होती रहे। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति वर्ष कार्यान्वित किए जाने वाले विस्तृत कार्यक्रम पर विचार-विमर्श विद्युत के लिए कार्यकारी द्वारा वार्षिक योजना पर किए जाने वाले विचार-विमर्श के दौरान किया जाता है तथा योजना आयोग द्वारा इन कार्यक्रमों को प्रतिवर्ष अन्तिम रूप दिया जाता है। 30-4-1980 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण तक पम्प सेटों के अर्जन के सम्बन्ध में हुई प्रगति क्रमशः संलग्न विवरण एक और दो में दी गई है।

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांवों तथा अर्जित किए गए पम्पसेटों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के लक्ष्यों और उपलब्धियों की तुलना करने पर यह देखा गया कि कुछ राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं।

(घ) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रहने का मुख्य कारण, एल्युमिनियम, संरचनामक, इस्पात, सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री तथा विद्युत की कमी होना तथा अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं सीमित संगठनामक क्षमताएं, उपभोक्ताओं में इसके प्रति कम रुचि होना आदि हैं।

विवरण–1

आबाद विद्युतीकृत गांव–1971 की जनगणना

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	31-3-80 को विद्युतीकृत गांव	30-4-80 को विद्युतीकृत गांव	30-4-80 के स्थिति के अनुसार विद्युती गांवों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	27,221	16,467(*)	16,593(*)	61.0
2.	असम	21,995	4,226	4,244	19.3
3.	बिहार	67,566	19,715(*)	19,739.(*)	29.2
4.	गुजरात	16,225	10,867.	10,961	60.0
5.	हरियाणा	6,731	6,731	6,731	100.0
6.	हिमाचल प्रदेश	16,916	8,921	8,977	53.1
7.	जम्मू और कश्मीर	6,503	4,552(*)(ख)	4,552.(*) (ख)	70.0
8.	कर्नाटक	26,826	16,266	16,278	60.7
9.	केरल	1,268	1,268	1,268	100.0
10.	मध्य प्रदेश	70,883	22,050	22,050	31.5
11.	महाराष्ट्र,	35,778	25,457	25,616	71.6
12.	मणिपुर	1,949	318(ग)	318(ग)	16.3
13.	मेघालय	4,583	546	546	11.9
14.	नागालैण्ड	960	320	329	34.3
15.	उड़ीसा	46,992	17,231	17,249	36.7
16.	पंजाब	12,188	12,126(+)	12,126(+)	100.0
17.	राजस्थान	33,305	13,842	13,842(घ)	41.6
18.	सिक्किम	215	53(क)	53(क)	24.7
19.	तमिलनाडु	15,735	15,550	15,551	98.8
20.	त्रिपुरा	4,727	766	771	16.3

1	2	3	4	5	5
21.	उत्तर प्रदेश .	1,12,561	38,577	38,692	34.4
22.	पश्चिम बंगाल	38,074	12,863	12,960	34.0
	जोड़ (राज्य)	5,71,251	2,48,712	2,49,756	43.7
	जोड़ : (संघ राज्य क्षेत्र)	4,685	1,396	1,399	29.9
	जोड़ (अखिल भारत)	5,75,936	2,50,108	2,51,155	43.6

(*) आंकड़े अनन्तिम हैं ।
(+) 62 गांव गैर-आबाद घोषित किए गए हैं ।
(क) 30-9-1979 की स्थिति के अनुसार ।
(ख) 31-12-1979 की स्थिति के अनुसार ।
(ग) 31-1-1980 की स्थिति के अनुसार ।
(घ) 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार ।

आबाद विद्युतीकृत गांव—1971 जनगणना

1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह , .	390	89	92	23.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,973	263(घ)	263(घ)	8.8
3.	चण्डीगढ़ .	26	26	26	100.0
4.	दादर और नगर हवेली .	72	52	52	72.2
5.	दिल्ली .	243	243	243	100.0
6.	गोवा दमन और दियु .	409	355	355(घ)	86.8
7.	लक्षद्वीप .	10	9	9 (घ)	90.0
8.	मिजोरम .	229	26	26	11.4
9.	पाण्डिचेरी .	333	333	333	100.0
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र) .	4,685	1,396	1,399	29.9

(घ) 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार ।

अर्जित सिंचाई पम्पसेट/ट्यूब वैल

क्र० सं०	राज्य	ऊर्जित पम्प सेटों की संख्या 31-3-1980 को	30-4-1980 को
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,87,731(*)	3,89,483(*)
2.	असम	1,678	1,787
3.	बिहार	1,51,985	1,52,206
4.	गुजरात	2,02,853	2,04,575
5.	हरियाणा	2,03,367	2,04,967
6.	हिमाचल प्रदेश	1,633	1,636
7.	जम्मू और कश्मीर	967*(क)	967*(ख)
8.	कर्नाटक	2,90,308	2,91,319
9.	केरल	77,863	78,692
10.	मध्य प्रदेश	2,79,431	2,81,789
11.	महाराष्ट्र	5,97,474	6,02,031
12.	मणिपुर	10(ख)	10(ख)
13.	मेघालय	47	47
14.	नागालैण्ड	शुन्य	शून्य
15.	उड़ीसा	12,958	13,055
16.	पंजाब	2,62,267	2,64,624
17.	राजस्थान	1,83,926	1,83,926(ग)
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य
19.	तमिलनाडु	8,87,181	8,90,927
20.	त्रिपुरा	248	248
21.	उत्तर प्रदेश	3,61,750	3,63,559
22.	पश्चिम बंगाल	24,068	24,173
	जोड़ (राज्य)	39,27,745	39,50,031
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	21,311	21,327
	जोड़ (अखिल भारत)	39,49,056	39,71,348

(*) आंकड़े अनन्तिम हैं।

(क) 31-12-1979 की स्थिति के अनुसार।

(ख) 31-1-1980 की स्थिति के अनुसार।

(ग) 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार।

सिचाई पम्पसेट/ट्यूबवैल

क्र० सं०	संघ राज्य क्षेत्र	अर्जित पम्प सेटों की संख्या 31-3-1980 को	30-4-1980 को
1	2	3	4
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
3.	चण्डीगढ़	495	497
4.	दादर और नागर हवेली	221	224
5.	दिल्ली	11,117	11,117(ग)
6.	गोवा, दमन और दियू	1,757	1,757(ग)
7.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
8.	मिजोरम	शून्य	शून्य
9.	पाण्डिचेरी	7,720	7,731
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र	21,311	21,327

(ग)–31-3-1980 की स्थिति के अनुसार ।

तेल वाले संम्भावित क्षेत्र

6014. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हाल ही में किए गये भू-विज्ञान तथा भू-भौतिकीय सर्वेक्षण के अनुसार उन संभावित तेल-युक्त स्थानों के नाम और ब्यौरा क्या है जिनमें प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : हाल ही में उत्तरी बेसिन, दक्षिण बेसिन, दक्षिण ताप्ती तथा पश्चिम तट अपतटीय की बी–38, बी–55 तथा आर–12 संरचनाओं तथा भूमि क्षेत्र में काम्बे बेसिन की सिसोदरा तथा मोटवान भू-संरचनाओं में विशाल प्राकृतिक गैस के भण्डारों का पता चला है ।

महानदी बेसिन के क्षेत्र में ऐरोमैग्नेटिक सर्वेक्षण के लिये आयल इण्डिया लिमि० को आशय पत्र जारी करना ।

6015. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि आयल इंडिया को जो महानदी बेसिन के दूर क्षेत्र के तट पर ऐरोमैग्नेटिक सर्वेक्षण पहले ही कर चुका है, तेल की खोज का कार्य आरम्भ करने के लिए आशय पत्र जारी किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना से संबंधित ब्यौरा क्या है और छिद्रण कार्य (ड्रिलिंग) कब आरम्भ होगा तथा उन जिलों के नाम क्या हैं जहां तेल की खोज का कार्य आरम्भ होना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल : (क) उडीसा सरकार ने आयल इंडिया लि० को महानदी बेसिन के तटवर्ती क्षेत्र में 6,800 वर्ग किलो मीटर में अन्वेषणात्मक कार्य करने की अनुमति दी है। आयल इंडिया लि० को केन्द्रीय सरकार ने भी महानदी बेसिन के समुद्री क्षेत्र में 12,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के लिए अन्वेषणात्मक लाइसेंस दिया है ।

(ख) तटवर्ती क्षेत्र उड़ीसा के पुरी, कटक और बलसोर जिलों में है। आयल इंडिया लि० ने इस क्षेत्र में वायुचुम्बकीय सर्वेक्षण पूरा किया है और 1980-81 और 1981-82 में भूकम्पीय/भूभौतिकीय सर्वेक्षण किये जाने का प्रस्ताव है। इन आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर खुदाई संभावनाओं की जांच की जायेगी। समुद्री क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, महानदी बेसिन है। एरोमैग्नेटिक और भूकम्पीय/भू-भौतिकीय सर्वेक्षण 1978 में पूरे हो गये थे। एक 3–कूप समुद्री अन्वेषणात्मक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है जिसकी 1980-81 तक पूरे होने की आशा है। प्रथम कूप को 2740 मीटर की गहराई तक खोदा गया था और दूसरे कूप को इस समय 610 मीटर नीचे तक खोदा जा रहा है।

सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा शेयरों के लिये जाने का विदेशी दवाई कम्पनियों द्वारा कथित विरोध ।

6016. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी दवाई कम्पनियां नई औषध नीति में किये गये निर्धारण के अनुसार अपने द्वारा छोड़े जा रहे दो-तिहाई शेयरों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा खरीदे जाने के विरुद्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या दवाई उद्योग के प्रतिनिधि 30 जून, 1980 को उनसे मिले थे और प्रतिनिधियों ने उनसे इस शर्त को समाप्त करने और कम्पनियों को जनता को शेयर देने की अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध किया था ?

(ग) उनके द्वारा और क्या मुद्दे उठाये गये थे ;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया है ;

(ड) क्या उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई और ज्ञापन भी दिया गया है ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी जांच कर ली है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भारतीय भेषज उत्पादक संगठन (ओ० पी० पी० आई०) ने एक ज्ञापन के जरिये अन्य बातों के साथ-साथ

यह भी अभ्यावेदन दिया है कि जो विदेशी कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपनी विदेशी पूंजी को कम कर रही हैं उनको अपने दो-तिहाई शेयर सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में छोड़ने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) ओ० पी० पी० आई० के प्रतिनिधि दिनांक 9 जुलाई 1980 को पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री तथा राज्य मंत्री को मिले थे।

(ग) से (च) उक्त ज्ञापन में उल्लिखित और बैठक में उठाये गये अन्य मुद्दे निम्न प्रकार थे:—

(एक) विगत उत्पादन के आधार पर क्षमता का नियमन ;

(दो) प्रतिवर्ष सामान्य विकास के लिये व्यवस्था का अभाव।

(तीन) बल्क औषध उत्पादन और फार्मूलेशन उत्पादन में अनुपात ;

(चार) बल्क औषधों का वर्गीकरण जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वाले हैं अथवा नहीं।

(पांच) दिनांक 27 मई, 1969 की अधिसूचना को वापस लेना और सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करना ;

(छः) केवल औषध उद्योग को दिये जाने वाले लाइसेंसों को समेकित करना ;

(सात) गैर-सम्बद्ध निर्माताओं को बल्क औषधों की सप्लाई के आदेश देना ;

(आठ) उत्पादन निर्यात की कठिनाई ;

(नौ) विदेशी कम्पनियों को ऋण लाइसेंस देना जारी रखना।

(दस) स्थल संबंधी नीति।

(ग्यारह) "नई मदों" की व्याख्या।

(बारह) औषध मूल्य निर्धारण नीति। और

(तेरह) ब्राण्ड नामों को समाप्त करना।

यद्यपि इसमें से कुछ मदों को हाल ही में घोषित की गई औद्योगिक नीति में शामिल किया गया है लेकिन अन्य मदों पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

बंगाल की खाड़ी में तेल और गैस और कृष्णा-गोदावरी में छिद्रण

6017. श्री बी० वी० देसाई :
श्री पी० एम० सईद :
श्री जी० वाई० कृष्णन : } क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी में तेल और गैस के मिलने की अच्छी संभावनाएं होने के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कृष्णा-गोदावरी तट दूर पर दूसरे कुएं का छिद्रण कार्य आरम्भ करने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो कुएं का छिद्रण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ;

(ग) क्या दूसरे कुएं का छिद्रण कार्य पहले वाले कुएं के निकट होगा जहां हाल में बंगाल की खाड़ी में पहली बार तेल निकला था ;

(घ) क्या इस बारे में विदेशी सहायता की आवश्यकता है ;

(ङ) क्या उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार छूटे हुए क्षेत्रों पर बड़े पैमाने में तेल छिद्रण करने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां । दूसरे कुएं पर खुदाई कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है ।

(ख) कुआं 11 जुलाई, 1980 को खोदा गया था ।

(ग) जी, हां । दूसरा कुंआं जिस पर खुदाई कार्य प्रारम्भ किया गया है पहले कुएं से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है ।

(घ) कुएं की खुदाई के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं मांगी गई। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग दूसरे कुए की खुदाई के लिए एक विदेशी रिग का प्रयोग "चार्टर हायर" आधार पर कर रहा है ।

(ङ) जी, हां ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका के साथ छोटी और मझली सिंचाई परियोजनाओं के लिए समझौता

6018. श्री बी० वी० देसाई : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अमरीका ने 30 जून, 1980 को छोटी और मामूली सिंचाई परियोजनाओं के लिये दो समझौते किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी ; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी की जायेंगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी, हां । संयुक्त राज्य अमरीका के साथ 30 जून, 1980 को कुल 35 मिलियन डालर (28 करोड़ रुपए) के दो ऋण-करार किये गये हैं ।

(ख) 20 मिलियन डालर का पहला ऋण लघु सिंचाई संबंधी पात्र क्रियाकलापों के लिए ऋण-संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की पुनर्वित्त-व्यवस्था करने के बारे में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एग्रीकलचर रीफाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन) के कार्यक्रम

की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। 15 मिलियन डालर का दूसरा ऋण-करार राजस्थान में मौजूदा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और नई तथा निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर स्थानीय मुद्रा में आने वाली लागत की वित्त व्यवस्था करने के लिए है।

ये ऋण 40 वर्षों की अवधि में चुकाये जाने हैं, जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है। इन ऋणों पर रियायती अवधि में 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से और उसके बाद 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।

(ग) 20 मिलियन डालर के पहले ऋण के अन्तर्गत राज्यों की वे लघु सिंचाई स्कीमें आएंगी, जिनका अनुमोदन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा किया जाएगा।

15 मिलियन डालर की ऋण-सहायता राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के एक समूह के लिए है। इस सूची में से वे मध्यम सिंचाई परियोजनाएं ऋण-सहायता की पात्र होंगी जो संयुक्त राज्य अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सलाह से तैयार किये गये तकनीकी-आर्थिक मानदंडों पर पूरा उतरेंगी और जिनका अनुमोदन राजस्थान सरकार/केन्द्रीय जल आयोग में इस प्रयोजन से स्थापित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

(घ) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के साथ हुए पहले ऋण-करार के लिए परियोजना-सहायता के पूरा होने की तारीख 30 जून, 1982 है। ऋण की राशि का इस्तेमाल 31-3-83 तक किया जाना है। दूससे करार की परियोजना सहारता के पूरा होने की तारीख 30-6-80 है। 15 मिलियन डालर की ऋण सहायता के अन्तर्गत शामिल परियोजनाओं के उनके शुरू होने की तारीख अथवा करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि में पूरा होने की आशा है। आधुनिकीकरण की परियोजनाओं के पूरा होने की अवधि करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 8 वर्ष तक हो सकती है।

राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशें

6019. **श्री निहाल सिंह :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्याध्यक्ष समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार समिति की सिफारिशों पर कब तक निर्णय कर लेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत पर राज्याध्यक्ष समिति की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, ऐसा समझा जाता है कि समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है और बहुत जल्दी यह रिपोर्ट ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) को प्रस्तुत की जाने वाली है।

(ख) समिति की सिफारिशों पर निर्णय, सरकार को अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात लिया जाएगा।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का प्रशासनिक व्यय

6020. श्री मूल चन्द डागा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में अब तक कितना धन लगाया गया है और इस आयोग का गत तीन वर्षों का प्रशासनिक व्यय तथा इस वर्ष का प्रशासनिक व्यय क्या है; और

(ख) क्या इस आयोग के कार्यकरण का कभी मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में भारत सरकार ने 480.43 करोड़ रुपया निवेश किया हुआ है जिसमें से 337.35 करोड़ रुपया इक्वीटि, तथा 143.08 करोड़ रुपया ऋण के रूप में है।

इसके अतिरिक्त आयोग ने अब तक निम्नलिखित से ऋण प्राप्त किये हैं :—

(एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड जो कि भारत सरकार का सांविधिक निकाय है से 209.47 करोड़ रुपया;

(दो) बैंकों के एक संकाय से भारत सरकार प्रत्याभूत 41.21 करोड़ रुपये का यू० एस० ए० डालर ऋण;

(तीन) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी मैसर्स हाईड्रोकार्बन लिमिटेड से 27.66 करोड़ रुपये का ऋण ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों में चिकित्सा सुविधाओं सहित किया गया प्रशासनिक व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	करोड़ रुपया
1977-78	13.58
1978-79	14.83
1979-80*	16.31

*यह आंकड़े अस्थाई हैं क्योंकि इस वर्ष का लेखा तैयार हो रहा है।
वर्ष 1980-81 में 18 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय के रूप में किये जाने की संभावना है।

(ख) सरकार ने 1971 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के संस्थागत, वित्तीय तथा कार्यकलापों के अध्ययन के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1972 में दी थी। भारत सरकार ने समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार किया था तथा जहां आवश्यक था उचित कार्यवाही की गई है।

सहकारी समितियों को सहायता

6021. श्री मूल चन्द डागा : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उन सहकारी भण्डारों तथा अन्य समितियों के नाम क्या हैं जिन्हें पूर्ति विभाग आर्थिक अनुदान अथवा ऋण देता है और उन्हें ये अनुदान अथवा ऋण किन शर्तों के अधीन दिये जाते हैं तथा उसके लिये क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन किन सहकारी भण्डारों तथा अन्य समितियों को आर्थिक सहायता अथवा ऋण दिया गया है और उनमें से प्रत्येक को कितनी आर्थिक सहायता अथवा ऋण दिया गया और किन आधारों पर दिया गया और क्या उनकी एक सूची सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) ऋण देने के बाद क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) पूर्ति विभाग के नियंत्रणाधीन को भी सहकारी भण्डार या कोई अन्य सोसाइटी नहीं है।

(ख) और (ग) : श्रीमान, प्रश्न ही नहीं उठता।

बी० ए० एन० सी० ओ० को जारी किया गया नोटिस

6022. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० ए० एन० सी० ओ० (एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड) को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसके आधार क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार आयोग विनियम, 1974 के विनियम 5 के अन्तर्गत बी० ए० एन० सी० ओ० (अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड) के विरुद्ध दिनांक 3 जुलाई, 1980 को एक जांच नोटिस निम्नांकित आधारों पर प्रेषित किया गया है :—

(1) कि कम्पनी अपने वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं को अल्युमिनियम उत्पादनों के अपने उत्पाद के संव्यवहार तथा प्रत्यक्ष आपूर्ति के निषेध करने के व्यापारिक व्यवहार में निरत है;

(2) कि कम्पनी दिल्ली में अपने ग्राहकों से दि मै० ओम प्रकाश विजय कुमार हौज काजा, दिल्ली से अपने अल्यूमिनियम उत्पादनों की आवश्यकताओं के लिये, सम्पर्क करने का आग्रह करती है; तथा

(3) कि ऊपर वर्णित व्यापारिक व्यवहार से प्रतियोगिता को रोकना, प्रतिबंधित करना अथवा अवरोधित करना प्रभावी होता है अथवा हो सकता है, जहां तक कि यह प्रतियोगिता पर प्रभाव डालता है, वहां, वे लोग जो कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से माल की आपूर्ति करते हैं, अन्यों, जिन्हें माल इस प्रकार नहीं दिया जाता, से लाभदायक स्थिति में रहेंगे।

झरिया कोयला क्षेत्र का पुनर्गठन

6023. श्री जनार्दन पुजारी: क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सारे झरिया कोयला क्षेत्रों का पुनर्गठन करने के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) जी हां।

केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० ने, पोलैण्ड के सहयोग से, झरिया कोयला क्षेत्र के पुनर्गठन के लिये एक मास्टर प्लान प्रस्तुत किया है।

(ख) झरिया कोयला क्षेत्र में इस समय 121 खानें हैं जो 90 कोलियरी समूहों में विभक्त हैं। रिपोर्ट में इस कोयला क्षेत्र को 21 भूमिगत खनन ब्लाकों तथा 9 ओपेनकास्ट खनन ब्लाकों में विभाजित करने की सिफारिश की गई है। इससे इस क्षेत्र में कोककर कोयले के उत्पादन में बहुत वृद्धि हो जायेगी।

कोयले का निर्यात

6024. श्री ए० के० राय: क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सामान्यतः अन्य देशों को और विशेषकर बंगला देश को कितनी मात्रा में कोयला निर्यात किया गया;

(ख) प्रति टन कोयले के लिये क्या मूल्य लिया गया;

(ग) क्या कोयला निर्यात के क्षेत्र में चीन एक प्रबल प्रतिद्वन्दी के रूप में उभर रहा है;

(घ) क्या इस वर्ष बंगला देश को कोयला सप्लाई करने के वचन का पालन न किये जाने से उसे चीन से कोयले का आयात करने का निर्णय लेना पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके सविस्तार तथ्य क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान निर्यात किये गए कुल कोयले की तथा बंगला देश को निर्यात किये गये कोयले की मात्रा नीचे दी गई है :—

(हजार टन)

वर्ष	कुल	बंगलादेश
1975-76	400	345
1976-77	623	268
1977-78	658	256
1978-79	267	129
1979-80	94	70

(ख) विभिन्न देशों को निर्यात किये गये कोयले के लिये ली गई कीमत समय समय पर अलग अलग रहती है ।

(ग) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कोयले के निर्यात में चीन एक बड़े प्रतियोगी के रूप में सामने आ रहा है।

(घ) और (ङ); चालू वर्ष में बंगलादेश को कोयले के निर्यात में कुछ कमी हुई है। इसका मुख्य कारण बंगलादेश को कोयले की सप्लाई के लिये वैगनों का पर्याप्त संख्या में न मिलना है। आगामी महीनों में इस कमी को पूरा करने के लिये कदम उठाये गये हैं। ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि बंगला देश अब चीन से कोयला मंगाना चाहता है।

बम्बई में फिल्म वित्त निगम के दो सिनेमाघरों का बन्द किया जाना

6025. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्त निगम ने बम्बई में आकाशवाणी और लोटस सिनेमा नामक दो छवि गृहों को चलाया था;

(ख) क्या उपरोक्त छवि गृहों को बन्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार का इन दो छवि गृहों में फिल्मों के प्रदर्शन पर करों से छूट देने और छवि गृहों को अन्य करों से मुक्त रखने के लिये महाराष्ट्र राज्य सरकार से अनुरोध करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) से (ग) : फिल्म वित्त निगम ने बम्बई में आकाशवाणी आडिटोरियम को नवम्बर, 1972

से किराये के आधार पर और लोटस सिनेमा, बम्बई को फरवरी, 1980 से पट्टे पर तीन वर्ष के लिये लिया था। आकाशवाणी आडिटोरियम को सुरक्षा के कारणों से जून, 1975 में बन्द कर दिया गया था और लोटस सिनेमा को गिराने और उसी स्थान के पीछे एक नया थियेटर बनाने के लिये 17-7-1980 से अस्थाई रूप से बन्द कर दिया गया है। नये थियेटर के छः महीने के अन्दर तैयार हो जाने की उम्मीद है और मुकम्मल हो जाने पर यह निगम को मिल जायेगा। आकाशवाणी आडिटोरियम एक आर्ट थियेटर के रूप में भी शीघ्र ही काम करना शुरू कर देगा। आवश्यक अनुमति पहले ही प्राप्त कर ली गई है और जैसा कि लाइसेंसिंग अधिकारियों ने चाहा है, नए संरचनात्मक परिवर्तन किये जा रहे हैं।

(घ) निगम ने महाराष्ट्र सरकार से कला थियेटरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने के लिये अनुरोध किया है। इस मामले में राज्य सरकार का पीछा करने का प्रस्ताव है।

कोसी तटबन्ध परियोजना

6026. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने कोसी तटबन्ध परियोजना की प्रभावशीलता की कटु आलोचना की है;

(ख) क्या योजना आयोग ने सरकार को नई योजनायें सुझाई, हैं; यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त विषय पर नेपाल सरकार के साथ नये सिरे से बातचीत आरम्भ की है?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा किये गये मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि कोसी नदी के दोनों किनारों पर बनाये गये तट बन्धों से कोसी नदी को नियंत्रित करने में और बिहार से सहरसा जिले के 1.6 लाख हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र को बाढ़ों को विभीषिका से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिली है।

यह भी निष्कर्ष निकला है कि तटबंधों के निर्माण से, मत्स्य, उद्योग के विकास, नहर-तट बागान के रूप में सामाजिक वन-रोपण की शुरूआत, ग्रामोद्योगों के विकास, समुन्नत संचार प्रणाली के जाल, लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार और भूमि के मूल्य में वृद्धि जैसे कई अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुए हैं।

लेकिन नदी-तल के लगातार ऊंचे हो जाने से रिसन और जल-निकास अवरोध की समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं, जिससे सुरक्षित क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या और बढ़ गई है। इस अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि ठोस परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को सभी विकास-गतिविधियों को एक साथ हाथ में लेने की आवश्यकता है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि नेपाल में पड़ने वाले ऊपरी वाह-क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भू-संरक्षण उपाय करने के लिये नेपाल की महामहिम सरकार के साथ बातचीत शुरू की जानी चाहिये ताकि नदी में तलछट की बढ़ती हुई मात्रा को कम किया जा सके। नेपाल से भारत की ओर बहने वाली नदियों के जल-संसाधनों के विकास के मामले पर, जिसमें वाह-क्षेत्र में कोसी नदी पर एक ऊंचे बांध के निर्माण और वन-रोपण एवं भू-संरक्षण उपायों के प्रश्न भी शामिल हैं, विभिन्न स्तरों पर समय समय पर बातचीत होती रही है और चल रही है।

शीरा से प्रोटीन का उत्पादन

6028. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम ने शीरा से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान प्रोटीन के उत्पादन के लिये शीरा जैसे पदार्थों पर प्रयोग कर रहा है। बेंच स्केल मॉडल पर उनके प्रयोग आशाजनक हैं। परन्तु प्रक्रिया को व्यापारिक आधार पर चलाये जाने से पहले अभी काफी अध्ययन की आवश्यकता है।

कृमिनाशी तथा कीटनाशी औषधियों की खरीद

6029. **श्री प्रताप भानु शर्मा**: क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डी० जी० एस० एण्ड डी० ने गत दो वर्षों से एन० एम० ई० जी० के लिये कृमिनाशी और कीटनाशी औषधियां नहीं खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) एन० एम० ई० पी० कार्यक्रम के लिये कृमिनाशी और कीटनाशी औषधियां खरीदने के बारे में वर्तमान नीति क्या है?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क) जी, नहीं।

डी० डी० टी०, पैरिस ग्रीन, टैमोफोस, फैंथीऑन, पाइरेथम जैसी कृमिनाशी औषधियां, जो पायसीकरण योग्य लार्वानाशक तेल आदि पर आधारित है, उनकी अधिप्राप्ति की जा रही है। केवल बी० एच० सी० 50% और मैलाथिन 25% की पिछले दो वर्षों से खरीद नहीं की गई है।

(ख) चूंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय मानक संस्थान, केन्द्रीय कृमिनाशक बोर्ड, रसायन और उर्वरक मंत्रालय और निर्माता फर्मों से, बी० एस० सी० 50 मैलाथिन 25 के लिये 24/12 महीनों की शेल्फ लाइफ के प्रश्न के बारे में निर्णय करना था, इसलिये पिछले दो वर्षों से बी० एच० सी०/मैलाथिन की अधिप्राप्ति नहीं की गई है।

(ग) एन० एम० ई० पी० के लिये आवश्यक सभी प्रकार के कृमिनाशकों/कीटनाशकों को अधिप्राप्ति की जा रही ई, और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा बी० एए० सी० 50 मैलाथिन 25 की अधिप्राप्ति का कार्य सरकार से संबंधित विभागों के परामर्श से शैल्फ लाइद्ध के प्रश्न के बारे में अन्तिम निर्णय ले जाने के बाद ही शुरू किया जायेगा।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा सामान की खरीद

6030. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने केन्द्रीय सरकार क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यक सामान के लिये 1979–80 के दौरान कितनी धनराशि से खरीदारी की थी;

(ख) देश की लघु उद्योग यूनिटों से कितने मूल्य का सामान खरीदा गया;

(ग) क्या लघु उद्योग यूनिटों को मूल्य वरीयता (प्राइस प्रिफेरेंस) का लाभ दिया गया था; और

(घ) बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योग यूनिटों को दी गई मूल्य वरीयता की प्रतिशतता क्या है?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) कुल खरीद :—965.66 करोड़ रु०*

स्वदेशी:—925.56 करोड़ रु०*

(ख) 119.09 करोड़ रु०*

(ग) जी, हां।

(घ) 15% तक।

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन में सर्वेक्षकों की पदोन्नति

6031. **श्री रेणुपद दास**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दस वर्षों से गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन में काम कर रहे सर्वेक्षकों को पदोन्नति करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) : गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के तकनीकी अराजपत्रित संवर्गों का विलय 3 नवम्बर, 1978 से केन्द्रीय जल आयोग के समनुरूप संवर्गों में कर दिया गया है। सर्वेक्षकों को केन्द्रीय जल आयोग गैर-अनुसचिवीय पद (समूह ग) भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नत किया जायेगा। इन नियमों के अन्तर्गत पर्यवेक्षक/सुपरवाइजर के ग्रेड के 5 प्रतिशत रिक्त स्थानों को उन सर्वेक्षकों की पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है जिन्होंने अपने ग्रेड में 5 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं हों अथवा उन पर्यवेक्षकों की पदोन्नति द्वारा की जानी अपेक्षित है जिन्होंने ग्रेड में 15 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो और जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो।

रात्रि में सिंचाई कार्यों के लिये बिजली की सप्लाई

6032. श्री जगदीश टाइटलर : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के वर्तमान संसाधनों के बेहतर उपभोग के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सिंचाई कार्यों के लिये केवल रात के समय ही बिजली की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख). सभी राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की गति में तेजी आने से कृषि भार हेतु विद्युत की मांग में वृद्धि हुई है तथा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि जैसे कई राज्यों में कृषि के लिये विद्युत का उपभोग कुल उपभोग के 30% से अधिक है। कृषि के लिये उपभोग सम्बन्धी अंश अधिक हो जाने से विभिन्न राज्य विद्युत प्रणालियों की व्यस्ततम मांग में वृद्धि हुई है। व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिये लगभग सभी राज्यों में विद्युत की कमी है। अतः व्यस्ततम मांग को कम करने के लिये राज्यों ने विभिन्न उपाय किये हैं और उनमें से एक उपाय है ग्रामीण भारों को रोस्टर करना। इसके अनुसार ग्रामीण भारों को दो या तीन समूहों में बांट दिया जाता है तथा एक ग्रुप को एक समय में दिन में 8 से 10 घंटे विद्युत सालाट्ट उपलब्ध कराई जाती है। सबसे बुरे संकटपूर्ण समय में भी कृषि भारों को विद्युत की सप्लाई दिन में सामान्यतः 6 से 8 घंटे दी जाती है तथा कृषि भारों को सप्लाई न देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्र के पास गुजरात राज्य की लम्बित सिंचाई परियोजनायें

6033. श्री नवीन रवाणी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात द्वारा भेजी गई कितनी सिंचाई परियोजनायें केन्द्रीय सरकार स्तर पर विचाराधीन हैं, विशेष योजनाओं का ब्यौरा, प्राक्कलन क्या है, वे कब से विचाराधीन हैं, और मंजूरी देने में कितना समय लगने की संभावना है;

(ख) क्या इनमें से किसी योजना के लिये विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें गुजरात को उन नई वृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा दिया गया है जो केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई हैं और जो योजना आयोग को स्वीकृति के लिये पैंडिंग पड़ी हैं।

तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से परियोजना की व्यवहार्यता सिद्ध होने के बाद ही योजना आयोग द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति देने के बारे में विचार किया जाता है। इस लिये परियोजनाओं की स्वीकृति इन बातों पर निर्भर करती है : परियोजना रिपोर्ट में शामिल ब्यौरा, केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर में राज्यों द्वारा जवाब भेजना और अनिर्णीत बातों पर विचार करने के लिये राज्यों द्वारा अधिकारियों को भेजा जाना तथा जहां आवश्यक हो वहां स्पष्टीकरण देना।

(क) और (ग). जब पैंडिंग स्कीमों का ब्यौरा भी, जिनके लिये विश्व बैंक/यू० एस० ए० आई० डी० से सहायता मांगी जा रही है, विवरण में दिया गया है।

गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना के एक भाग को (जिसमें सरदार सरोवर बांध और वितरण प्रणाली का एक भाग शामिल है) वित्तीय वर्ष 1982 के लिये विश्व बैंक सहायता के लिये परियोजनाओं को पाइपलाइन में शामिल करने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुदानित लागत (लाख रुपए)	लाभ हजार हैक्टेयर	केन्द्रीय आयोग में प्राप्त होने की तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
एक—स्कीमें, जिनकी केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।					
क—वृहद स्कीमें					
*1.	फतेहवाड़ी नहर प्रणाली (अहमदाबाद) का आधुनिकीकरण और सुधार	938.46	38.863	6-3-80	
*2.	दन्तीवाड़ा जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण (बनासकंठा मेहसाना)	2011.95	49.413	6-3-80	
*3.	भादर परियोजना (राजकोट) का आधुनिकीकरण	1000.82	18.069	6-3-80	
*4.	शतुरंजी पालीताना (भावनगर) का आधुनिकीकरण	696.00	34.40	6-3-80	

1	2	3	4	5	6
*5.	खारीकट नहर (अहमदावाद) का आधुनिकीकरण	440.32	12.00	14-5-80	
6.	उकई-ककरापार (सूरत) का आधुनिकीकरण	7125.48	264.713	26-5-80	विश्व बैंक सहायता
7.	सरदार सरोवर (भड़ौच)	3367.00 (करोड़)	1525.70	11-2-80	कुछ टिप्पणियां 5-7-80 को भेजी गई हैं।
दो—मध्यम स्कीमें					
*1.	उबेन (जूनागढ़)	380.89	2.551	11-6-80	
*2.	अजी तीन (राजकोट)	488.85	6.151	11-6-80	
वे स्कीमें, जिन पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया और स्वीकार्य पाई गई और योजना आयोग द्वारा जिनको औपचारिक मंजूरी दी जानी है।					
क—बृहद					
*1.	जनखारी जलाशय (सूरत)	4843.46	8.95	13-10-78	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 11-9-79 को विचार किया गया। वन भूमि को जलमग्न होने से पूरी तरह बचाने अथवा कम से कम भूमि जलमग्न हो, इसके लिये पर्यावरण मूल्यांकन समिति द्वारा सुझाये गये वैकल्पिक स्थल का अन्वेषण।
ख—मध्यम					
1.	हरनव चरण दो (साबरकंठा)	349.36	3.44	30-9-78	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 7-6-80 को विचार किया गया।
*2.	गुहाई (साबरकंठा)	932.82	8.326	16-11-79	—वही—

स्कीमें जिनके लिए विश्व बैंक से सहायता का अनुरोध किया गया है और जिनका वित्तपोषण यू० एस० ए० आई० डी० द्वारा किया गया है।

राष्ट्रीय सिंचाई योजना तैयार करना

6034. श्री के पी० सिंह देव: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक राष्ट्रीय सिंचाई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या है और प्रयेक योजना का प्रस्तावित परिव्यय कितना है; और

(ग) अब तक बेकार जा रहे नदी जल के उपयोग की दृष्टि से वर्तमान योजना डा० के० एल० राव द्वारा बनाई गई योजना से किस प्रकार बेहतर है ।

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय): (क) और (ख) सरकार ने जल संसाधनों के विकास के लिये एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है जिसके अन्तर्गत, जहां संभव हो, वहां विभिन्न नदियों पर इष्टतम जल संचयनों की व्यवस्था करने तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद परस्पर संबधित लिकों का निर्माण करके फालतू जल का उपयोग कमी वाले क्षेत्रों में करने के लिये उस जल के ट्रांसफर करने की परिकल्पना की गई है। राज्यों के साथ परामर्श करके इस परिप्रेक्ष्य से संबंधित ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। वर्तमान कीमतों के आधार पर बनाये गये कच्चे अनुमान के अनुसार इस स्कीम पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है।

(ग) डा० राव के प्रस्ताव में गंगा के 21 मिलियन एकड़ फुट जल को लगभग 1800 फुट की ऊंचाई तक पम्प करके, जिसके लिये 5 से 7 मिलियन किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होगी, 4 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाना परिकल्पित था।

दूसरी तरफ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भूगत जल का अधिक उपयोग करके 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के अलावा, भूतल जल-प्रवाह से 25 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिये लगभग 170 मिलियन एकड़ फुट जल का समुपयोजन परिकल्पित है। जल का ट्रॉस्फर मुख्यत: ग्रेविटी द्वारा तथा केवल बहुत थोड़े भागों में लिफ्ट द्वारा, जो 400 फुट से अधिक न हो, किया जाना है। इस प्रस्ताव में लगभग 40 मिलियन किलोवाट विद्युत का उत्पादन करने की भी परिकल्पना की गई है जिसमें से केवल लगभग 4 मिलियन किलोवाट विद्युत जल लिफ्ट करने के लिए आवश्यक होगी।

तेल खोज में उपग्रह संचार का उपयोग

6035. श्री रघूनन्दन लाल भाटिया: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार तेल की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिये उपग्रह संचार का उपयोग कर रही है: और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं। परन्तु समुद्री क्षेत्र में प्रतिस्थापनाओं के स्थल निर्धारण के लियें तथा तेल अन्वेषण के लिये समुद्री क्षेत्र में भू-भौतिकीय सर्वेक्षण करने वाले जहाजों के स्थल निर्धारित करने के लिये ओ० एन० जी० सी० उपग्रहों का प्रयोग करता है।

(ख) जैसा कि रेडियो नैवीगेशन प्रणाली में उपयोग किया जाता है, तट पर स्थित स्टेशनों की सहायता लिये बिना समुद्री क्षेत्र में स्थल निर्धारण के लिये अमेरिका सरकार ने 1967 में उपग्रह प्रयोग करने की प्रणाली आरम्भ की थी। ओ० एन० जी० सी० ने अन्वेषक नामक सर्वेक्षण जहाज में प्रयोग के लिए इसी प्रकार की एक प्रणाली, जुलाई, 1975 में प्राप्त की थी और तब से लेकर ओ० एन० जी० सी० ने एक और उपग्रह प्रणाली प्राप्त की है और समुद्री क्षेत्र में स्थत निर्धारण के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है ।

संशलिष्ट तेल का उपयोग

6036. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकार के इंजनों में प्राकृतिक तेल की जगह संशलिप्ट तेल को उपयोग में लाया जा सकता है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके उपयोग को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) इस वर्ष जून, 1980 तक तेल तथा गैस का कुल कितना उत्पादन हुआ !

पेट्रोलियम और रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जनवरी–जून, 1980 की अवधि के दौरान तेल और गैस का कुल उत्पादन क्रमश: 4.5 मिलियन मी० टन और 750 मिलियन क्यूनिक मीटर था।

जयपुर में नियमित दूरदर्शन केन्द्र

6037. **श्री राम अवध** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जयपुर में बहुत जल्दी ही नियमित दूरदर्शन सेवा को आरम्भ करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या सरकार स्टेडियों के लिये जमीन आदि की खरीद पहले ही कर चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो जयपुर में स्टेडियों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा और यह केन्द्र स्वतन्त्र रूप से कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) "साइट" उत्तरवर्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर में स्थापित दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र 1-3-1977 से कार्य कर रहा है। जयपुर में प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किया जायेगा।

(ख) स्टूडियो के लिये भूमि खरीदी जा चुकी है।

(ग) स्टूडियो के 1982–83 के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

विदेशी प्रशिक्षण के लिये दूरदर्शन कलाकारों के चयन का मापदण्ड

6038. श्री राम अवध : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु विदेशी प्रशिक्षण के लिये प्रतिनयुक्ति करने/भेजने के लिये दूरदर्शन के कर्मचारी कलाकारों का चयन करने के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या छात्रवृत्ति आदि की सुविधा की जानकारी को परिचालन के द्वारा दूरदर्शन के समस्त कर्मचारी कलाकारों के ध्यान में लाया जाता है जिससे कि उसके लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकें; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यक्रम अनुमान के कितने कर्मचारी कलाकारों तथा नियमित कर्मचारियों को विदेशी प्रशिक्षण दिया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) विदेशों या विदेशी संगठनों द्वारा प्रस्तावित शिक्षावृत्तियों/छात्रवृत्तियों पर विदेशों में प्रशिक्षण, आदि के लिये दूरदर्शन के व्यक्तियों का चयन करते समय निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखा जाता है :—

(1) अध्ययन का विषय, निर्धारित वांछित अर्हताओं के बारे में चुने जाने वाले व्यक्तियों की उपयुक्तता, आयु, आदि;

(2) सम्बन्धित व्यक्तियों की वरीयता, अनुभव और रूझान; और

(3) उन व्यक्तियों को तरजीह दी जाती है जिन्हें पहले विदेशों में नहीं भेजा गया हो।

(ख) जी, नहीं। तथापि, विशिष्ट विषयों में प्रशिक्षण या महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करने के लिये प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव दूरदर्शन केन्द्रों के निदेशकों के ध्यान में लाये जाते हैं जो पात्र, वरिष्ठ और अनुभवी स्टाफ आर्टिस्टों अर्थात् प्रोडयूसरों कैमरामैनों, इत्यादि के नाम और उनका बायो-डाटा दूरदर्शन महानिदेशालय को भेजते है। दूरदर्शन महानिदेशालय चयन करता है और नाम (नामों) को सरकार की स्वीकृति के लिये भेजता है।

(ग) 1-4-1976 से जब दूरदर्शन एक अलग संगठन बना था, 24 स्टाफ आर्टिस्टों और 6 नियमित कार्यक्रमों/सम्पादकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों या विभिन्न कार्यशालाओं में भाग लेने के लिये विदेशों में भेजा गया है।

दिल्ली दूरदर्शन में कलाकारों के लिये पदोन्नति के अवसर

6039. **श्री राम अवध**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन में कलाकार कर्मचारियों की कितनी श्रेणियां हैं;

(ख) उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें सम्पूर्ण सेवा अवधि में केवल एक ही पदोन्नति का अवसर मिल सकता है;

(ग) कितने ऐसे कर्मचारी कलाकार हैं जिन्हें दूरदर्शन में अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि में एक से अधिक पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं ;

(घ) ऐसे कर्मचारी कलाकार कितने हैं जिन्हें अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि में पदोन्नति का एक भी अवसर प्राप्त नहीं हैं; और

(ङ) दूरदर्शन के ऐसे कर्मचारियों जिनके लिये पदोन्नति का कोई अवसर नहीं है, को क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) 41 (चार को छोड़कर जिनके लिये नई भर्ती बन्द कर दी गई है।)

(ख) 10।

(ग) 9।

(घ) 13 (9 उन श्रेणियों को छोड़कर जो वास्तव में कनिष्ठ श्रेणियों से पदोन्नति वाले पद हैं।)

(ङ) सलेक्शन ग्रेड सात श्रेणियों में चालू किये गये हैं और उनको शेष श्रेणियों में भी शीघ्र ही चालू कर दिये जाने की सभावना है ।

दिल्ली विद्युत सप्लाई उपक्रम द्वारा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित

6040. **डा० कृपा सिंह भोई**: क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत सप्लाई उपक्रम में तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमान केवल कुछ चिकित्सा अधिकारियों को ही दिये गये है और शेष कर्मचारियों को इनसे वंचित रखा गया है;

(ख) क्या यह सच है कि चिकित्सा अधिकारियों को श्रेणी के लिये तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित करते समय दिल्ली विद्युत सप्लाई उपक्रम न तो तीसरे वेतन आयोग की ही सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित कर रहा है और न ही दिल्ली नगर निगम के जनरल विंग की वेतनमान पद्धति का अनुसरण कर रहा है; और

(ग) यदि हां तो किसी भी पद्धति का सम्पूर्ण रूप से अनुसरण न किये जाने के क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें जोकि मूलत: केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये थीं, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों पर अपने आप लागू नहीं होती थीं।

मार्च, 1978 में दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति ने चिकित्सा अधिकारियों के पदों समेत 12 श्रेणियों के ऐसे पदों को छोड़कर, जिनके वेतनमान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के ऐसे पदों के समान नहीं पाये गये थे, समूह I तथा II के पदों के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय लिया था। रुपये 450-1000 के ग्रेड के चिकित्सा अधिकारियों के 31 पदों में से 19 पदों को 1100-1600 रु० के वेतनमान में, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पदों के रूप में उन्नत ग्रेड किया जा चुका है। यह वेतनमान तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमान है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के एक पद का ग्रेड बढ़ाकर पहले रु० 800-1500 के वेतनमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद कर दिया गया था। इस पद का ग्रेड बढ़ाकर इसे भी 1100-1800 रु० के वेतनमान का पद कर दिया गया है जोकि विशेषज्ञ ग्रेड-II के पदों पर लिये तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुझाये गये वेतनमान के बराबर है। इस समय रुपये 450-1000 रुपये/- के ग्रेड के चिकित्सा अधिकारियों के शेष पदों के ग्रेडों में संशोधन करने का प्रश्न सभी विचाराधीन है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि ग्रेडों में संशोधन 1-1-1973 से लागू किया जायेगा।

मैथुन बांध के कारण विस्थापित परिवारों को रोजगार दिया जाना

6041. **श्री शिबु सोरन :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैथुन बांध के कारण विस्थापित परिवारों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था; और

(ख) कितने परिवारों को अब तक रोजगार दिया गया है और क्या सरकार का विचार उन्हें भविष्य में भी रोजगार देने का है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। तथापि, दामोदर घाटी निगम ने अपनी इच्छा से, कार्य प्रभारित और मस्टर रोल श्रेणियों में विस्थापित व्यक्तियों को वरीयता दी है।

(ख) अब तक लगभग 550 विस्थापित व्यक्तियों को मैथुन में रोजगार दिया गया है। निगम में अब समूह 'ग' के पदों में 15% रिक्तियां विस्थापित व्यक्तियों के लिये आर आरक्षित हैं।

दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कलकत्ता से बिहार स्थानान्तरित किया जाना

6042. **श्री शिबु सोरन :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मुख्यालय को कलकत्ता से बिहार स्थानान्तरित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मुख्यालय को कलकत्ता से बिहार में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। दामोदर घाटी निगम प्रणाली के प्रचालनात्मक मुख्यालय बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के क्षेत्रों में स्थित हैं। केवल प्रशासनिक मुख्यालय कलकत्ता में है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

धर्मपुरी, तमिलनाडु में कुकिंग गैस सुविधा

6043. **जश्री के० अर्जुनन :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु के पिछड़े हुए जिले धर्मपुरी में अब तक इण्डेन गैस सुविधा नहीं दी गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें यह सुविधा देने का है जो उस क्षेत्र के लोगों के लिये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का तमिलनाडु के धरमपुरी शहर में एक इण्डेन डिस्ट्रीब्यूटरशि देने का प्रस्ताव है।

(ग) उपर्यक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय औषधि निर्माण कम्पनियों को उच्च तकनीकी यूनिट मानना

6044. श्री के० पी० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को सिफारिश की थी कि औषधि बनाने वाली विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उच्च तकनीकी यूनिटों की तरह समझा जाये और उन्हें अधिकांश इक्विटी शेयर रखने की अनुमति दी जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कम्पनियों द्वारा इस समय जो उत्पादन तकनीकी प्रयोग में लाई जा रही है वह वास्तव में उच्च तकनीकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है और उन्हें वे लाभ पाने का हकदार नहीं बनाती है जो भारतीय औषधि निर्माण कम्पनियों को उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या विदेशी कम्पनियां कई वर्षों से अपने लाभ की अधिकाधिक राशि स्वदेश भेज रही है ; और

(घ) भारतीय कम्पनियों को प्रगति में रोड़ा अटकाने वाली इस प्रतिकूल स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित बल्क औषधों की प्रौद्योगिकी की जांच करने वाली उच्च स्तरीय समिति ने 207 बल्क औषधों की प्रक्रिया की जांच की थी जिसमें से 93 बल्क औषधों को उच्च प्रौद्योगिकी निहित पाया गया था।

(ग) वर्ष 1974-75 से 1977-78 के लिये विदेशी औषध कम्पनियों को लाभ लाभांश बाहर भेजे जाने के बारे में दी गई अनुमति का अध्ययन करने में उसमें वृद्धि का रुख पाया गया है।

(घ) औषध नीति में विदेशी क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है अतः भारतीय कम्पनियों के लिये बाधा उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं उठता।

वै-चालन ईंधन का उत्पादन और आयात

6045. श्री के० पी० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वै-चालन ईंधन के आयात के लिये अभी हमें मुख्य रूप से विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है और यदि हां, तो किस हद तक; और

(ख) क्या इस निर्भरता को कम करने और इस वस्तु का उत्पादन देश में ही करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) विमानन के लिये दो प्रकार के ईंधन का मुख्यतः प्रयोग होता है एव गैस तथा विमानन टर्बाइन ईंधन।

केवल ऐवगैस जिसकी मांग 30,000 मी० टन प्रति वर्ष का पूर्ण आयात किया जाता है जबकि विमानन टर्बाइन ईंधन का देश की शोधनशालाओं में ही उत्पादन किया जाता है।

(ख) देश में एकल ग्रेड के एवगैस के उत्पादन का प्रस्ताव एक अन्य मंत्रालय समिति के विचाराधीन है।

नर्मदा सिंचाई योजना से पानी की सप्लाई की मात्रा

6046. श्री छीतू भाई गामित : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा जल आयोग को दिये गये सुझाव के अनुसार नर्मदा सिंचाई योजना से गुजरात राज्य के प्रत्येक जिले को पानी की कितनी-कितनी मात्रा दी जायेगी;

(ख) क्या यह सच है कि नर्मदा न्यायाधिकरण द्वारा की गई मूल सिफारिश की तुलना में विशेष रूप से कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों को पानी की काफी कम मात्रा दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या निर्णय लिया गया है?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में भड़ौंच, वड़ोदरा, पंचमहल, खैड़ा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, बनासकंठा कच्छ, भावनगर, सुरेन्द्र नगर और राजकोट जिलों में 15.06 लाख हेक्टेयर (37.7 लाख एकड़) की वार्षिक सिंचाई करनी प्रस्तावित है। इसमें लाभान्वित होने वाले प्रत्येक जिले में उपयोग में लाई जाने वाली जल की मात्रा नहीं दी गई है।

बहरहाल, गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लाभान्वित होने वाले विभिन्न जिलों में वार्षिक रूप से सिंचित किये जाने वाले क्षेत्र की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। न्यायाधिकरण ने गुजरात को जिला-वार/क्षेत्र-वार जल की मात्रा आवंटित करने की सिफारिश नहीं की है।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

जिले का नाम	वार्षिक सिंचित क्षेत्र (एकड़ में)
1. भड़ौंच	2,39,140
2. बड़ौदा	6,61,158
3. पंचमहल	21,699
4. गांधीनगर	22,349
5. खैड़ा	65,819
6. अहमदाबाद	7,41,828
7. मेहसाना	3,37,858
8. बनासकंठा	5,25,400
9. भावनगर	1,17,860
10. सुरेन्द्र नगर	7,02,177
11. राजकोट	85,680
12. कच्छ	70,357
	37,68,916

पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में मिट्टी के तेल और जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता

6047 **श्री गदाधर साहा:** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में सस्ते मूल्यों पर पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिये मिट्टी का तेल और जीवन रक्षक औषधों को उपलब्ध करवाने सम्बन्धी निर्णय और कार्य की योजना क्या है तथा कोटा निर्धारित करने के सिद्धांत क्या हैं और रिलीज करने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है तथा उस पर परिवहन लागत कितनी आयेगी; और

(ख) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान मिट्टी के तेल के प्रति लिटर मूल्य की दर में कितनी वृद्धि हुई है तथा इस पर कितना अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया गया है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) पेट्रोलियम विभाग राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सभी सम्बन्ध पहलुओं, जिसमें भूतपूर्व खपत प्रक्रियायें शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन करता है। मिट्टी के तेल के

खुदरा वितरण की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है। मिट्टी के तेल के उपभोक्ता मूल्य राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निर्धारित और लागू किये जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को उचित दामों पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है, तेल कम्पनियों के दूरदराज डिपो तक प्रति किलो मीटर (आने-जाने की दूरी) पर प्रति किलोमीटर के लिये 18 पैसे से आगे परिवहन की अतिरिक्त लागत की वित्तीय सहायता दी जाती है।

राज्य में पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर जीवन रक्षक औषधें उपलब्ध कराने के लिये कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। परन्तु औषध नीति में वल्क औषधों और सूत्रयोगों (फार्मूलेशन्स) के मूल्यों को सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था है जिससे कई मामलों में मूल्य में कमी होने की आशा है और इससे उपभोक्ता जिसमें पहाड़ी तथा दूरदराज इलाकों में रहने वाले शामिल हैं, को भी लाभ मिल सकेगा।

(ख) 1978-79 के दौरान, मिट्टी के तेल का मूल्य प्रति लिटर लगभग 9 पैसा बढ़ा था। 17-8-1979 को यह प्रति लिटर करीब 17 पैसे तक बढ़ा, परन्तु बाद में 11-9-1979 को 7 पैसे कम किया गया था। 1980 में मिट्टी के तेल में कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई थी। उत्पाद शुल्क की दरें निम्न प्रकार थीं:—

	रुपये/कि० लिटर	रुपये /कि० लिटर	
	मूल उत्पाद शुल्क	विशेष उत्पाद शुल्क	वृद्धि/हानि
1978-79	383.46	19.17	—
1979-80	493.20	—	(+)90.57
1-3-1979 को			
17-8-1979 को	402.64	—	(−)90.56
11-9-1979 को	333.59	—	(−)69.05
1980-81	333.59	—	—

पूर्वी क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खुदाई

6048. **श्री गदाधर साहा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980–81 में तट पर खुदाई करने और पूर्वी क्षेत्र में लगाये गये रिगों की संख्या में वृद्धि करने का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो रिगों का लक्ष्य क्या है और उसमें कितनी वृद्धि की जायेगी,

(ग) 1980-81 में, राज्यवार, खुदाई के लिये कौन-कौन से अन्वेषी कुयें लिये जाने की योजना है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान, राज्यवार, कितनी पुरानी और नई संरचनाओं में खुदाई आरम्भ और बन्द की गई थी और उसका क्या परिणाम निकला तथा इन्हें बन्द किये जाने के ब्यौरे-वार कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पूर्वी क्षेत्र के तटवर्ती इलाके में खुदाई कार्य जारी है। वर्ष 1980-81 के दौरान इस क्षेत्र में असम में 96.2 हजार मीटर खुदाई तथा 31 कुएं खोदना, पश्चिम बंगाल में 6.3 हजार मीटर खुदाई तथा 2 कुएं खोदना, त्रिपुरा में 7.5 हजार मीटर खुदाई तथा 2 कुएं खोदने का लक्ष्य है। परन्तु 1980-81 में कार्यरत रिगों की संख्या 1979-80 जितनी ही अर्थात 17 ही रहेगी।

(ग) पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 1980-81 के दौरान 13 अन्वेषी कुओं की खुदाई करने की योजना है। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

असम	8
नागालैंड	1
पश्चिम बंगाल	2
त्रिपुरा	2
कुल	13

(घ) पिछले पांच वर्षों 1975-76 से 1979-80 में उन नई तथा पुरानी भू-संरचनाओं, जहां कि खुदाई कार्य किया गया था, का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	नई	पुरानी
असम	11	6*
मेघालय	1	—
पश्चिम बंगाल	4	—
नागालैंड	—	1
त्रिपुरा	1	1
	17	8

*एक भू-संरचना असम में नागालैंड तक फैली हुई है तथा उसे नागालैंड के अन्तर्गत लिखा गया है।

असम राज्य में पिछले 5 वर्षों में उन 11 नई भू-संरचनाओं में से, जहां खुदाई कार्य किया गया था, केवल डिमालगांव नामक एक भू-संरचना में तेल पाया गया था, 4 भू-संरचनायें सूखी पाई गईं तथा अन्य 4 भू-संरचनाओं में खुदाई कार्य जारी है। बाकी दो भू-संरचनाओं में खुदाई अस्थाई तौर पर स्थगित कर दी गई है।

मेघालय में खोदी गई एक भू-संरचना सूखी पाई गई।

पश्चिम बंगाल में बुकुलताला तथा गलसी नामक दोनों भू-संरनायें सूखी पाई तथा डायमंड हार्बर तथा राधा नामक भू-संरचनाओं में परीक्षण कार्य आजकल जारी है।

त्रिपुरा में गोजालिया तथा बारामूरा भू-संरचनाओं में खुदाई कार्य जारी है। बारामुरा भू-संरचना में अब तक 4 कुऐं खोदे जा चुके हैं। इनमें से दो कुओं में गैस होने का पता चला है तथा एक कुएं में परीक्षण कार्य चल रहा है। चौथे कुएं के परवर्ती समतल में विस्तृत जांच कार्य किया जाना है।

हरिका-रोपड़ बांध के प्रबन्ध कार्य को अपने हाथ में लेना

6049. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिका-रोपड़ बांध के प्रबन्ध-कार्य को पंजाब सरकार से अपने हाथ में लेने के क्या उपाय किए गए हैं अथवा किये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण परिणाम रहे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन : (क) और (ख) हरिके और रोपड़ हैडवर्क्स की प्रबन्ध व्यवस्था भाखड़ा–व्यास प्रबन्ध बोर्ड को अन्तरित करने का मामला पंजाब सरकार के साथ उठाया गया है। पंजाब के मुख्य मंत्री ने सूचित किया है कि वे मामले पर विचार-विमर्श करेंगे।

बिजली की अधिकता तथा कमी वाले राज्य और प्रति व्यक्ति खपत

6050. **श्री एम० रामन्ना राय :** क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की अधिकता और कमी वाले राज्यों के नाम क्या-क्या हैं ; और

(ख) बिजली की राज्यवार प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) हिमाचल प्रदेश, केरल तथा मेघालय ऐसे राज्य हैं जिनके पास अधिशेष ऊर्जा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा से आशा की जाती है कि ताप विद्युत केन्द्रों के निष्पादन पर निर्भर करते हुए अगले दो-तीन महीनों की अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी करें। यदि मानसून अच्छा हुआ, तो आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा अधिशेष वाले राज्य हो जाएंगे। अन्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र ऊर्जा की कमी का तथा 24 घंटे के चक्र में अधिकतम मांग को पूरा करने में कमी का सामना कर रहे हैं।

(ख) 1979-80 के दौरान राज्य-वार (संघ राज्य क्षेत्रों सहित) बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत (यूटिलिटीज तथा गैर-यूटिलिटीज)

(यूनिट में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1979-80*
हरियाणा	250.21
हिमाचल प्रदेश	53. 5
जम्मू और कश्मीर	89.95
पंजाब	328.00
राजस्थान	04.45
उत्तर प्रदेश	95.54
चण्डीगढ़	326.17
दिल्ली	383.73
गुजरात	239.96
मध्य प्रदेश	98.85
महाराष्ट्र	223.37
गोवा, दमन और दियु	207.14
दादर और नगर हवेली	46.51
बिहार %	79.09
उड़ीसा	116.30
पश्चिम बंगाल*	112.57
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	49.18
सिक्किम	39.53
आंध्र प्रदेश	95.13
कर्नाटक	153.41
केरल	103.83
तमिलनाडु	181.30
पाण्डिचेरी	224.26
लक्षद्वीप	22.86
असम	34.20
मणिपुर	5.64
मेघालय	29.69
नागालैण्ड	24.01
त्रिपुरा	14.90
अरुणाचल प्रदेश	12.89
मिजोरम	8.95
अखिल भारत	133.50

*मोटा अनुमान।

%दामोदर घाटी निगम द्वारा सप्लाई की गई बिजली सहित।

ईरान को औषधियों के नमूने भेजना

6051. श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लि० ने इस वर्ष भारतीय राज्य व्यापार निगम के जरिए ईरान को औषधियों के नमूने भेजे हैं और उस देश ने इन नमूनों को घटिया मानकर इन्हें नामंजूर कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों के नाम क्या हैं और वे किस रूप में घटिया थे?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मैसर्स इंडियन फार्मास्यूटिकल्स इंक ने स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया की सहयोगी स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (सी० पी० सी०) को जनवरी, 1980 में इन्जेक्सन, कैपस्यूल्स, गोलियां और शर्बत जैसी फार्मूलेटिक औषधों की सप्लाई के लिये आडर दिया। सप्लाई आर्डर को सी० पी० सी० के निर्यात संकाय के सदस्यों, जिनमें अन्य के साथ-साथ हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० (एच० ए० एल०) भी सम्मिलित है, के बीच बांट दिया गया था। मार्च, 1980 में हवाई जहाज के माध्यम से भेजने के लिए माल तैयार था। तथापि माल के लदान से पूर्व सी० पी० सी० तथा उसके सहयोगियों को एक टैलेक्स सूचना प्राप्त हुई कि नमूने के तौर पर सप्लाई किये गये इन्जेक्टेबल्स औषधियां (एच० ए० एल० के जैन्टामाइसिन इंजेक्सनों सहित) गुण-जांच में पास नहीं हुये हैं, अतः माल नहीं भेजा जाना चाहिये। नमूने केवल एच० ए० एल० के ही नहीं थे बल्कि अन्य कम्पनियों के भी थे। सी० पी० सी० से ऐसा मालूम हुआ कि नमूने इस लिये अस्वीकृत किये गये क्योंकि उनमें कोई विशेष मामला निहित था, यद्यपि वे फार्माकोपीयल मानदण्डों के अनुरूप थे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संविधान का कथित अतिक्रमण

6052. प्रो० मधु दण्डवते : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्र विधान सभा का अध्यक्ष चुने बिना आरम्भ करके संविधान के उपबंधों तथा संसदीय परम्पराओं का अतिक्रमण किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो अनुच्छेद 355 के अनुरूप यह सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाये।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़े बांधों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजक

6053. श्री विजय कुमार यादव : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत वर्ष हुए बड़े बांधों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजक कौन थे तथा इस कार्य में लगे इस विभाग के उप-सचिव के पद तथा उससे ऊपर के पदों के प्रत्येक अधिकारी पर किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त सम्मेलन में अधिकारियों द्वारा उपहार/भेंट प्राप्त की गई थी, यदि हां, तो उपहारों/भेंट का वस्तुवार ब्यौरा क्या है तथा वे कितने-कितने मूल्य की थी और किन-किन अधिकारियों ने उन्हें प्राप्त किया ;

(ग) क्या उक्त उपहारों के प्राप्तकर्त्ताओं ने उनके द्वारा प्राप्त की गई भेंट के बारे में सरकार को सूचित किया है अथवा सरकार ने उनका कोई रिकार्ड रखा है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त भेंट प्राप्त करने के लिये अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय वृहद बांध कांग्रेस का सम्मेलन 1979 में नई दिल्ली में हुआ था और इसका आयोजन केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा किया गया था जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और जो अन्तर्राष्ट्रीय वृहद् बांध कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में भी कार्य करता है। केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड के उप-सचिव और उससे ऊपर के स्तर के चार अधिकारी 1-9-1976 से 31-1-1980 तक इस कार्य से सम्बद्ध रहे। सोसाइटी द्वारा इस कार्य के लिए कोई व्यय नहीं किया गया। लेकिन निम्नलिखित चार अधिकारियों के वेतन और भत्तों, मानदेय आदि के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय बृहद् बांध कांग्रेस पर जो व्यय प्रभारित किया गया, वह इस प्रकार है :—

1. श्री सी० बी० जे० वर्मा, सचिव, केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड	10,250 रुपये
2. श्री एस० पी० कौशिश, संयुक्त सचिव . . .	103,929.50 रुपये
3. श्री आर० राजारमण	8,250 रुपये
4. श्री पी० मारूति बाबू	8,250 रुपये

(ख) अधिकारियों को प्राप्त उपहारों का ब्योरा इस प्रकार है :

(1) श्री सी० बी० जे० वर्मा

(क) पोर्सिलेने का एक खिलौना . . .	मूल्य 25 रुपये
(ख) चेन सहित एक टेराकोटा चाबी . .	मूल्य अनुमानत: 50 रुपये

(ग) चाय का एक पैकेट . . . . मूल्य 15 रुपये

(2) श्री एस० पी० कौशिश

शून्य

(3) श्री आर० राजारमण
पोर्सिलन का एक खिलौना— मूल्य 15 रुपये

(4) श्री पी० मारूति बाबू

शून्य

(ग) जी, नहीं, क्योंकि केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राज्य बिजली बोर्डों का गठन और उनको हुई हानि

6054. **श्री हरि नाथ मिश्र**: क्या **ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक बिजली बोर्ड का गठन क्या है ;

(ख) प्रत्येक बोर्ड में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है और गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक को कितना लाभ या हानि हुई है ; और

(ग) क्या इन बोर्डों को चलाने में प्राप्त हुए अनुभव को देखते हुए इन बोर्डों के गठन और चलाने में कोई बड़ा संशोधनात्मक परिवर्तन करने का विचार है ; यदि हां, तो क्या ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राज्य बिजली बोर्डों का गठन विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 के निम्नलिखित उपबंधों के द्वारा शासित होता है :—

"5

(2) बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे।

(4) इन सदस्यों में—

(क) एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसे वाणिज्यिक मामलों और प्रशासन का अनुभव हो तथा इनमें अपनी क्षमता दिखाई हो ;

(ख) एक व्यापक अनुभव वाला विद्युत इंजीनियर होगा ;

(ग) एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको लोक उपयोगी उपक्रम में, अधिमान्यतः बिजली सप्लाई उपक्रम में, लेखा विधि और वित्तीय मामलों का अनुभव हो।

(5) इनमें से एक सदस्य जिसके पास, उपधारा (4) में निर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई अर्हता हो, राज्य सरकार द्वारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

(ग) योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य, श्री वी० जी० राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता में नवम्बर, 1978 में गठित उच्च स्तरीय विद्युत समिति राज्य बिजली बोर्डों के तथा विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में लगे केन्द्रीय संगठनों के कार्यकरण के सभी पहलुओं को जिनमें उनको संगठनात्मक संरचना प्रबन्ध पद्धतियां, आयोजना प्रणालियां, प्रचालन सम्बन्धी कार्यकुशलता, वित्तीय कार्य निष्पादन, टैरिफ संरचना तथा कानून का ढांचा शामिल है; जांच करने तथा उनमें सुधार करने के लिये उपाय सुझाने के कार्य में पहले से कार्यरत हैं। समिति को सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

(1) इक्विटी पूंजी —कुछ नहीं—

(2) बकाया ऋण :—

राज्य बिजली बोर्ड	करोड़ रुपये में
उत्तर प्रदेश	1600
महाराष्ट्र	783
पंजाब	567
मध्य प्रदेश	499
आन्ध्र प्रदेश	459
तमिलनाडु	398
गुजरात	358
हरियाणा	330
बिहार	303
राजस्थान	284
पश्चिम बंगाल	234
केरल	176
उड़ीसा	146
कर्नाटक	116
हिमाचल प्रदेश	70
15 बोर्डों का जोड़	6323

शेष तीन बिजली बोर्डों नामशः असम, मेघालय तथा जम्मू और काश्मीर बिजली बोर्डों के वर्ष 1978–79 के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम में 1978 में किये गये संशोधन से, विनियोजन के लिये उपलब्ध अधिशेष का निर्धारण करने की पद्धति में कुछ परिवर्तन लाये गये हैं। 1978 में किये गये संशोधन से पहले तक सरकारी ऋणों पर ब्याज एक अवशिष्ट प्रभार था। अर्थात् यदि इसको पूरा करने के लिये कोई अधिशेष नहीं था तो इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान रखने की आवश्यकता नहीं थी। 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए पांच वर्षों के लिये राज्य बिजली बोर्डों के लाभ और हानियां:—

(1) सरकारी ऋणों पर ब्याज;

(2) मूल्य ह्रास; और

(3) अन्य राजस्व घाटे, यदि कोई हों,

के लिये प्रावधान करने के बाद चाहे इनकी पूर्ति करने के लिये कोई अधिशेष हो या न हों; नीचे लिखे अनुसार है:—

राज्य बिजली बोर्ड	सरकारी आर्थिक सहायता को लेखे में लेने से पहले		सरकारी आर्थिक सहायता को लेखे में लेने के बाद	
	लाभ करोड़ रु०	हानि करोड़ रु०	लाभ करोड़ रु०	हानि करोड़ रु०
महाराष्ट्र	71	—	82	—
कर्नाटक	35	—	35	—
आन्ध्र प्रदेश	9	—	18	—
राजस्थान	4	—	38	—
हिमाचल प्रदेश	—	18	—	18
केरल	—	22	—	1
गुजरात	—	29	—	29
पश्चिम बंगाल	—	27	—	9
मध्य प्रदेश	—	41	8	—
हरियाणा	—	43	—	43
बिहार	—	40	15	—
तमिलनाडु	—	53	41	—
उड़ीसा	—	62	—	40
पंजाब	—	72	—	41
उत्तर प्रदेश	—	327	—	327
15 बोर्डों का जोड़	—	615	—	271

आकाशवाणी राष्ट्रीय परिषद की स्थापना

6055. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर मंत्रालय समिति ने एक आकाशवाणी राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) किसी अन्तर-मंत्रालय समिति ने इस प्रकार के किसी निकाय के गठन की सिफारिश नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में कीटनाशी दवाइयों का उत्पादन

6056. श्री राम सिंह शाक्य : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में कौन-कौन सी कम्पनियां कीटनाशी दवाइयों का उत्पादन करती हैं। प्रत्येक मामले में उनके वार्षिक उत्पादन का पृथक-पृथक उल्लेख करें; और

(ख) वर्ष 1976, 77, 78 और 1978-79 के दौरान कीटनाशी दवाइयों की काला-बाजारी और अपमिश्रण के यदि कोई मामले सरकार की जानकारी में आये हैं तो कितने और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अभी बिहार में संगठित क्षेत्र में तकनीकी ग्रेड कीटनाशी का उत्पादन करने वाला कोई एकक नहीं है। उत्तर प्रदेश में संगठित क्षेत्र में सिर्फ एक ही एकक है जो मैसर्स कनोरिया कैमिकल्स द्वारा रेणुकूल नामक स्थान पर मिर्जापुर में 1200 टन प्रतिवर्ष बी० एच० सी० टेक्नीकल के उत्पादन के लिये स्थापित किया गया है। 1979-80 में उनसे इस कीटनाशी का वास्तविक उत्पादन 12,329 टन हुआ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

औद्योगिक उत्पादन और बिजली उत्पादन पर कोयले की कमी का प्रभाव

6057. श्री प्रभु नारायण टण्डन : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में औद्योगिक उत्पादन और बिजली उत्पादन पर कोयले की कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है हालांकि उन राज्यों के कोयले के निक्षेप उपलब्ध हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये कोई कदम उठाये हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) मध्य प्रदेश में तथा अन्य राज्यों में, जहां कोयले के भण्डार राज्य में ही स्थित हैं, कोयले की कमी के कारण पिछले छः महीने के दौरान विद्युत के उत्पादन में कोई नुकसान नहीं हुआ है।

तथापि, औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कई कारणों में से एक कारण कोयले की कमी हो सकता है।

(ख) विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये कई उपाय किये गये हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें।

(2) कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है और बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिये उच्चस्तरीय अन्तर-मंत्रालयीय बैठकें भी समय-समय पर की जाती हैं।

(3) ताप बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग मंत्रिमण्डलीय औद्योगिक अवसंरचना समिति द्वारा भी साप्ताहिक आधार पर की जा रही है।

(4) विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग दैनिक आधार पर करने के लिये रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

(5) वर्तमान खानों से उत्पादन बढ़ाया जा रहा है तथा कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये नई खानें चालू की जा रही हैं।

भारत पेट्रोलियम के प्रबन्ध कर्मचारियों को दिये गये सेवा समाप्त करने के नोटिस

6058. **श्री सतीश अग्रवाल**: क्या पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत पेट्रोलियम ने अपने प्रबन्ध कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के नोटिस दिये ह;

(ख) यदि हां, तो सेवा समाप्ति आदेश का कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सेवा समाप्ति आदेश से भारत सरकार के उस आश्वासन का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होता है, जो उसने कर्मचारियों को दिया था कि बर्मा शैल कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने के समय किसी की छंटनी नहीं की जायेगी; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ने सेवा-समाप्ति का नोटिस देने से पूर्व भारत सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली थी और यदि हां, तो सरकार ने किस औचित्य से उपक्रम को उपरोक्त ढंग से कार्य करने दिया?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 589 अधिकारियों को ऐसे बर्खास्तगी आदेश जारी किये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन बर्खास्तगी आदेश जारी करने में सक्षम है तथा यह भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई अभिनवीकरण योजना के अन्तर्गत है। यह उचित समझा गया था कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के उन सभी प्रबन्ध कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों को, जो कि तत्कालीन बर्मा-शैल के सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने के समय कार्यरत थे तथा जो आई० ओ० सी० में लगभग वहीं कार्य कर रहे अधिकारियों से कहीं ज्यादा वेतन पा रहे थे, पुनर्गठित किया जाये तथा उन्हें आई० ओ० सी० के समान लाया जाये।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं जिसके लिये आपकी अनुमति चाहता हूं :

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका ही उल्लेख कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री पी० शिव शंकर के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है कि उन्होंने (विधि मंत्री ने) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रमेश चन्द्र श्रीवास्तव के बारे में 28 जुलाई, 1980 को इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कुछ टिप्पणियां की थीं। स्थापित प्रथा के अनुसार मैंने सर्व प्रथम इस मामले को टिप्पणी के लिये विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री जी के पास भेजा है। उनसे टिप्पणियां प्राप्त होने पर मैं इस मामले पर अपना विनिश्चय दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्था का कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं?

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी, हां। नियम 188 और नियम 353 के अधीन। नियम 188 के अधीन यह निषिध है. . . . . .

अध्यक्ष महोदय : इस समय इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं इस मामले से पहले ही अवगत हूं। मुझे पहले तथ्य मालूम करने दीजिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है नियम 229 के तहत। इसमें यह लिखा हुआ है :

> "जब कोई सदस्य किसी दंड, दोषारोप या किसी दंड अपराध के लिये बन्दी किया जाये या उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया जाए या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाए, तो यथा-स्थिति, सम्पर्क न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी तृतीय अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में, यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्ध के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा"।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री राम विलास पासवान : आप के नियम, प्रोसीजर की जो पुस्तिका है, उसमें तृतीय सूची में यह दिया गया है :

> "मुझे आपको यह सूचना देनी है कि ...(अधिनियम) की धारा... के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि लोक-सभा के सदस्य, श्री ... को..." अमुक जेल में रखा गया है। आपने 25 तारीख को इस सदन में कहा था कि श्रीमती इन्द्रा कुमारी की गिरफ्तारी की गई है और उसमें यह लिखा गया है :

> "श्रीमती इन्द्रा कुमारी, संसद सदस्य को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) को जिला मजिस्ट्रेट के कक्ष में अवैध रूप से रोके रखने और उसे अपना सरकारी कार्य न करने देने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342/दण्ड विधि संसोधन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत अन्य लोगों के साथ आज गिरफ्तार किया गया।"

मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि उसके बाद आज तक सदन को मालूम नहीं है कि संसद् सदस्या गिरफ्तार हो कर कहां चली गईं, कहां हैं और कहां थीं। इससे पहले भी श्री रसीद मसूद के केस में ऐसा हुआ था और श्री रसीद मसूद के संबंध में आपने स्पष्ट रूप में इसी सदन में आश्वासन दिया था, स्पष्ट रूप में आपने निर्णय दिया था लेकिन उसके बाद भी अधिकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भेज दिया है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट। यह बहुत गंभीर मामला है। माननीय सदस्या यहां बैठी हुई हैं और अधिकारी ने गिरफ्तार नहीं किया और उल्टे उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है कि वे एब्सकोंड कर रही हैं। इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है कि 230 सत्याग्रहियों के साथ ये फरार हो गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इनका स्टेटमेंट एलाऊ कर दिया था और इन्होंने जो भेजा है, उस पर एक्शन हो रहा है। I will inform the House.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, एक सीधी सी बात है। आप ने एक्शन के लिये किस को कहा। यह तृतीय सूची में दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको देखा है।

श्री राम विलास पासवान : देखा क्या है। इसके अनुसार जब गिरफ्तार किया गया था, तो जो लिख कर आपके पास आया है, उसमें संलग्न हो कर उसी समय यह आना चाहिए कि वे किस जेल में हैं। 25 तारीख के बाद आज 29 तारीख हो गई है और हम लोगों को इस बात का पता नहीं लग रहा है।

अध्यक्ष जी, देखिये, एक-एक संसद् सदस्य का इस हाउस में सदैव अपमान हो रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह डेलीब्रेटली माननीय सदस्या का अपमान है। मैंने इसके संबंध में प्रिवलेज मोशन दिया है, आप प्रिवलेज मोशन को प्रिवलेज कमेटी के सुपुर्द कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्य प्राप्त हो रहे हैं। मैं देख कर करूंगा। **(व्यवधान)**
कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाये। **(व्यवधान)**।

श्री धनिक लाल मण्डल (झंझारपुर) मैंने एक कार्यगन प्रस्ताव दिया है कि जो कर्नाटक में धारवाड़ से बीजापुर... **(व्वयधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह स्टेट सब्जेक्ट है। दैट इज स्टेट सब्जैक्ट। **(व्यवधान)**

(व्यवधान)*

सभा पटल पर रखे गये पत्र

बलात्संग तथा स्वर्गीय अपराध के बारे में विधि आयोग का 84वां प्रतिवेदन; एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम संबंधी प्रतिवेदन; संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के 1977–78 और 1978–79 के कार्यों एवं उपलब्धियों संबंधी प्रतिवेदन।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) (एक) बलात्संग तथा संवर्गी अपराध मूल विधि, प्रक्रिया तथा साक्ष्य के कुछ प्रश्नों संबंधी विधि आयोग के 84वें प्रतिवेदन (@हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये एल० टी० संख्या 1167/80]

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के 1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 तक की अवधि के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल० टी० सं० 1168/80]

(3) संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यों एवं उपलब्धियों संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखो गई। देखिए एल० टी० सं० 1169/80]

(4) संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यों एवं उपलब्धियों संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल० टी० सं० 1170/80]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटारामन) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना सं० सा० सां० नि० 433 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 17 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा संगत असबाब नियमों के अन्तर्गत यात्रियों द्वारा आयात किये जाने वाले अनुज्ञेय निःशुल्क असबाब से अधिक असबाब पर सीमा-शुल्क की "स्लब" दरें निर्धारित करने के लिये दिनांक 15 जुलाई, 1980 की अधिसूचना सं० सा० सां० वि० नि० 411 (ड.) में कतिपय संशोधन किया गया है।'

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1171/80]

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ किया जाएगा, चिन्ता मत कीजिए। मैंने सुन लिया है। जो कुछ भी किया जाएगा, वह तरीके से किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

@प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 17 जून, 1980 को सभा पटल पर रखा गया।

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: स्पीकर अपनी लैग्ज पर खड़ा हो तो आपको बैठ जाना चाहिए (इटरप्शन) आप बैठ जाइए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां। (कानपुर): इनको नेम कीजिए। पासवान जी को नेम कीजिए।

श्री मलिक एम० एम० खां (एटा): इन्होंने पूरे हाउस की तौहीन की है। इनको नेम कीजिए।

अध्यक्ष महोदय: ये तो कर ही रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं। मैंने इनको देख लिया है, लेकिन आप भी क्या कर रहे हैं? यू शुड विहेव योरसेल्वज। काफी हो गया है। एक दूसरे को आप कहते रहते हैं। जिस तरीके से यह सारा कुछ हो रहा है यह आपकी बाहर शोभा नहीं बढ़ाएगा। आप सब आराम से बैठिए। जब मैं खड़ा हूं तो आपको नहीं उठना चाहिए। यह बहुत गलत प्रथा है जो डाली जा रही है। रोज यह होता है। दोनों तरफ से इस प्रकार से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ने कसम खा रखी है कि इस हाउस को नहीं चलने देंगे। मैं जवाब दे रहा हूं। आप सब बैठें। आप गलत कर रहे हैं। सिट डाउन।

इंटरप्शन

अध्यक्ष महोदय: हरिकेश जी आप अकेले नहीं हैं। दोनों तरफ आंख लगा कर देखें क्या हो रहा है। एक चीज होती है जिससे दूसरी चीज पैदा होती है। एक एक्शन का रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? ऐसा मत करिये। इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे समय जाया होता है। हाउस का समय जाया होता है। वह समय जो डिसकशन होता है उसमें से कटता है। यह अर्थहीन बात है। एक बात कह दी एक बार तो उसके बाद बैठ जाना चाहिए। आपने कह ली एक बार और मैंने सुन ली। एक बार कह ली तो बार-बार कहने से क्या फायदा है? इस तरीके से नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होगा। ऐसे नहीं चलता है। यह अच्छा नहीं है। इस तरीके से करेंगे तो शोभा नहीं बढ़ेगी। आप सब समझदार हैं। मैं आपको क्या समझाऊं?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

श्री राम विलास पासवान: अखबार में निकला है।

अध्यक्ष महोदय: आप लिख कर दीजिए।

श्री राम विलास पासवान: मैं बता तो रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप लिख कर दीजिए। मैं देख लूंगा। जो उचित होगा करूंगा। आप लिख कर दें। प्रमिला जी आप बैठ जाइए। आप क्या कर रही हैं। (व्यवधान)

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रा जी आप बैठ जाइए। श्री चित्त वसु।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्री चित्त वसु।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस दिन माननीय सदस्या को इजाजत दे दी थी। मैं आज इजाजत नहीं दूंगा—श्री चित्त वसु।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे लिख कर दीजिए। काम को चलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। हर बात की एक हद होती है। आप सीमा का उल्लंघन न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्राइसिज के बारे में इतना इम्पार्टेंट मसला आ रहा है उसका इस तरीके से दबाया जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है।—श्री मूल चन्द डागा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय मैं कृषि मंत्री का ध्यान.....

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष मदोदय, पहला नाम श्री चित बसु का है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें कितनी बार बुलाया है। वह नहीं बोलते हैं। तो मैं क्या करूं? श्री डागा बैठ जायें—श्री चित्त बसु।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

धान के वसूली मूल्य के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश

श्री चित बसु (बारसाट) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलिम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

धान की वसूली मूल्य के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश तथा उस पर विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : मई, 1980 में आयोग ने 1980-81 के मौसम के लिये खरीफ के धान्यों की मूल्य—नीति के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की थी कि धान तथा अन्य खरीफ धान्यों का मूल्य 95 रुपये प्रति क्विंटल रखा जा सकता है। कुछ समय बाद जून, 1980 में भारत सरकार ने उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि करने की घोषणा की और ऐसी घोषणा करते समय कृषि-मूल्य आयोग से कहा गया था कि वह मूल्य संबंधी अपनी सिफारिशों पर फिर से विचार करें। ऐसा करना इसलिये जरूरी था कि उर्वरक तथा डीजल आयल के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा करते समय सरकार ने निर्णय लिया था कि कृषकों को उनकी लागत में हुई वृद्धि की पूर्ति की जायेगी। सरकार का विचार था कि अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों में खरीफ 1980-81 के मौसम से ही उचित वृद्धि की जाए। तदनुसार कृषि मूल्य आयोग ने 1980-81 के लिये खरीफ धान्यों की मूल्य नीति के बारे में एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उर्वरक तथा डीजल के मूल्यों में वृद्धि करने से पड़ने वाले प्रभाव तथा किसानों द्वारा खरीफ की विभिन्न फसलों पर इस्तेमाल किये जाने वाले डीजल तथा उर्वरकों की मात्रा तथा मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने धान के लिये 100 रुपये प्रति क्विंटल के अधिप्राप्ति मूल्य की सिफारिश की।

2. खरीफ के अनाजों की मूल्य नीति के संबंध में राज्य सरकारों से विचार विमर्श करने के लिये हमने 27 जुलाई, 1980 को नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कृषि या खाद्य मंत्रियों के साथ मुख्य मंत्रियों द्वारा अथवा खाद्य, नागरिक आपूर्ति, कृषि, राजस्व आदि के मंत्री द्वारा किया गया। अधिकांश मुख्य मंत्रियों और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य मंत्रियों ने विचार व्यक्त किया कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाया गया धान का 100 रु० प्रति क्विंटल अधिप्राप्ति मूल्य अपर्याप्त है। उनमें से कई प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि कुछ वर्षों के बाद हमेशा आने वाली प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसलों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है। इस जोखिम के लिये किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। वास्तविक उत्पादन लागत के अलावा लाभ का उचित मार्जिन देने के लिये सरकार को कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाए गए मूल्य से अधिक अधिप्राप्ति मूल्य निश्चित करना चाहिए। अधिकांशतः 105 रुपये से 140 रुपये प्रति क्विंटल अधिप्राप्ति मूल्य सुझाया गया था।

3. अधिप्राप्ति मूल्यों के बारे में अंतिम निर्णय लेने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली सामान्य प्रक्रिया यह है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशें और राज्य सरकारों व योजना आयोग तथा अन्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को निर्णय हेतु मंत्रिमण्डल के सामने रख दिया जाता है। अब कृषि मंत्रालय खरीफ के अनाजों की मूल्य नीति के संबंध में मंत्रिमण्डल के निर्णय के लिये एक नोट का मसौदा तैयार करेगा।

श्री चित वसु: महोदय, समस्या के कई पहलू हैं। मैं कुछ का उल्लेख करूंगा ताकि माननीय मंत्री जी को स्थिति की गंभीरता का और समस्या का पता चल सके। औद्योगिक वस्तुओं और कृषि वस्तुओं के मूल्यों में न केवल असमानता है वरन् उनमें अन्तर और अधिक होता जा रहा है।

उदाहरण के लिये मैं आंकड़े देता हूं। वर्ष 1975-76 में निर्मित वस्तुओं का मूल्य सूचकांक 171 था जबकि कृषि वस्तुओं के संबंध में यह 150 था और 1976-77 में यह क्रमशः 175 और 157 हो गया। महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि यह खाई न केवल बनी हुई है बल्कि प्रति वर्ष चौड़ी होती जा रही है। एक तो यह मूल्यों में अन्तर का पहलू है और दूसरा पहलू कृषि लागत का है। कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य से कृषि वस्तु उत्पादन लागत का पता नहीं चलता। अपनी बात की पुष्टि में मैं दो तथ्यों अर्थात् कुछ सिफारिशों या निष्कर्षों का उल्लेख करूंगा।

पहली बात यह कि तमिलनाडु में आयोग ने धान की उत्पादन लागत 92 रु० प्रति क्विंटल रखी है जबकि वहां की राज्य सरकार इसे 124 रु० प्रति क्विंटल आंका है। अतः आयोग सही लागत नहीं लगाता। दूसरी बात पटसन की है। आयोग ने पटसन की लागत 145 से 150 रु० प्रति क्विंटल रखी है और 100 रु० समर्थन मूल्य निर्धारित किया है जबकि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने कहा है कि यह लागत 300 रु० प्रति क्विंटल है। अतः लागत निर्धारित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अब खरीद पहलू की ओर आता हूं। छोटे और सीमान्त किसानों के पास भण्डारण की क्षमता नहीं अतः वे बढ़े मूल्यों का लाभ नहीं उठा सकते। इसके विपरीत समृद्ध किसान अनाज जमा रखने की क्षमता के कारण फायदा उठाते हैं और मूल्यों में उतार-चढ़ाव करके बहुत लाभ कमाते हैं। अतः इस संबंध में आनाज की खरीद के एकाधिकार की बात आती है। चूंकि यह ध्यान आकर्षण है, वाद-विवाद नहीं, अतः मैं अधिक विस्तार में न जाकर कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है: क्या सरकार ऐसा उचित मूल्य तंत्र बनायेगी जिससे औद्योगिक तथा कृषि मूल्यों में समता लाई जा सके ?

दूसरे क्या सरकार इस बात का उपाय करेगी कि कृषि उत्पादन की उचित लागत के अनुसार आयोग द्वारा समर्थन मूल्य और खरीद मूल्य निर्धारित किया जाये ताकि जोखिम और प्राकृतिक आपदाओं आदि में भी उचित लाभ मिल सके?

तीसरे क्या सरकार अनाज की खरीद का कार्यक्रम एकाधिकार तौर पर चलायेगी ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करके और राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन योजना लागू की जा सके तथा छोटे और सीमांत किसानों को, जिससे अनाज खरीदा जाता है, उचित समर्थन मूल्य मिल सके?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: महोदय, माननीय सदस्य, श्री चित्त वसु ने चार बातें पूछी हैं जिनका मैं उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि कृषि वस्तुओं के मूल्यों और निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में बराबरी लाई जाए। आपको पता है, इस सरकार के बनने के तुरन्त

वाद और कृषि मूल्य आयोग की कार्य की शर्तों में संशोधन किया गया और सर्वाधिक महत्वा पूर्ण उपाव सरकार ने यह किया कि आयोग को निदेश दिया गया कि कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की स्थिति पर विचार करे ताकि दोनों क्षेत्रों में एक प्रकार की वराबरी लाई जा सके। मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी तक पूर्णतया ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन हमने उसे ध्यान में रखा है और आयोग इस बात पर ध्यान देगा। निःसन्देह सदस्य महोदय ने कुछ आंकड़े दिये हैं लेकिन मैं थोक मूल्य सूचकांक संवंधी आंकड़ों के वारे में सुनिश्चित नहीं। लेकिन यह तथ्य है कि निर्मित वस्तुओं के संवंध में मूल्य सूचकांक में तीव्रता से वृद्धि हुई है। कृषि मूल्य आयोग के कार्यकरण में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि आयोग को अपना अनुसंधान संगठन वनाने की अनुमति दी गई है। इससे पहले तो उसे विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य निकायों या सगठनों पर निर्भर रहना पड़ता था । वे विभिन्न, स्थानों से उपलब्ध जानकारी की समीक्षा कर सकते थे लेकिन अव वे स्वयं इस क्षेत्र में अनुसन्धान कर सकते हैं और अब वे काफी स्वतंत्र हो गये हैं और अब उन्हें अन्य विश्वविद्यालयों तथा निकायों द्वारा दिये गये आंकड़ों और अनुमान के आधार पर उत्पादन लागत पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा ।

उन्होंने तमिलनाडु में उत्पादन लागत 124 या ऐसी ही कुछ राशि वतायी है। मुझे पक्का पता नहीं कि सरकार ने इसे 124 ही माना है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार वहां कोयम्बतूर में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आंकड़े दिये गये थे और कृषि मूल्य आयोग वहां उन्हीं पर निर्भर करता है। राज्य सरकार के अनुमान और आंकलन पर विचार नहीं किया जाता। इस मामले में हम मुख्य मंत्री के माध्यम से राज्य सरकार से परामर्श करते हैं। ऐसा हमने अभी रविवार को ही किया है (**व्यवधान**)। उत्पादन लागत उनके कहने से 130 या 125 से भी अधिक हो सकती है।

श्री चित्त बसु: कृषि मूल्य आयोग इसे 92 मानता है।

श्री वीरेन्द्र सिंहराव: मैं केवल यह बात मानता हूं कि उत्पादन लागत के आकड़े अलग-अलग राज्य और अलग अलग जोन में अलग हैं और हम अलग स्थानों के लिये मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। हमने औसत का अनुमान लगाया है। हमें समन्वय करके समुचे देश के लिए मूल्य निर्धारण करना होता है । जहां तक मेरी जानकारी है आन्ध्र प्रदेश में उत्पादन लागत को औसत लागत मान लिया गया है। वर्ष 1978-79 में आंध्र प्रदेश में धान की लागत 88.36 रु० मानी गई। कई स्थानों पर यह अधिक हो सकती है, और कई स्थानों पर कम भी हो सकती है। जहां उपज अधिक होती है जैसे पंजाव तथा कई अन्य स्थानों पर तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर उपज अधिक होने से यह लागत कम हो सकती है । कृषि मूल्य आयोग द्वारा मूल्य निर्धारण देश भर से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर किया गया था क्योंकि हर पहलू पर विचार किया जाता है ।

एक माननीय सदस्य: पटसन का क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: हम पटसन की वात नहीं कर रहे। उसके वारे में आप अलग सूचना दे सकते हैं। हम धान पर ही चर्चा करें।

कई मुख्य मंत्रियों ने हाल ही में हुए सम्मेलन में एक बड़ी संगत बात उठाई थी कि आयोग द्वारा वैसे तो उत्पादन के सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है लेकिन जोखिम को नहीं आंका जाता। मेरे मित्र श्री चित्त बसु ने भी ऐसा ही कहा है लेकिन मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जोखिम के पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि प्राकृतिक विपदाएं भी आती रहती हैं। हम विचार करके देखेंगे कि इस बारे में क्या किया जा सकता है और आयोग से भी पूछेंगे कि क्या उन्होंने इधर ध्यान दिया है।

अध्यक्ष महोदय: यह बात तो सभी पर लागू होती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: जी हां, आपको तो कृषि के बारे में हम सबसे अधिक जानकारी है। एक ओर तो वह किसानों का हित साधन करना चाहते हैं तो दूसरी ओर वह उनकी बिल्कुल उपेक्षा कर रहे हैं। हमने सारे देश को एक जोन मानने का निश्चय किया है और देश भर में अनाज लाया ले जाया जा सकेगा इससे किसानों को लाभ होगा। खरीद मूल्य तो कृषि मूल्य आयोग की, जो सिफारिश करने वाला निकाय है, सिफारिश पर निर्धारित न्यूनतम मूल्य है। यदि किसान को कहीं अधिक मूल्य मिलता है तो वह उसे बेचने को स्वतंत्र है। वह राज्य से बाहर भी बेच सकता है। यदि खरीदने का एकाधिकार सरकार को मिल गया तो किसान को मजबूरन ही सरकारी एजेंसी को अनाज बेचना पड़ सकता है। इससे उसे हानि होगी। अतः यह सुझाव किसानों के हित में नहीं। यह उपभोक्ताओं के हित में हो सकता है जो श्री चित्त बसु को अधिक प्रिय हो सकता है।

श्री चित्त बसु: आपके अपने विचार हो सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: यह मेरा ही विचार नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार का विचार भी यही है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य मंत्री ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वसूली मूल्य में वृद्धि करने के लिये सहमत नहीं हैं। और यहां, हमारे मित्र किसानों को अधिक मूल्य देने की दलील दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की राय है कि किसान को 100 रुपये से अधिक कुछ नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि अन्य मुख्य मंत्री मूल्य बढाने को कह रहे थे। श्री बसु, यह आपकी सरकार की राय है और आप किसानों की हिमायत कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि किसी स्थान पर तो आप ऐसा करते हैं और वह स्थान यह सभा है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार निर्गम मूल्य में कोई वृद्धि करने को तैयार नहीं ।

श्री चित्त बसु: यह सच है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: फिर हमने निर्गम मूल्य और किसान को अधिक मूल्य देने के मामले में समन्वय स्थापित करना है। हम अपनी खाद्यान्न वितरण प्रणाली में राज सहायता के रूप में भारी राशि खर्च करना जारी नहीं रख सकते। जैसा कि आपको ज्ञात है यह राशि लगभग 600 करोड़ रुपये बैठती है। गेहूं पर राज सहायता लगभग 33 रुपये प्रति क्विंटल

और चावल पर लगभग 26 रुपये प्रति क्विंटल है। कुछ मुख्य मंत्रियों ने इस बात की जोरदार हिमायत की थी कि उपभोक्ता को सरकार से जो राज सहायता मिलती है, उसका कम से कम 50 प्रतिशत किसान को मिलना चाहिए। यह एक राय थी। परन्तु हमें इस बात पर भी विचार करना है कि किसान के लिये अधिक मूल्य की सिफारिश करते हुए, क्या हमें लोक वितरण प्रणाली द्वारा दिये जा रहे निर्गम मूल्य पर राज सहायता कम नहीं कर देनी चाहिए, ताकि सरकार किसान को कुछ अधिक मूल्य देने की स्थिति में हो सके। इस बारे में विचार विमर्श किया जाना चाहिए। आप एक पक्ष को छोड़ कर केवल दूसरे पक्ष की हिमायत नहीं कर सकते और ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार निर्गम मूल्य पर भी खर्च करे और किसान को अधिक राशि देने पर भी। सरकार को दोनों के हितों को देखना होता है। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को देखना होता है तथा किसानों के हितों को संरक्षण देना होता है। इसलिये मैं किसान के किसी उत्पाद की एकाधिकारी वसूली के पक्ष में नहीं हूं। इससे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष जी, यह अवसर कम मिलता है कि आप किसान हैं और हमारे उत्तर देने वाले मंत्री भी किसान हैं और मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आज भी दुनिया में जो किसान हैं, वह कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में जिन्दा रहता है और कर्जे में ही मरता है। 30 साल से हम इनके बारे में बातें करते आ रहे हैं लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि राजा जी ने एक बार कहा था कि यदि हम समूचे देश का जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं, तो यह स्पष्ट है कि हमें समाज के सबसे बड़े वर्ग की ओर ध्यान देना होगा जो कि सबसे निर्धन है अर्थात् जो खेती पर अपना गुजर बसर करता है। हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है। इससे यह स्पष्ट है कि जब तक हम कृषि वस्तुओं का मूल्य नहीं बढाते हम जीवन स्तर में सुधार नहीं कर सकते। 70 प्रतिशत लोगों की क्रय शक्ति बढा कर ही हम जीवन स्तर बढ़ा सकते हैं। 70 प्रतिशत जो काश्त पर निर्भर करता है, 50 प्रतिशत आपको राष्ट्रीय आय देता है और 50 प्रतिशत आपको निर्यात में मदद देता है, उस काश्तकार को आप देते क्या हैं, यह आप सोचिये। मेरे कुछ प्रश्न हैं, जो मैं पूछना चाहता हूं।

पहला प्रश्न मेरा यह है कि यह ए० पी० सी० वाडी क्या है? एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन के अन्दर उन काश्तकारों के रेप्रेजेन्टेटिव कौन हैं? क्या वे हैं जो बरसात से, अकाल से और बाढ से पीड़ित है? उन बातों को ध्यान में रखते हुए और काश्तकारों की हालत को जानते हुए, उसमें काश्तकारों को रेप्रेजेंट करते हैं। कितने सालों से हम बराबर यह प्रश्न उठा रहे हैं...कि आज भी जो चीज हम किसान पैदा करते हैं उनका मूल्य क्या मिलता है और जो चीज बाजार में उनको लेनी पड़ती है उनका मूल्य क्या है। जो लेटेस्ट डेटा मेरे पास है, वह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं।

एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का प्राइस इंडेक्स 199.0 है और नान-एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की प्राइस इंडेक्स 274.0 है।

फूड आर्टिकल्स का 196.6 और फर्टिलाइजर्स का 237.8 है।
फूड ग्रेंस का 203.1 है, इंसेक्टिसाइड्स का 317.6 है।
आयल सीड्स का 213.5 है और केरोसीन का 272.8 है।
फ्रूट्स का 203.6 है और फुटवियर का 253.7 है।
रा कोटन का 163.5 है और यूटेन्सिल का 248.3 है।
रा टोवाकू का 156.7 और एग्रीकल्चरल फोवड़ा का 296.7 है।

हिन्दुस्तान में जो यह पेरिटी है वह इस तरह से काम करती है । गांवों में किसान गरीब हैं। वह आरगेनाइज्ड सेक्टर में नहीं हैं। अभी अभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिये उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा कि 150 रुपये कीमत होनी चाहिए। आपके हरियाणा के मुख्य मंत्री ने कहा कि 115 रुपये होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसे 150 तक बढानी चाहिए। आप अपनी प्राइस को फिक्स करते हैं वह कहां से और कैसे फिक्स करते हैं? आप ग्रामों का विकास करना चाहते हैं लेकिन उनकी हालत खराब हो रही है। उनकी फसल का बीमा नहीं हो रहा है। उस समय आपका यह कहना है कि एग्रीकल्चरल प्राइसिस कमीशन ने जो सोचा है वह ठीक है।

हिन्दुस्तान की 75 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। वह आज दुःखी है, गरीब है। वे लोग बढ नहीं सकते हैं। गांवों के पढ़ने वाले लोग चपड़ासी या क्लर्क तक बन सकते हैं और शहरों में पढ़ने वाले कलेक्टर और कमिश्नर बन सकते हैं। मंत्री जी को इधर भी देखना होगा, उधर भी देखना होगा। 75 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है उधर आप देखना नहीं चाहते, 20 प्रतिशत लोगों की तरफ देखना चाहते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल प्राइसिस कमीशन ने किस आधार पर ये प्राइसिस फिक्स किये हैं? उसका कोई साइंटिफिक आधार है या नही? किसान, उसकी औरत, उसका लड़का, उसकी छोटी लड़की सभी लोग खेत में लगे रहते हैं। वे आठ घंटे नहीं काम करते हैं, वे 12 घंटे काम नहीं करते हैं, वे गरीब भूखे, बरसात में काम करते हैं और दिन-रात काम करते हैं। इस एग्रीकल्चरल प्राइसिस कमीशन का कम्पोजीशन क्या है? इसमें कौन-कौन मेम्बर हैं? क्या उसमें हमारे किसानों के प्रतिनिधि भी हैं? उससे उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए।

किस तरीके से ये कीमतें निर्धारित की जाती हैं, यह आप बताइये ? इन कीमतों को फिक्स करने का आपने क्या वैज्ञानिक तरीका निकाला है? एक तरफ आप कहते हैं कि सपोर्टिंग प्राइस हम देते हैं । दूसरी तरफ आपने घोषणापत्र में लिखा है कि हम किसान को रेम्यूनेरेटिव प्राइस देंगे। सपोर्टिंग प्राइस देते देते हम किसान को जिंदा रखना चाहते हैं, उसे आराम से नहीं रखना चाहते है। आराम जो है वह शहर वालों के लिये है। शहर वाले लोग ही आराम की जिंदगी बितायें। किसान मेहनत करे और केवल जिंदा रहे। क्या यही उसका आधार है? इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन में कितने मेम्बर हैं, उनमें कितने किसानों के प्रतिनिधि हैं? वे किस तरह

से कीमत तय करते हैं? जो बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों ने कीमतें मांगी हैं वे क्या हैं और जो आप 95 रुपये और 100 रुपये कीमत ले करके आये हैं वह किस आधार पर ले कर आये हैं? जब आप हरियाणा में मुख्य मंत्री थे उस समय आपने क्या प्राइस दी थी? इसको आप बता दें। आज भाव बढ़ गये हैं। उनके आधार पर दे दें कीमत तो मैं मान लूंगा कि आज भी आप वही राव वीरेन्द्र सिंह जी हैं और आप में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: माननीय सदस्य ने किसानों के बारे में बहुत वजाहत के साथ उनकी तकलीफों को व्यान किया है और उनके काज की बहुत अच्छी वकालत की है। मैं उनका मशकूर हूं क्योंकि मेरे भी विचार वही हैं जो उनके हैं। और आपके भी विचार किसानों के बारे में वही हैं, इसको सब जानते हैं।

पहला उन्होंने ए० पी० सी० के कम्पोजीशन के बारे में सवाल किया है और जानना चाहा कि उसके कौन कौन मेम्बर है। जो चेयरमन है वह मि० कहलों है जो पंजाब एग्री-कल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना के अन्दर प्रोफेसर थे। वहां से यहां आये हैं। एग्रिकल्चरल के एक्सपर्ट हैं। किसान भी हैं। दूसरे मेम्बर भी किसानों के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं चौ० रणधीर सिंह। वह पहले भी मेम्बर थे। किसान नेता भी हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी का ए० आई० सी० सी० में एक किसान सैल है जिसके वह अध्यक्ष भी हैं। किसानों से उनकी हमदर्दी है और किसान परिवार से भी वह ताल्लुक रखते हैं। एक स्टेटिसटिक्स का मेम्बर होता है। यह इसका कम्पोजीशन है। मैं समझता हूं इसमें किसान ही है। गैर किसान तो इसमें एक भी नजर नहीं आता है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी कोई नहीं है।

डागा जी ने पैरिटी के मुताल्लिक कहा है। उन्होंने बताया है कि प्राइस इंडक्स मुख्त-लिफ चीजों का एग्रीकल्चर के अन्दर कौन कौन सी प्रोड्यूस का कितना है और मन्यूफक्चर्ड चोजों का कितना है। इसमें शक नहीं र कि मन्यूफक्चर्ड चीजों का प्राइस इंडक्स काफी ऊंचा जाता है। इसको मने पहले माना है। शायद उनकी कास्ट प्रांइज भी जब कैलकुलेट की जाती है तो उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं जो खेती वाड़ी के काम में शामिल नहीं होती है। मसलन कोई कम्पनी होती है और वह अपना कास्ट आफ प्रोडक्शन बताती है तो उसके एग्जेक्टिव की तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है, वे लोग बड़े बड़े होटलों में ठहरते है, इधर उधर दौरे भी दुनिया के कर आते हैं, उनका एडवर्टिजमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है और यह सब कास्ट आफ प्रोडक्शन में कलकुलेट हो जाता है। किसान बेचारा ये सब चीजें कहां से लायेगा, किसको तनख्वाह के ऊपर रखेगा? इस वजह से कुछ फर्क हो जाता है। इसलिए पैरिटी हम इसमें पैदा करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा नजरिया सरकार का वही है जो मेम्बर साहिबान चाहते हैं।

कास्ट आफ प्रोडक्शन में किसान की लेवर शुमार होती है या नहीं यह भी उन्होंने पूछा है। वह होती है इसमें उनको शक है। लेकिन यह तो सबसे पहली चीज है। किसान के कितने आदमी मेहनत करते हैं, उसके परिवार के जितने भी आदमी होते हैं वे सारे सामने

रखे जाते हैं, उसका भी जायजा लिया जाता है, बीज, खाद, पानी, बिजली, नहर के रेट्स, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कितना सूद उसको देना पड़ता है, उसका क्या इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब चीजें उस में सुमार होती हैं। इसी के बेसिस पर कास्ट आफ कल्टीवेशन लगाई जाती है। इस वास्ते इसमें उनको कोई शक नहीं होना चाहिये।

माननीय सदस्य ने पूछा है रिकोमेंडेशन क्या क्या थीं चीफ मिनिस्टर्ज की। वैसे तो ये सब अखबारों में आ गई थीं लेकिन अगर माननीय सदस्य सारी डिटेल्ज जानना चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूं स्पीकर साहब आपकी इजाजत से।

श्री मूलचन्द डागा: बताइये।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: आंध्र प्रदेश ने पैडी के लिए 130 रुपये की मांग की है। बिहार ने 105 रुपये, हरियाणा ने 115 रुपये पैडी के लिए और 150 रुपये मोटे अनाज–कोर्स ग्रेन—के लिये, कर्नाटक ने 130 रुपये पैडी के लिए और 125 रुपये मोटे अनाज के लिए, मध्य प्रदेश ने 120 रुपये पैडी के लिए और 117 रुपये कोर्स ग्रेन–मक्की, बाजरा, ज्वार—के लिए, उड़ीसा ने 115 रुपये, पंजाब ने 110 रुपये, राजस्थान ने 105 और 110 रुपये के बीच में, तमिलनाडु ने 130 रुपये और उत्तर प्रदेश ने 140 रुपये की मांग की है। वैस्ट बंगाल ने कहा है कि 100 रुपये से उपर एक पाई भी नहीं देनी चाहिए। केरल ने कहा है कि कुछ इनक्रीज करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि मुनासिब हद तक कुछ इनक्रीज ईशू प्राइस की भी की जा सकती है, ताकि सरकार किसानों को और ज्यादा देने के काबिल हो सके।

एक माननीय सदस्य: हरियाणा की प्राइस को बेस मान कर चलें।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: यह फैसला तो कैबिनेट के हाथ में होता है। मैं अपनी राय कुछ भी जाहिर नहीं कर सकता हूं। जाहिर करने वाले फिनांस मिनिस्टर साहब सामने बैठे हुए हैं। देखना पड़ता है कि थैली में कितनी गुंजाइश है। मैं अपना पर्सनल रिएक्शन नहीं दे सकता हूं। इस मामले में कोई एक इन्डिविजुअल मिनिस्टर अपनी राय जाहिर नहीं कर सकता है। सब चीजों को देख कर गवर्नमेंट का डिसीजन कैबिनेट में होना है। जो माननीय सदस्यों के विचार हैं और चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में जो विचार आये हैं, मैं सिर्फ उन सब को कैबिनेट के सामने पेश करने का जिम्मेदार हूं, और मेरी अपनी जो नाचीज़ सलाह होगी, वह मैं दे सकता हूं।

मेरी जिम्मेदारी तो सब के लिये बराबर है। एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री भी मेरी जिम्मेदारी है—उसमें पैदा करने का काम है। फूड मिनिस्ट्री भी मेरी जिम्मेदारी है—उसमें लोगों को सस्ता खिलाने का काम है। ये दोनों जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं।

तमिलनाडु की तरफ से बाज दफा एक बात कही जाती है। कुछ मेम्बर्स की तरफ से चर्चा चलती है–चीफ मिनिस्टर्ज कांफरेंस में भी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने यह ख्याल जाहिर किया—कि नार्थ में तो गेहूं ज्यादा पैदा होता है और सदर्न स्टेट्स में पैडी ज्यादा पैदा होती है। यह बात बिल्कुल गलत है। मैं साफ करना चाहूंगा कि यह ख्याल कतअन भुला दें कि सिर्फ साउथ पैडी ग्रोइंग है और नार्थ व्हीट-ग्रोइंग है। नार्थ में पैडी साउथ से बहुत ज्यादा

पैदा होती है। जो गेहूं पैदा करने वाली स्टेट्स हैं, उनमें भी पैडी बहुत ज्यादा पैदा होती है। जितनी टोटल पैडी हम हिन्दुस्तान में प्रोक्यूर करते हैं, उसमें नार्दर्न स्टेटस का हिस्सा 75 परसेंट है। गेहूं सारे का सारा इधर से मिलता है। शायद हाउस यह जानने में इन्ट्रेस्टिड होगा कि 58 लाख टन गेहूं की प्रोक्यूरमेंट हुई है, जिसमें से सिर्फ पंजाब ने 42 लाख टन सेंट्रल पूल के लिये दिया है और हरियाणा ने 10 लाख टन दिया है। बहुत सी स्टेट्स ने, जिनसे हमें ज्यादा उम्मीद थी, बहुत कम दिया है, और किसी किसी ने बिल्कुल कुछ नहीं दिया। उत्तर प्रदेश ने 5 लाख टन दिया है—हरियाणा का आधा, जबकि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी स्टेट है कि अगर वहां ठीक तरह से पैदावार हो और मेहनत की जाये और सरकार इस तरफ ध्यान दे, तो पंजाब और हरियाणा दोनों से ज्यादा अकेला उत्तर प्रदेश दे सकता है। उत्तर प्रदेश में इरिगेटिड एरिया, जो खेती के लिये बहुत जरूरी है, सारे हिन्दुस्तान के इरिगेटिड एरिया का 24 फीसदी है—एक-चौथाई एरिया उत्तर प्रदेश में है। बिहार में भी काफी है—पंजाब के बराबर है। तो ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें बहुत हमें उम्मीदें हैं। यहां पैदावार हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे सारे मसले और समस्यायें खत्म हो जायें। तो पैडी और गेहूं के अंदर कोई भेदभाव नहीं है हमारे दिमांग के अंदर और न कभी रखा गया है। जहां गेहूं की पैदावार को हम बढ़ाना चाहते हैं वहां पैडी के मामले में भी पूरा भाव देना चाहते हैं। इसमें भी अब हम ढील नहीं देना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं कुछ मुद्दे उठाऊंगा, जो कि माननीय अध्यक्ष ने 31 मार्च, 1980 को लुधियाना में पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत भाषण करते हुए उठाये थे। उन्होंने कहा था कि मूल्यों के समूचे प्रश्न पर एक अधिक व्यापक नीति के संदर्भ में विचार करना होगा। उन्होंने कहा था कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव को हिसाब में लेना होगा और उत्पादन लागत तथा उर्वरक ट्रैक्टर डीजल, आदि जैसे विभिन्न उपादानों की लागत को हिसाब में रखना होगा। आपने कटाई उपरांत तकनीक संबंधी अनुसंधान का भी उल्लेख किया था। आपदा के समय में आपने फसल बीमा का जोरदार समर्थन किया था। आपने सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही थी, वह यह कही थी कि वसूली मूल्य की समस्या पर बार बार विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसमें अधिक कमोबेशी नहीं की जानी चाहिए तथा हमेशा के लिये यह निर्णय कर दिया जाना चाहिए कि किसान को कितना मुनाफा दिया जाये और व्यापारी को कितना । एक बार यह निश्चित किये जाने के बाद व्यापक मूल्य नीति तैयार करना संभव होगा। यह कुछ समस्यायें हैं जिनकी ओर न केवल मैं सभा का ध्यान दिला रहा हूं, अपितु जिनकी ओर माननीय अध्यक्ष ने राष्ट्र का ध्यान दिलाया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन समस्याओं के बारे में सरकार का क्या रवैया है। मैं चाहता हूं कि इन बातों का विशिष्ट उत्तर दिया जाऐ। समाचार पत्रों से यह ज्ञात होता है कि गत तीन महीनों के दौरान लगभग 11 उर्वरक कारखाने बन्द कर दिये गये। और इससे उत्पादन पर प्रभाव पडा । डीजल के मूल्य बढ गये उर्वरकों के मूल्य बढ गये । इस के परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत भी बढ़ गई। श्री डागा ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा कि इस बारे में कोई फार्मूला बनाने के लिये कृषि मूल्य आयोग अथवा वर्तमान मंत्रिमंडल ने क्या ठोस पग उठाये हैं, जिससे उचित आधार पर वसूली मूल्य निर्धारित किये जा सकें।

जब वसूली मूल्यों में वृद्धि की जाती है तो यह परमावश्यक है कि लाभ नीचे तक सबको मिलना चाहिए। इस बारे में आपको विचार करना होगा। जब आप वसूली मूल्यों में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस वृद्धि का कितना भाग कृषि श्रमिकों को मिले, जो कि खेतों में काम करते हैं। किसानों के दृष्टिकोण से एक और पहलू है जिससे महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकारें संबंधित हैं। इन दो सरकारों ने कुछ क्रांतिकारी निर्णय किये हैं, अर्थात् जहां तक छोटे किसानों और छोटे भूस्वामियों, जिनकी भूमि 5 एकड़ से कम है, उनके ऋण माफ कर दिये गये हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक कुछ अड़चन डाल रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या छोटे किसानों पर लगाई गई ये पाबंदियां समाप्त की जायेंगी क्योंकि केवल वसूली मूल्य बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा कुछ और संबंधित समस्यायें भी हैं जिन्हें हल करना आवश्यक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन समस्याओं किस को प्रकार हल किया जाएगा।

जहां तक किसानों का संबंध है उन्हें तीन प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते हैं। किसानों को मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं जैसे धान आदि के उत्पादन पर ध्यान देने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें इन प्रोत्साहनों के बारे में पहले से ही बताया जाये। इसलिये मंत्रि मण्डल के लिये यह आवश्यक है कि वह बुवाई के मौसम से पर्याप्त समय पहले वसूली मूल्य की घोषणा करे। इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे किसी विशेष वस्तु के उत्पादन पर जोर दे सकेंगे। अन्यथा वे आवश्यक वस्तु के बदले अन्य वस्तु का उत्पादन करेंगे और यह सब देश के हित की कीमत पर होगा।

समाचार पत्रों में छपे समाचारों से यह स्पष्ट है कि संभवतः सभी मुख्य मंत्री इस बात पर एकमत हैं कि विभिन्न राज्यों को अनाजों के लाने ले जाने पर खुली छूट होनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय देश के विभिन्न भागो में अनाजों के लाने ले जाने की खुली छूट देने की नीति का पालन करने के इच्छुक हैं।

दो अन्य बातें और हैं। जहां तक उत्पादन लागत का संबंध है क्योंकि उर्वरक के मूल्य बढ़ गये हैं तथा डीजल का मूल्य भी आसमान छूने लगा है इस कारण अनेकों कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। इसलिये वित्त मंत्री और कृषि मंत्री दोनों मिलकर एक योजना बनायें जिससे कुछ वस्तुओं का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जा सके, और विदेशी मुद्रा का भंडार बनाया जा सके और उस विदेशी मुद्रा का उपयोग उर्वरकों के आयात पर किया जाए। इस समय क्योंकि यह तथ्य है कि हम उवंरकों के संबंध में आत्म निर्भर नहीं हैं, हमें बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात करना पड़ेगा, इसके लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और इसलिये हमें कुछ वस्तुचों के निर्यात पर जोर देना पड़ेगा जिससे विदेशी मुद्रा का भंडार बनाया जा सके और उसका उपयोग किसानों के लिये आवश्यक उर्वरकों का आयात करने पर किया जा सके। यदि यह उर्वरक तथा अन्य उपादान किसानों को पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्य पर मिल सकें तो आपने 1350 लाख टन उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त किया जा सकेगा।

मैं इस प्रश्न को दोहराना नहीं चाहता था परन्तु एक निश्चित उत्तर पाने के लिये मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। यह प्रश्न श्री चित्त वसु और श्री डागा ने भी पूछा था। वह प्रश्न था कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामान के मूल्यों के बीच समानता स्थापित करने का।

प्रो० एन० जी० रंगा : और मजदूरों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों का।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका संबंध उससे नहीं है।

मैं वित्त मंत्री और कृषि मंत्री की इस कठिनाई को समझता हूं कि कृषि उत्पादन और औद्योगिक समान के बीच मूल्यों के बीच समानता बनाना संभव नहीं है। परन्तु क्या आप इन दोनों के बीच उचित संतुलन बनाये रखने के लिये कोई उपाय करेंगे? इसका लाभ एक बड़े समुदाय को मिलेगा क्योंकि उपभोक्ता केवल शहरी क्षेत्रों में ही नहीं हैं वरन किसान और ग्रामीण जनता में भी उपभोक्ता हैं। उन्हें भी कुछ औद्योगिक सामानों की आवश्यकता होती है इसलिये यदि संतुल बनाये रखा जाता है तो इसका लाभ एक बड़े समुदाय को मिलेगा।

मैं अपने प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर पाने की आशा रखता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मधु दंडवते ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। मैं उन सभी का उत्तर दूंगा।

उन्होंने उत्पादन लागत का अनुमान लगाने की पद्धति के बारे में पूछा है। उन्होंने यह भी कहा है कि कृषि उत्पाद जो बाजार में मिलते हैं उनके मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव होता है। इस समय हम खरीफ की फसल के लिये वसूली मूल्य निश्चित करने के काम में लगे हैं। परन्तु इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कृषि उत्पादों के मूल्यों में वर्ष प्रति वर्ष, मास प्रति मास बड़ा उतार-चढ़ाव आया है तथा फार्म सैक्टर के लिये यह अच्छा नहीं है। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इस उतार-चढ़ाव को कम से कम किया जाये और ऐसा दीर्घकालीन नीति को गम्भीरता से अपनाकर ही किया जा सकता है। यही हमारी नीति है और हम इस बात पर चल रहे हैं।

समानता का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह सरकार की नीति है और हमारे मित्र वित्त मंत्री भी इसका पूरी तरह समर्थन करते हैं। वे किसानों के मित्र हैं। और उनकी उदारतापूर्वक दी गई सहायता से ही हम किसानों के लिये कुछ कर सकते हैं। खंड स्तर पर उर्वरकों की सप्लाई के प्रश्न पर भी वे बड़ी उदारता और विनम्रता से राजी हो गये तथा 24 घंटे में ही तत्संबंधी घोषणा कर दी गई। यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा लक्ष्य है। अन्ततः हम आशा करते हैं कि हम इसे उल्लेखनीय सीमा तक प्राप्त कर लेंगे। मैं सभा को यह आश्वासन नहीं दे सकता कि हम इसे पूरी तरह प्राप्त कर लेंगे परन्तु यह हमारी नीति है और उसी का हम पालन कर रहे हैं तथा निश्चय ही हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

कुछ उर्वरक कारखाने बन्द हो गये हैं। हमें भय है कि उर्वरकों के संबंध में हम अपना प्राप्त न कर सकें। देश में 1978-79 और 1979-80 में 24 लाख टन उर्वरक का उत्पादन हुआ। कच्चे माल के न मिलने जैसी कतिपय कमियों के कारण तथा कुछ अन्य बातों के कारण हम इस लक्ष्य से पिछड़ गये।

प्रो० मधु दण्डवते : 11 कारखानें बन्द पड़े हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: मुझे इस संबंध में निश्चित जानकारी नहीं है क्योंकि यह विषय कृषि मंत्रालय का नहीं है, यह पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का विषय है। मैं इसका पता लगाउंगा और माननीय सदस्य को पूरी जानकारी बाद में दूंगा अथवा उन्हें पत्र लिखूंगा।

हम बाहर से कुछ उर्वरक प्राप्त करने में सफल हुए हैं। डी० ए० पी० और पोटाश दोनों का पर्याप्त मात्रा में बाहर से आयात किया गया है। हम 8 लाख टन डी० ए० पी० का सौदा करने में सफल हुए हैं और आशा करते हैं कि वह समय पर ही यहां आ जायेगा। कुछ जहाज आने शुरू हो गये हैं। हम उर्वरक की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। राज्यों की आवश्यकता निर्धारित की जा चुकी है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्हें समय पर आवंटित राशि मिल सके। जो कुछ भी हमारे पास इस समय है वह विभिन्न राज्यों को दे दिया गया है जिससे वे इसे किसानों में वितरित कर सकें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

माननीय सदस्य ने एक सभा में अध्यक्ष द्वारा कही गई बातों का उल्लेख किया है। हम उन सभी बातों पर विचार करते हैं जो हमारे नेता कहते हैं यह सर्वविदित है कि अध्यक्ष महोदय समय समय पर किसानों के हित में बोलते रहते हैं तथा वे उनके कल्याण में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वे भारत कृषक समाज के अध्यक्ष भी हैं।

कृषि उत्पादों से होने वाले लाभ की सीमा निश्चित की जानी चाहिए। कृषि मूल्य आयोग यही करने का प्रयत्न करता है। मूल्यों की सिफारिश करते समय लाभ की सीमा को सामने रखा जाता है। मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। अथवा यह कम या ज्यादा है परन्तु इस सिद्धांत को और इस लक्ष्य को सामने रखा जाता है जबकि मूल्यों की सिफारिश की जाती है तथा मंत्रि मण्डल भी इस बात पर विचार करता है। यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, तो जहां तक मुझे जानकारी है कृषि उत्पाद से होने वाला लाभ 1.5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत के बीच है। हम कम से कम इतना सुनिश्चित करने का प्रयत्न करते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा: आप यह किस प्रकार करते हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह अनुमान हम कुल निवेश तथा भूमि समेत सभी पूंजी के आधार पर लगाते हैं। यदि आप कुल पूंजी को ध्यान में रखें तो यह बहुत कम है।

प्रो० मधु दंडवते ने सुझाव दिया है कि वसूली-मूल्य पहले से घोषित किये जायें। हम ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु मैं इस संबंध में पूर्णतः आश्वस्त नहीं कि मूल्यों की घोषणा पहले करने से अधिक लाभ होगा। कृषि संबंधी परिपाटी को ध्यान में रखना आवश्यक है। निश्चय ही हम कृषि में पैदा की जाने वाली वस्तुओं में फेर बदल चाहते हैं परन्तु वह फेर-बदल हम अपनी आवश्यकता के अनुसार चाहते हैं। हम अनाजों की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम दालों का उत्पादनों भी बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि खाने के तेलों का आयात कम किया जाये। इसलिये हमारा प्रयत्न है कि तिलहनों का उत्पादन भी बढ़ाया

जाए। इस सब को ध्यान में रखते हुए यदि संतुलन किसी विशेष उत्पाद के पक्ष में रहता है और हम बुवाई के मौसम से पहले मूल्यों की घोषणा कर देते हैं तो यह डर रहेगा कि एक भूमि जिस पर कोई फसल उगाई जा रही है उस पर भी कोई अन्य फसल उगाई जायगी और हमारी समची व्यवस्था गड़बड़ा जायेगी। इसलिये, वर्तमान ढांचे में बिना कोई रद्दोबदल किये इसे चालू रहने देना हम चाहते हैं। किसान अपने कार्य से परिचित हैं, उन्हें यह पता है कि उनके लिये क्या लाभदायक है, उन्हें यह भी मालूम है कि किस जलवायु में कौन सा फसल उपयुक्त होता है और इन सारी बातों को नजर रखते हुए वे खेती करते हैं। इसलिये, हम यह नहीं चाहेंगे कि एक विशेष फसल के लिये उपलब्ध प्रोत्साहन मूल्य के कारण दूसरे फसल को हानि उठानी पड़े। लेकिन हमारी निश्चित रूप से हमेशा यह कोशिश रहती है कि वसूली मूल्य बोवाई मौसम से यथासभव पहले घोषित किया जाए क्योंकि किसानों को यह मालूम हो जाये कि उनके फसल की बाजार में कितनी कीमत मिलेगी। सरकार घोषित मूल्य पर फसल खरीदने के लिये वचनवद्ध है और यदि किसान ऐसा चाहते हों तो वे इसके लिए करार कर सकते हैं, इसे बाहर बेच सकते हैं, अपनी नीति तदनुसार बना सकते हैं।

उन्होंने मुझसे आश्वासन मांगा है कि खाद्यान्नों के पूरे देश में आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। अभी तक सरकार का यही निर्णय है। यह हमारी नीति है और इस नीति को कुछ वर्ष पहले पूर्ण विचार करने पर अपनाई गई थी। मैं नहीं समझता कि इस नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना है। और इस पर निर्णय लेते समय मैं निश्चित ही माननीय सदस्य के विचारों को ध्यान में रखूंगा, लेकिन यह वसूली मूल्यों पर मंत्रीमंडल के निर्णय का एक भाग है।

प्रो० मधु दण्डवते: कृषि मजदूर के बारे में क्या है?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: हां, कृषि मजदूरों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते: मेरा प्रश्न यह था कि बेहतर वसूली मूल्य कब दिया जाएगा, उस स्थिति में बेहतर वसूली मूल्य का एक भाग कृषि मजदूरों को भी मिलना चाहिए जिनकी हालत काफी खस्ता है। अन्यथा, जो फायदा होगा वह सिर्फ कृषकों को ही मिलेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: जैसा आपको विदित है कि कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है और उक्त अधिनियम में संशोधन करने की भी बात हो रही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इसका उल्लंघन ही ज्यादा देखा गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: उस संबंध में राज्य सरकार का उत्तरदायित्व अधिक है, लेकिन जो कुछ किया जा सकता है किया जा रहा है। आपको मालूम है कि गन्ना के मामले में भी, अनुमानित आय से यदि कारखाने अधिक आय कमाते हैं तो उक्त आय का 50 प्रतिशत किसानों को मिलता है, और यदि किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा तो स्वाभाविक है कि कृषि मजदूरों की दशा भी सुधरेगी। अतः यह सब एक ही नीति का भाग है।

समाचार मिला है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु किसानों के ऋण को माफ करने पर विचार कर रहे हैं। मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि तथ्य क्या हैं, परन्तु मैंने सुना है कि तमिलनाडु चाहता है कि केन्द्र सरकार को पूरा भार वहन करना चाहिए। मुझे यह नहीं मालूम है कि मेरे मित्र श्री वेंकटरामण यह कहने की स्थिति में हैं कि राज्य ऋण माफ करते जाएं और इसका वहन केन्द्र सरकार करेगी।

महाराष्ट्र भी यही सोच रहा है, परन्तु वे इसे स्वयं करना चाहते हैं, अपने खजाने से। यह दूसरी बात है, परन्तु इसकी विवक्षा मैं नहीं जानता हूं और न ही मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। यह कार्य वित्त मंत्री का है और रिजर्व बैंक को उन्हें परामर्श देना है।

प्रो० मधु दण्डवते: महाराष्ट्र केन्द्र पर बोझ बनने नहीं जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: तब हम देखेंगे कि अन्य विवक्षाएं क्या हैं, लेकिन उस दिन मैं राज्य सभा में पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि किसानों और कृषक मजदूरों के ऋणग्रस्तता के बोझ का उचित मूल्यांकन नहीं हुआ है। मैं सही स्थिति जानना चाहूंगा। इसके लिये मैं राष्ट्रीय सर्वेक्षण करवाना चाहता हूं, और इसके पश्चात् हमें मालूम होगा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान किसानों की आर्थिक हालत सचमुच में सुधरी है, अथवा बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के मन में यह एक भ्रांत धारणा बनी हुई है कि किसान धनी हो गये हैं और उनकी हालत में काफी सुधार हुआ है। हम, विशेषकर लघु किसानों, के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि बड़े किसान बचे हैं, वे कुल संख्या के 1 या 2 प्रतिशत होंगे। अतः, लघु किसानों, जिनकी संख्या विभिन्न राज्यों में 90 से 98 प्रतिशत है, के बारे में जानना चाहता हूं कि वे कितने ऋण से दबे हैं, वसूली, माफी तथा अन्य चीजों के स्थगन के रूप में उन्हें कितना प्राप्त होता है, इस समय कुल बोझ कितना है और इसे कैसे हलका किया जा सकता है।

हम कृषि में अपने निर्यात क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि अभी तक हमारा कार्य इसमें खराब नहीं रहा है। कृषि से निर्यात इस समय तकरीबन 1,100 करोड़ सालाना का है। इसमें चाय और काफी जैसे फसल शामिल नहीं हैं। वह और अधिक होगा। लेकिन 1984-85 तक हम इसे दुगुना करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य 2,300 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का है। और इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने कहा कि चाय और काफी से 700 या 800 करोड़ रुपये का और निर्यात होगा इस तरह, कृषि इस देश की अर्थ-व्यवस्था में अपनी भूमिका निभा रहा है और किसानों की उन्नति के लिये जो कुछ भी किया जा रहा है वह पूरे देश के हित में है। मुझे इसका विश्वास हो गया है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी): वसूली मूल्य के निर्धारण के लिये वैज्ञानिक आधार अथवा वैज्ञानिक सूत्र निकालने संबंधी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाया गया मूल्य 100 रुपये था विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाये गये मूल्य 105 करोड़ रुपये से 140 रुपये के बीच में थे। यह हालत हमारे पास है। अतः मैं सरकार से अवश्य मांग करूंगा कि धान और अन्य कृषि उत्पादों के वसूली मूल्य के निर्धारण के लिये

कोई वैज्ञानिक सूत्र निकालें। हमें माननीय मंत्री महोदय द्वारा बतलाया गया कि धान के वसूली मूल्य निर्धारित करते समय सभी उपादान मदों और उनके मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है।

परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आया है कि यदि कृषि मूल्य आयोग वास्तव में कृषि कार्य में उपयोग होने वाले उन सभी उपादानों के मूल्यों को ध्यान में रखता है तो यह कैसे हुआ कि आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में यथास्थिति बनाये रखने की सिफारिश की, पहले वसूली मूल्य 95 रुपये था और इस वर्ष भी कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की कि वसूली मूल्य वही बने रहने देना चाहिए। क्या खेती के लागत मूल्य में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं हुई है? सचमुच, मुझे सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना है। उर्वरकों और डीजल तेलों के मूल्य में वृद्धि हुई है तब सरकार ने कृषि मूल्य आयोग से कहा कि मूल्य पर पुनर्विचार करे, तब आयोग ने 100 रुपये का सुझाव दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप यह पता लगायें कि कृषि मूल्य आयोग के सदस्य चावल-भोगी हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला: अन्यथा, उन्हें प्रतिनिधित्व देना चाहिए। हम दोनों गहूं की अपेक्षा चावल अधिक पसन्द करते हैं।

मैं कह रहा था कि जिस आधार पर कृषि मूल्य आयोग उत्पादन लागत की गणना करता है उसे भी चुनौती दी गई है। यहां मंत्री महोदय ने हमें बतलाया है कि कृषि मूल्य आयोग को विश्वास में लिया गया है और विश्वविद्यालय से आंकड़े मांगे गये हैं। तमिलनाडु का उदाहरण लें। हमें बताया गया है कि वहां कतिपय विश्वविद्यालय अथवा संस्था को अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा गया है। परन्तु तमिलनाडु सरकार आरोप लगाती है कि कृषि मूल्य आयोग के अनुमान प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित हैं। मैं समझता हूं कि तमिलनाडु का अगला आरोप यह है कि ये अनुमान 10 लाख फार्मों में से मुश्किल से 10 फार्मों, जो 25 लाख हेक्टेयर भूमि में से सिर्फ 500 हेक्टेयर भूमि का है, के प्रतिदर्शी सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इसलिये मुझे सरकार से पूछना पड़ रहा है कि यह पूरा मैकेनिज्म जिसके आधार पर कृषि मूल्य आयोग धान का वसूली मूल्य निर्धारित करता है, कैसे काम करता है, और यह कैसे हुआ कि यद्यपि उत्पादन लागत बढ़ रहा है, परन्तु कृषि मूल्य आयोग ने धान के वसूली मूल्य यथावत् बनाये रखने की सिफारिश की, हालांकि सरकार के इस बात पर ध्यान देने के फलस्वरूप कि डीजल और उर्वरकों के मूल्य बढ़ गये हैं उसने संशोधित दर की सिफारिश की। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सदन को इस बारे में विश्वास में ले कि वैज्ञानिक आधार पर मूल्य निर्धारित करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि फिलहाल ऐसा नहीं है। परन्तु कुछ कोशिश करनी होगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने वालों में मैं चौथा व्यक्ति हूं और वही प्रश्न पूछ रहा हूं। अभी तक कोई उपयुक्त उत्तर नहीं दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि जो पांचवें व्यक्ति बोलने के लिये खड़े होंगे वे वैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक फार्मूला संबंधी प्रश्न नहीं पूछेंगे।

जहां तक निर्गम मूल्य का प्रश्न है, यदि वसूली मूल्य बढ़ाया गया तो निर्गम मूल्य को भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं इस तथ्य की ओर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि निर्णय मूल्य बढ़ाने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मैं इस तथ्य की ओर भी सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि निर्गम मूल्य बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो माल इस समय सप्लाई किया जा रहा है वह पुराने भंडार से है। धान के मामले में भंडारीकृत स्टाक गेहूं के स्टाक से ज्यादा है। अतः, यदि वर्तमान निर्गम पहले से भंडार किये गये स्टाक से किया जाए तो उस आधार पर कुछ राहत दिया जा सकता है।

तब, माननीय मंत्री ने मुझ से स्वयं कहा था कि जहां तक चावल और गहूं का संबंध है, आर्थिक सहायता में अन्तर है। उन्होंने अभी कहा है कि गेहूं के मामले में आर्थिक सहायता 33 रुपये प्रति क्विंटल है और चावल के मामले में आर्थिक सहायता 26 रुपये प्रति क्विंटल है। यह फर्क क्यों है? चावल के मामले में आर्थिक सहायता दें इस अन्तर को समाप्त कर इससे अधिक सहायता क्यों नहीं दी जा रही है ?

कृषि मूल्य आयोग के संबंध में यह सुझाव है कि इसे सांविधिक आधार दिया जाए। संसद का एक अधिनियम बनाया जाए। कहा गया है कि ऐसा करने से इसका कार्यकरण और अधिक प्रभावी होगा। इस सुझाव के प्रति मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

अन्त में, विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग मूल्य का सुझाव दिए हैं। क्या माननीय कृषि मंत्री हमें यह बतलाएंगे कि यदि किसी विशेष राज्य उच्चतर वसूली मूल्य देने को इच्छुक है तो क्या उसे ऐसा करने दिया जाएगा? धान के वसूली मूल्य के मामले में किसी राज्य द्वारा उच्चतर वसूली मूल्य देने में क्या सरकार को कोई आपत्ति है?

उन्होंने कहा है कि मैं सभी सुझावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखूंगा। कब तक हम निर्णय की आशा रखें? उन्होंने यह भी कहा है कि जब मैं ये सारी बातें कैबिनेट के सामने रखूंगा तो अपनी राय भी रख दूंगा। आपकी राय क्या होगी वह क्या हमको आप बतायेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: माननीय सदस्य ने उत्पादन लागत को वैज्ञानिक आधार पर न गणना किये जाने के बारे में कहा है। मुझे नहीं मालूम कि कैसा वैज्ञानिक आधार हो सकता है। यदि कृषि मूल्य आयोग, जो एक विशेषज्ञ निकाय है, द्वारा वसूली मूल्य निर्धारित करने संबंधी गणना का आधार वैज्ञानिक नहीं है, यदि सांख्यकी, फारम पर कृषि दशा की जानकारी और फारम सैक्टर में अर्थशास्त्र की जानकारी को वैज्ञानिक कहा जा सकता है तो आयोग एक वैज्ञानिक निकाय है।

प्रो० एन० जी० रंगा: महोदय, यह नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सा रासायनिक सूत्र चाहते हैं--

प्रो० एन० जी० रंगा: यह एक तदर्थ निकाय है। बहुत मुश्किल से हम इस निकाय में कृषकों का एक प्रतिनिधि नियुक्त करवा सके हैं। यह कहने का क्या उपयोग है कि इसका अध्यक्ष किसान का पुत्र है और उसका दिमाग किसानोन्मुख है। यह वैज्ञानिक नहीं है, यह विशेषज्ञ भी नहीं है; यह किसानोन्मुख नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह नौकरशाही समिति है।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह वह भी नहीं है। हम कृषि मजदूरों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं परन्तु उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : धान के मूल्य पर कृषि मूल्य आयोग द्वारा यथावत स्थिति बनाये रखने की पहली सिफारिश के बारे में माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछा गया है। वे इस बात से सहमत होंगे। पहली बार सरकार ने स्वयं सोचा कि उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण कृषि मूल्य आयोग को कृषकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को ध्यान में रख कर अपनी रिपोर्ट की समीक्षा करनी चाहिए। इससे पता चलता है कि सरकार को किसानों के प्रति कितनी चिन्ता है। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। किन्तु यदि हम ए० पी० सी० को सांविधिक निकाय बना देते हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है तो सरकार उसके पश्चात् कुछ नहीं कर सकेगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : श्री बनातवाला जी, यही कठिनाई है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह बात मेरी समझ में नहीं आई है कि श्री बनातवाला किसानों के कैसे मित्र हैं। एक ओर तो वह उनके मामले की वकालत कर रहे हैं तथा दूसरी ओर वह किसानों की गर्दन ऐसे निकाय के हवाले कर देना चाहते हैं जिसे अब तक केवल सिफारिशें करने का ही अधिकार प्राप्त है और वह किसानों के प्रतिनिधियों के रूप म संसद् के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक सांविधिक निकाय है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह सांविधिक निकाय नहीं है। यह केवल सिफारिशें करने वाला ही निकाय है तथा किसानों के हित में इसे ऐसे ही रखने की हमारी योजना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तिम बात श्री बनातवाला के प्रश्न के विपरीत है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं श्री बनातवाला के इस तर्क को नहीं समझ सका हूं कि निर्गम मूल्य इसलिये नहीं बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि सरकार के पास बड़ा भंडार है और जो कुछ भी निर्गमित किया जाए वह गोदाम में पड़े स्टाक से निर्गमित किया जाए। मेरा यह सुझाव है कि उन्हें अपने विचार किसी वैज्ञानिक सूत्र के आधार पर बनाने चाहिएं क्योंकि एक तो जो पूंजी लगी होती है उस पर ब्याज दिया जाता है दूसरे गोदाम में पड़ा माल खराब हो जाता है तथा गोदाम का किराया भी देना है और इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान किया जाता है। फिर यह माल ऐसा नहीं होता कि इसे गोदाम में रख दें तो उस पर कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा जैसा कि कपड़ों को ट्रंक में रख देने पर उन पर कोई खर्च नहीं किया जाता। इस मामले में यदि उन्हें सुरक्षित रखने के लिये कतिपय रासायनिक पदार्थों पर खर्च न किया जाए तो वे नष्ट हो जाएंगे। हमें इन बातों को ध्यान म रखना होगा। हम जो माल गोदामों में रखते हैं उसे ठीक रखना होता है जिसके लिये हमेशा व्यय करना होता है। इसलिये जो उन्होंने तर्क दिया है वह युक्तियुक्त नहीं है।

उन्होंने यह भी पूछा है कि हम कब तक निर्णय दे देंगे । हम निश्चित रूप से फसल की कटाई से पूर्व ही अपना निर्णय दे देंगे किन्तु यह मेरे लिये कहना संभव नहीं है कि प्रधान मंत्री कब बैठक बुलाती है। मैं तो यह कह सकता हूं कि हम मंत्रिमंडल के लिये शीघ्रातिशीघ्र अपना टिप्पण तैयार कर लेंगे। इसके लिये हमें दूसरे मंत्रालयों के विचार तो लेने ही होंगे। वित्त मंत्रालय से तो इसका संबंध है ही। इसलिये वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के विचार तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के विचार तो प्राप्त करने ही होते हैं और उन्हें मंत्रिमण्डल के लिये कृषि मंत्रालय की सिफारिशों में जोड़ना ही होता है। मेरे विचार तो मंत्रिमण्डल के लिये टिप्पण में ही रखे जायेंगे। मैं उन्हें यहां नहीं प्रकट कर सकता हूं। इसलिये मेरे से विचार प्रकट करने के लिये कहना बेकार है। यहां पर तथा मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों तथा ए० पी० सी० और अन्य मंत्रालयों में मेरे सहयोगियों की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् मेरे मंत्रालय का जो सुविचारित मत होगा वह इन चीजों के आधार पर होगा और यह मंत्रिमंडल के समक्ष जाएगा तथा इस पर जो निर्णय लिया जाएगा वह संपूर्ण सरकार का निर्णय माना जाएगा। न कि किसी विशेष मंत्रालय का।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका मतलब यह हुआ कि मूल्य वसूली की पूर्वसंध्या को निर्धारित किये जाएंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : वसूली की पूर्व संध्या को नहीं। वसूली अक्तूबर—नवम्बर में आरम्भ होती है। यह उससे काफी पहले हो जाएगा। मैं इस सम्बन्ध में केवल यह ही बताना चाहता हूं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं ने पूछा था कि क्या किसी विशिष्ट राज्य को अधिक मूल्य पर अधिक वसूली करने दी जाएगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : जी, हां। उन्होंने यह एक और प्रश्न पूछा था। मैं इसका तत्काल उत्तर नहीं दे सकता। यदि कोई राज्य वसूली के लिए कुछ बोनस या अतिरिक्त धन देना चाहे तो मैं नहीं समझता कि उस पर हमें कोई आपत्ति होगी बशर्ते कि वह राज्य हमें सरकार से उस माल को केन्द्रीय पूल में लेने के लिए भुगतान करने के लिए न कहें। उन्हें वसूली करने, गोदाम में रखने और वितरण करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। तब हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए बशर्ते कि मेरे मित्र जो वहां बैठे हैं वह कह दें कि और कठिनाई नहीं है। किन्तु मैं समझता हूं कि राज्य के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। यह बहुत भारी जिम्मेदारी है । यह वसूली मूल्य केन्द्रीय पूल के लिए है तथा राज्य जो कुछ वसूली पर खर्च करता है वह उसे भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा दे दिया जाता है यानी कि वह सारी खर्च जो परिवहन आदि पर मंडी में खर्च किया जाता है यदि राज्य केन्द्रीय पूल के लिए वसूली करे। परन्तु राज्य जो कुछ अपने लिए वसूल करना चाहे उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती यदि वह अपने कोष से अतिरिक्त धन देना चाहे किन्तु उसे इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार

द्वारा अधिक मूल्य पर खरीदे या वसूल किए गए खाद्यान्नों को उसी मूल्य पर वितरित करना होगा जिस पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अधीन राज्य को सप्लाई किए जाने वाले हमारे खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं। इसलिए यदि राज्य इस के लिये तैयार हो तो वे हमें लिख सकते हैं तथा हम उस पर उचित कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पंजाब सरकार ने किसानों को पांच रुपये प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिए थे। यह अतिरिक्त राशि थी।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : परन्तु यदि पंजाब सरकार उस राशि को केन्द्रीय पूल में भेज दें तो हम उसे खर्च नहीं करेंगे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : हमने आपकी वसूली को बढ़ा कर 42 लाख टन तक कर दिया है। क्योंकि हमने प्रति क्विंटल 5 रुपये अधिक भुगतान किया था।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : जी हां, कुछ राज्य सरकारें वसूली कर रही हैं किन्तु मुझे मालूम नहीं कि श्री बनातवाला का इशारा किस राज्य की ओर है क्योंकि पंजाब और हरियाणा को छोड़कर अन्य राज्यों ने बहुत कम वसूली की है। (व्यवधान) वे सब कमी वाले राज्य हैं। पश्चिमी बंगाल कमी वाला क्षेत्र है तथा मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की पूर्ति भी केन्द्रीय पूल से की जाती है। जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं कुछ राज्यों ने तो इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री के इस आशय के निदेश के बावजूद भी कि कम से कम राज्य की दो महीने की आवश्यकता के लिए खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए कुछ भी नहीं किया गया है। अब पंजाब और हरियाणा ने लगभग सारा गेहूं—कुल 58 लाख टन में से 52 लाख टन—दे दिया है—किन्तु उत्तर प्रदेश ने केवल पांच लाख टन ही दिया है तथा मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य ने केवल आठ लाख टन ही दिया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान ने लगभग 15,000 या 16,000 टन ही दिया है। मैं जम्मू-कश्मीर की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता क्योंकि इस छोटे से राज्य ने केन्द्रीय पूल के लिए लगभग 25,000 टन की वसूली की है जबकि यह गेहूं—उत्पादक राज्य भी नहीं है। यह सारी बात राज्य सरकारों के प्रयास पर निर्भर करती है तथा हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे जहां तक संभव हो केन्द्रीय पूल के लिए अधिक से अधिक धान और गेहूं की वसूली करें जिससे कि हम समता के आधार पर सभी राज्यों की मांग पूरी कर सकें तथा देश में सभी व्यक्तियों को खाना दे सकें।

श्री राम बिलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो सरकार की नीति रही है उसके कारण आपने देखा है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडू, कर्नाटक में व्यापक पैमाने पर किसानों के द्वारा आन्दोलन शुरु हो गए हैं और हिंसक घटनाएं घर रही हैं तथा प्रति दिन किसान मारे जा रहे हैं। अभी मैं आंकड़े देख रहा था, चार साल के आंकड़े मिले हैं कि कितने खाद्य पदार्थ बहार से मंगाए गए। 1974 में 4,63,04,30,000 रु० के खाद्य पदार्थ मंगाए गए जिनकी मात्रा थी 48,74,400 मी० टन। 1975 में 10,57,89,70,000 रु० का आयात किया गया

और मात्रा थी 74,60,700 मी० टन। 1976 में 9,82,23,50,000 का आयात किया गया और मात्रा थी 65,14,800 मी० टन। 1977 में आयात हुआ 78,15,60,000 रु० का और मात्रा थी 65,54,600 मी० टन।

ए० पी० सी० की जो रिपोर्ट है वह जिस ढंग से तैयार की जाती है वह बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं रंगा साहब से कहूंगा कि वे भी जरा इसको देख लें कि यह किस ढंग से तैयार की जाती है। मैंने इसमें बहुत जानने की कोशिश की कि नान-एग्रीकल्चरल गुड्स, और एग्रीकल्चरल गुड्स इन दोनों की प्राइसेज में ताल-मेल रखकर कोई तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है या नहीं लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। मंत्री जो ने ठीक ही कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंडस्ट्रियल गुड्स की कास्ट आफ प्रोडक्शन की खोज की जायेगी तो उसमें बड़े बड़े गेस्ट हाउस भी आयेंगे, विदेश भ्रमण भी आयेगा और ऐसी बहुत सारी चीजें आयेंगी। मैं देख रहा था कि रूस में 31 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, जापान में 20 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, अमरीका में 4 परसेंट लोग कृषि पर निर्भर हैं, इंगलैण्ड में डेढ परसेंट लोग कृषि पर निर्भर हैं जबकि हमारे यहां 70 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर निर्भर करते हैं।

यदि वर्ष 1970–71 में मूल्य सूचकांक 100 मान लिया जाए तो 14-6-1980 तक कृषि पदार्थों के मूल्यों में 199 प्रतिशत की वृद्धि हुई और गैर कृषि पदार्थों के मूल्य में 274 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक खाद का मामला है, मैं अभी मन्त्री महोदय का स्टेटमेन्ट पढ़ रहा था, मैं समझता हूं कि जब कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालते होंगे तो 28–30 किलो प्रति हेक्टर खाद का औसत देते होंगे जबकि जापान में 300 किलो प्रति हैक्टर खाद डाली जाती है। हमारे देश में 240 किलो खाद डाली जानी चाहिए लेकिन चूंकि हमारे किसान गरीब हैं, कर्जे से दबे हैं, उनको खाद मिल नहीं पाती है इसलिए 28–30 किलो प्रति हेक्टर ही डालते हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालते हैं, तो उस में जो फसल बाढ़ में या सूखाड़ में नष्ट हो जाती है, उसको कास्ट आफ प्रोडक्शन में डालते हैं? नहीं डालते हैं। सबसे बड़ी चीज यह होनी चाहिए, राष्ट्रीय दृष्टिकोण की दृष्टि से, हम कितनी पैदावार बढ़ा पाते हैं। आज क्या है, जब किसान किसी चीज को पैदा करेगा, तो उस पैदा की हुई चीज का भाव उसको मिट्टी के बराबर मिलेगा। पहले हम लोगों के विरुद्ध आरोप लगाया जाता था कि आपने प्याज का दाम बढ़ा दिया और इसको लेकर पूरे हिन्दुस्तान में हल्ला किया जाता था। आपने प्याज का दाम तो कम कर दिया, लेकिन और दूसरी चीजों का दाम बढ़ा दिया। पहले नारा लगता था—"जात पर न पात पर, इन्दिरा जी की बात पर", लेकिन आज क्या है–"चीनी मिले आठ पर, डीज़ल मिले सात पर और मुर्दा जाए घाट पर"।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि नारे से काम नहीं चलता है। मैं यह कहता कि आपके पास कोई निश्चित योजना होनी चाहिए। जब किसान किसी चीज को पैदा करता है, तो उसके दाम उसको मिट्टी के भाव में मिलते हैं, लेकिन जब वह उसको खरीदने जाता

है, तो उसको सोने के भाव में खरीदना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि 10 एकड़ जमीन की कीमत एक लाख रु० है, और यदि यह एक लाख रु० वह बैंक में जमा कर देता है, तो वह पांच पीढ़ी तक खा सकता है । लेकिन आज दस एकड़ की पैदावार में भी किसान को गुजर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके जो गवर्नमेंट के फार्म हैं, उसमें क्या आप कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालते हैं? मंत्री जी जब जवाब देंगे तो बतायेंगे कि प्रति एकड़ में कितना कास्ट आफ प्रोडक्शन है? फिर भी आप घाटे में चल रहे हैं ।

(व्यवधान)**

मैं आपसे कह रहा था कि किसान की जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए कि किसान कितने कर्जे में दबे रहते हैं। आज जो किसान की माली हालत है, वह कितनी बदतर हो गई है, इस पर हम लोगों को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्य चीजों में नहीं जाऊंगा, मैं पैड़ी के मामले में, धान के मामले में, जो एक मुख्य प्रश्न है, उसके संबंध में कहना चाहता हूं । हमारे देश में 1970–71 में धान की खेती होती थी 3 करोड़ 74 लाख 13 हजार हैक्टर में, लेकिन 1977–78 में 3 करोड़ 93 लाख 29 हजार हैक्टर में खेती हुई। उत्पादन 1970–71 में 4 करोड़ 8 लाख 5 हजार टन हुआ और 1977–78 में 4 करोड़ 77 लाख 78 हजार टन उत्पादन हुआ । पैदावार 1970–71 में 1 हजार 91 किलो ग्राम प्रति हैक्टर और 1977-78 में 1 हजार 215 किलो ग्राम प्रति हैक्टर हुई।

मैं आप की एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की रिपोर्ट को देख रहा था, उस के अनुसार 1978–79 में चावल की पैदावार–पर–हैक्टेयर पंजाब में 2938 किलोग्राम है, हरियाणा में 2714 किलोग्राम, तामिलनाडू में 2251 किलोग्राम, कर्नाटक में 2151 किलोग्राम, आन्ध्र प्रदेश में 1827 किलोग्राम, केरल में 1540 किलोग्राम, महाराष्ट्र में 1435 किलोग्राम, गुजरात में 1163 किलोग्राम, उत्तर प्रदेश में 1157 किलोग्राम, विहार में 996 किलोग्राम, आसाम में 934 किलोग्राम और मध्य प्रदेश में 736 किलोग्राम है।

आपकी प्रोक्योरमेंट प्राइस जो पैड़ी की रही है—उस को देखिये—1965-66 में 38 रुपये 42 पैसे से शुरु हुई। 1966-67 में 42 रुपये 53 पैसे हो गई, 1967-68 में 50 रुपये 10 पैसे, 1968-69 में 51 रुपये 27 पैसे, 1969-70 में 52 रुपये 44 पैसे, 1970-71 में 53 रुपए 30 पैसे, 1971-72 में 53 रुपये 14 पैसे, 1972-73 में 54 रुपये 18 पैसे, 1973-74 में 70 रुपये, 1974-75 में 74 रुपये, 1975-76 तथा 1976-77 में भी 74 रुपये रही। लेकिन 1977-78 में 77 रुपये हो गई। 1978-79 में 85 रुपये, 1979-80 में 95 रुपये और अब 1980-81 के लिये आप ने 100 रुपये घोषित की है।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

जिस रफ्तार से दाम बढ़े हैं:—1965-66 में 38 रुपये 42 पैसे से 1980-81 में 100 रुपये किये गये हैं, इस के मुकाबले में जो चीजें किसान उपयोग करता है, जैसे यूरिया, डीजल, इन के दाम कितने बढ़े हैं? आप देखेंगे कि इन चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इन दोनों का मुकाबला करने से ऐसा लगता है कि किसान जो चीजें मार्केट में खरीदता है, जिन पर वह निर्भर करता है—उनके दाम "खरहे" की चाल से बढ़े हैं, जब कि किसान की पैदावार के दाम, चावल के दाम कछुए की चाल से बढ़े हैं। अगर आप किसान को जिन्दा रखना चाहते हैं तो इस रफतार से तो किसान जिन्दा रहने वाला नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं—आप ने शायद इसी सदन में कहा था, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि आप कोई ऐसी पालिसी लाने वाले हैं जिस से किसान के फसल बोने से पहले ही उस की मूल्य नीति निर्धारित कर देंगे। धान का इतना पैसा मिलेगा, गेहूं का इतना पैसा मिलेगा—उस के फसल बोने से पहले ही आप प्राइस नीति का ऐलान कर देंगे। आप उस नीति को कब से शुरु करने वाले हैं? साथ ही यदि किसान की फसल, चाहे फलड के कारण हो, ड्राउट के कारण हो या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति के कारण हो, खत्म हो जाय, तो सरकार को उस का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये। जिस तरह से आप फैक्ट्रियों के बारे में करते हैं, उसी तरह से क्या फसलों के बीमे की कोई योजना आप के पास है या नहीं?

किसानों का मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं है। नियन्त्रण किस का होता है? व्यापारियों का होता है। इस के लिये क्या सरकार बड़े-बड़े गोदामों की व्यवस्था करेगी, जैसे दिल्ली में बड़े-बड़े मकान खोज कर या स्टेट्स में भी बड़े-बड़े मकान खोज कर उन में किसानों की उपज को रखेगी, उन पर नियन्त्रण किसानों का रहेगा, किसान जब चाहेगा उस को बेचेगा, जब उस को मुनाफा नहीं मिलेगा, नहीं बेचेगा—क्या इस तरह की कोई योजना बनायेंगे?

आचार्य भगवान देव : बहुत टाइम हो गया।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, इतना ही जवाब दिलवा दीजिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : डिप्टी स्पीकर साहब, पैड़ी की कीमतों के मुताल्लिक जो सवाल उठाया गया है, मैं श्री रामविलास पासवान जी से कहना चाहता हूं, पैड़ी की प्राइस काफी हद तक बढ़ाई गई है। सन् 1976-77 में धान की कीमत 74 रुपये थी, जैसा उन्होंने खुद बतलाया है। लेकिन उस के तीन साल बाद 1979-80 में 95 रुपये कर दी गई। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने उस वक्त 90 रुपये के लिये रिकमैण्डेशन की थी, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को नहीं माना और 5 रुपया ज्यादा बढ़ाया। इस तरह से आप देखेंगे कि तीन सालों के अन्दर 29 परसेन्ट की वृद्धि हुई यानी 29 परसेन्ट पैड़ी का भाव बढ़ा, लेकिन इस के मुकाबले में गेहूं का भाव उस हिसाब से नहीं बढ़ा, उस में केवल 10 परसेन्ट बढ़ा, यानी तीन सालों में गेहूं का भाव 105 रुपये से 115 रुपये हुआ, जब कि धान का भाव 74 रुपये से 95 रुपये पर आया। और यही वजह थी कि जो पहली रिपोर्ट एग्रीकलचरल प्राइसेज कमीशन ने दी जिस का जिक्र श्री बनातवाला ने किया कि उन्होंने जो 95 रुपये की रिकमेंडेशन की है, उस म कोई फर्क नहीं है, वह उस से पहले की रिपोर्ट थी जब कि फर्टीलाइजर्स और डीजल की कीमतें

बढ़ीं। इस वास्ते ए० पी० सी० ने 95 रुपये फिर रिकमेंड किया और पिछले साल जो 85 रुपये था उस को एकदम बढ़ा कर 95 रुपये कर दिया यानी 10 रुपये का इस में इजाफा कर दिया। ए० पी० सी० का यह अनुमान था कि उन को पहले ही ज्यादा मिल चुका है, इसलिए और ज्यादा बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है उन की निगाह में, लेकिन जब कीमतें बढ़ीं, तो दोबारा उन को रिव्यू करने के लिए कहा और उन्होंने 100 रुपये की रिकमेंडेशन दी।

अब जहां तक पैडी की ईल्ड का सवाल है, जैसा कि मैं कह रहा था कि हिन्दुस्तान में वाकई में पैडी की ईल्ड बहुत कम है। सारे आंकड़े तो मैं नहीं दे सकूंगा लेकिन बहुत से सूबों में कुछ ईल्ड ज्यादा है जैसे पंजाब में ज्यादा है, तमिलनाड़ में काफी अच्छी ईल्ड होती है, आन्ध्र में कहीं कहीं अच्छी ईल्ड होती है लेकिन पैडी की जो ईल्ड है, वह 900 किलोग्राम पर हेक्टेयर कहीं पर है और कहीं कहीं पर 3600, 3900 किलोग्राम पर हेक्टेयर के करीब ईल्ड है। अलग अलग प्रान्तों में अलग अलग ईल्ड है लेकिन जो एवरेज आता है वह 1200, 1300 पर हैक्टेयर है जोकि बहुत कम है और इस को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और नई वेराइटीज भी आ रही हैं आई० सी० ए० आर० की तरफ से और उन से हमारी ईल्ड में काफी बढ़ोतरी हुई है और हमारी पैडी की किस्मों को बाहर के मुल्कों में, साऊथ ईस्ट एशिया में और दूसरे कन्ट्रीज में वहां के लोगों ने अपनाया है और बहुत अच्छी वेरायटी जैसे "जया" उन्होंने निकाली है।

यह जो प्रश्न किया गया कि बोने से पहले कीमत हम बतला दें, इसका मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं मधु दंडवते जी के प्रश्न के उत्तर में। इसमें हमें काफी कठिनाई होती है। बोने से पहले हम इस को नहीं बताना चाहते हैं लोगों को कि कौन सी चीज की तरफ ज्यादा झुकाव होना चाहिए क्योंकि अगर पहले ही इस को बतला दें, तो दूसरी फसल को नुकसान हो सकता है। तो बहुत सोच-समझ कर सरकार ने यह पालिसी अपनाई है और इस में किसान का इन्ट्रेस्ट और नेशन का इन्ट्रेस्ट ध्यान में रखा है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किस किस्म की होनी चाहिए और किस हद तक डाइवर्शन होना चाहिए, मैं डिप्टी स्पीकर साहब इस हाऊस को यकीन दिलाता हूं, कि इन सारी बातों का हम ध्यान रखते हैं और किसानों को नुकसान नहीं होने पावे, यह सरकार की नीति है, और उस को पूरा पूरा मुआविजा मिले। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जहां कहीं हमें नुकसान होते नजर आता है, गवर्नमेंट कदम उठाती है।

आप ने प्याज का जिक्र किया। प्याज की कीमत पहली सरकार के जमाने में क्या थी और आप यह भी जानते हैं कि पिछले सरकार के जमाने में आलू भी सड़ा था लेकिन अब आलू का दाम बहुत अच्छा चल रहा है। हिन्दुस्तान में बहुत सारी जगहों पर उस का अच्छा दाम मिल रहा है। आप बिहार के अन्दर पटना में देखिये, फारुखाबाद में, बंगलोर में, पंजाब में, जहां भी आलू प्राड्यज करने वाले इलाके हैं, उन के अन्दर आलू का भाव मार्च और अप्रैल से बढ़ता ही चला गया और अब एक जगह ठहर गया है। पिछले साल आलू सड़ गया था और 15 रुपये पर बैग बिका। इस बार जब हमने प्याज की कीमतें गिरती देखीं, महाराष्ट्र के दो तीन जिलों में जैसे नासिक के आसपास और गुजरात में ज्यों ही हम ने

देखा कि प्याज की कीमतें 25 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे जा रही हैं, तो फौरन हम ने नैफेड से कहा कि प्याज की खरीद शुरु कर दो और उन को कीमत भी बता दी कि 45 रुपये से 60 रुपये के बीच में इस को खरीदो। एवरज 55 रुपये क्विंटल आया और करीब 2 लाख क्विंटल प्याज खरीदी गई और किसान को नुकसान नहीं होने दिया। अब इस के भाव ठहर गये हैं। इसके लिए हमने 30 रुपये क्विंटल नैफेड को सब्सीडी दी और किसानों की की मदद के लिए 6 करोड़ रुपये प्याज पर सब्सीडी के तौर पर नैफेड को दिये हैं। तो इस तरफ हमारा पूरा पूरा ध्यान है।

हम चाह रहे हैं कि हर चीज़ की पैदावार बढ़े और पैदावार ज्यादा हो कर किसान का माल ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्ट के मामले में भी हम बहुत लिबरल हैं। हम जानते हैं कि अपने देश के अन्दर किस चीज़ की कितनी खपत है, उसके अलावा जितनी पैदावार किसान की होगी, यदि वह एक्सपोर्ट होगी तो उससे किसान को फायदा होगा और फिर वह किसान के लिए इंसेटिव होगा।

हम आइन्दा के लिए 1984-85 तक 2300 करोड़ तक का फूडग्रेन एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमने टारगेट मुकर्रर किया है। पैडी की पैदावार का भी टारगेट मुकर्रर किया है। इस बार हम 55 मिलियन टन पेडी करेंगे, पहले से ज्यादा करेंगे। आपने ठीक कहा कि ड्राउट की वजह से इसकी पैदावार पीछे काफी घट गयी थी। हम गेहूं की और पैडी की पैदावार बढ़ा रहे हैं। 1978-79 में यह 131 मिलियन टन के करीब फूडग्रेन की पैदावार चली गयी गयी थी। इस साल हम पीछे हैं। अगले साल का हमारा टारगेट फूडग्रेन पैदा करने का 135 मिलियन टन का है और उसको अच्चीव करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम यह जानते हैं कि जब किसान को फायदा होगा तो वह अधिक पैदावार करेगा।

श्री राम विलास पासवान: फसल बीमे का मैंने क्वेश्चन किया था।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: फसल बीमे के कुछ पाइलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वे कुछ स्टेट जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है उनमें चल रहे हैं। लेकिन जैसे आप इंसानी जिन्दगी का बीमा कराते हैं, उस तरह से नहीं है। जो किसान को कर्जा मिलता है उस रकम का बीमा होता है। अगर किसान की पैदावार उतनी नहीं हुई तो उसको मुआवजा मिलेगा। जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को मिलजुल कर के प्रीमियम तय करना पड़ता है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का 25–25 फीसदी हिस्सा होता है और 50 फीसदी किसानों को देना पड़ता है। लेकिन वह किसी किसी फसल के लिए किसी किसी इलाके में पाइलट प्रोजेक्ट हैं और कुछ स्टेट्स के अन्दर हैं। हम चाहते हैं कि क्राप इंश्योरेंस की पालिसी जो हमारी है उसको स्टेट्स अपनाएं। यह गवर्नमेंट बनने के बाद मैंने हर चीफ मिनिस्टर को लिखा है कि क्राप इंश्योरेंस को अपनाने के लिए आप स्कीम्स बनाइये और हम से बातचीत कीजिए। जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को हमने कहा है कि हर स्टेट से बात कर के जो स्टेट इन्ट्रेस्टेड हों, उनके लिये आप इंश्योरेंस स्कीम तैयार कीजिए। इस तरफ हमारा ध्यान है। अगर स्टेट की इसमें सहानुभूति हो और वे दिलचस्पी लें तो यह चल सकती है।

में काम कर रहे कर्मचारियों को दिए गए वेतनमान और सुविधाएं एक समान होनी चाहिए ; और 197 (2) की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है :

"(2) ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाए कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में यह मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा"

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : ध्यानाकर्षण समाप्त हो गया है। वे उस पर व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री ए० टी० पाटिल : कृपया मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण समाप्त हो गया है। अब हम दूसरी मद ले रहे हैं।

श्री ए० टी० पाटिल : व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। दो मदों के बीच में आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। ध्यानाकर्षण समाप्त हो गया है और हम दूसरी मद पर जा रहे हैं। इस प्रकार बीच में आप व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ?

श्री ए० टी० पाटिल : नियम 376 में कहा गया है कि व्यवस्था का प्रश्न सभा के सम्मुख हो रहे कार्य के बारे में, उसी समय उठाया जा सकता है और फिर एक परन्तुक है :—

"परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेगा यदि वह सभा में व्यवस्था बनाए रखने या सभा के समक्ष..."

मैं व्यवस्था बनाए रखने के बारे में कह रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि अध्यक्ष अनुमति दें और मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कृषि सेवा केन्द्रों की कठिनाइयों का समाचार

श्री प्रताप भानू शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय उद्यमियों ने बेरोजगार इंजीनियरों, कृषि स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के स्वनियोजन के लिये तथा किसानों को कृषि संबंधी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये कृषि सेवा केन्द्रों की योजना चालू की थी। इस योजना में किराये पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने को विशेष महत्व दिया गया था। परन्तु स्वनियोजन की

योजना के बनाये जाने के बाद अनेक कारणों से, जिनमें कम से कम ट्रैक्टरों के मूल्यों का बढ़ना नहीं है, किराये पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराना बहुत ही लाभप्रद नहीं हुआ। जिसके परिणामस्वरूप अधिकतर कृषि सेवा केन्द्र दीवालिये हो गये जबकि कुछ तो बन्द ही हो गये हैं।

इस योजना के अन्तर्गत देश भर में 5,000 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई थी तथा उनमें से अधिकतर इस योजना की प्रारम्भिक कमियों के कारण खराब स्थिति में हैं। जब तक इन इकाइयों की गतिविधियों का बड़ी मात्रा में विविधिकरण नहीं किया जायेगा इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के स्वनियोजन की यह योजना असफल रहेगी।

5 लाख लोगों को रोजगार देने के कार्यक्रम के लिये 50,000 रुपये प्रत्यक सहकारी कृषि सेवा केन्द्र को दिये गये थे। छोटे किसानों और सीमान्त किसानों को राज सहायता के रूप में अन्य रियायतें भी दी गई थीं। इसी प्रकार की रियायतें और पूंजी कृषि सेवा उद्यमियों को भी दी जानी चाहिये। कृषि सेवा केन्द्रों की गतिविधियों को विविध क्षेत्रों तक बढ़ाने के लिये जोरदार प्रयत्न किये जाने चाहियें।

इन कृषि सेवा केन्द्रों को राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न विकास एजेंसियों जैसे सी० एफ० डी० ए०, एम० एफ० डी० ए०, आई० ए० डी० पी०, पहाड़ी विकास योजना आदि से सम्बद्ध किया जाना चाहिय। उन्हें इन योजनाओं के लिये आवश्यक उपादान जैसे बीज, कीटनाशक दवाइयां और कृषि के लिये आवश्यक अन्य वस्तुओं को उपलब्ध कराने का काम सौंपा जाना चाहिय। विकास योजनाओं में अलग-अलग काम भी इन केन्द्रों को सौंपे जाने चाहियें।

किसानों को वित्तीय सहायता देने वाले वाणिज्यिक और सहकारी बैंककारी संस्थाओं को भी कृषि उद्यमियों को वस्तुगत सहायता देने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

कृषि उद्यमी देश भर में पेट्रोल डीजल आदि की बिक्री का काम भी कर सकते हैं जिसे भारतीय तेल निगम इस समय देशभर में करता है।

जब तक इन सेवा केन्द्रों की गतिविधियों का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में करने के प्रयत्नों को बड़ी मात्रा में लागू किया जाता है तब तक वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह दी जाय कि वे इन उद्यमियों से अपने ऋणों को वापस लेने पर अधिक जोर न डालें।

(दो) रानीखेत कटक नगरपालिका को पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से लोक-महत्व के एक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कटक पालिका, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा की नागरिक आबादी को पेय जल की भयंकर कमी का सामना करना पड़ रहा है। जो पानी उन्हें उपलब्ध हो भी रहा है, वह शोधित जल नहीं है। इस लिए पीलिया, डायरिया आदि रोग वहां फैल रहे हैं।

रानीखेत के 18 हजार नागरिक व पांच हजार सैन्य आबादी है। पेय जल गगास लिफ्ट योजना व दो स्थानीय स्रोतों से उपलब्ध होता है। कुछ साढे पांच लाख गैलन पानी इन स्रोतों से उपलब्ध होता है, जिसमें से मात्र सात हजार गैलन पानी सिविलियन जनसंख्या को दिया जाता है, जबकि उसकी न्यूनतम आवश्यकता ढाई लाख गैलन पानी है।

कटक पालिका के नागरिक प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार एम० ई० एस० से, जो कि जल वितरण का काय करता है, वितरित किये जा रहे जल की मात्रा को बढ़ाने व शुद्ध जल उपलब्ध करवाये जाने हेतु कहे जाने के बावजूद एम० ई० एस०, रानीखेत के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कटक पालिका के नागरिक प्रतिनिधियों द्वारा अपने पदों से त्यागपत्र देने की बात कही गई है। स्थिति तनावपूर्ण है। रक्षा राज्य मंत्री जी को तत्काल इस ओर ध्यान दे कर जल-वितरण को न्यायपूर्ण बनाना चाहिए।

(तीन) सियालदाह डिवीजन में नियमित रूप से स्थानीय रेल गाड़ियां चलाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : श्रीमान् नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित मामला उठाना चाहती हूं :

सियालदाह डिवीजन पूर्व रेलवे के उत्तरी उप-नगरीय सैक्शनों, विशेषकर सियालदाह–बोंगांव सैक्शन में स्थानीय गाड़ियों के बहुत अधिक अनियमित चलने के कारण अपने काम के लिये कलकत्ता आने और वहां से वापस जाने के लिये लाखों यात्रियों को अवर्णनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनमें बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी, छात्र और अध्यापक हैं। इससे पश्चिमी बंगाल सरकार की बहुत सी गतिविधियों तथा आवश्यक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों से मुश्किल से कोई एक दिन ऐसा गया होगा जब सभी गाड़ियां समय पर चली हों। गत कुछ सप्ताहों में यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच अनेकों झड़पें हुई हैं क्योंकि यह स्थिति उनके लिए सर्वथा असहनीय है। सियालदाह डिवीजन में रेल गाड़ियों की सेवाओं के अस्तव्यस्त हो जाने का कारण वहां आवश्यक सामान की कमी तथा त्रुटिपूर्ण प्रबंध और आयोजना। रेल मंत्री इसे सुधारने के लिये तुरन्त हस्तक्षेप करें अन्यथा निकट भविष्य में वहां गम्भीर गड़बड़ी पैदा हो सकती है।

(चार) हिमाचल प्रदेश की कतिपय छावनियों के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को व्यापार तथा अन्य प्रकार की सुविधायें देने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत पहाड़ों पर स्थित छावनियों के निवासियों की 1947 के बाद दयनीय दशा की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद कसौली, डगशाई, जतोग तथा अन्य जितनी भी सैनिक छावनियां पहाड़ी इलाकों में स्थित थीं, वहां रहने वालों की आर्थिक दशा बहुत बुरी तरह से खराब हो गई है। मकानात खाली पड़े हैं, क्योंकि वहां पर कोई बड़ी आबादी नहीं है, जिसे उनका व्यापार चल सके और न ही कोई रोजगार के साधन हैं। अतः सरकार का नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इन छावनियों की तरफ विशेष ध्यान दे तथा वहां पर कुछ बड़े उद्योग आदि लगाये जायें। साथ ही इन शहरों में रहने वाली आबादी को ऋण सुविधा तत्काल प्रदान की जाये, जिससे वे अपने मकानात आदि ठीक रख सकें तथा सरकार वहां पर अपने कार्यालय खोले, ताकि लोग अपना व्यवसाय कर के गुजारा कर सकें।

(पांच) पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में वनरोपण की आवश्यकता

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

देश के आदिवासी इलाकों में जंगलों की अवैध कटाई से जंगल नष्ट हो गये हैं। इन क्षेत्रों के आदिवासियों के जीवन-यापन एवं रोजगार का प्रमुख स्रोत जंगल ही थे। विशेष कर पहाड़ी इलाकों में जंगल कट जाने से आदिवासी बेरोजगार हो गये हैं एवं अपने गांव छोड़कर हजारों मील दूर मेहनत-मजदूरी करने जाते हैं। आदिवासियों में इस कारण बहुत ही भयंकर असंतोष व्याप्त है। यदि आदिवासियों का मजदूरी के लिए अपने गांवों से इसी प्रकार पलायन चलता रहा, तो भारतीय आदिम जाति संस्कृति भी नष्ट हो जायेगी।

अतः शासन को आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी विशेष योजनायें बना कर वन लगाने चाहिए, जिससे वन नष्ट न हों एवं आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

(छ) देश में पार्थेनियम नामक खरपतवार को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : पार्थेनियम नामक खरपतवार बहुत ही घातक है। हाल ही के दिनों में इसका प्रकोप देशभर में बेरोकटोक फैलता जा रहा है। कर्नाटक में हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि पर यह छा गई है और फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। विशेषज्ञों की राय है कि इसका मानव और घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यह कहा जाता है कि यह खरपतवार 20–25 वर्ष पहले आयातित अनाज के साथ भारत में आई। यह खरपतवार उस भूमि में बहुत होती है जिसमें खेती नहीं होती और अब यह कृषि भूमि में भी बड़ी मात्रा में होने लगी है। इसमें बड़ी मात्रा में फूल आते हैं और लाखों की संख्या में बीज भूमि पर बिखर जाते हैं। यह बोई गई फसल को पौष्टिक पदार्थ और उपलब्ध नमी से वंचित करती है और इस प्रकार लाखों क्विंटल अनाज की हानि होती है।

यह आवश्यक है कि इस घातक पौधे को समाप्त किया जाये। वर्षा का मौसम इसे समाप्त करने के लिये सबसे उत्तम है। यदि इसे उगने और फैलने दिया जाता है तो यह इस सीमा तक बढ़ जायेगी जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते और समूचा वातावरण इससे दूषित हो जायेगा।

इसके पौधे को जड़ से उखाड़कर जला दिया जाना चाहिये। एक पौधा 15,000 से 20,000 हजार तक बीज पैदा करने की क्षमता रखता है।

जहां यह बहुत अधिक मात्रा में है वहां रासायनिक दवाइयों और रासायनिक पद्धति से नियंत्रण करना आवश्यक है। रासायनों द्वारा इसे रोकने के लिये सबसे उत्तम समय वर्षा ऋतु है (यह कार्य विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाना चाहिये) इस काम को नियोजित रूप में एक नियमित कार्यक्रम के रूप में करना होगा। कार्यक्रम में वर्षा में उगने वाले पौधों को नष्ट करने का अल्पकालीन कार्यक्रम तथा इसकी और आगे उपज को रोकने के लिये रासायनिक दवाइयों का उपयोग करने का दीर्घकालीन कार्यक्रम शामिल है।

यहां यह उल्लेख करना प्रसंगोत्तर नहीं होगा कि बंगलौर शहर का एक डाक्टर ने, जिसने हाल ही में आत्महत्या किया था अपनी मृत्यु टिप्पणी में लिखा था कि वह अपना जीवन असाध्य बीमारी–एलरजिक रेवीनाईटिस के कारण समाप्त कर रहा है। उसने अपनी बीमारी का कारण शहर में पार्थेनियम के बीज की अधिकता बतलाया था और स्वास्थ्य विभाग पर एलर्जिक मैनीफेस्टेशन पर न ध्यान देने का आरोप लगाया था।

इस खतरनाक बीज को अविलंब समाप्त करना चाहिए ताकि हजारों व्यक्तियों की जानें बचाई जा सकें।

बीज को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं:

(1) निगमों और टाऊन पंचायतों समेत नगरपालिका प्राधिकारियों को बीज समाप्त करने के काय को युद्ध स्तर पर लेना चाहिए।

(2) रेलवे और लोक निर्माण विभाग को बीज समाप्त करने का कार्य अपने-अपने क्षेत्रों अर्थात् रेलपथों, सड़क के किनारों तथा जलाशयों व नहरों के समीप करना चाहिए।

(3) स्कूलों और कालेजों को इससे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए और छात्रों की सहायता से वे इसे समाप्त करने में अच्छा काम कर सकते हैं।

(4) यूथ क्लबों, रोटरी और लायन क्लबों जैसे स्वयंसेवी संगठनों को बीज समाप्त करने के कार्य को सेवा कार्य के रूप में लेना चाहिए।

(5) व्यक्तियों एवं अन्य संगठनों को अपने अपने क्षेत्र में इसे समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।

(6) सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि करवा कर इससे होने वाली बीमारी के खतरों के प्रति जन जागृति जागृत करनी चाहिए।

(7) रेडियो और समाचार पत्र जैसे जन सम्पर्क साधन इसमें अहं भूमिका निभा सकते हैं।

(8) बीज नियंत्रण अधिनियम को प्रवृत्त करना भी आवश्यक है।

बीज को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर सभी संभव कार्यवाही आवश्यक है।

मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को अग्रता के आधार पर राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में लिया जाए।

(सात) तमिलनाडु में सरसाम की बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय

श्री इरा मोहन (कोयम्बतूर) : दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि तमिलनाडु में मस्तिष्क ज्वर (एनसेफलाईटिस) की महामारी फैल गई है। इससे आरकोट जिले में 52 मौतें हुई हैं। यह पहली बार नहीं हुई है। पिछले कुछ वर्षों से ऐसी महामारी बराबर फैल रही है। इसका शिकार अक्सर 2 से 13 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं। संदेह है कि यह बीमारी एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। तमिलनाडू सरकार ने बंगलौर स्थित वीरोलौजी संस्थान की सहायता से पीड़ित व्यक्तियों के खून के सैंपलों की परीक्षा करने में मांगी है राज्य सरकार इस खतरनाक बीमारी, जो युवकों और निर्दोषों को शिकार बनाती है, पर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हो पा रही है। यह मालूम नहीं है कि यह बीमारी कितनी जल्दी पड़ोसी जिलों और राज्यों में फैल सकती है। केन्द्रीय सरकार को इस गंभीर स्थिति पर अवश्य उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए और स्थिति का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ दल भेजना चाहिए और इसे रोकने के लिए उपाय राज्य सरकार को सुझाने चाहिए।

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 1980

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब वित्त (संख्यांक 2) विधेयक पर विचार करेगी। श्री आर० एल० भाटिया अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सप्लाई में वृद्धि करने तथा सेवाओं के विस्तार करने की नीति अपनाई गई है। इस संबंध में उन्हें जैसे कोयला, ऊर्जा तथा अन्य विभिन्न मंत्रालयों पर निर्भर होना पड़ेगा ताकि वे उनके बचाव के लिए आ सकें। जब तक उद्योगों को कच्चा माल इत्यादि नहीं दिया जाएगा। तब तक औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ सकता है।

मूल्य वृद्धि पर विचार करते समय एक महत्वपूर्ण विषय है काला धन। हम इस सदन में इस बात से असहमत हो सकते हैं कि अधिक काला धन जनता राज में जमा हुआ कि कांग्रेस राज में, परन्तु हम सभी इस बात से सहमत हैं कि काला धन बहुत बड़ी मात्रा में विद्यमान है। यह 20,000 करोड़ रुपये या 25,000 करोड़ रुपये हो सकता है। यह समानान्तर अर्थ व्यवस्था बनी हुई है और यह हमारी अर्थ व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार द्वारा पहले जो कुछ भी कोशिश की गई थी, काले धन की विद्यमानता ने उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस समस्या का समाधान करने के लिए पहले विभिन्न स्कीमें चलाई गई थीं। छापे मारे गए, अनेक छापे मारे गए परन्तु धन कम मिला। उक्त पद्धति सफल न हो सकी। एक स्तर पर आंशिक विमुद्रीकरण भी किया गया परन्तु वह भी सफल नहीं हुआ। श्री वांचु ने अपनी रिपोर्ट में अनेक सुझाव दिए हैं। जब तक 100 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण नहीं किया जाता तब तक हमें काले धन रखने वालों से अधिक रुपया नहीं मिल सकता। 1000 करोड़ रु० बकाया है और इसके संबंध में मैं एक सुझाव देता हूं। बकाया राशि के लिए प्रत्येक 100 रुपये के लिए यदि आप 150 रुपया काले धन के रूप में जमा करने को कहें तो मैं समझता हूं कि काफी धन-राशि बाहर आ जाएगी। यह लोगों को आकर्षित करेगी। क्योंकि वे अपने बकाया से मुक्ति पा सकेंगे। बकाया क्यों है? क्योंकि उनके पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त सफेद धनराशि नहीं है। अतः वे झगड़े में फंस जाते हैं और यह काफी दिनों तक चलता है। आपका उद्देश्य सफल नहीं होता, उनका उद्देश्य सफल नहीं होता। दोनों के उद्देश्य सफल होने के लिए उन्हें सारा बकाया कुछ जुर्माने के साथ काले धन में भुगतान करने की अनुमति देना चाहिए, तब काफी हद तक बकाया राशि वसूल हो जाएगी। हालांकि उन्हें ऐसा करने की छूट नहीं देनी चाहिए, उन्हें जुर्माने के तौर पर कुछ देना पड़ेगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक 100 रुपये के लिए उन्हें 150 रुपये देना चाहिए। अनेक अन्य सुझाव भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप काले धन से मजदूरों और गरीबों के लिए मकान बनाने की अनुमति दें तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। मेरे दिमाग में यही सुझाव आया है।

इन सभी चीजों का सुझाव आपको देने की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान और बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं जानता हूं कि आप इस समस्या से जो हम सभी के दिमाग में मौजूद है, निपटने के लिए अन्ततोगत्वा किसी प्रकार का प्रस्ताव जरूर लायेंगे।

आयकर कानून इतना अधिक जटिल है कि वह एक सामान्य निर्धारिती की समझ से बाहर है। कई बार तो वकील लोग गलती कर जाते हैं और उसके लिए अन्ततोगत्वा निर्धारितियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस कानून को सरल बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। किन्तु हर वर्ष संशोधन आ रहे हैं और नये प्रस्ताव आ रहे हैं, और यह कानून प्रति वर्ष जटिल और जटिलतर होता जा रहा है, मैं अनुरोध करुंगा कि इस कानून को सरल बनाने का प्रयत्न किया जाये।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च। ये विभाग दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं और अधिकारियों का वर्गीकरण किया जा रहा है और और उनके ओहदे बढ़ाये जा रहे हैं, नये नाम और रूप दिये जा रहे हैं तथा क्या

कुछ नहीं किया जा रहा है। यह एक प्रकार का उपनिवेशीय शासन है जिसकी नींव अंग्रेजों ने डाली थी और तब से वह चला आ रहा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सचिव हैं, अतिरिक्त सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, उप सचिव हैं, सहायक सचिव हैं, इस तरह सारा वर्ग चल रहा है और उसका विस्तार हो रहा है।

रेलवे को देखिए। मैं रेलवे डिवीजनल आफिसर के एक कार्यालय में गया। मुझे वह एक पूरे मंत्रालय की तरह दिखाई दिया। आप टेलीफोन डायरेक्टरी देखिए। अधिकारियों का तांता लगा हुआ है। मैं सुझाव दूंगा कि किसी प्रकार की एक समिति होनी चाहिए जो इसकी जांच करे कि क्या हमें इतने अधिकारियों की आवश्यकता है अथवा नहीं, अमरीका में इतने अधिक अधिकारियों की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। भारत में इतनी अधिक संख्या में अधिकारी क्यों हैं जो इस तरह शासन चला रहे हैं। उसमें परिवर्तन करना जरूरी है।

अन्त में, अपने राज्य पंजाब के बारे में मैं कुछ बोलूंगा। पंजाब में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। पंजाब सरकार ने कई बार सुझाव दिया है और इस सदन में भी हम मांग करते रहे हैं कि पंजाब में कोई बड़ा उद्योग होना चाहिए किन्तु केन्द्र ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है पंजाब में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। पंजाब में कच्चे माल की उपलब्धता न होने, समूचित विपणन सुविधा न होने तथा वित्त की व्यवस्था न होने के कारण उद्योग को हानि हो रही है। पंजाब भारत के एक छोर पर है। कच्चा माल बिहार उड़ीसा से आता है और अन्ततोगत्वा उस माल को बाजार बम्बई तथा अन्य स्थानों में मिलता है। इस प्रकार पंजाब में लघु उद्योग तरक्की नहीं कर रहा है और कोई व्यक्ति उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वित्त मंत्री जी से मैं अनुरोध करुंगा कि वह कम से कम वित्त की समस्या के बारे में विचार करें ताकि लघु उद्योग पनप सके।

मैं किसानों की नसीब के बारे में कहना चाहूंगा। इस सभा में बहुत कुछ कहा जा चुका है और आज के ध्यानाकर्षण में भी मंत्री जी को ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पंजाब सबसे अधिक उपज दे रहा है। पंजाब भारत का अन्नभण्डार है। इस देश की आवश्यकता पूरी करने के लिए पंजाब का किसान रात-दिन मेहनत में लगा हुआ है। लेकिन उसे क्या मिल रहा है? एक ट्रैक्टर जिसकी कीमत 40,000 रुपए होती थी आज उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। उर्वरकों की कीमतें भी काफी चढ़ गई हैं। इसी प्रकार कृषि उपकरणों के दाम भी बढ़ गये हैं। इन सभी बातों से उसकी उत्पादन, लागत बढ़ती है। किन्तु दुर्भाग्यवश, उसे पर्याप्त रूप से पैसा नहीं दिया जाता है और उसका परिणाम यह है कि पंजाब का किसान हानि उठा रहा है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा क्योंकि वह भी नीति-निर्धारण निकाय के एक अंग हैं। पंजाब के लिए हम अन्य राज्यों की भांति धानों के लिए 125 रुपए या 130 रुपए मूल्य नहीं मांग रहे हैं। हम चाहते हैं धान के लिए मूल्य 110 रुपए हो। इतना जरूर दिया जाना चाहिए क्योंकि पंजाब का किसान इससे कम मूल्य की उम्मीद नहीं करेगा। इसी प्रकार हम आपसे गेहूं के लिए 130 रुपए देने का अनुरोध करते हैं क्योंकि कीट-नाशक दवाओं तथा अन्य चीजों पर हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और किसान को बहुत अधिक हानि हो रही है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा उसका सम्बन्ध आपके विभाग से है। पंजाब में बैंक में रुपया जमा करने की प्रवृत्ति है। इस सम्बन्ध में, पंजाब में निवेश बहुत कम है। इसी प्रकार जीवन बीमा निगम पंजाब में प्रीमियम की खासी अच्छी रकम बटोरता है। लेकिन जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश बहुत कम है। इस प्रवृत्ति को बदलना जरूरी है। क्योंकि इसका सम्बन्ध आपके विभाग से है इसलिए मैं आपसे दरखास्त करुगा कि चूंकि पंजाब बैंकों को बहुत धन दे रहा है और काफी प्रीमियम दे रहा है इसलिए पंजाब में विभिन्न योजनाओं के लिए तदनूरूप और अधिक राशि विनियोजित किया जाना जरूरी है।

थियेन बांध परियोजना काफी लम्बे अर्से से लटक रही है और भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक ने एक करार करवाया था। भारत सरकार ने रावी नदी के पानी के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान को 100 करोड़ रुपए दिये। यह एक कष्टदायक कहानी है। करार यह था कि 1969 के पश्चात्, पाकिस्तान रावी के पानी का इस्तेमाल नहीं करेगा किन्तु रावी का पानी पाकिस्तान में बह रहा है और भारत को उसका पानी नहीं मिला जिसकी--- पंजाब, राजस्थान और देश के अन्य स्थानों के किसानों को इतनी अधिक जरूरत है। क्यों? पंजाब सरकार ने इस सम्बन्ध में अनगिनत प्रयास किये हैं । वह इस परियोजना पर पहले ही 29 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इस साल के बजट में, 12 करोड़ रुपए का उपबन्ध किया गया है। किन्तु केन्द्र आगे नहीं बढ़ रहा है। जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरयाणा, पंजाब और राजस्थान इस परियोजना से सम्बन्धित हैं। इन राज्यों के बीच पानी के बटवारे के सम्बन्ध में निर्णय बाद में हो जायेगा। हमें कम से कम बांध तो बनाना चाहिए। पिछले दस वर्षों में निर्माण लागत चौगुनी बढ़ गई है। फिर भी हम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, चाहे जो भी हो। पंजाब देश के लिए इतना अधिक अनाज उपजाता है और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद देता है। इस समय आप दालों, तिलहनों आदि के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं। यदि आप 500 करोड़ रुपए लगायें और थियेन बांध का निर्माण कर दें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप को किसी चीज का आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह कोई विदेशी मुद्रा आपको बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी। यदि भारत सरकार के पास काफी धन नहीं है और यदि वह इतना अधिक धन नहीं लगा सकती तो हमें विश्व बैंक से धन लेने की अनुमति दे दी जाये या फिर उन पंजाबियों से जो कनाडा या ब्रिटेन में बस गये हैं और जो हमें धन देने के लिए तैयार हैं, यदि हम उस धन को लायें तो आप हमें उसे इस बांध के निर्माण के लिए खर्च करने की अनुमति दें और न कि उसे अपने सामान्य पूल में सबको वितरित करने के लिए ले जायें। इसलिए मैं इस बात पर जोर दूंगा कि केन्द्र थियेन बांध का निर्माण जरूर करे या कम से कम योजना को उसे तुरन्त बनाने के लिए हमें अनुमति देनी चाहिए। हम पहले ही काफी धन खर्च कर चुके हैं और इस सम्बन्ध में हम और अधिक धन खर्च करना चाहते हैं। यदि आप हमें बड़े उद्योग तथा अन्य चीजें नहीं दे रहे हैं तो कम से कम इस थियेन बांध का निर्माण तो कर दीजिये।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, सभा में 1980 के वित्त (संख्या 2) विधेयक पर वाद-विवाद चल रहा है । एक वित्त विधेयक हमने मार्च में पारित किया था जब हमने

लेखानुदान पारित किये थे । आकार में यह पिछले तीस वर्षों में संसद् में प्रस्तुत किये गये वित्त विधेयकों में से यह सबसे बड़ा है। इसमें 135 खण्ड हैं जो मेरी यादगार के अनुसार, संसद में अब तक पेश किये गये किसी वित्त विधेयक में नहीं थे। मुझे खेद है कि स्वतंत्रता के बाद हम उस प्रणाली को जो हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। समय आ गया है जब हमें बजट तैयार करने की प्रणाली पर, बजट पेश करने और सरकारी खर्च पर संसद् के नियंत्रण के बारे में नये सिरे से विचार करना चाहिए। जैसा मैंने इस सदन में पहले बताया था गत वर्ष मुझे लन्दन में एक बहुत महत्वपूर्ण सामूहिक विचार विमर्श में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था जहां मुझे इस बात का पता लगा कि ब्रिटिश संसद् ने 12 या 13 समितियां गठित की हैं जिनके माध्यम से वह सरकारी खर्च पर अधिक कारगर नियन्त्रण रख रही है । बजट प्रस्तावों के बारे में इतनी गोपनीयता क्यों बरती जाती है ? अप्रत्यक्ष करों के बारे में मैं कुछ समझ सकता हूं किन्तु सरकार और वित्त मंत्री को इस पहलू पर विचार करना चाहिए और बजट प्रस्तावों के बारे में पिछले 30 वर्षों से हम जो गोपनीयता बरत रहे हैं उस बारे में हमें नए सिरे से विचार करना चाहिए। क्या हम कोई ऐसी प्रणाली नहीं निकाल सकते जिससे संसद् को काफी हद तक विश्वास में लिया जा सके और हम संसद् की कुछ समितियां गठित कर सकते हैं जो संसद् में पेश किये जाने से पूर्व कतिपय प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर सकती हो कुछ भी हो यह संसद् देश के प्रति उत्तरदायी है और यह सरकार संसद् के प्रति उत्तरदायी है। ऐसी प्रणाली क्यों अपनायी जाये जिसमें संसद् सदस्यों को बजट पर केवल अपने विचार ही व्यक्त करने हों और कोई बात उसके पक्ष में और कोई विरोध में कहकर चुप हो जाना पड़ता है ? अपने आर्थिक मामलों पर भी हमें राष्ट्रीय मतैक्य विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। म कहता हूं कि बड़े राष्ट्रीय मामलों या आर्थिक मामलों के सम्बन्ध में पार्टियों के बीच कोई अधिक मतभेद नहीं है। जहां तक विदेश नीति का सम्बन्ध है, हमारा मतैक्य है। राष्ट्र ने गुट निरपेक्ष नीति अपनायी है। क्या हम अपने देश के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में खास नीति नहीं अपना सकते ? मुझे बताइये ऐसी कौन राजनैतिक पार्टी जो बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के विचार का विरोध कर रही है ? कौन सी राजनीतिक पार्टी देश के चतुमुखी विकास के विरुद्ध है ? क्रियान्विति में कहीं पर मतभेद हो सकता है। किन्तु जहां तक गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के बड़े मामलों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं सभी राजनैतिक दलों ने अपने चुनाव घोषणा में इस विशेष कार्यक्रम को शामिल किया है । इसमें कोई मतभेद नहीं है। इस लिए इस देश में समय आ गया है जब एक राष्ट्रीय मतैक्य हासिल किया जाना चाहिए और देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा का उपयोग किया जाना चाहिए। इस विशेष बात को दिमाग में रखा जाना चाहिए और इसके लिए पहल की जानी चाहिए।

जहां तक इस विशेष स्थिति और आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, जो देश में व्याप्त है, मैं सरकार की इस बात के लिए आलोचना कर सकता हूं कि जनता शासन के 27 महीने में 27 प्वाइंट की वृद्धि हुई है। लेकिन लोकदल की सरकार के शासन में प्रति मास 3 प्वाइंट की वृद्धि और आपकी सरकार में 4 प्वाइंट प्रति मास की वृद्धि हो रही है। आप हमें दोष देते हैं, हम आपको दोष देते हैं, इससे तो समस्या हल नहीं होगी । इसलिये मैंने 18 मार्च को ही चेतावनी दी थी कि मूल्य वृद्धि 30 प्रतिशत तक हो सकती है और गत वर्ष की अपेक्षा इस

वर्ष घाटा दुगुना हो जायेगा। महोदय, केवल मूल्य वृद्धि के कारण ही मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। यह तो समय की बात है। हमें तो कठिनाई पर काबू पाने के उपाय सुझाने चाहिए। हमारे लोग कठिनाई में हैं। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं जिसे लोगों का भारी बहुमत प्राप्त हुआ है और जो कहते हैं कि देश प्रधान मंत्री के हाथ में सुरक्षित है। अब आत्म-निर्भरता की आपकी नीति का क्या हुआ? हम रक्षा में आत्मनिर्भर है लेकिन आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ?

आज अन्तर्राष्ट्रीय धन निधि से 450 करोड़ रु० उधार लेने के कारण घाटे की अर्थव्यवस्था कम हुई है। हमने कुल 11000 करोड़ रु० उधार ले रखे हैं। हमारा आन्तरिक कर्जा 29000 करोड़ रु० हो गया है। हमें उसे ब्याज सहित देना है। इस प्रकार कुल ऋण 40,000 करोड़ रु० का हो जाता है। हमें विदेशी कर्जे को ब्याज सहित वापस कर देना चाहिए। यदि हमें 1800 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता मिलती है तो उसका आधा भाग ब्याज के रूप में ही निकल जाता है। अब कुछ दिन पूर्व बनायी गई आर्थिक आत्म-निर्भरता की नीति का क्या हुआ? आर्थिक स्वतंत्रता का क्या बना? भारत को 1947 में राजनैतिक आजादी मिली थी। 32 वर्षों बाद भी हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं। विदेशी सहायता पर निर्भर करते हैं। क्या यह हमारे आत्म-सम्मान के विरुद्ध नहीं? हमारा अपमान नहीं? अभी आपने श्री वीरेन्द्र सिंह राव को कहते सुना होगा कि यह बात वह सभा को नहीं बतायेंगे। क्यों? आप संसद् को कई बातें नहीं बता रहे। प्रत्येक मंत्रालय संसद् को कई बातें नहीं बताता। मैं वित्त मंत्री से पूछता हूं कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को उन्होंने क्या बताया है? जो हम ऋण देते हैं वे क्या बातें पूछते हैं? यदि मैं साहूकार से या बैंक से उधार लेता हूं तो वह ये बातें नहीं पूछते कि मैं कौन-सी दाल-सब्जी खाता हूं या क्या मैं ब्रह्मचारी हूं, या मैं कौन सी बनियान या चुड़ी पहनता हूं। दुर्भाग्य से विश्व बैंक और आई० एम० एफ० पिछले 30 वर्षों से सरकार से ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा सरकार तथा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे इस ओर ध्यान दें।

माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न बताता हूं जो ऋण देने से पहले ये निकाय भारत सरकार से पूछते हैं। विश्व बैंक और आई० एम० एफ० ने 40 पृष्ठ की प्रश्नावली भारत सरकार को भेजी है। मैं नीचे कुछ प्रश्नों की जानकारी देता हूं :

"कृपया वे परिवर्तन बताइये जो 1978 और 1979 में घरेलू खरीद प्रणाली एवं खरीद मूल्य में तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किये गये हैं। 1977 में शुरू किये जाने वाले कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में विस्तार से लिखें। विशेष रूप से यह बतायें कि कितने मूल्य का अनाज वितरित किया गया और सार्वजनिक निर्माण कार्य कितने मूल्य के शुरू किये गये।

कृपया नकद फसलों—पटसन, कपास, गन्ना, तिलहन और दालों के मूल्य निर्धारण संबंधी नीति क्या है और उसमें क्या परिवर्तन किया गया है? कृपया अनाज खरीद

भण्डारण और उनके वितरण में (क) सुरक्षित भण्डार में वृद्धि (ख) अपर्याप्त भण्डारण सुविधाओं के कारण अव्यय (ग) मूल्य निर्धारण और वितरणनीति में परिवर्तन के कारण एक अनाज खरीद के संबंध में आंकड़े क्या हैं।

कृपया पिछले 5 वर्षों में अनाज के निपटान की तालिका में पटसन, चाय, कपास, मुख्य तिलहनों और चीनी के उत्पादन घरेलू उपयोग निर्यात आयात और आरम्भ में उनका भण्डार तथा इस समय कितना भण्डार है यह दिखायें।

"कृपया मुख्य उद्योगों के बारे में उत्पादन भण्डारण, तैयार माल, क्षमता में परिवर्तन और क्षमता उपयोग के बारे में वर्तमान स्थिति बतायें।

कृपया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन (5 वर्ष में) संबंधी आंकड़े दें।

कृपया मुख्य उद्योगों (जैसे अल्युमिनियम उद्योग या वनस्पति में तेल की मात्रा मिलाने सम्बन्धी उद्योग में मुख्य उत्पादन नियन्त्रण विनियम के बारे में और ..... वर्षों में... किये गये परिवर्तनों तथा कारणों के बारे में बतायें। कृपया कच्चे तेल और पैट्रोल के अलग-अलग उत्पादों (मिट्टी का तेल, ईंधन का तेल, भट्टी का तेल, गैसोलीन, डीजल तथा नेप्था) के आयात की स्थिति उत्पादन, उपभोग, समाप्त वर्ष में भण्डारण (वित्तीय तथा कलेंडर वर्ष दोनों के लिए) और 1980 और 1981 की परियोजनाओं के बारे में बतायें।

कृपया समुद्र किनारे पर और गहरे समुद्र में तेल की खोज की 1977 तक हुई प्रगति को संक्षिप्त में बतायें। बम्बई हाई तेल कुओं से और समुद्र किनारे के तेल कुओं से 1977, 1978 और 1979 (अनुमान) में मिलने वाले तेल और 1980-81 की परियोजनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप में बतायें और पेट्रोल की खपत में बचत और कोयले के प्रयोग के बारे में बतायें।"

यह जानकारी हमारे जोनल परिषद को भी नहीं दी गई है और सरकार का कहना यह है कि इस विशिष्ट जानकारी पर चर्चा नहीं हो सकती। ये बातें हम अपने लोगों को भी नहीं बताते लेकिन विश्व बैंक तक अन्य ऐसे निकायों को बता देते हैं।

इतना ही नहीं उन्होंने छठी योजना, उसमें परिवर्तनों और उनके कारणों के बारे में भी बताना होता है। क्या आई० एम० एफ० और विश्व बैंक हमारे लिये या हमारी संसद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त मंत्री हैं। यह बड़े अपमान जनक प्रश्न पूछे गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप वित्त मंत्री थे तब आपको भी ऐसी ही प्रश्नावली मिली होगी

श्री सतीश अग्रवाल : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप सुरक्षित हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : ऐसा पहली बार पूछा गया है। मेरे एक मित्र ने हाल में एक लेख .....

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप जानकारी का स्रोत मत बतायें ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाया । यह तो एक लेख में प्रकाशित हुआ है, जिसे मैंने उद्धृत किया है ।

इतना ही नहीं जब हमारे अधिकारी भारत सहायता कन्सोरिटियम के पास पैरिस में गये तो आई० एम० एफ० और विश्व बैंक ने कहा कि हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था के ढांचे में काफी परिवर्तन करने हैं इसका क्या मतलब हुआ वे क्या परिवर्तन चाहते हैं क्या वह ऐसा ही ही चाहते हैं जैसा कीनिया के बारे में तंजानिया ने किया ।

एक माननीय सदस्य : जैमेका में ।

श्री सतीश अग्रवाल : जी, हां, जमेका । मेरे पास यह सब पढ़ने का समय नहीं लेकिन एक अखबार अल-जहफ-अल-अखदर है । यह लन्दन से उर्दू में निकलता है । उसके दूसरे पृष्ठ पर लेख हैं "तीसरे विश्व के नियन्त्रण के लिए पूंजीपतियों का हथियार—आई० एम० एफ०" मैं यह लेख वित्त मंत्री को दूंगा इसमें बहुत सी टिप्पणियां हैं । वे कृपया इसे पढ़ें । एक उदाहरण है । कीनिया को 700 लाख डालर का ऋण चाहिये था उसे केवल 350 लाख डालर दिया गया । उन्होंने कहा कि हम बाकी का पैसा भी दे सकते हैं लेकिन आप हमारे माल के आयात को संरक्षण दीजिये और ब्याज की अधिक दर दें । इस प्रकार वे प्रत्येक देश की योजना में दखल देते हैं भारत में भी ऐसा हुआ है । 1966 में उन्होंने निर्देश दिया कि अपने रुपए का अवमूल्यन करो और हमें करना पड़ा । अब वे कुछ टैरिफ की रियायतें दे रहे हैं । अन्य देश हम पर दबाव डाल रहे हैं और हमें टैरिफ में रियायतें सीमाशुल्क कानून के अनुसार देनी पड़ती हैं । मैं अधिक विस्तार में नहीं जा सकता । लेकिन यह तथ्य है कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के कारण यह छूट देनी पड़ती है । वित्त मंत्री को इस मामले का पता होना चाहिए । तंजानियों को 2 हजार लाख डालर ऋण की जरूरत थी । लेकिन उसे नहीं मिला । उस देश के राष्ट्रपति नैरेरे ने वित्त मंत्री को पद से हटा दिया क्योंकि वह आई० एम० एफ० और विश्व बक के दबाव में आ गये, जो चाहते थे, कि तंजानिया अपनी मुद्रा का 20 प्रतिशत अवमल्यन करे, मूल्य नियन्त्रण हटाये और सरकारी क्षेत्र में व्यय करे । यह स्थिति है । अतः मैं चाहता हूं कि हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक के बन्धनों से मुक्त हो ।

एक और षड़यन्त्र है । सदस्यों को पता होना चाहिये कि यहां के लोग अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में प्रतिनियुक्तियों पर जाते हैं और उन्हें अपने वर्तमान वेतन का 10 गुणा मिलता है । यहां पर तो उन्हें केवल 2500 मिलते हैं जबकि वहां पर उन्हें 20,000 रुपये वेतन मिलता है और वह वहां 3 साल काम करने के बाद वापस आ जाते हैं । उन्हें पेंशन 5 साल के कार्य के बाद मिलती है जिस पर कर नहीं लगता । उन्हें बिना कर के पेंशन तभी मिलती है जब वे विश्व बैंक संगठनों में 5 वर्ष कार्य कर लेते हैं जब एक भारत सरकार का अधिकारी तीन वर्ष के बाद वापस आ जाता है तो वह दो वर्ष तक और कार्य करने के लिये प्रयत्न करता है अन्यथा उसे पेंशन नहीं मिलेगी । तब स्वभाविक है कि वह कर्मचारी विश्व बैंक अधिकारियों के प्रभाव में आकर हमारी योजनाओं में उनकी आवश्यकतानुसार फेरबदल कराता है । मैं वित्त मंत्री से पूछता हूं कि

क्या 4,000 भारतीय सरकार के अधिकारी काम नहीं कर रहे जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भारी राशि मिलती है । कृपया ऐसा नियम बनाइये कि प्रतिनियुक्ति पर जो अधिकारी जाये उसे 2500 रुपये की राशि ही मिले और उसे ऐसा समझा जायेगा कि वह भारतीय दूतावास में नियुक्त है । उसका सारा वेतन भारतीय दूतावास में जमा होना चाहिए। आप इन नियमों को लागू कीजिये। आप वित्त मंत्री हैं इसलिये मैं आपसे अपील करता हूं ।

ऊंचे पदों पर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कर मुक्त पेंशन ले रहे हैं । उन्हें प्रतिमास 10,000 रुपये या 5,000 रुपये पेंशन के मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें भारी वेतन मिलता है । और वे ये भी कोशिश करते हैं कि उनके पुत्र, पुत्रियों को भी उनकी संस्थाओं में नौकरी मिले। अतः यह वर्ग अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रभाव में आ जाता है। अतः उनसे देश को मुक्त करें ।

आप कहेंगे : हम क्या करें? मेरा सुझाव है कि आप तीन उपाय करें। यदि भारत सरकार उन्हें मान ले तो मैं अपने संशोधन वापस लेकर सरकार से सहयोग के लिये तैयार हूं। आप देखें कि शेख अब्दुल्ला ने कहा है कि हम अनाज में रियायत नहीं चाहते। आपके पास भी ऐसी राजनीतिक दृढ़ इच्छा चाहिये।

वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि 70 से 66 प्रतिशत आयकर करने से उन्हें 8 प्रतिशत की हानि होगी और उन्होंने कहा है कि हम कर विधियों को अधिक अच्छी तरह लागू करेंगे। मेरा कहना है कि सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में 20 प्रतिशत से कम चोरी नहीं होती । हमारा राजस्व 12000 करोड़ रुपये है । यदि आप 10 प्रतिशत चोरी भी रोकें तो 1200 करोड़ रु० की बचत होगी । यदि सरकारी क्षेत्र से 10 प्रतिशत अधिक मिले तो आपको 1500 करोड़ रु० मिलेंगे। यदि आप खर्च में 10 प्रतिशत कटौती करें तो 1300 करोड़ रु० बचेंगे। इस तरह यह राशि 4000 करोड़ रुपये बैठती है।

जब मैं सीमा शुल्क का प्रभारी मंत्री था तो मैंने विभाग में भ्रष्टाचार का पता लगाने हेतु एक समिति नियुक्त की थी । उन्होंने 6 मास में पता लगा लिया। अधिकारियों की मिली-भगत के बिना तस्करी नहीं हो सकती । चाहे एयर इंडिया, हो या सीमा शुल्क हो या सी० बी० आई० का महकमा हो। लेकिन गत 30 वर्षों में कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की गई। मैंने इन विभागों में 39 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की।

[श्री शिवराज पाटिल पीठासीन हुए]

अतः सुझाये गये उपायों द्वारा हम 4000 करोड़ रुपये की बचत और विदेशों पर निर्भरता समाप्त कर सकते हैं और हम ऋण भी वापस कर सकते हैं।

कुछ छोटी-छोटी बातें भी मैं कहना चाहता हूं। यह सभा सरकार को कर लगाने और उसकी दर के अनुमोदन का अधिकार देती है । उसके बाद छुट देने का सरकार को क्यों अधिकार होना चाहिए । मेरा सुझाव है कि कर लगाये जाने के बाद कोई छूट या रियायत नहीं दी जानी चाहिये । संसद की एक समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए कि क्या छूट देना उचित है ।

संसद द्वारा अनुमोदन किये जाने पर सरकार को उसे बदलने का अधिकार नहीं होना चाहिये । वित्त मंत्री एक समिति बनाने के लिए सहमत हों । मैं जानता हूं कि वे कहेंगे कि कई प्रशासनिक कठिनाइयां हैं । लेकिन उससे दुरुपयोग रुकेगा और समस्याएं सुलझें होंगी तथा दबाव कम होंगे । संसद का प्रभावी नियन्त्रण रहेगा जो सरकार के लिये लाभदायक है । संसद द्वारा अनुमोदन के बाद उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए । जैसा कि प्रत्यक्ष करों के मामले में है वैसा ही अप्रत्यक्ष करों के मामले में भी होना चाहिये । प्रयत्क्ष करों में छूट देने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है ।

मैं वित्त मंत्री से सहमत हूं कि सरकारी व्यापार के लिये अलग बजट होना चहिये । हमने सरकारी क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपये लगाये हैं और सरकार बहुत सा व्यापार करती है । सरकार को यह भी पता होना चाहिये कि हमने उस व्यापार से क्या कमाया है । यदि हम ऐसा कर लें तो यह हमारी अर्थ-व्यवस्था के हित में होगा ।

एक अन्य बात यह है कि अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम के अधीन 75 दिन के भीतर सभा को सभी वित्तीय प्रस्तावों का अनुमोदन करना होता है । पिछली लोक सभा में गैर-सरकारी सदस्य ने एक विधेयक पुरःस्थापित किया था जिसमें 75 को बढ़ाकर 90 दिन की व्यवस्था की जानी थी । लोक सभा भंग होने से वह विधेयक व्यपगत हो गया है । वित्त विधेयक पुरःस्थापित करने के दिन से सरकार अस्थायी तौर पर जब तक कि विधेयक 75 दिन के अन्दर पास न किया जाये कर ले सकती है । आप इस अधिनियम में संशोधन करके सीमा को 75 से 90 दिन करें इससे विभिन्न बजट प्रस्तावों पर चर्चा के लिये अधिक समय मिलेगा ।

मेरा अन्तिम कहना यह है कि प्रक्रिया को सादा बनाया जाये । हमारे कर कानून बहुत जटिल हैं मैं 30 वर्षों से वकील हूं फिर भी बिना किसी मित्र की सहायता से मैं आयकर विवरणी नहीं भर सकता । मंत्री जी ने इस सभा में वचन दिया है कि वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधियों का सरलीकरण करेंगे । मंत्री जी यह आश्वासन दें कि वह इस वर्ष के अन्त तक कर विधि प्रस्तुत करेंगे । वी जी को इन करों को सरल बनाकर उन्हें अच्छी तरह लागू करना चाहिये । उसमें त्रुटियों को दूर करना चाहिये जिससे कर अपवंचन को रोका जा सके और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का लाभ बढ़ सकें । सरकारी व्यय में 10 प्रतिशत कटौती की जाये, बकाया राशि वसूल की जाये । राष्ट्र तथा सभा को विश्वास में लाकर सारा काम होना चाहिये और संसद का प्रभावी नियन्त्रण होना चाहिये । मुझे विश्वास है कि हम इन उपायों से देश को अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्रों और बंधनों से मुक्त कर सकेंगे ।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (उदयपुर) : सभापति महोदय, अभी श्री सतीश अग्रवाल को जब मैं सुन रहा था, मैं यह सोच रहा था कि कहीं वर्ल्ड बैंक ने कोई नया क्वेस्चनेयर शुरू किया है, या वहीं क्वेस्चनेयर है, जो कि उस समय था, जबकि वह वित्त मंत्री थें । इसके साथ-साथ उन्होंने पार्लियामेंटरी कमेटी के बारे में और कई दूसरे सुझाव दिये । मैं समझता हूं कि उनके भाषण में 90 परसेंट हिस्सा ऐसा था, जो वह स्वयं ठीक तौर से पूरा कर सकते थे, जबकि वह स्वयं फ़िनांस मिनिस्टर थे । लेकिन मैं उस विवाद में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं इसका इन्चार्ज नहीं था।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : गवर्नमेन्ट में तो थे ।

श्री सतीश अग्रवाल : चौधरी चरण सिंह ने लास्ट यीअर कहा था कि फ़ारेन एड बिल्कुल बन्द कर दी जाये। इस पर फिनांस सेक्रेटरी ने कहा कि यह संभव नहीं है। लेकिन यदि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इस का मतलब यह नहीं है कि आप भी कुछ न करें।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : वित्त मंत्री जी को बजट प्रस्तुत करने के समय जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, मैं समझता हूं कि शायद ही किसी वित्त मंत्री को इतने मुश्किल हालात में बजट प्रस्तुत करना पड़ा हो।

एक तरफ गैलपिंग इन्फ्लेश शलोर्टेज आफ गुड्स और दूसरी तरफ हर तरह की मुश्किल सामने थीं। तब भी उन्होंने नये डायरेक्ट टैक्सेज न लगा कर कुछ रियायतें देने का प्रयत्न किया और इस बात की कोशिश की कि किसी तरह से इस बजट को ऐसा बनाया जाए कि जिस में ग्रोथ भी संभव हो और कम से कम महंगाई हो।

मैं ऐसा समझता हूं कि जो हालात पिछले तीन सालों के अन्दर पैदा हुए, अगर कांग्रेस, की हुकूमत के जमाने में जो फूड ग्रेन्स का बफर स्टाक था वह न होता तो मैं कह नहीं सकता कि देश के अन्दर किस प्रकार के हालात पैदा हो जाते या क्या स्थिति पैदा होती । शायद उस चीज ने देश को कुछ हद तक एक तरह से कहा जाय कि कैआस की तरफ जाने से बचाया। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके सिलसिले में मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट टैक्स के लिए मैं समझता हूं कि करीब सैचुरेशन प्वांइट के ऊपर न सिर्फ अभी बल्कि आने वाले कुछ वर्षों के लियें भी हम पहुंच चुके हैं। जरूरत इस बात की भी है कि रिसोर्सेज किस जगह से हम टैप कर सकें और कौन से खर्चा को हम कम करें। अभी जैसा जिक्र किया गया और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पब्लिक सैक्टर के अन्दर इन्वेस्ट किया गया है उसमें जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत हूं तो फाइनेंस मिनिस्टर मुझे ठीक कर सकते हैं, डेप्रिशिएशन फंड पूरा प्रोवाइड करना कई जगह मुश्किल हो रहा है। जिस को सरप्लस या प्राफिट कहना चाहिए 15 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर वह आज उपलब्ध नहीं हो रहा है। हम इसको सोशलिस्ट पैटर्न का मज़बूत फाउन्डेशन मान कर चलते हैं लेकिन जहां भी सोशलिज्म है वहां मैं समझता हूं कि पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज़ के अन्दर भी पूरी तरह से मदद करते हैं और उन रिसोर्सेज के जरिए फर्दर इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश पैदा होती है। यहां आमतौर पर अगर पब्लिक सैक्टर के अन्दर उसको और आगे बढ़ाना हो तो लोन्स लेकर या जनरल रेवेन्यू से हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ती है । मैं समझता हूं कि पब्लिक सेक्टर को सिर्फ एक एक सेक्टरवाइज़ इन्वेस्टिगेट करने की ही सख्त आवश्यकता नहीं है बल्कि मेरे मित्र वेंकटरमन जी को याद होगा कि एक वर्ष था, मुझे वह वर्ष तो याद नहीं है लेकिन इस बात पर उस समय सोचा गया था कि जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं उनके लिए एक सेलेक्शन हो प्रोफेशनल्स का जिसमें उस वक्त कहा गया था कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए स्पेशल तौर से सैलेक्शन करके आफिसर्स लिए जायेंगे

जिसमें आई० ए० एस० वाले भी एलिजिबल होंगे अपीयर होने के लिये और जो आउट-साइडर प्रोफेशनल्स हैं वह भी एलिजिबल होंगे। मैं समझता हूं कि पब्लिक सैक्टर के डोमेन को कुछ सिर्फ आई० ए० एस० या ऐसे ही कुछ व्यक्तियों का ही डोमेन रखने के बजाय इसमें प्रोफेशनल्स विद अचीवमेंट रखे जाने चाहिये जो निश्चित समय के अन्दर अचीवमेंट करके दिखायें। आगे अगर अचीवमेंट करके नहीं दिखाते हैं तो कुछ सेक्योरिटी आफ सर्विस होने से अगर लास होगा तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर ही होने वाला है, इसके सिवाय और कुछ नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं कि कोई भी प्राइवेट विजनेसमैन होगा तो वह इस तरह की लासेज़ को बर्दाश्त करता जाय और यह चीज चलती जाय यह संभव नहीं हो सकता। अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि धीरे-धीरे यह पब्लिक सैक्टर एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक सेक्टर जैसा बनता चला गया जिस के अन्दर आफिसर्स ही सारी चीज को देखते चलते हैं और पब्लिक सैक्टर वाली भावना उसके अन्दर कम से कम हो गई। आज हम देखते हैं कि कई जगह जो जनरल मैनेजर्स के बंगलें हैं वे प्राइम मिनिस्टर के मकान से भी बेहतर हैं, कई जगह गैस्ट हाउसेज़ भी ऐसे मिलेंगे जो कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। ये सब पब्लिक सैक्टर के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। कहीं भी आप कोई पब्लिक सैक्टर ल्लें तो कोई काम शुरू होने से पहले हमारतें बननी शुरू हो जायेंगी, गेस्ट हाउसेज बनने शुरू हो जायेंगे, बंगले बनने शुरू हो जायेंगे रिटर्न कब होगा, कब नहीं, और कितना होगा, इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। मैं समझता हूं कि इस की सख्त आवश्यकता है कि पब्लिक सैक्टर के लिये जितना मानिटरिंग संभव हो, ज्यादा से ज्यादा किया जाए और इन चीजों को रोका जाए।

मैं एक निवेदन और करूंगा यद्यपि वह कई लोगों को पसन्द नहीं आएगा। हमारे वित्त मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि जब हमारे देश पर चाइना का एग्रेशन हुआ था तो उस मौके पर नेशनल डैवलपमेंट कौसिल में, इंफ्लेशन और दूसरी चीजों को ध्यान में रखते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम प्लान को दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक कोर सेक्टर हो जो प्राडक्शन के लिये हो। एजूकेशन के ऊपर भी खर्च किया जाए क्योंकि उन्होंने कहा था कि इससे भावी पीढ़ी का सम्बन्ध है। लेकिन नान-प्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर और नान-प्लान्ड एक्सपेंडीचर में, मैं तो यहां तक कहूंगा कि कुछ सोशल क्षेत्रों को भी सेकेन्ड प्रायर्टी में रखना पड़े, इंफ्लेशन को रोकने के लिये और डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम से कम लेविल पर रखने के लिए, तो यह कदम उठाना जरूरी होगा। आज जो हालात हैं, जिस तरह से इंफ्लेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न कम हो रहा है। आप प्लान में 20 परसेंट ज्यादा प्रोवाइड करते हैं लेकिन अगर 20 परसेंट कास्ट ज्यादा बढ़ गई है तो आपका इनपुट वही रहेगा। गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को डीयर्नेस एलाउन्स मिल जाता है लेकिन करोड़ों आदमी हैं जिनको कुछ नहीं मिलता है, उनको मंहगाई की वजह से कितना सफर करना पड़ता है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।

अभी कुछ समय पहले यहां पर खरीफ की फसल की क्या कीमत रखी जाए इस पर बहस हो रही थी तो डीजल और फर्टिलाइजर की बढ़ी हुई कीमत की पूर्ति करने की बात सोची जा रही थी लेकिन किसान को और जो खरीदना पड़ता है वह कितना मंहगा है उसकी वजह से

उसका स्टैन्डर्ड आफ लिविंग गिरेगा या बढ़ेगा—यह कहीं भी कंसिड्रेशन में नहीं आता है क्योंकि उससे दूसरे फैक्टर्स सामने आ जायेंगे। तो इन चीजों को भी देखने की आवश्यकता है। प्लान के खर्चे के बारे में गहराई के साथ विचार किया जाना चाहिए। जो सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान तैयार किया जा रहा है उसमें किस चीज को प्रायर्टी देनी है, किस चीज़ को प्रायर्टी नहीं देनी है—इस पर गहराई के साथ विचार होना चाहिए।

हर प्लान डाकुमेन्ट में इस बात को कहा जाता है और फाइनेन्स मिनिस्टिर ने भी अपनी स्पीच में तथा दूसरे अवसरों पर भी कहा है कि देश में जो रीजनल इम्बैलेन्स है उसको दूर किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कई स्थानों पर आन्दोलन खड़े होते हैं और बहुत से आन्दोलनों के पीछे एकोनामिक कारण होते हैं। वह चाहे आसाम हो या कोई दूसरी जगह, आन्दोलन की शुरुआत इसी कारण होती है हालाँकि बाद में उसका रूप बदल जाता है। तो देश में जो रीजनल इम्बैलेन्स है उसको किस प्रकार से दूर किया जायेगा इसके जवाब में आम तौर पर कह दिया जाएगा कि गाडगिल फार्मूला है और फाइनेन्स कमीशन है जोकि इसको लुक-आफटर करता है। लेकिन वित्त मन्त्री जी जानते हैं, उन्होंने और हमने कई काँफ्रेन्सेज एक साथ अटेण्ड की है जहाँ पर मैंने बारबार कहा है कि सिर्फ स्टेट प्लान और फाइनेन्स कमीशन की रेक्मेंडेशन से रीजनल इम्बैलेन्स कभी दूर नहीं होंगे। इसके लिये जरूरी है कि जो इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिंग पालिसी है और जो आपके इन्वेस्टमेन्ट हैं, वह चाहे एल० आई० सी० के जरिये से हों, बैंक्स के जरिए से हों या जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनके जरिए से हों—आप सारी टोटल पिक्चर को उठाकर देखें। आपको पता चलेगा कि जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया है वह जितना तीन चार स्टेट्स में किया गया है उतना बाकी सभी स्टेट्स में नहीं किया गया है। तीन चार स्टेट्स एक तरफ होंगे और बाकी सारी स्टेट्स दूसरी तरफ होंगी। चूंकि उन स्टेट्स में इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद था इसलिये वहां पर गइन्वेस्टमेन्ट होता चला गया। और इसी को लेकर आप चलते रहेंगे तो मैं समझता हूं एक एक प्लान के बाद रीजनल इंबैलेन्स और बढ़ता चला जायेगा।

इतना ही नहीं, प्लान की स्कीम्स में मैचिंग ग्रान्ट की कंडीशन भी रखी जाती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि किसी स्टेट में कम्युनिटी हेल्थ सर्विस तभी शुरू की जा सकती है जबकि स्टेट 50 परसेंट देने के लिए तैयार हो और 50 परसेंट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया देगी। मेरा निवेदन है कि जो स्टेट्स नेशनल पर-कैपिटा इनकम के नीचे हैं उनके ऊपर मैचिंग ग्रान्ट की कंडीशन नहीं रखी जानी चाहिए।

अगर आप उनके लिए भी यह 50 परसेंट की मैचिंग ग्रान्ट की कन्डीशन रख कर चलते हैं, तो जो बैकवर्ड क्षेत्र है, वह इस स्कीम को नहीं ले पाएंगे। उनको ज्यादातर फारगो करना पड़ेगा और उसकी वजह से वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सफर करने की नौबत पेश होगी।

सभापति महोदय, रीजनल इम्बैलेंस की बात को सामने रखते हुए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब राजस्थान कैनाल का काम राजस्थान के अन्दर लिया गया तो उस वक्त श्री टी० टी० कृष्णमाचारी हिन्दुस्तान के फिनेंस मिनिस्टर थे और श्री वी० के० कृष्णामैनन डिफेंस मिनिस्टर

थे, उनसे मैंने बातचीत की और कहा कि क्या राजस्थान जैसा बैकवर्ड स्टेट इतना बड़ा वजन अपने स्टेट प्लान में उठा सकता है। तो करीब-करीब यह बात तय हुई थी कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाए, जिससे राजस्थान को और दिशाओं में सफर न करना पड़े। लेकिन यह चींज आगे चलकर सफल नहीं हो पाई और उसकी वजह से आज उनको जबरदस्त सफर करना पड़ रहा है। मैं यह नहीं कहता कि मैं केवल राजस्थान नहर का ही उदाहरण देकर चलूं और वहां पर अन्य कोई स्कोप नहीं है। राजस्थान के अन्दर खनिज पदार्थ हैं । आज निश्चित तौर से मैं यह कह कर चल सकता हूं कि यदि वहां पर रेलवे की सुविधा हो, कोयला पहुंचाने की सुविधा हो, बिजली उपलब्ध हो, तो लाइम स्टोन आज जितनी मात्रा में राजस्थान के अन्दर उपलब्ध है, उससे हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा सीमेंट पैदा करने वाला राजस्थान हो जाएगा ।

सभापति जी, आज फर्टीलाइजर के बारे में कुछ देर पहले कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि हमें डाई-अमोनियम फास्फेट काफी मात्रा में इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, पहले हमें रॉक-फॉसफेट विदेशों से मंगाना पड़ता था । आज प्रचुर मात्रा में उदयपुर के पास रॉक-फॉसफेट निकलने लगा है लेकिन फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो फर्टिलाइज़र आप बनाना चाहते हैं, बम्बई-हाई से जो गैस लाना चाहते हैं, गुजरात के अन्दर आप जो फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उदयपुर क्षेत्र में जहां पर राक-फासफेट है, यदि वहां पर आप फैक्ट्री लगाते हैं, तो वहां के लोगों को संतोष होगा कि जहां हम देश के लिये रॉक-फॉसफेट दे रहे हैं, वहां हमारे लिए फर्टिलाइज़र प्लान्ट लगा है। यह नहीं हो कि जो कुछ वहां पैदा होता है, वह तो प्रासेसिंग के लिए बाहर जाए और हमारे राज्य को कुछ न मिले । लैड और जिंक वहां पैदा होता है, तो जिंक स्मेल्टर्स तो वहां पर हैं, लेकिन लैड स्मेल्टिंग के लिए बाहर जाएगा और साफ्ट स्टोन की पैस्टिसाइड इन्डस्ट्री बाहर होगी।

आज भी वहां पर काफी चीजें उबलब्ध हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है और फासफोरिक एसिड का कारखाना लगने वाला है । राजस्थान काफी बैकवर्ड है, तो क्यों नहीं मथुरा रिफाइनरी पर बैस्ड एक फर्टिलाइज़र का कारखाना भरतपुर जिले के अन्दर या उसके आसपास लगाया जाए और दूसरा बम्बई हाई गैस पर आधारित उदयपुर क्षेत्र के अन्दर, जहां रॉक-फॉसफेट इतनी मात्रा में उपलब्ध है, वहां पर लगाया जाए, इस तरह जो इम्बेलेंस है, उसको आप काफी ठीक कर सकते हैं।

एक प्रश्न उठाया गया था राजस्थान में पैट्रोल की जांच के लिए सर्वे के लिए। वहां पर निश्चित तौर से पैट्रोल या गैस दो में से एक चीज़ मिल सकती है । मुझे याद है, जब यहां पर श्री के० डी० मालवीय पैट्रोलियम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझ से कहा था कि जब सूई और मारी गैस पाकिस्तान में राजस्थान के बार्डर पर एवेलेबल है, तो यहां भी जरूर मिलेगी । लेकिन उस काम को तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ाया गया ।

किसी वक्त 20 मिलीयन टन लिगनाइट जो बीकानेर के अन्दर है, और दूसरी जगहों की बात जाने दीजिए, यह कह कर कि कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा आता है, उसको

छोड़ दिया गया। लेकिन आज जब कोयले की कास्ट इतनी हैवी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो गया है, तो पलाना का लिगनाइट, चाहे गैसीफिकेशन के प्रोसेस के जरिए या किसी प्रोसेस के जरिए, उसको बिजली के उत्पादन के काम में लाया जा सकता है।

माननीय सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वक्त आ गया है कि देश की वेज पॉलिसी के बारे में, नेशनलवेज पॉलिसी के बारे में सब लोग मिलकर गम्भीरता के साथ विचार करें। आज रिजर्व बैंक के चपरासी को और उसके शॉफर को जो कुछ मिलता है और उसके साथ ही दूसरी स्टेट सर्विस के कर्मचारियों को जो कुछ मिलता है, उसमें इतनी डिसपैरिटी कैसे चलेगी ? रिजर्व बैंक के अन्दर काम करने वाला चपरासी कोई बहुत एक्सट्रा आर्डिनरी काम करता हो या शॉफर कोई एक्सट्रा काम करता हो, यह बात नहीं है।

हमारे यहां यह तरीका बन गया है कि सीमेन्ट महंगा हो गया है, उसकी ज्यादा आवश्यकता है तो सीमेन्ट के लेबर की तनख्वाह बढ़ा दो । दूसरी चीजों की कमी है तो उनमें काम करने वाले लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दो । एल० आई० सी० प्राफिट करता है तो उसका एडवान्टेज पॉलिसी होल्डर्स को क्यों न हो, जिसको आप लोन देते हैं, उसको क्यों न हो । इसी तरह से बैंक को प्राफिट होता है तो उसका लाभ बैंक के रुपये को इन्वेस्ट करने वाले को क्यों न हो । एम्पलाइज़ को ही फायदा पहुंच रहा है और बढ़ते-बढ़ते यह ऐसा साइकल बन गया है कि जो इसमें एक बार लग गया, उसको ज्यादा फायदा होता चला जाता है, लेकिन दूसरी ओर 150 रुपया मिलता है, उसको फायदा नहीं मिलता है, यहां तक कि करोड़ों को रोजगार भी नहीं मिलता है। एक तरफ़ हम कहते हैं कि जो बिलो-पावर्टी लाइन हैं, उनकी हालत को इम्प्रूव किया जाय, बेरोजगारों को काम दिया जाय, लेकिन दूसरी तरफ जो काम पर लग गये हैं उनको ज्यादा से ज्यादा दिया जा रहा है । इसके लिए कुछ प्रायोरिटीज़ तय करनी होंगी --जिससे उसका लाभ सबको मिल सके, जिन को पहले से मिल रहा है उनको और ज्यादा होता जाय, लेकिन जिनको खाने को भी नहीं मिल रहा है, उनको भूखा ही रहना पड़े। हमको अपनी वेज-पॉलिसी को तय करना होगा।

मैं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर से निवेदन करूंगा--आपने डीज़ल की प्राइस को बढ़ाया है, जिससे ट्रान्सपोर्ट की कास्ट बढ़ गई है। लेकिन एक चीज जो हमारे मैनीफ़ैस्टो में भी कही गई है--उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा तात्पर्य "आक्ट्राय" से है। आज ट्रांसपोर्ट कितना महंगा हो गया है, कितनी जगहों पर इस आक्ट्राय के चक्कर में समय नष्ट होता है, और बहुत दिक्कत पेश आती है। मैं चाहता हूं कि आक्ट्राय से जो इनकम होती है, उसको आप चाह एडीशनल-सेल्ज़ टैक्स लगा कर या एडीशनल-एक्साइज़ के जरिये मेक-अप कीजिये और उससे म्यूनिस्पैलिटीज़ और कारपोरेशन की ज़रूरत को पूरा कीजिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट जल्द से जल्द हो, इसके द्वारा जो करप्शन और दूसरी तरह की मुश्किलात सामने आती हैं उनसे बचा जा सकता है।

हमने राजस्थान में 11-12 साल पहले इस बात की कोशिश की थी कि गांवों से एल० आई० सी० को ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम मिले । हमने ऐसी कोशिश की थी पंचायतों को एल० आई० सी० का एजेन्ट बनाकर और जो कमीशन आप एजेन्ट को देते हैं वह

पंचायत को प्राप्त हो, जिसको वे अपने डवलपमेंट के कामों पर खर्च कर सकें। इससे रूरल इन्शोरेन्स के काम को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। अगर हम सारे देश के लिहाज से इस चीज को देखें और पंचायतों को एजेन्ट बना कर रूरल एरियाज में रिसोर्सेज को माफ-अप करने का प्रयत्न करें तो इससे काफी फायदा हो सकता है।

मैंने जैसा शुरू में कहा था—वित्त मंत्री जी ने काफी मुश्किल हालात में इस बजट को प्रस्तुत किया है। इसमें जो डेफिसिट है, वह आगे कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा, अभी कहना मुश्किल है, मानसून के बाद ही कुछ कह सकते हैं। अलग-अलग स्टेट्स में जो बजट पेश किये गये हैं उन सबके ओवर-आल-इम्पैक्ट को देखते हुए यह एक गम्भीरता से सोचने का विषय बन जाता है। कल कुछ मिला कर जो पिक्चर हमारे सामने आ रही है, उसका क्या परिणाम होगा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, मैं समझता हूं वित्त मंत्री जी स्वयं उसके बारे में गहराई से विचार करेंगे। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं—आज देश की सबसे पहली आवश्यकता अगर कुछ है तो वह यह है कि मंहगाई को रोका जाय, उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाय। उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेन्ट किया जाय और जो नानप्रोडक्टिव, नान लण्ड एक्सपैण्डिचर है, उसको कम से कम करने की कोशिश की जाय। मुझे याद है, वित्त मंत्री जी भी जानते होंगे, इसी देश में कांग्रेस के जमाने में एक ऐसा वक्त आया था, जब हमने नई बिल्डिंग एक्टीविटीज को कम्पलीटली रोक दिया था। मैं चाहता हूं कि जो नई बिल्डिंग एक्टिविटीज हाथ में है और जो काफी आगे बढ़ चुकी हैं उनको तो पूरा किया जाय, लेकिन इन पर ज्यादा पैसा खर्च न किया जाय। मैं समझता हूं इन सब चीजों पर पूरी तरह से गौर किया जायगा तथा जो डफिसिट बढ़ने के खतरे पैदा हो रहे हैं उनको रोकने पर ध्यान दिया जायगा।

इतना ही कह कर मैं इस प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं।

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : बजट पर बोलने से पूर्व मैं अपने मित्र को जो इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं सूचित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमने चुंगी समाप्त कर दी है और हमें इसका लाभ हो रहा है। मैं महसूस करता हूं कि अन्य राज्यों के लिये मध्य प्रदेश का अनुसरण करना असंभव नहीं है।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसे बहुत कठिन परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया है। जब उन्होंने इस मंत्रालय का कार्य-भार संभाला तो अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्रीय उत्पादन 3 प्रतिशत गिर गया था; कृषि उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी आ गई थी, उद्योगों में 1 प्रतिशत की कमी और चीनी के उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आ गई थी।

कुछ लोगों ने इस बजट के सम्बन्ध में कहा है कि यह पूंजी निवेश विरोधी तथा विकास विरोधी बजट है। कुछ लोगों ने कहा है यह न तो कुछ देने वाला बजट है और न ही कुछ लेने वाला बजट। इन दोनों में से कोई बात सत्य नहीं है। किसी ने इस तरह की बात कही है। किन्तु अधिकांश लोगों, विशेषज्ञों तथा आम लोगों ने कहा है कि यह एक सर्वोत्तम बजट है, अति सन्तुलित बजट है और सर्वाधिक व्यापक बजट है। और इस तरह बजट से

समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ है। टैक्सी-ड्राइवरों, रिक्शावालों, किसानों और यहां तक कि उद्योगपतियों को भी इस बजट से फायदा पहुंचा है। एक गैर-निकाय व्यष्टियों को कैसे लाभ पहुंचा है? व्यष्टियों को तीन रियायतें दी गई हैं। पहली यह कि छूट सीमा 10,000 रुपये से बढ़ा कर 12,000 रुपये कर दी गई है, दूसरी यह कि सम्पत्ति कर की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके पश्चात् आयकर पर अधिभार में कटौती की गई है। व्यष्टियों को एक रियायत और दी गई है। अब सम्पत्ति कर का हिसाब लगाने में कृषि भूमि की छूट दे दी गई है। सम्पत्ति कर का हिसाब लगाने अथवा निर्धारण करने में अब कृषि सम्पत्ति का मूल्य शामिल नहीं किया जायेगा। इस प्रकार आम आदमी को लाभ पहुंचा है। इसलिये, आम आदमी को कई लाभ मिले हैं। इसी कारण अधिकांश लोगों ने इसे आम आदमी का बजट कहा है, उद्योगों को कैसे लाभ पहुंचा है? कर अवकाश जो, जहां तक मुझे ठीक तरह याद है, 1949 में लागू किया गया था अब 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाला था। उसकी अवधि बढ़ा दी गई है अथवा संशोधित रूप में उसे जारी रखा गया है। कर अवकाश की यह रियायत नये उद्योगों को उपलब्ध करायी गई है। यदि कोई 31 मार्च के बाद नई फैक्टरी या कारखाना खोलता है और उस कारखाने को यदि कोई लाभ भी होता है तो भी आय की 25 प्रतिशत को कर से छूट दी जायेगी और यह रियायत सात वर्ष तक जारी रहेगी। इसी तरह यदि इस अवधि के पश्चात् कोई अनुमोदित होटल खोले जाते हैं तो जो लाभ उन्हें हो उसकी 25 प्रतिशत राशि को आयकर से छूट दी जायेगी।

गैर नियमित या व्यष्टि क्षेत्रों के मामले में 20 प्रतिशत लाभ को कर से छूट दी जायेगी। सहकारी समितियों द्वारा अर्जित लाभ के मामले में छूट अवधि को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है। इन रियायतों के अलावा, अवक्षयण (मूल्य ह्रास) रियायत दी गई है अर्थात् उन उद्योगों अथवा एककों को जो इस अवधि के बाद काम करना शुरू करेंगे सामान्य अवक्षयण पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अवक्षयण दिया जायेगा। यदि वे पांच वर्ष के भीतर कोई मशीनरी या संयंत्र लगाते हैं तो यह अतिरिक्त अवक्षयण उन्हें दिया जायेगा। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार इस बजट के प्रस्तावों के अन्तर्गत निगमित क्षेत्र को भी लाभ पहुंचा है।

अब मैं मूल्य वृद्धि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह एक ऐसा मामला है जिस के प्रति हम वचनबद्ध है। जैसा कि आपकों ज्ञात है कि चुनावों के दौरान हम ने लोगों से दो बहुत महत्वपूर्ण वायदे किये थे। पहला यह है कि हम मूल्यों में कमी लायेंगे और दूसरा यह कि विधि और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करेंगे।

महोदय, वित्त मंत्री ने कई कदम उठाने के प्रस्ताव किये हैं और वह ठीक ही यह महसूस करते हैं कि इन से मूल्य वृद्धि रुक जायेगी। उन्होंने पहला कदम यह उठाया है कि भूतपूर्व सरकार की भांति इस बजट को बहुत घाटे वाला बजट नहीं बनाया है और उन का कहना है, कि उन्होंने घाटे को पहली सरकार की तुलना में लगभग आधा कर दिया है। उन का विचार है कि मूल्य में वृद्धि का एक कारण आम प्रयोग की शुल्क वस्तुओं पर अन्धा-धुन्ध शुल्क लगाना था, उन्होंने आम प्रयोग की वस्तुओं पर शल्क घटा दिया है।

दूसरा कारण उन्होंने यह बताया कि आधारभूत ढांचे में कमी थी और तीन क्षेत्रों—परिवहन, ऊर्जा और कोयला के बीच समन्वय नहीं था। अब उन्होंने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और उन्होंने एक समिति बनाई है। जिस के वह अध्यक्ष हैं। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन तीन क्षेत्रों के बीच समुचित समन्वय स्थापित किया जाये। फिर उनका कहना है लोक वितरण प्रणाली के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रणाली में कई कमियां हैं। आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित दर मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। और इन दुकानों पर वे नियम लागू हैं जो 1958 में आवश्यक वस्तु अधिनयम के अन्तर्गत बनाये गये थे। उन नियमों के अन्तर्गत बताया गया है कि किस किस श्रेणी के व्यक्तियों को उचित दर की दुकानें दी जा सकती हैं तथा क्रमवार वे श्रेणियां हैं;—सहकारी समितयां, अनुसूचित जातियां, भूतपूर्व सैनिक और शिक्षित बेरोजगार।

मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षित बेरोजगार श्रेणी का गत तीन वर्षों में बहुत दुरुपयोग किया गया है। बहुत से लोगों ने उन शिक्षित बेरोजगारों के नाम दुकानें ले ली हैं, जिन के पास धन नहीं है तथा स्वयं दुकानें चला रहे हैं। मेरे जिले सतना में एक परिवार है जो उचित दर मूल्य की 29 दुकानें चला रहा है। इस मामले में अधिकारियों को और स्वयं श्री सेठी को जब वह सतना गये थे, एक शिकायत की गई थी, परन्तु अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सभापति महोदय मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन दुकानों पर जो वस्तुयें दी जाती है उन का 75 प्रतिशत भाग काले बाजार में बेचा जाता है। मेरा नगर एक वाणिज्यिक नगर है और मुझे ज्ञात है कि इस नगर की उचित दर की दुकानों के लिये जो चीनी, चावल और गेंहूं आवंटित किये जाते हैं उन का 75 प्रतिशत काले बाजार में बेचा जाता है। मैं वित मंत्री से निवेदन करूंगा कि कृषि मंत्री के सहयोग से वह नियमों में संशोधन करने का प्रयास करें। नियम में एक खण्ड है कि यदि कलैक्टर किसी दुकान को रद्द करना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता और इस के लिये उसे नोटिस देना होता है। फिर उसे दुकानदार को सुनने का अवसर देना पड़ता है और तभी वह लाइसेंस कैंसल कर सकता है। इस से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लाइसेंस दे कर दुकानदार को कोई विशिष्ट अधिकार दे दिया गया हो। मैं कहना चाहता हुं कि वितरण नियमों में क्रान्तिकारी संशोधन किये जाने चाहिए और चूंकि लोक वितरण अभिकरणों द्वारा बहुत सी वस्तुओं का वितरण किया जाता है इस लिये जनता और जनता के प्रतिनिधियों को भी इस प्रणाली से सम्बन्ध किया जाना चाहिये।

इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। सुझाव यह है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में एक समिति बनाई जाए जिस में उस जिले के संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, कलैक्टर या डिप्टी कलैक्टर और खाद्य अधिकारी को शामिल किया जाए और इस समिति को प्रत्येक उचित दर की दुकान के लिये कोटा निर्धारित करने की शक्ति दी जाये। उस समिति को यह भी शक्ति दी जाये कि यदि किसी उचित दर की दुकान के विरुद्ध कोई शिकायत हो, तो वह उस का कोटा कैंसल कर सके। इस के बाद यदि यह समिति किसी व्यक्ति को उचित दर की दुकान अलाट करती है और उस क्षेत्र के लोगों से उस

दुकान के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो समिति उस दुकान का लाइसेंस कैंसल कर सकेगी यह स्वाभाविक है कि यदि किसी क्षेत्र के लोगों को कोई शिकायतें होंगी, तो वे अपनी शिकायतें ले कर उस क्षेत्र के संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य के पास जायेंगे। इस लिये इन्हें भी लोक वितरण प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिये।

अब मैं बीड़ी उद्योग के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि कदाचारों को रोकने के लिये उन्होंने सब प्रकार के करों से छूट के लिये बीड़ियों की संख्या 60 लाख प्रतिवर्ष से घटा कर 30 लाख प्रतिवर्ष कर दी है। माननीय सभापति 1979 में अनिर्मित तम्बाकू पर से शुल्क हटा लिया गया है और उस के स्थान पर कर-निर्मित बीड़ी पर 3.60 रुपये प्रति हजार की दर से शुल्क लगा दिया गया था। 60 लाख प्रति वर्ष की छूट थी और इस छूट का बहुत दुरुपयोग किया गया तथा इस से राजकोष को बहुत अधिक हानि हुई है। अब 60 लाख तक की छूट वाले बीड़ियां बनाते हैं और उन्हें अलीगढ़ ले जाते हैं तथा किसी मशहूर, ब्रांड के बीड़ी का लेबल लगाकर इन बीड़ियों को बेचते हैं। इसकी जांच करने वाला कोई है नहीं, इस लिये धांधली चल रही है। इस से संगठित बीड़ी निर्माताओं को बड़ी कठिनाई हुई है और उन्हें मध्य प्रदेश के विभिन्न गांवों में अपनी शाखायें बन्द करनी पड़ी हैं।

इस देश में लगभग 50 लाख व्यक्ति परोक्ष और अरोक्ष रूप से बीड़ी उद्योग में लगे हुए हैं और उन में से 20 लाख केवल मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग सबसे महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। प्रत्येक गरीब किसान खेत में दिन का अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर में बीड़ी बनाता है। अब क्या हो रहा है? उदाहरण के लिये महाराष्ट्र में गोइन्दा को ही ले लीजिये, आंकड़ो से इसकी जांच की जा सकती है। यह गणना की गई है और पाया गया है कि इस परिवर्तन से पहले तम्बाकू या बीड़ी से प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त होते थे; एक नया कर लगाये जाने से राजस्व 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता। एक ओर तो सरकारी कोष को हानि हो रही है और दूसरी ओर जनता के साथ धोखा हो रहा है। चुनाव के दौरान मैं जहां भी गया, वहां बीड़ी श्रमिकों की यही गम्भीर शिकायत थी कि वे अनेक सप्ताहों से बेरोजगार हैं। हमने बड़े निर्माताओं से कहा, तो वे कहने लगे कि हम क्या कर सकते हैं। उनका कहना था कि इस वर्गीकरण ने उन्हें खत्म कर दिया है। अनेक व्यक्तियों ने 60 लाख की सीमा से नीचे यह उद्योग शुरू कर दिया है और उन्हें उनकी प्रतिस्पर्धा का सामना करना है। 1000 बीड़ियों पर 3 रुपये 60 पैसे का बड़ा अन्तर है। वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि कदाचार शरारत को समाप्त करने के लिए उन्होंने सीमा को घटा दिया है लेकिन मेरा शत प्रतिशत विश्वास है कि सीमा कम करके आप इसे समाप्त नहीं कर सकते। इसे दूर करने का केवल एक ही तरीका है। यदि आप चाहें तो आप माचिस की डिब्बियों वाली प्रणाली यहां ब्रांड या बिना ब्रांड की बीड़ियों के मामले में भी लागू कर सकते हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार की एक्साइज चिट डालनी होती है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में संकट है और अधिकाँश श्रमिक 1979 में लागू की गई इस नीति के कारण नुकसान उठा रहे हैं।

मैं दो बातों के लिये वित्त मंत्री की सराहना करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। एक है आयात निर्यात बैंक की स्थापना। इसकी बहुत समय से आवश्यकता थी। लगभग प्रत्येक देश में ऐसा एक बैंक है। मुझे विश्वास है कि इस बैंक स्थापना से हमारे देश का निर्यात आयात व्यापार सुधरेगा और बढ़ेगा। मैं निर्यात आयात व्यापार करने वाले अनेक लोगों से मिला हूं, वे बहुत प्रसन्न हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया। इस बैंक की स्थापना के इस प्रस्ताव के लिये वित्त मंत्री महोदय को चिरकाल तक याद किया जायेगा।

उनके द्वारा की गई दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिसकी बहुत समय से आवश्यकता थी, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना है। आखिरकार ये कानूनी मामले हैं और इनमें महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होते हैं तथा लोगों को न्यायालयों में जाना और काफी पैसा खर्च करना पड़ता था। उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। उन्ह उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय न जाकर अब अपीलीय न्यायाधिकरण में जाना होगा।

आयकर अधिनियम में प्रस्तावित कतिपय संशोधनों को लेकर वित्त मंत्री की बड़ी आलोचना की गई है। प्रस्ताव बहुत साधारण है। उन्होंने किया क्या है? कुछ उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि गणना के प्रयोजन के लिये दीर्घकालिक ऋण को छोड़कर कर से छूट का उपबन्ध नियमों में नहीं किया जा सकता बल्कि अधिनियम में ही किया जाना चाहिये था। उच्च न्यायालयों ने इस कारण से इसे कानून विरूद्ध घोषित किया है कि नियम (19क) में किया गया उपबन्ध अधिनियम में किया जाना चाहिये था। वित्त मंत्री ने केवल ऐसा ही किया है। उन्होंने वह उपबन्ध भूतलक्षी प्रभाव से अधिनियम में ही कर दिया है। आप कहेंगे "क्यों" मैं आपको कारण बताता हूं। जब यह रियायत दी गई थी, तब यह नियोजित पूंजी पर आधारित की, न कि लाभ पर। वित्त मंत्री ने अब इसमें उपान्तर कर दिया है और अब यह रियायत लाभ पर है न कि लगी हुई पूंजी पर। 1948 से लगाई गई पूंजी से लगाई गई अपनी पूंजी समझी जाती थी, न कि ऊधार ली गई पूंजी करदाता, विशेषज्ञ, न्यायालय और सभी अन्य इसे भलीभांति समझते थे। 1976 में पहली बार एक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कर से छट का यह उपबन्ध नियमों में नहीं किया जा सकता; यह अधिनियम में ही किया जाना चाहिये। अब तो इसे भूतलक्षी प्रभाव क्यों दिया गया है? न्यायालयों में अनेक मामले अनिर्णीत पड़े थे और उन्हें निपटाया जाना चाहिये। यदि इसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाता तो सरकार को कर की हानि होती। इसके साथ ही सब जानते थे कि अभिप्राय अपनी पूंजी से था न कि उधार ली गई पूंजी से। केवल कुछ बहुत बड़े उद्योगों को ही हानि होगी क्योंकि उनके बहुत बड़े परामर्शदाता विशेषज्ञ और वकील थे, जिन्होंने उन्हें गलत सलाह दी है केवल वही लोग शोर मचा रहे हैं क्योंकि इन यूनिटों को सलाह दी थी कि दीर्घकालिक ऋण की नियोजित पूंजी में शामिल कर लिया जायेगा यदि भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाता, तो सरकारी कोष को बहुत हानि होती। मैं कहूंगा कि कोई गलत काम नहीं किया है। लोगों ने कहा कि उच्च न्यायालय का निर्णय था, जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्री ने निरर्थक करने का प्रयास किया है।

हमेशा ही ऐसा होता है। यदि कोई निर्णय संसद की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो ऐसा होना ही है।

मैं एक चीज कहूंगा अर्थात् उन्होंने जो छूट दी है अथवा परिभाषा बदल दी है इस देश में शिक्षित बेरोजगारों का एक वर्ग जिन्होंने उधार पैसा लेकर नये प्यापर अथवा बेरोजगारों का एक जिन्होंने अपने निवेश का 75% बैंकों से लेकर छोटे उद्योग, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि स्थापित किये हैं। उन्हें किसी प्रकार की छूट देनी चाहिये; और उन्हें विमुक्त किया जाना चाहिये।

प्रो० मधु दण्डवते। अशिक्षित बेरोजगारों के लिये भी।

श्री गुलशेर अहमद: यदि आप ऐसा चाहते हो तो कर सकते है। विशेष सुविधा सिर्फ शिक्षित बेरोजगारों को ही मिलनी चाहिये। मेरा यही अनुरोध है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वाडागरा): बजट सम्बन्धी लम्बी प्रक्रियाओं की समाप्ति पर हम तकरीबन पहुंच चुके है। वित्त मंत्री के लिए मेरे हृदय में काफी श्रद्धा, प्यार और इज्जत है। मुझे मालूम है कि उनके साथ बातचीत करना अथवा उनके साथ काम करना आनन्ददायक होता है। अतः मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ मैं कहूंगा उससे वे गलतफहमी में नहीं पड़गे। केन्द्रीय बजट तैयार करने में ही श्री वेंकटरामण का पहला कार्य चालाकी और चिकनी चुपड़ी करना था। परन्तु यह कितनी भी किचकनी-चुपड़ी अथवा कुशलता से भरपूर क्यों न हो, मैं नहीं समझता कि मुद्रोस्फीति के बढ़ते ज्वार जो इस बजट को खा जायेगा, रोक पायेगा। श्री वेंकटारामण को न सिर्फ एक चिकनी-चुपड़ी व चालाकी से बनाये गये बजट का श्रेय जाता है बल्कि भारतीय वित्तीय इतिहास में घाटे का एक रिकार्ड बजट प्रस्तुत करने का भी श्रेय जाता है। यदि पिछले वर्ष का बजट घाटा 1382 करोड़ रुपये, से बढ़कर 2,700 करोड़ रुपया हो सकता है तो मैं इसे आपकी कल्पना शक्ति पर छोड़ता हूं कि इस वर्ष 1417 रुपये का बजट घाटा कहां तक पहुंचेगा। अतः इस बजट के विरूद्ध मेरा मुख्य आरोप यह है कि इससे मुद्रास्फीति और बढ़ेगी जबकि अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण भी लिया जायेगा मुझे पूरा विश्वास है कि वे स्थिति को आपके भगवान अथवा मानसून भगवान के उपर नहीं छोड़ेगे और वे देश को इससे उवार लेंगे। जो विशाल जनादेश उन्हें मिला है और चित्त विधेयक पर अपने भाषण के दौरान इस जनादेश के पीछे अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करेंगे। परन्तु खेद है कि इसमें मुझे निराशा का सामना करना पड़ा। वित्त मंत्री के भाषण में मुझे कोई दूरगामी अथवा तात्कालिक परिप्रेक्ष्य की झलक नहीं मिली। वे मुझे गलत नहीं समझेंगे यदि मैं यह कहूं कि इस बजट में सिर्फ वावाही लूटने का काम किया गया है।

श्री वेकटारामण ने उस दिन बोलते समय जनता के प्रति अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता की चर्चा की थी: "हमने उन्हें नियंत्रित और क्य मूल्य पर चीनी देने का वायदा किया है। मुझे कोई झगड़ा नहीं है। यही कारण है कि देश में चीनी के कुल उत्पादन का 65% 2.85 रुपये प्रति किलो की निम्नतम अन्त र्ष्ट्रीय दर पर बेची जाती है। और उन्होंने विपक्ष पर अमीरों के पक्षधर होने का आरोप लगाया र। मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली, बम्बई अथवा आपके अपने चुनाव क्षेत्र मद्रास में गन्दी बस्तियों में रहने वाले, और उन मजदूरों

को जिन्हें प्रतिदिन प्रत्येक एक कप चाय के लिये पांच से दस पैसे अधिक देना पड़ता है, उनमें शामिल किया जायेगा या नहीं। अब सचाई यह है कि वित्त मंत्री को अब उनके लिये अपने बजट में ऊंचे मूल्य के सिवा और कुछ भी देने के लिए नहीं है।

यदि वे सार्वजनिक विवरण की नीति बनाते अथवा सुनिश्चित करते, और यह बताते कि यह 65 प्रतिशत चीनी कहां जाती है तो मुझे समझ में आता। वे कहते हैं, "उचित मूल्य की दुकानें"। आप सब को मालूम है यह कहां जाती है। कुछ शहरी क्षेत्रों और मेरे राज्य को छोड़कर मुझे नहीं मालूम है कि कोई प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली विद्यमान है। मंत्री महोदय सदन में स्वीकार कर चुके हैं कि सचाई यह है कि अन्य नीतियों की भांति चीनी नीति में भी अव्यवस्था विद्यमान है और चीनी के सम्बन्ध में नीति बननी अभी बाकी है। अब म सादर अनुरोध करूंगा कि जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता विकास के सर्वांगीण दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिये और यह लोकप्रियता अर्जित करने वाले नारे पर आधारित नहीं होनी चाहिये जैसा कि वर्तमान सरकार कर रही है। पब्लिक सेक्टर अथवा पब्लिक या सरकारी नीति के औजार के रूप में राष्ट्रीयकरण के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है। परन्तु राष्ट्रीयकरण को सरकारी आवश्यकताओं और आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहिये। अन्यथा उत्पादन विरोधी हो सकता है। यह कहा गया है कि हाल ही में किया गया राष्ट्रीयकरण सरकार की नीतियों का वार्षिक विस्तारण था। यह कहा गया है कि हम प्राथमिकता प्राप्त सेन्टरों के लिये और अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिये सरकार के हाथों में और अधिक साधन उपलब्ध कराना चाहते हैं। परन्तु तथ्य इसके विपरित है। यदि आप सभी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देते तो बात समझ में आती। सरकार ने, दबाव जिसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है एक चाल चली है और इसके कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं वित्त मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि। मैंने प्रधान को पंजाब से आये एक प्रतिनिधिमण्डल से यह कहते हुए देखा है कि पंजाब और सिन्ध बैंक का राष्ट्रीयकरण करना गलत है और इससे बचा जा सकता था। मैं चाहूगा कि वित्त मंत्री इसका स्पष्टीकरण दें। यह निक्षेप अथवा छः बैंकों के अग्रिमों पर मुश्किल से प्रभाव डालेगा क्योंकि इसे ले लिया गया है। यह कुल निक्षेप का मुश्किल से 10 प्रतिशत है अथवा यह 10 प्रतिशत से भी कम होगा। ऐसा प्रभाव बना रह सकता है कि ऐसी चालबाजी से आप कुछ व्यक्तियों को जमानत दे रहे हैं। मैं स्वयं और श्री लकप्पा—मैं उन्हें नहीं देखता हूं—हमने प्रश्न उठाये हैं, हम नियमित रूप से विजया बैंक के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। विजया बैंक का उदाहरण लू, जबकि निक्षेप 1977 में 260 करोड़ से 1978 में 330 करोड़ हो गया—70 करोड़ अधिक—शुद्ध लाभ 24 लाख रुपये से घटकर 8 लाख हो गया है और उधार 147 करोड़ रुपये से बढ़कर 175 करोड़ रुपे हो गया। निक्षेप में वृद्धि 70 करोड़ रुपये हुई जबकि उधार में सिर्फ 28 करोड़ रुपये की ही वृद्धि हुई और मुनाफे में ह्रास हुआ। यदि इस प्रकार के बैंक को ले लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार के प्रभाव के बारे में मैंने उल्लेख किया है वह बना रहेगा।

जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उनमें क्षेत्रीयता के प्रति काफी झुकाव था। वित्त मंत्री को यह मालूम है कि जहां तक बैलेंस आफ पेमेंट का सम्बन्ध है, हम बहुत

ही नाजुक मोड़ से मुड़ रहे हैं। हमारा व्यापार घाटा खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि और कोई उपाय नहीं हैं इसके सिवाय कि हम अपने आयात पर नियंत्रण रखे और आत्म निर्भरता उत्पन्न कर सके।

मुझे मालूम है कि आयात पर नियत्रण रखना मुश्किल है। मैं विदेशों में रहने वाले भारतीय द्वारा भेजे जाने वाले धन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि मैं उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां से काफी संख्या में लोग विदेश में जाते हैं विदेशों से पैसा लाने में कमी के सम्बन्ध में बैंकिंग पद्धति को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। मैं इसके बारे में वित्त मंत्री को पहले भी लिख चुका हूं। कम से कम ढाई लाख लोग केरल से और पंजाब, आन्ध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से भी काफी लोग विदेशों में काम कर रहे हैं। उनमें से अधिक अनपढ़ हैं और कुछ अर्द्ध शिक्षित हैं। उनमें से कुछ कुशल मजदूर हैं और उन्होंने न सिर्फ अपने लिये बल्कि पूरे देश के लिये अच्छा काम किया है। केन्द्रीय सरकार, केरल सरकार तथा अन्य राज्य सरकार उनमें निवेश को आकृषित करने में पूर्ण रूप से असफल रही हैं यह धन केरल में शहरी सम्पत्ति तथा ग्रामीण सम्पत्ति में बदल रहा है, जैसा कि सम्पत्ति सम्बन्धी सौदों के मूल्य बेहद बढ़ रहे हैं। परन्तु हम इसे विकास कार्य के लिये उपयोग करने में असफल रहे हैं जब रस निक्षेप के लिये आपके बैंक 9 प्रतिशत बैंक देते हैं और लोम्बार्ड बैंक तथा वेस्टमिनिस्टर बैंक तथा अन्य विदेशी बैंक इसी निक्षेप के लिये 13 और 14 प्रतिशत ब्याज देते हैं, तो आप उन पर आरोप नहीं लगा सकते हैं यदि वे अपने पैसे को उन बैंकों में रखते हैं। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में विवक्षाओं का अध्ययन करें और उनके धन को संबंधित राज्य के विकास कार्य में लगायें। परन्तु वित्त मंत्री ने नीजि बैगजों ध्यान दिया है। उन्होंने उन पर लगने वाली ड्यूटी बढ़ा दी है। जैसा कि मैंने कहा है कि वे उस सामाजिक स्थिति से आते हैं जिनके सामाजिक मूल्य अलग है जब वे वापस आते हैं तो अपने बहनों को साड़ी देना चाहते हैं किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांजिस्टर देना चाहते हैं। जब मैं उन से बम्बई, कोचीन और त्रिवेन्द्रम में मिला तो मैंने पूछा कि वे ऐसी वस्तुयें क्यों लाते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को सन्तुष्ट करना पड़ता है। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं वे हमारे मूल्यों को नहीं समझते हैं अब आपने नियमों को सरल कर दिया है इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बम्बई कस्टम में अचानक जांच करे। उन्हें 24 से 48 घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उन्होंने अनेक बार याचिका भेजी है। श्री सतीश अग्रवाल को मालूम है। हम इसके बारे में याचिका भेज रहे हैं। वहां कोई सुविधा नहीं है। यहां तक की महिलाओं के लिये प्रसाधन भी नहीं हैं। आपने उनके लिये सिर्फ यही किया है। अब आपने उनकी बैगेज ड्यूटी बढ़ा दी है। मैं ऐसी आशा नहीं करता हूं कि उनके साथ आप वैसा ही बर्ताव करें जैसा कि चीन विदेशों में रहने वाले चीनियों के साथ करता है। महोदय, जब वे हवाई जहाज से उतरते हैं तो उनके लिये विशेष गुलदस्ते भेंट किये जाते हैं क्योंकि वे चीन के विकास के लिये अपनी गाढ़ी कमाई से धन लाते हैं।

अब मैं बहुत खुश हूं। यह मेरे लिये सुखद आश्चर्य की बात है कि अब श्री सतीश अग्रवाल का भाषण सुनने वाला हूं। उन्होंने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश की भूमिका

का हवाला दिया है। जब हमारे कुछ साथियों ने बोला था तब हम पर कम्यूनिस्टों के प्रति सहानुभूति रखने वाले का आरोप लगाया गया था। इससे पहले मैंने वैलेंस आफ पेमेंट सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख किया था। बजट में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा अन्तराष्ट्रीय एकाधिकार मुद्रा पूंजी की छाया स्पष्ट रूप से विद्यमान है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बजट बनाने का रास्ता अपनाया है। मुझे नहीं मालूम कि श्री अग्रवाल ने संरचनात्मक समायोजन का उल्लेख किया है। यह विश्व बैंक की नई नीति है: मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इसे समझते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इसे समझते हैं और इसमें वे गलती नहीं करेंगे।

वे किस प्रकार का संरचनात्मक समायोजन चाहते हैं। अब उन्होंने भारत को तीसरी दुनियां का एक कमी वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है और वे कतिपय बातें हमसे करवाना चाहते हैं। मैं प्रश्नावली के बारे में उल्लेख नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रपति कैनेडी वे कम्युनिष्ट नहीं थे ने अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोष की तीसरी दुनियां से अनुरोध के बारे में कहा था कि यह पुरानी वेश्या का नई लड़की को कौमार्य के गुणों के बारे में शिक्षा देने जैसे हैं। यही हो रहा है। ब्रांट आयोग का उदाहरण भी लें। वे तीसरी दुनियां के प्रवक्ता नहीं थे। परन्तु उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीति के बारे में लिखा है। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें इस बारे में मालूम है यही वह मुद्दा है जिसे मैं कहना चाहता हूं। जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि वित्त मंत्री द्वारा नये पहल किये जायें, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था में नई संरचना की जाये। यह तीसरी दुनियां के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह अपने देश के लिये भी आने वाले दिनों के लिये बहुत महत्वपूर्ण होगा और उन्हें यह देखना है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक हमारी नीतियों को बदल न दें। मैं इसके बारे में और अधिक कहना नहीं चाहता। इन वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में अनेक कहानियां और आन्तरिक बातें कही गई है। अतः यह हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण है कि अनन्तः हमारा लक्ष्य आत्म-निर्भरता का होना चाहिये। आत्म निर्भरता से बचने का कोई रास्ता नहीं हैं। और इस अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार वित्तीय पूंजी से लड़ने के लिये एकमात्र उपाय आत्म-निर्भरता है।

बजट का दूसरा बहुचर्चित 340 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम है। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि इसमें नाम बदलने के सिवा और कुछ भी नहीं है। यदि आप मूल्य-वृद्धि के वर्तमान स्तर को लें तो यह 1979-80 में की गई व्यवस्था में 2 से 3 प्रतिशत कम होगी। जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया है यह सिर्फ 8,500 लाख से 9,000 लाख मानव–दिन उत्पन्न करेगा जो 3.75 से 4 प्रति मानव–दिन पड़ेगा। मुझे यह विश्वास नहीं होता कि यह देश में उत्पादक शास्तियां कैसे उत्पन्न करेगा। मैं उन व्यक्तियों में हूं जो कुटीर उद्योग की तुलना में सघन ग्रामीण कार्यक्रम का समर्थन करता हूं। इस प्रश्न पर मैं पिछले सदन में अपने मित्रों से झगड़ा करता था। कुटीर उद्योग के साथ कठिनाई यह है कि इसका विस्तार और विकास सिर्फ अधिक कुशल और निम्न लागत प्रतियोगिता की कीमत पर ही संभव है। बाजार उनके उत्पादों के लिये बेकार है और बाजार में उनकी पूरी कीमत नहीं

मिल सकती। अतः उन पर वित्तीय सहायता देनी पड़ती है क्योंकि इसका स्थानीय मांग पर विकास नहीं किया जाता। जब आप इस पर वित्तीय सहायता देना शुरू करते हैं तो आप एक प्रकार के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुटीर उद्योग शुरू किये जा सकते हैं परन्तु कुटीर उद्योग अथवा लघु उद्योग इस देश में घपला बन गये हैं। अतः सिर्फ एक सघन ग्रामीण कार्यक्रम ही इसका उत्तर है। मैं कहना चाहूंगा कि सघन ग्रामीण कार्यक्रम आस्तियां पैदा करेगा।

इसलिए महोदय, श्री वेंकटरामण के बजट प्रस्ताव न तो रोजगार मुहैया कर सकते हैं और न ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मैं इसके लिये कोई योजना नहीं देख रहा हूं और जहां तक गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता का सम्बन्ध है, यह सिर्फ उनके रोजाना खर्च में वृद्धि करेगा और मेरा आरोप है कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इसके विपरीत, इससे अमीर व्यक्तियों को अधिक लाभ हुआ है, विशेषकर उद्योग को। जबकि उन्होंने दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं पर विशेष उत्पाद कर लगाया है जिससे एक वर्ष में 198 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। परन्तु वे ओलिवर आफ इण्डिया इन्डस्ट्री को और अधिक देना चाहते हैं।

मैं आशा करता हुं कि वित्त मंत्री को मालूम है कि आयकर की वसूली गैर कृषि सेक्टर में राष्ट्रीय आय के अनुपात में 1972 में 2.85 प्रतिशत से घटकर 1978-79 में 2.67 हो गई है और राष्ट्रीय आय की तुलना में वसूली में कमी बराबर होती जा रही है। यह 10,000 रुपयें अथवा 12,000 अथवा 15,000 रुपये स्तर पर छूट के कारण नहीं हुई है। ऊचे स्तर पर आयकर की पूरी संरचना तथा कारपोरेट टैक्स की पूरी प्रणाली की पूर्ण समीक्षा करनी होगी। मेरा विचार था कि शायद वित्त मंत्री महोदय पुनः व्ययकर का अस्त्र प्रयोग में लायेंगे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। शायद इसलिये कि अधिकारीगण यह नहीं चाहते थे क्योंकि जब यह कर पहलीं बार स्वर्गीय श्री टी० टी० कृष्णाचारी ने लगाया था तब भी अधिकारी वर्ग ने उसे पसन्द नहीं किया था। जब श्री काल्डर ने इस कर का प्रस्ताव किया था और श्री कृष्णाचारी ने पहली बार इसे लगाया था तब उसके पीछे एक उद्देश्य था। यदि आप किसी वस्तु की खपत किसी विशेष स्तर तक घटाना चाहते हों और जो लोग उसे खरीदने के योग्य हों, खरीदना चाहें तो उन्हें मूल्य चुकाना होगा और साथ ही व्ययकर भी देना होगा, इसके लिये चाहे कुछ भी कठिनाइयां हों।

यह भी सच है कि स्वनियोजित लोगों द्वारा भी करों की बड़े पैमाने पर चोरी की जाती है। वाचूं आयोग ने कहा है कि बम्बई में ऐसे 1,700 व्यक्ति हैं जो भले ही वकील हों या डाक्टर, एक लाख रुपये से अधिक की आय की घोषणा कर चुके हैं। मेरे अपने शहर में भी मैं ऐसे कम से कम 20-30 व्यक्तियों को जानता हूं जो इतना कमा लेते हैं परन्तु उसकी घोषणा नहीं करते क्योंकि एक ऐसी मध्यवर्ती श्रेणी आ गई है जो काले धन, दूसरी अर्थव्यवस्था लाना चाहती है और उनमें व्यापारी तथा अन्य धन्धों में लगे व्यक्ति आते हैं। इसी वर्ग को ही सभी प्रकार के लाभ पुनः मिलते रहते हैं और वही करों के जाल से बच निकलते हैं।

इसी प्रकार मैं उत्पादन शुल्क की बड़े पैमाने पर हो रही चोरी का भी उल्लेख करना चाहता हूं। वेंकटापैया समिति जो स्वयं प्रक्रिया उन्मूलन योजना के बारे में है ने उल्लेख किया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत आने वाले 123 उद्योगों में से 21 इस शुल्क से बच निकलते हैं जबकि आप जानते हैं कि 123 में से 31 उद्योग 90 प्रतिशत उत्पादन शुल्क के लिये उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार आपको पता ही होगा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कितनी भारी चोरी होती है।

निगमित क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुझे यह कहना है कि वित्त मंत्री ने करों से छुट्टी के साथ साथ उन्हें अधिक मूल्य ह्रास और अधिक विकास छूट आदि देने को भी तैयार हैं। यह नीति का वह क्षेत्र है जहां मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह विकास छूट के ढांचे पर फिर से विचार करें। स्वाधीनता प्राप्ति के तुरन्त बाद तो यह छूट देने का काफी बड़ा कारण था क्योंकि उस समय तकनीकी और इंजीनियरी प्रतिभा बहुत कम थी और उद्योगों ने इतना विकास नहीं किया था। न ही ऐसे उद्योगों के लिये धन की कोई संस्थगत व्यवस्था थी जिसके कारण उन्हें दीर्घावधि तथा मध्यावधि पूंजी नहीं मिलती थी। परन्तु अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह उस पहलू पर पुनः विचार करें। इसीलिये मैं यह नहीं समझ पाता कि उन्होंने परिवर्तनीय खण्ड के मामले में ढिलाई क्यों दिखाई है? अब वित्त मंत्री ने सरकारी क्षेत्र को खुले बाजार से 12 से 14 प्रतिशत तक पूंजी के ऋण लेने की छूट ली है जबकि निजी क्षेत्र को सरकारी वित्तीय संस्थाओं से 7-1/2 प्रतिशत व्याज पर ऋण लेने का प्रस्ताव किया है। संसाधन एकत्र करने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यही असली कसौटी है जिससे वित्त मंत्री की सफलता अथवा विफलता का पता चलेगा। क्या वह राष्ट्रीय विकास के लिये संसाधन जुटा पायेंगे और उनका उपयोग कर सकेंगे? मैं जानता हूं कि वह कुशल हैं परन्तु उनके प्रयासों से मुझे इसमें सफलता के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। उदाहरण के लिये कृषि सम्पदा को छूट देना। मेरा विश्वास है कि प्रो० रंगा मेरे साथ सहमत नहीं होंगे और वित्त मंत्री भी डा० के० एन० राज समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और न ही चौधरी चरण सिंह और उनके मित्र उन्हें मानेंगे। परन्तु उन्हें भी धन-कर के चंगुल से मुक्त कर दिया गया है। एक दूरदर्शी वित्त मंत्री को किसानों के लिये फसल बीमा योजना लानी चाहिये थी परन्तु यह तो समतावादी समाज की स्थापना करने का कोई ढंग नहीं है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस जटिल अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को एक प्रकार के ही मद्दे नहीं बनाना चाहता। मैं मानता हूं कि अर्थव्यवस्था बहुत ही जटिल और कठिन है परन्तु प्रश्न यह है कि इन समस्याओं के सन्दर्भ में आप कहाँ खड़े हैं और आप किन बातों के लिये वचनबद्ध हैं, यदि आपने उन्हें पूरा करना है? मैं जानता हूं कि समाजवाद आज एक बहुत भद्दा शब्द बनकर रह गया है और इसे केवल प्रचार मात्र और भाषणों में ही यदाकदा प्रयोग में लाया जाता है। परन्तु क्या आप एक समतावादी समाज लाना चाहते हैं? क्या आप सशक्त और आत्मनिर्भर विकास चाहते हैं, समान वितरण और सामाजिक समानता चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इन मामलों पर स्पष्टीकरण दें क्योंकि ऐसा करना न केवल उनके लिये बल्कि देशभर के लिये बेहतर होगा।

श्री भीखा भाई (बांववाडा) : सभापति महोदय, मुझे आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे इस बजट के सेसन में बोलने का कोई मौका नहीं मिला है। बजट जो हमारे माननीय वित्त-मंत्री जी ने पेश किया है और उसमें जो काफी राहत दी हैं उनके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। कई जगहों पर कन्सेसन दिये गये हैं, इण्डस्ट्री को, पालट्री को, ब्रीडिंग आफ एनीमल्स को, उन से बैकवर्ड एग्रीकल्चरल को काफी फायदा होगा। इसके अलावा उन्होंने और भी कंसेसन दिये हैं जिनसे हम लोगों को भी काफी राहत होगी।

जहां तक फाइनेन्स बिल का सवाल है, मैं इसका समथन करता हूं। अभी कई माननीय सदस्यों ने यहां पर इस बात का इसरार किया कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर आज जिस प्रकार का खर्चा होता है, फालतू का तंख्वाहों पर, बंगलों पर जो खर्चा होता है उसको कम किया जाना चाहिये। यह बहुत ही आवश्यक बात है। इस के अलावा कुछ ऐसे सुझाव भी आये हैं कि सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहियें जिनसे कि फालतू का खर्चा बढ़ता हो और उससे घाटा वढ़ता जाता हो। इस घाटे को रोकने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

जहां तक इनकम को बढ़ाने का सवाल है उसके बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो नये सुझाव दिये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। सब से बड़ा मुद्दा इस देश में, या परदेश में या विदेशों में है गेप का। एक वे देश हैं जो आगे वढ़े हुए हैं। एक वे देश हैं जो वहुत पिछड़े हुए हैं। यह जो अन्तर है, गेप है, यही सब से वड़ा कारण असन्तोष का है। उस चीज को हम अपने देश में क्षेत्रीय असन्तुलन के नाम से पुकारते हैं। आज राज्यों में भी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच काफी अन्तर है और उसी तरह से एक राज्य के अन्दर भी अलग अलग जिलों के अन्दर काफी अन्तर हैं और उस अन्तर को मिटाना ही असन्तोष को मिटाना है।

आज यदि मैं आप से कहूं तो उसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि चाहे यत्नपुरा का झगड़ा हो, चाहे असम का झगड़ा हो, चाहे नागालैंड का झगड़ा हो, चाहे मिजोरम का झगड़ा हो, चाहे वह झारखण्ड की मांग हो, उन सभी के पीछे असमानता की वहुत वड़ा कारण है। जो आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, वे, शैड्यूल्ड कास्टस, शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग और अन्य पिछड़ी हुई जातियों के लोग ये सभी हमारे समाज के अन्दर पिछड़ी हुई जातियां हैं। हमारे समाज और इन पिछड़ी हुई जातियों के अन्दर आर्थिक विषमता है। उस आर्थिक विषमता का जब तक हल नहीं होगा तब तक न तो समाज बढ़ सकता है, न देश बढ़ सकता है।

आज हमारे देश में यह स्थिति है कि जब संविधान लागू हुआ है, उस वक्त संविधान निर्माताओं ने यह कहा था कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो होगा, जिसे शैड्युल्ड एरिया कहते हैं उस में संविधान की अनुसूची पांच को लागू होना चाहिय। संविधान की अनुसूची 6 को लागू होना चाहिये था। कुछ विशेष अनुच्छेदों को भी संविधान में स्थान दिया गया है। जो इनके वास्ते विशेष रूप से है। उन अनुच्छेदों का पालन भी नहीं हुआ है। कितने ही वित्त मंत्री बदल चुके हैं, कितने ही प्लानिंग मिनिस्टर बदल चुके हैं, कितने ही प्रधान मंत्री बदल गये होंगे, कितने ही मुख्य मंत्री बदल गये होंगे लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता

हूं कि अनुसूचित जन जाति क्षेत्र जिन को शैडयूल्ड एरियाज कहा जाता है, जिन का जिक्र संविधान के अन्दर स्पष्ट तौर से किया गया है और कुछ प्रावधान किये गये हैं उनकी स्थिति वैसी की वैसी है और केन्द्रीय सरकार की ओर से उनको संरक्षण नहीं मिला है, उनका संरक्षण नहीं हुआ है। घाट शिला, संथाल परगना, छोटा नागपुर, छोटा उदयपुर, बस्तर अबुज मार्ग एरिया के अन्दर जो लोग रहते हैं वे पावर्टी लाइन के एम्बाडिमेंट हैं। पावर्टी लाइन जिस को आप कहते हैं वह वहां है ही नहीं, उसका तो वहां सवाल ही नहीं उठता है। 99 प्रतिशत लोग जिस तरह का कपड़ा पहले पहना करते थे, जिस तरह का अन्न खाया करते थे, वही आज भी खा रहे हैं। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैं समाज कल्याण मंत्री राजस्थान में था और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में कथोड़िया लोग जो रहते हैं, जो गुजरात से आये थे, महाराष्ट्र से आये थे, उनकी स्थिति आज भी वही है जो पहले हुआ करती थी, सब-ह्यूमन लाइफ वे लीड करते हैं। यह हालत है वहां गिरिजनों की, हरिजनों की ओर इतर जनों की शैड्यूल्ड कास्ट्स की, शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की तथा अदर वैक्वर्ड क्लासिस की।।

मैं कहना चाहता हूं कि प्राबलैम्ज आफ शैड्यूल्ड ट्राइब्ज आर डिफेंट फ्राम दी प्राबलैम्ज आफ शैड्यूल्ड कास्ट्स। शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज कुछ मामलों में एलाइक हो सकते हैं लेकिन बहुत मामलों में अनलाइक हैं। इस समस्या को मैं आपके सामने इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपने उपयोजनायें लागू की हैं। उन उपयोजनाओं के अन्तर्गत वर्किंग ग्रुप्स ने जो सिफारिशें की हैं फरवरी 1978 के अन्दर तब कहा था और सजैस्ट किया था कि तीन हजार करोड़, रुपया खर्च किया जायेगा। परन्तु उसके बाद कुछ खर्च करने का सवाल नहीं उठता। राजस्थान के अन्दर जो प्लान आउटले है ट्राइबल के वेलफेयर का, उसको भी घटा दिया गया है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब बजट बनता है तब क्या इन बातों को देखा भी जाता है या नहीं देखा जाता है? यह किस तरह से हो जाता है?

इन्टेग्रेटिड सब प्लान आपने बनाया। उस योजना के अन्दर आपने कहा कि सारे मंत्रालय, सारे विभाग, सारे राज्य भाग लेंगे। लेकिन भाग कोई नहीं ले रहा है। कहीं इंटेग्रेशन नहीं हुआ है। उपयोजनाओं का जो कंसेप्ट है, उसके पीछे जो भाव है, वह तो बहुत अच्छा है। लेकिन उस का इम्प्लेमेंटेशन कहीं नहीं हो रहा है।

शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयेल्ड ट्राइब्स कमिशन की पच्चीसवीं रिपोर्ट के सम्बन्ध में मैंने निवेदन करना चाहता हूं कि उस में साढ़े चार हजार सिफारिशें हैं। गृह मैंने मंत्रालय की मांगों पर भाषण करते समय भी यह निवेदन किया था कि दस प्रतिशत सिफारिशें भी अगर मान ली जायें और उनको कार्यान्वित कर दिया जाये तो इन लोगों की जो समस्यायें हैं वे हल हो सकती हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी अभी आदिवासियों के लिये शराब बनाने की छूट दे दी है। क्यों दे दी है, वह जरूरी थी, क्या उससे लाभ होगा आदवासियों को? हर्गिज नहीं। परन्तु जो एक परेशानी थी जेल में बन्द होने की और पुलिस और एक्साइज के लोग रोज तंग करते थे उससे लोग कम से कम अब बच जाएंगे। यह एक डायरेक्टिव है। इस तरह से

उनको परेशान भी नहीं किया जाना चाहिये। वर्किंग ग्रुप जो स्थापित किये जाते हैं उनकी सिफारिशों पर अमल भी नहीं होता है। जनता पार्टी के शासनकाल में एक स्थापित किया गया था, उसकी सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ। अब नई सरकार बनी है। वह क्या नया वर्किंग ग्रुप स्थापित करके उससे सिफारिशें मंगवा कर उन पर कोई निर्णय लेगी या पहले वाले वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों पर कोई निर्णय आपने लिया है या लेंगे? अगर वह निर्णय लेते तो हम यह समझ सकते थे कि वर्किंग ग्रुप के अन्तर्गत जो अलग अलग स्टूडी ग्रुप्स हैं उनकी जो सिफारिशें हैं उनको वह मानेंगे।

मैं एक और निवेदन करन चाहता हूं कि वैकवर्ड क्लास और शिड्यूल्ड कास्टस के लोगों के प्रतिनिधि तो बोल सकते हैं क्योंकि वह सोसाइटी, समाज के अन्दर रहते हैं, लेकिन शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं बोल सकते। वह तो मनुष्य की शक्ल से घबड़ाते हैं, पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और अपनी आवश्यक वस्तुयें और नमक वगैरा तक लेने नहीं आते हैं। शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये कोई बोलने वाला नहीं है। यहां एम्बाडीमेंट आफ पावर्टी है और इन-इक्वैलिटि है यानी यहां गरीबी और विषमता साक्षात रूप में खड़ी हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के लिये एक कमीशन बनाने की बात है आर्टिकल 339 के अन्तर्गत, लेकिन उस कमीशन का निर्माण नहीं किया गया है। सन् 1954 में आर्टिकल 340 के अन्तर्गत बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बना था, जिसे अब फिर बनाया गया है लेकिन जो शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के एरिया के लिये कमीशन बनाना था, वह नहीं बनाया गया है। शिड्यूल्ड एरिया और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के राज्यों में कन्ट्रोल करने के लिये जो कमीशन बनाने का प्रावधान है, उसे अमल में नहीं लाया गया है, उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट देखनी चाहये। उस रिपोर्ट में लिखा है कि शिड्यूल्ड फिफ्थ का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों तथा मंत्रालयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आदिवासियों का भला करना चाहते हैं तो उसके तीन प्रकार हो सकते हैं। या तो उनको आइसोलेट कर दीजिये या एसीमिलेट कर दीजिये या इन्टीग्रेट कर दीजिये। आखिर मैं फैसला इन्टीग्रेशन का ही करना होगा जो कि पहले फिफटीज में किया गया है। आज ये लोग बहुत तकलीफ में हैं।

मने गृह मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना था कि अगर शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के वैलफेयर के लिये कोई अलग मंत्रालय नहीं बना सकते तो क्या कोई विभाग बना सकते हैं, परन्तु उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

संविधान के आर्टिकल 164 में लिखा है कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और विहार के अन्दर इस तरह के मंत्रालय बनाये जायें, मेरा कहना है कि इसी तरह के मंत्रालय या विभाग केन्द्रीय सरकार में भी बनाये जायें।

आदिवासी क्षेत्रों को रेलों से भी जोड़ा जा सकता है। आज से 30 साल पहले भी मैंने सुझाव दिया था, इसके गवाह हमारे माननीय सदस्य श्री मोहन लाल सुखाड़िया यहां हैं, जगजीवन राम जी यहां हैं, कि बांसवाड़ा-रतलाम को रेलवे लाइन से जोड़ा जाये, लेकिन यह आज तक नहीं हो सका है। इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसी तरह से संचार मंत्रालय, इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री और दूसरे अन्य मंत्रालयों को भी आदिवासी क्षेत्रों की योजनाओं की तरफ ध्यान देकर उन्हें पूरा करना चाहिये।

आज क्या हो रहा है कि डैजर्ट एरिया, हिली एरिया बैकवर्ड एरिया बनाकर शिड्यल्ड एरिया का नाश किया जा रहा है, आदि वासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज प्रायर्टी वहां दी जा रही है जहां के लोग अच्छा प्रतिनिधित्व कर के यहां पर बातें करते हैं, उन्हीं को मौका दिया जाता है, उन्हीं के काम होते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार के सभी मंत्रालयों को आदिवासियों की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय की माँगों का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मैं आप द्वारा प्रदत्त अवसर का उपयोग करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी और भारत सरकार को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने देश की वर्तमान कंटकाकीर्ण विषय आर्थिक परिस्थिति में एक सुखद भविष्य की सूचना देने वाला, सुखद भविष्य की ओर इशारा करनेवाला बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है।

गत वर्ष जो परिस्थितियां थीं और उनका नियंत्रण जिन लोगों के हाथ में था, जिस तरीके से उन्होंने अपनी अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण देश को आर्थिक विषमता और आर्थिक संकट के कगार पर पहुंचाया, उस स्थिति में आपने जिस तरीके से एक सुव्यवस्थित बजट इस देश के सामने प्रस्तुत किया है, वह एक अनुकरणीय उदाहरण है और एक नई दिशा का बोधक है। वित्त मंत्री महोदय ने इस देश में एक ऐसी शुरूआत की है, जिसकी बहुत दिनों से अपेक्षा थी।

पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण कृषि उत्पादन के क्षेत्र में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन, विद्युत उत्पादन और मुद्रा उपलब्धता आदि की स्थिति भी निराशाजनक रही। हमारे देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 1979-80 में 4 प्रतिशत की कमी आई। यदि हम उसकी तुलना 1977 की स्थिति से करें, तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में और भी अधिक कमी आई।

जब 1977 में इस देश के लोगों के आदेश से हमारी पार्टी ने प्रतिपक्ष का दायित्व सम्भाला, उस समय हम आने वाली सरकार को विरासत के रूप में औद्योगिक शान्ति, श्रेष्ठ उत्पादकता का वातावरण, सन्तुलित आयात-निर्यात की स्थिति, सर्वश्रेठ मुद्रा-उपलब्धता अकूत अन्न, स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा का भण्डार, आर्थिक अनुशासन और गतिशील अर्थ व्यवस्था देकर गये। लेकिन जब 1980 में देश के लोगों ने हमें फिर से सत्ता सौंपी, तो श्री सतीश अग्रवाल की सरकार हमको विरासत-में एक ऐसी निराशाजनक स्थिति और एक ऐसी असामान्य परिस्थिति दे कर गई, जिसका वर्णन करने में बहुत समय लगेगा।

ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री महोदय ने विभिन्न तरीकों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करों में जो छूट दी है और आम आदमी के उपभोग की वस्तुओं पर कर न लगा कर जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में, सराहना के योग्य है और वह स्वयं सराहना के पात्र हैं।

आज हमारे देश में बेरोजगारी की जो स्थिति है, वह हमारे प्रजातन्त्र के लिये घुन के समान है। यदि हमने जल्दी से इस समस्या का कोई हल न निकाला, तो हमारे यहां प्रजातन्त्र की व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी। जो लोग हमसे पहले सत्ता में थे, उन्होंने 1977 में देश के लोगों से यह वादा किया था कि हम दस साल में बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। जब हम 1977 में सत्ता से हटे, तो उस समय हमारे देश में 1,08,00,000 आदमी बेरोजगार थे। तीन साल के बाद जब 1980 में वे लोग सत्ता से हटे, तो वे 2,01,00,000 बेरोजगारों की फौज देश में छोड़ कर गये।

मैं जानता हूं कि ऐसे नौजवानों को, अपने साथियों को, जो मेरे साथ पढ़े हैं, खेले हैं, जो रोजगार न मिल पाने के कारण, अपनी रोटी रोजी की समस्या हल होने के कारण अपने आप को, अपने भविष्य को, अन्धकार की आगोश में जकड़ा हुआ पाते हैं। उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। हमने उनके लिये एक रास्ता निकाला है, उनके सामने जो निराशा का वातावरण है, उसे दूर करना है। आज इस देश में न जाने कितने ऐसे नौजवान होंगे, जिन्होंने बेरोजगारी से तंग आ कर आत्महत्या कर ली। आज हमारे देश में ऐसे बहुत से मां बाप होंगे, जिन्होंने अपने बच्चों को अपने गाढ़े पसीने की कमाई से पढ़ाया है, और आज भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि उनका भविष्य क्या है। हमें इस स्थिति पर जल्दी से नियंत्रण करना है और लोगों को रोजगार देने के लिये नई व्यवस्था करनी है।

क्या कारण है कि जो देश हम से बाद में स्वतन्त्र हुए, जो छोटे-छोटे मुल्क हैं, उन्होंने अपने यहां बेरोजगारी की समस्या को हल कर लिया ? दुनिया में ऐसे छोटे-छोटे मुल्क हैं जिनके पास यदि पहाड़ हैं, तो सागर नहीं हैं, जिनके पास यदि ठंडी जल वायु हैं, तो गर्म जल-वायु का क्षेत्र नहीं है, जिनके पास अर्वाचीनता है, तो प्राचीनता नहीं है, वे भी अपनी कुल आय का 20 से ले कर 35 प्रतिशत तक टूरिज्म के उद्योग से कमा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के अन्दर थाइलैंड जैसे छोटे मुल्क से भी कम टूरिस्ट विदेशों से आते हैं। तो हमें इस टूरिज्म के व्यवसाय को और अधिक पीपल ओरिएंट बनाना पड़ेगा, इसमें जनसामान्य को और अधिक जोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी।

इसी तरह आप देखें, छोटे-छोटे उद्योग हो सकते हैं, जो बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन आज जो लघु उद्योगों की स्थिति से वह बहुत सी निराशाजनक है। प्रान्तों के वित्त निगमों के द्वारा या उद्योग संस्थानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के लुभावने प्रलोभन लोगों को दिये जाते हैं, लोग उद्योग लगाते हैं लेकिन उद्योगों को लगाने के बाद क्या होता है? आप सारे प्रान्तों के आंकड़े मंगा कर देख लीजिये, 50 प्रतिशत उद्योग आज सिक हैं और कुछ तो बिल्कुल बन्द हो चुके हैं। तो क्या कारण है कि इतनी बड़ी राशि

को पूंजी डूब रही है और लोगों को रोजगार देने का एक सबल माध्यम विफल होता जा रहा है? इसका कारण यह है कि हम लोगों को उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित जरूर करते हैं लेकिन वे बड़े-बड़े उद्योगों के काम्पीटीशन में खड़े नहीं हो सकते। उनके पास ऐसे साधन नहीं कि वे एकाधिकारवादी उद्योगपतियों के साथ प्रतियोगिता कर सकें। हमें उनके लिये मार्केटिंग की व्यवस्था करनी चाहिये। उनका कच्चा माल खपे इसकी गारन्टी सरकार को देनी चाहिये। यही नहीं, आज उद्योगों को प्रोमोट करने का काम जिन विभिन्न प्रकार की एजेंसीज को दे रखा है वे एजेंसीस प्रोमोटर का काम न कर के इंसपैक्टर का काम करती हैं। मुझे एक लघु उद्योगपति बता रहे थे कि खून करने के मामले में तो केवल एक इंसपैक्टर पीछे पड़ता है लेकिन जब उद्योग लगा दो तो कम से कम 21 इंसपैक्टर हमारे पीछे दौड़ते हैं। तो इन इंसपैक्टरों की व्यवस्था से आप लघु उद्योगपतियों को बचाइये। आप इंसपैक्टरों के बजाय प्रोमोटर्स को नियुक्त कीजिये और विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों के मामले में जितने मंत्रालय काम करते हैं उनके बीच में को-आर्डिनेशन स्थापित कीजिये, एक समन्वय स्थापित कीजिये जो देखें कि वे उद्योग पनपें, फूलें और फलें।

दूसरी चोज—आज हमारे देश के अन्दर सारी सुविधायें हम उन लोगों को देते जा रहे हैं जो आर्गेनाइज्ड हैं, जो आर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जिनके अपने संगठन हैं। हम उनके वेतन भत्तों को भी बढ़ा रहे हैं। मैं मनता हूं कि इस बात को कि जिनको हम ने नौकरी दी है उनको अच्छी रोजी रोटी मिल सके, उनको शिक्षा के साधन मिल सकें और दूसरी सुविधायें मिल सकें, इस को देखने का काम सरकार का है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश के अन्दर ऐसे लोगों का भी है जो आज सड़कों पर चप्पल चटखाते फिर रहे हैं, उनका दायित्व किसके ऊपर हैं? उनको रोजी-रोटी देने का दायित्व किस पर है? चाहे जो लोग ऐसे हैं जिन की रोजी-रोटी की समस्या आज पूरी हो चुकी है उनकी कुछ सुविधायें काट कर के उन लोगों को सुविधायें देनी पड़ें तो वह देने की कोशिश करनी चाहिये।

मंत्री महोदय ने इस वित्त विधेयक के माध्यम से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुधारने की तरफ कुछ कोशिश की है। हमारे देश के अन्दर आज जो 5 लाखख 80 हजार गांव हैं उनमें से सिर्फ ढाई हजार गांव रोड से कनेक्टेड हैं? मैं अपने क्षेत्र के कुछ ऐसे गांवों को जानता हूं कि जहां के लोग जब वहां सड़क बनी और गाड़ी गई तो वे वहां फूल माला लिकर आए गाड़ी को चढ़ाने के लिये। आज भी बहुत सारे क्षेत्र हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसे हैं जिनको हम रोड से कनेक्ट नहीं कर पाये हैं। इसलिये, हमें आल वेदर या फेयर वेदर कुछ इस तरीके की रोड़ बनानी चाहिये। आप ने खाद्यान्न के बदले श्रम योजना के अन्तर्गत रोड का काम करने की बात कही है इसमें एक अच्छाई तो है कि लोगों को रोजगार मिल जाता है लेकिन जो रोड़ बनती है या जो दूसरी-तीसरी चीजें बनती हैं उन के मेन्टिनेंस के लिये कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण एक दो बरसातों के बाद जो रोड़ बनती है वह बिल्कुल बकार हो जाती है। करोड़ों रुपया जो दो ढाई साल में खच हुआ है वह बेकार जाने की स्थिति में हो जता है। इस दिशा में भी आप को ध्यान देना चाहिय और इस दिशा में भी कुछ कोशिश करनी चाहिये।

15—596 LSS/80

आज पेय जल की स्थिति भी हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर बड़ी विषम है। मैं बहुत सारे ऐसे गांवों को जानता हूं और मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जिनमें तीन-चार किलोमीटर दूर से लोगों को पानी ले कर आना पड़ता है, जहां की आधी महिलायें आप को एसी मिलेंगी जिनके सिर पर आज बाल नहीं रह गये हैं पानी लाते-लाते और सिर पर गगरा रख कर ढोते-ढोते। उन गांवों को कम से कम देश की स्वतन्त्रता के इतने वर्षों बाद पेय जल की जो मौलिक आवश्यकता है उसको तो हमें उपलब्ध कराना चाहिये।

आज हमारे गांवों में सैनिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी मां बहनें उजाला होने के बाद टट्टी पेशाब के लिये कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं। उनके लिये भी विलोज सनिटेशन की कोई योजना लागू करनी चाहिये ताकि उन लोगों के सामने यह जो बहुत बड़ी समस्या है वह तो दूर हो सके।

पब्लिक अण्डरटेकिंग्स का कंसेप्ट जब से शुरू हुआ हमारी एकोनामी में और जब से नेहरू जी के नेतृत्व में हमने पब्लिक अण्डरटेकिंग्स के माध्यम से देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की, उसी समय से एक साजिश शुरू हुई है इस व्यवस्था के खिलाफ। जिन उद्योगों को हम पब्लिक सेक्टर में लेते हैं कुछ उद्योग प्राइवेट सैक्टर में भी उसी किस्म की और उसी प्रकार की जिन्सों को पैदा करने वाले लगे हुए होते हैं। मैंने देखा है पब्लिक सेक्टर के जो अधिकारी हैं--मैं मानता हूं कि कई अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो मुझ से कई गुना ज्यादा ईमानदार और देशभक्त हैं--लेकिन ऐसे भी अधिकारी हैं जो कि व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये राष्ट्रहित को बेच देते हैं। यह बड़े दुख की बात है कि पब्लिक सेक्टर में ऐसे अधिकारी हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रभावित होते हैं और यही कारण है कि हमारा पब्लिक सेक्टर एक सुनियोजित साजिश के अन्तर्गत फैल होता जा रहा है। इसलिये सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि जितनी भी पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हैं, उनमें अगर कोई फेल होती है तो उसके लिये जिम्मेदारी फिक्स की जाये, उसका दायित्व अधिकारियों पर डाला जायेजोकि उसके मैनेजमेंट को देखते हैं। यदि वहां पर घाटा होता है उनका प्रमोशन रोकना चाहिये और दण्ड भी मिलना चाहिये। लेकिन अभी तक ऐसा तो हुआ है।

प्रान्तों में भी विभिन्न प्रकार के निगम बने हुए हैं। प्रान्तों ने केन्द्रीय सरकार से ऋण लेने के लिये तथा एल० आई० सी० व अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिये निगम बनाये हैं जो कि आज सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जल निगम, विद्युत निगम आदि बने हुए हैं। उनके जो अधिकारी हैं वे अगर ईमानदारी के साथ सारा रुपया खर्च करें तो उत्तर प्रदेश की सारी सड़क सम्बन्धी, बिजली सम्बन्धी, अधिकारी तीन साल तक एक योजना में काम करता है, अगर वह योजना फेल हो जाती है तो उसे स्थानान्तरित कर दिया जाता है लेकिन उस योजना में जो घाटा हो गया उसको कोई देखने वाला नहीं है।

मैं आपके द्वारा मंत्री का ध्यान बढ़ती हुई कीमतों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। जब हमने सत्ता संभाली थी तब देश वासियों के मन में हमने यह आशा और विश्वास पैदा

किया था कि हम कीमतों को नियंत्रित करेंगे और मुद्रास्फीति को रोकेंगे। मैं मानता हूं कि 1979 में जब लोकदल की सरकार थी उस समय जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही थीं और जिस अनुपात में मुद्रास्फीति बढ़ रही थी उस पर हमने थोड़ा बहुत नियंत्रण किया है। मैं इस बात को भी जानता हूं कि इस स्थान पर आप हों या कोई और हो, वह इतनी जल्दी मूल्यों और मुद्रास्फीति के दानव को नियंत्रण में नहीं ला सकता है लेकिन हमको इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिये। आर्थिक अनुशासन का जो वातावरण जनता पार्टी की सरकार को सौंप गया था उसी को पुनः स्थापित किया जाना चाहिये। पहले तो हमें समझा कर कहना चाहिये कि हड़ताल करना अपराध है और अगर उससे काम नहीं चलता है, देश का उत्पादन कम होता है तो उस पर नियंत्रण लगाना चाहिये। हड़ताल और गो-स्लो की पालिसी पर कम से कम तीन साल के लिये सरकार को बैन लगाना चाहिये। जब तक कि हम इस देश की अर्थ व्यवस्था को 1977 के स्तर पर नहीं लाते।

आज प्राईसेज को रोकने के लिये बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं जिनको कारगर तरीके से लागू करना चाहिये। हमें अपने पब्लिक एक्सपेंडीचर में, जो हम अपनी शासन व्यवस्था पर खर्च कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी पर हम जो खर्च कर रहे हैं, उसको घटाने की कोशिश करनी चाहिये। हमारी मशीनरी जिस तरीके से आज रुपया फूंक रही है, जिस शानो-शौकत से वह रह रही है क्या उसको भुगतने के लायक आज हमारा देश है या नहीं! इस बात पर विचार होना चाहिये। हमारे देश के लोग गरीब हैं इस बात पर हमारी मशीनरी को भी विचार करना चाहिये। वह विचार नहीं करती है तो आपने संकल्प किया है वित्त विधेयक में कि जो खर्चा इस मशीनरी पर हो रहा है उसको नियंत्रण में लाने की कोशिश की जायेगी—यह खुशी की बात है। उनको इमानदारी के साथ लागू करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। आज आपके आदेश, आपके वह कानून इमानदारी के साथ मशीनरी के द्वारा लागू नहीं किये जाते—इसको कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। जो ऐन्टी इंफ्लेशन पैकेज स्टैप्स 1974 में उठाए गए थे उनको फिर से लागू किया जाना चाहिये। आज 1974 के मुकाबले विषम स्थिति है। आज फिर वही स्थिति हमारा प्रतिपक्ष, जोकि रचनात्मक प्रतिपक्ष नहीं है, खड़ी करना चाहता है। आपको और हमारी सरकार को इस परिस्थिति को समझना चाहिये और उनको मौका नहीं देना चाहिये कि वे कोई ऐसे काम कर सकें जिनसे आने वाले दिनों में जनता की कठिनाइयों के साथ साथ सरकार की कठिनाइयां भी बढ़ें।

मान्यवर, अभी हमारे कुछ साथी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कह रहे थे। हमारे देश के अन्दर दो प्रकार की व्यवस्थायें चल रही हैं, एक व्यवस्था सरकार की है और दूसरी व्यवस्था जो काले धन वाले लोग हैं, जो चोर-बाजारी वाले लोग हैं, जो ऐसे व्यापारी हैं, जो जनता की कठिनाइयों को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था चल रही है। इन व्यापारियों के ऊपर आप साधारण कानून के द्वारा, साधारण तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, आपको सख्त होना पड़ेगा। आपको कोई ऐसा नया तरीका इजाद करना पड़ेगा, ताकि हम इनके हाथों के खिलौने बन कर न रह जायें और इनको जनता के साथ खिलवाड़ करने का मौका न मिले। इसका एक ही तरीका हो सकता है कि हम जगह जगह पब्लिक

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज्यादा विकसित करें। हम सरकार की तरफ से आवश्यक चीजों को मुहैया कराने वाली दुकानों को खोलें, चाहे को-आपरेटिव के माध्यम से खोलें या चाहे ग्राम सभाओं के माध्यम से खोलें, लेकिन हमें इसके लिये एक तरीका निकालना पड़ेगा।

मान्यवर, इस वक्त और भी ज्यादा विषम स्थिति है। आप जो चीनी 2 रु० 85 पै० प्रति किलो दे रहे हैं, यह साधूवाद की बात है कि इतनी कम चीनी की उपलब्धता होते हुए भी आप सस्ते गल्लों की दुकानों से लोगों को चीनी देने की कोशिश कर रहे हैं और इसका आपने संकल्प किया है। लेकिन दुःख का विषय यह है पिछले ढाई तीन साल के अन्दर, अकेले उत्तर प्रदेश के अन्दर मैं इस बात को कह सकता हूं कि 50 प्रतिशत सस्ते गल्ले की दुकानें ऐसे लोगों को दी गई, जो किसी पार्टी के विशेष सदस्य थे या पार्टी विशेष के साथ सम्बन्ध रखने वाले थे या जाति विशेष के साथ सम्बन्ध रखने वाले लोग थे और यही लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीनी उनको मिलती है, उसको वे हलवाई को बेच देते हैं और यदि आप कुछ कहते हैं, तो कहते हैं कि मैं जनता पार्टी का हूं या लोकदल का हूं इसलिये मेरे ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है। आपकी मशीनरी भी उनको रोकने के लिये कुछ नहीं करती है। जो चीनी आप 285 रु० बोरा उनको देते हैं, वे उसको हलवाई को 1000 रु० में बेच देते हैं।

मान्यवर, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आप से प्रार्थना है कि आज यह वक्त की पुकार है और समय की आवश्यकता है कि हमें चाहे कितने ही सख्त कदम क्यों न उठाने पड़ें, चाहे जितनी कड़ाई के साथ कानूनों को लागू करना पड़ें, हम इस देश के अन्दर एक आर्थिक अनुशासन स्थापित करें, हम इस देश के अन्दर एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को स्थापित करें, जिससे जनता की कठिनाइयां दूर हो सकें। हम लोगों को सस्ते दामों पर चीजों को मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से निश्चित और ठोस कदम उठाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ आपके द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक की सराहना करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे बोलने के लिये इतना समय दिया।

श्रीमती गीता मुखर्जी : श्रीमान अनेक सदस्यों ने बजट पर हुई चर्चा में कहा कि वित्त मंत्री ने लम्बे चौड़े दावे किये हैं कि वर्तमान बजट स्थायित्व, प्रगति और सामाजिक न्याय लाने वाला होगा। ये दावे ठीक नहीं है और मैं भी उनसे सहमत हूं। मैं उन बातों की चर्चा नहीं करूंगी जिनका उल्लेख अन्य सदस्य कर चुके। मैं तो केवल उन बातों की चर्चा करूंगी जिनसे मैं सहमत हूं।

सभी सदस्यों ने रेल किराये, उर्वरकों के मूल्यों, पेट्रोल की कीमतों आदि की चर्चा की है और बजट के बहुत अधिक मुद्रा स्फीति लाने वाला होने की भी आशंका व्यक्त की है। मैं इससे सहमत हूं।

यद्यपि वित्त मंत्री ने कहा है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष घाटा बहुत कम रहेगा। परन्तु मुझे डर है कि अन्ततः हिसाब लगाने पर इस ओलंपिक वर्ष में घाटा पिछले वर्षों की अपेक्षा तीव्र गति से ही बढ़ेगा और मैं समझती हूं कि सभी को इसके लिये चिन्तित होना चाहिये।

बजट के विकासोन्मुखी होने के बारे में अनेक सदस्यों ने बताया है कि वर्तमान योजना यदि उसे वास्तविक अर्थों में लिया जाये तो मुख्य मूल्य वृद्धि को देखते हुए उसका वास्तविक आकर पहली योजनाओं के मुकाबले बहुत अधिक बड़ा नहीं है। इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि योजना निवेश का 90 प्रतिशत योजनाओं को चलाने के लिये और केवल 10 प्रतिशत नई परियोजनाओं के लिये होगा इस दशा में यह बजट विकास में कितनी वृद्धि कर सकता है?

अब मैं अपनी मुख्य बात पर आती हूं जहां तक दूसरे दावे का अर्थात् सामाजिक न्याय का सम्बन्ध है इसके बारे में जो कुछ न कहा जाये वही बेहतर है। वास्तव में उन्होंने अपने हाल के विख्यात भाषण से हमारा काफी मनोरंजन हुआ है जिसमें उन्होंने "गाजर और डण्डा" नीति का उल्लेख किया है। उन्होंने उद्योगपतियों के बारे में कहा था कि उन्हें गाजर तो दी गई है परन्तु "अब चूंकि वे उचित आचरण नहीं कर सके हैं और यदि भविष्य में भी वे ऐसा ही करेंगे तो मुझे डण्डे का प्रयोग करना पड़ेगा मेरे विचार में जब उन्होंने वित्तीय प्रस्ताव रखे थे तो उन्हीं में ही गाजरों की भरमार थी। कर से छुट्टी को ही लीजिये, अर्थात् उस समय से 7 वर्ष के लिये नये औद्योगिक उपक्रमों और कम्पनियों के लाभ के 25 प्रतिशत पर और नये उद्योगों के लिये 50 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य ह्रास भत्ता। इसके अलावा इक्विटी शेयरों के मामले में भी रियायतें दी गई थीं। परन्तु बजट प्रस्तुत करने के बाद भी और यहां हो रही आलोचना के बावजूद मंत्री महोदय कुछ नये संशोधन लेकर आये हैं और पूंजीपतियों को कुछ और रियायतें दे दी गई हैं जैसे करों से अधिक लम्बी छुट्टी, नई रियायतें ब्याज कर पर आयकर के उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने सम्बन्धी रियायतें आदि।

परन्तु जब हमारी अर्थव्यस्था डामाडोल थी और अब भी है तो क्या उन पूंजीपतियों, विशेषकर एकाधिकार वादियों ने कभी वास्तव में राष्ट्र की सेवा की? क्या उन्होंने अवसर का ठीक लाभ उठाया? उन्होंने तो हमेशा यही देखा है कि उनके लाभ बढ़ते ही जायें चाहे अर्थव्यवस्था की स्थिति कुछ भी क्यों न हो सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को जितनी भी रियायतें दी हैं उनका लाभ बड़े बड़े एकाधिकारवादियों को ही मिला है यह बात सभी जानते हैं इस दशा में आप क्या सोचते हैं? क्या उन्हें एक के बाद एक रियायतें देते रहना चाहिये। नई औद्योगिक नीति में नीजि क्षेत्र को अधिक अवसर और रियायतें दी गई हैं। मैं उनके इन प्रस्तावों से यह समझ पाई हूं कि वे उन्हें और अधिक अवसर देने जा रहे हैं फिर उनके लिये "डण्डा" कहां हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सरकार ने एकाधिकरियों को देशभर की सभी गाजरें दे दी हैं और मेरा यही कहना है कि डण्डे हम लोगों अर्थात् जन साधारण के सिरों पर बरसाये जा रहे हैं क्योंकि मुद्रा स्फीति जो पहले ही बहुत बढ़ी हुई है और मेरी राय में और बढ़ेगी।

मैं उनके उस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं जिसमें कृषि धनकर हटा दिया गया है। मैं यह भी जानती हूं कि जब यह घोषणा की गई थी तो अनेक सदस्यों ने मेजें बजाकर उनका स्वागत किया था। मैं तो यह जानना चाहती हूं कि उन्होंने इसे किस आधार पर समाप्त किया है। कहा गया है कि इससे केवल एक करोड़ रुपये की आय होती थी। फिर साधारण धनकर के बारे में मैं उच्चतम सीमा में रियायत का भी समर्थन नहीं करती। मैं कृषि धनकर समाप्त किये जाने का भी पूरा पूरा विरोध करती हूं। यदि यह सच है कि ग्रामीण घरों में से केवल एक प्रतिशत ही ग्रामीण सम्पदा के 30 प्रतिशत के मालिक और ग्रामीण परिवारों में से 50 प्रतिशत के पास केवल 8.2 प्रतिशत सम्पदा है और यदि हमारे सम्पूर्ण राष्ट्रीय उत्पादन का 40 प्रतिशत कृषि क्षेत्रों से आता है तो उस स्थिति में कृषि अधिशेषों से कर क्यों वसूल न किये जायें?

यदि इस कर को समाप्त करने के लिये इस दलील का सहारा लिया जाता है इससे बहुत कम आय होती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चे को पानी समेत बहार फेंक दिया जाये। मैं तो यह समझती हूं कि आय बढ़ाने के लिये अधिक प्रभावकारी कदम उठाये जाने चाहिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे और सीमान्त किसानों को छोड़कर उन सभी किसानों को इस परिधि में लाया जाये जिन्हें कृषि से मोटी आमदनी होती है और उनमें मध्यम और बड़े बड़े किसान आते हैं। धनकर औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों दोनों से वसूल करने के लिये अधिक सशक्त प्रयास किये जाने चाहियें। श्री बिड़ला कभी भी धनकर नहीं देते क्योंकि जिस किसी वस्तु का भी वे प्रयोग करते हैं वही कम्पनी की होती है। धनकर लगाने का ये क्या तरीका हुआ? बड़े बड़े एकाधिकारियों को इस प्रकार बच निकलने का अवसर क्यों दिया जा रहा है। यदि धनकर इसी प्रकार लगाया जाना है तो आपको ऐसे लोगों से कुछ भी पाने की आशा नहीं करनी चाहिये। इसके विपरीत करों का सारा भार जनसाधारण पर ही आ जाता है। मंत्री महोदय ने अपने बजट को ये कहकर बहुत ही सुन्दर बताया है कि उन्होंने कुछ वस्तुओं पर उत्पादनशुल्क में कुछ रियायतें दी हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं आदि पर से वह इस कर को छोड़ रहे हैं और वह राहत आदि दे रहे हैं। परन्तु उन्होंने इसके बदले वास्तव में सभी चीजों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगा दिया है। यह कार्य उन्होंने काफी चतुराई से किया है ताकि उस पर आसानी से ध्यान न जाये। इस स्थिति में मैं नहीं समझती हूं कि जन साधारण को कोई विशेष रियायत मिलेगी। इस सन्दर्भ में मैं दो तीन बातों का उल्लेख करूंगी।

मैं यह बताना चाहूंगी कि दवाइयों के मामले में केवल 30 को ही ढाई प्रतिशत उत्पाद शुल्क से क्यों छोड़ा गया है जहां तक मुझे याद है हाथी समिति ने 127 आवश्यक दवाइयों और भारतीय चिकित्सा संघ ने 150 दवाइयों को यह छूट देने की सिफारिश की थी। फिर केवल 30 को ही क्यों छोड़ा गया। कलकत्ता जाने पर मैंने पाया कि कैपरामिन 75 पैसे प्रति गोली के हिसाब से बिक रही है। यदि दवाइयों के सम्बन्ध में यही स्थिति रही तो मैं समझती हूं कि उन्हें सभी आवश्यक दवाइयों पर से यह कर हटाना होगा। दो बातों का उल्लेख करने के बाद मैं अपना भाषण समाप्त करूंगी।

हमने 12000 रुपये तक की आय को आयकर से छूट देने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। मैं समझती हूं कि 12,000 रुपये तक कि इस छूट का लाभ उनको भी दिया जाना चाहिये जिन की आय 20,000 रुपये तक है इस का अर्थ यह है कि 20,000 रुपये तक आय होने पर कर न लगाने की सीमा 12,000 रुपये होनी चाहिये न कि 8,000 रुपये और कर निर्धारण इसी आधार पर किया जाना चाहिये। जो 20,000 रुपये तक कमाते हैं वे मध्य वर्ग में ही आते हैं और अधिक से अधिक उन्हें उच्च मध्य वर्ग कहा जा सकता है। मैं समझती हूं कि वह कम से कम इतना तो अवश्य कर देंगे।

महोदय, काले धन के बारे में कुछ बातें कही गई है । परन्तु अब तक कोई नहीं जानता कि हमारी अर्थ व्यवस्था में कितना काला धन है। काले धन के 5,000 करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये तक भिन्न-भिन्न अनुमान है। इस से ज्ञात होता है कि सरकार काले धन के बारे में कुछ नहीं कर रही है। विदेशी एकाधिकारी कम्पनियों के बारे में, कल राज्य सभा में कम्पनी कार्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कुछ कम्पनियों के नाम और आंकड़े बताये थे तथा कहा था कि 141 कम्पनियों ने तुलन-पत्र दे दिये हैं और अन्य अधिकांश कम्पनियों ने तुलनपत्र नहीं दिये हैं। उन्होंने टालने वाला उत्तर दिया था और कहा था कि कुछ कम्पनियां अपना कारबार खत्म कर रही है आदि आदि । यदि विदेशी कम्पनियों के बारे में सरकार की यह स्थिति है कि वह यह नहीं जानती कि उनका कारबार कितना है और बीजक में वे किस तरह हेराफेरी करती है तो सरकार अतिरिक्त संसाधन कैसे जुटा पायेगी तथा मंत्री महोदय ऐसा बजट लाने की बजाये जिस से मुद्रा स्फीति को बढ़ावा मिले, इन खामियों को दूर क्यों नहीं करते। में समझती हूं कि मंत्री महोदय अब इस बारे में विचार करेंगे और अपने चहेते उद्योगपतियों, एकाधिकारियों तथा विदेशी एकाधिकारियों को खुली छूट नहीं देंगे।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार (फरीदकोट) : माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने जो फाइनेन्स बिल सदन के सामने रखा है, में उसका समर्थन करती हूं। कितने मुश्किल हालात में वित्त मंत्री जी से बजट रखते वक्त मिडिल क्लास के लोगों का, फार्मर्स का, औरतों का, फिजिकल्ली हेण्डीकेप्ड लोगों का, रिक्षा पुलर्स का, टेक्सी ड्राइवर्स का, इकोनोमिकल्ली वीकर सेक्शंस का खास ख्याल रखा है। में इनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूं, थोड़े से में ही मैं आपसे कहूंगी। जो मिडिल क्लास के लिये उन्होंने रिलीफ दी है उनका थोड़ा सा में रेफरेंस देती हूं :—

आयकर से छूट की आय सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ा कर 12,000 रुपये करना, आयकर पर अधिभार में कटौती करना ; धन कर के लिये छूट की सीमा में वृद्धि करना, दीर्घकालीन बचतों के प्रोत्साह देना, और उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन देना।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सब से ज्यादा जो वित्त मंत्री जी ने फार्मर्स को एग्रीकल्चर वैल्थ टैक्स पर रिलीफ दी है उससे वे बहुत खुश हैं 80 परसेंट लोग गांवों में रहते हैं वे अनपढ़ हैं। उनको इसके

बारे में कुछ समझ ही नहीं आता था। बिचारे सारा वक्त वकीलों के चक्कर में पड़े रहते थे।

वित्त मंत्री जी ने कंज्युमर आइटम्स पर भी रिलीफ दी है--जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कन्ट्रोल्ड क्लाथ है, मोटर साइकल्स हैं, सुइंग मशीन्स हैं। औरतें भी खुश होंगी कि इन्होंने प्रेशर कुकर पर पांच परसेंट एक्साइज ड्यूटी पर रिलीफ दी है, पांच परसेंट टेलीविजन सेट पर कम की है। यह जो टू वेण्ड रेडियो है इसके बारे में मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हू। पंजाब में बिहार, राजस्थान, मद्रास, उत्तर प्रदेश वगैरह की लेबर आती है और यहां से कमाई करके, यहां पर काम करके वापिस जाती है। एक बार मैं गाड़ी में बैठी थी। मने देखा कि बारह के करीब फैमिलीज वापिस घर जा रही हैं। औरतें और बच्चे भी उनके साथ थे। मर्द भी थे। जो भारी बोझा था वह तो औरतों के सिर पर था, उन्होंने उसको औरतों के सिर पर उठवा दिया--यह हमारे हिन्दुस्तान के आदमी की--खासियत है--और अपनी बगल में ट्रांजिस्टर रखा। कहने का मतलब यह है कि कोई घर ऐसा नहीं है जिस के पास रेडियो न हो, ट्रांजिस्टर न हो और यही एक मात्र उनका ऐंटरटेनमेंट का साधन है। वित्त मत्री ने ट्रांजिस्टर की लाइसेंस फी माफ करके उनके साथ इंसाफ किया है।

इनफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिग मिनिस्टरी की डिमांडज डिसकस नहीं हुई है इस वास्ते उस पर मैं चंद लफ्ज कहना चाहूंगी। पांचवे प्लान में खाली--2 परसेंट इसको दिया गया था। जो इतनी इम्पोर्टेंट मिनिस्टरी है--उसको 2 परसेंट ही दिया गया। जो गवर्नमेंट करती है, जो मुल्क में होता है उसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम इस मिनिस्टरी का है और उसको खाली यही दिया गया था। छठे प्लान में क्या रखते हैं इसको देखना है। मैं अपील करना चाहती हूं कि ज्यादा फण्ड इसके लिये छठे प्लान में आपको देने चाहियें।

टी० वी० को ए आई आर से 1 अप्रैल 1976--को अलग कर दिया गया था 1977 खत्म हुआ, 1979 खत्म हुआ, और 1980 आ गया है और खत्म होने भी जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई रिक्रूटमेंट रूल्ज फ्रेम नहीं हुए हैं। इस तरफ भी आनरेबल मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिये।

टी० वी० में मेजोरिटी स्टाफ आर्टिस्ट की होती है। उनका अभी तक कोई स्टेटस ही नहीं है। स्टाफिंग पैटर्न अभी तक सैटल नहीं हुआ है। इससे स्टाफ के मन में बड़ी अनसरटेनटी है। इसकी तरफ आपको खास ध्यान देना चाहिये।

मैं आपके माध्यम से आई एण्ड बी मिनिस्टर से यह भी अपील करना चाहती हूं कि जो कैज्युअल आर्टिस्टस हैं उनकी दो डिकेट से फी वही चली आ रही है। जो यंग और टेलेंटिड आर्टिस्टस हैं उनको आप इतनी कम फी में एट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यह ठीक है कि जो वेल ऐस्टेबलिश्ड आर्टिस्ट हैं उनको शायद पैसे की भी जरूरत न हो। उनके लिये तो यह ठीक है। उनको सौ रुपया भी दिया जा सकता है। लेकिन जो यंग आर्टिस्ट है उनके लिये जो आपने कम्पीटीटिव फी रखी है वह ज्यादा होनी चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका स्वाभाविक नतीजा यह निकलेगा कि वे मैगजींन और न्यूजपेपर्ज की तरफ जाएगे। इस वास्ते आपको टेलेंट को सम्भाल कर रखना चाहिये।

एक्सटर्नल सर्विस का जो ट्रांसमिटर है वह ज्यादा पावरफुल होना चाहिये ताकि जो पड़ोसी मुल्क हैं वैस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया के उन में भी हिन्दुस्तान की आवाज अच्छी तरह से सुनी जा सके। ईरान में, इजिप्ट में, साउदी अरब में, मुझे अफसोस है कि नेपाल, श्रीलंका लकादीव आइलेंड तक में—मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन मजबूर हूं कहने के लिये—पड़ोसी मुल्क जो हैं उनकी आवाज सुनाई देती है हमारी नहीं। सुपरपावरफुल शार्ट वैव ट्रांसमीटर की एक प्रोपोजल थी जो चार साल से पैंडिंग पड़ी हुई है। उसका भी आप जरा ध्यान रखें।

मीडिया रिसर्च में जो पायोनियर थे डेनियल लर्नर उन्होंने कहा है :

"जब सरकार द्वारा मिस्र के दूरदराज गांवों में रेडियो लगाये गये तो दैनिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, सिवाय इसके कि शोषण की पद्धति बदल गई। यह स्थिति है जो कि गत दशक से अधिक अवधि से असन्तोष की भावना को बढ़ाकर क्रांति पैदा कर रही है। जन माध्यम का उपयोग लोगों के मनोरंजन के लिये और कुछ स्थानों पर उनकी महत्वाकांक्षाओं को जगाने के लिये कि वेहतर जीवन के लिये उन्हें क्या क्या चाहिये किया गया है। परन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कोई उपयुक्त उपवन्ध नहीं किया गया।"

तो यह देखना है। आपको याद होगा कि सैटलाइट के थ्रू कोई 2400 विलेजेज को हमने टी० वी० दी थी, और एक हजार के करीब विलेज ऐसे थे जहां कि कम्युनिटी व्यूइंग सटस दिये थे। देखना यह है कि उसका वहां क्या नतीजा निकला।

साइट पर सोशल इवैल्यूएशन रिपोर्ट दो वाल्यूम में 1977 में छपनी चाहिये थी, लेकिन हुआ यह कि 1980 के शुरू महीने में वह छपी और वुक स्टाल्स पर अभी भी नहीं मिलती और न ही किसी प्रैस में कोई कम्प्रीहैसिव रिव्यू उसका आया है और न ही उस पर डिसकशन हुआ है। मेरी अपील है कि यह बड़ी वैल्यूएबल रिपोर्ट है, हम चाहते रहे हैं 1981-82 में शायद सैटलाइट का इन्तजाम हो जाये, तो इस रिपोर्ट का फायदा उठाना चाहिये। जो सैटलाइट के टी० वी० कम्पोनेन्ट हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये। वहां पर इसको जो सोफ्ट वेयर कहते हैं, जो ब्रेन बिहाइन्ड मशीन होता है, जिसके हाथ से मशीन चलती है, उनका भी ध्यान रखना चाहिये। यह सारी चीजें आपके जरिये मैं उनसे कहना चाहती हूं।

जब यह साइट के ऊपर इवैल्यूएशन रिपोर्ट आई तो पहले यह ख्याल किया जाता था कि टी० वी० मास मीडिया के थ्रू जो रूरल एरिया के हमारे स्कूल हैं, उनका बड़ा डल करीकुलम होता है, अगर रेडियो के जरिये उनको करें तो ड्राफ आउट रेट कम हो जायेगा। लेकिन इवेल्यूएशन रिपोर्ट के जरिये पता चला कि बेचारे बच्चे तो अपने मां बाप के हाथ में हैं, उनको जब चाइल्ड लेबर की जरूरत होती है तो स्कूल से उठाकर उनसे कहते हैं कि हमारी भैंसें चराओ, यह काम करो। जब हम इकनामिकली बैकवर्ड हैं, तो क्या करें?

यह मैं जरूर कहूंगी कि रेडियो और टी० वी० की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत चैन्जेज आई हैं।

कलर टी० वी० की बात मैं करती हूं। पीछे यहां सवाल जवाब भी हुए थे, हमारे इन्फार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर श्री साठे ने कहा था कि हम कलर टी० वी० शुरू करने वाले हैं। उस पर देखना है कि खर्च कितना आयेगा। ट्रांसमीटर पर शायद 1.75 करोड़ रुपये का खर्चा आये, मगर कलर टी० वी० हुआ तो उस पर खर्चा करीबन 2 करोड़ के होगा। स्टूडियो अगर बनायें तो 5 करोड़ का खर्चा आयेगा और अगर कलर स्टूडियो बनायें तो 1 करोड़ का और खर्चा आ जायेगा। कुछ महीनों या कुछ टाइम के बाद जो रा-स्टाक हैं, कलर फिल्म प्रोडयूस करेगा और ब्लैक एण्ड व्हाइट के लिये मुश्किल हो जायेगा और एक्सपैंसिव इतना होगा कि ब्लैक एण्ड व्हाइट में यूज भी करें तो उसका कोई फायदा नहीं

एफ्लुएन्ट कन्ट्रीज में जहां कलर टी० वी० आज एफोर्ड नहीं कर सकते, अभी भी उसको ब्लैक एण्ड व्हाइट में देखते हैं, यह सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जो स्पेयर पार्टस हैं ब्लैक एण्ड व्हाइट ट्रांसमीशन स्टूडियो के हार्ड वेयर के, वह नहीं मिलेंगे। बजाय इसके कि वक्त ज्यादा अच्छा होगा अगर हमें मजबूर करें कि हम कलर टी० वी० पर जायें, आप ही उस पर चले जायें और ब्लैक एण्ड व्हाइट टी० वी० पर जो खर्चा करना हो, वह इन दी लांग रन इन्फ्रक्चुअस होगा।

मैं गांव में रहने वाली हूं, इसलिये में रूरल हैल्थ प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। प्राइमरी हैल्थ केयर की फेसिलिट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि हिन्दुस्तान एल्मा एटा डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी है। हमने यह आबजेक्टिव एक्सेप्ट किया था कि 2000 ई० में हर एक गांव में डिस्पेंसरी होगी। श्री उन्नीकृष्णन सामने बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि केरल स्टेट ने हर एक गांव में डिसपेंसरी कायम कर दी है। बीस साल तक हमारे लिये सारे हिन्दुस्तान में यह काम करना जरूरी हो जायेगा।

प्राइम मिनिस्टर ने लेडी हार्डिंग कालेज के फाउंडर्ज डे पर 20 मार्च, 1980 को जो स्पीच दी थी, अगर मैं कहूं कि उसको नेशनल हैल्थ पालिसी का गाइडिंग डाकुमेंट मानना चाहिये, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालोंमें रेफरल सिस्टम होना चाहिये, जो कि इस वक्त नहीं है। मैं भी कहना चाहती हूं कि गांव से ले कर टैकनिकल हास्पिटल तक रेफरल सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। जो बेचारे मरीज ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल में ठीक हो सकते हैं, अगर उन्हें बड़े बड़े अस्पतालों में भेजा जाये, तो वे चक्कर लगाते रहेंगे, उनका खर्चा बहुत ज्यादा होगा और डाक्टरों का टाइम वैस्ट होगा।

डेवेलप्ड कन्ट्रीज में इनफेंट मार्टेलिटी बहुत कम है—15 से 20 पर-थाउजेंड से भी कम है, लेकिन वह हिन्दुस्तान में 100 पर-थाउजेंड से भी ज्यादा है। केरल ऐसी स्टेट है, जिसने 54 पर-थाउजेंड की एजीवमेंट ऐटेन कर ली है। इस तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है।

जहां तक पापुलेशन कन्ट्रोल का ताल्लुक है, वह जो नारा था : "हम दो, हमारे दो," अब वह चलने वाला नहीं है। अब नारा यह होना चाहिये: "हम दो, हमारा एक।" इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। चाहे हम इस तरफ बैठे हों या उस तरफ, आने वाली जेनीरेशन हमें कभी माफ नहीं करेगी, अगर हम इस प्रोग्राम के मातहित कोई काम नहीं करेंगे हम हर वक्त खुराक की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि इस प्राबलम को कैसे हल किया जा सकता है। इसलिये पापुलेशन कन्ट्रोल या फैमिली प्लानिंग की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। चाइना ने भी यही नाम एडाप्ट किया है : "हम दो, हमारा एक।।"।

ड्रिंकिंग वाटर का इन्तजाम करना बेहद जरूरी है। न्युट्रीशन, हाउसिंग, हैल्थ और एजूकेशन वग़ैरह के बारे में टाइम कम होने की वजह से ज्यादा न कहते हुए मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि गांवों में गोबर-गैस प्लांट का होना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने इसको बहुत महत्व दिया था। गोबर-गैस से लाखों रुपयों का फ़र्टलाइज़र बचता है और एनर्जी की सेविंग भी होती है। अगर मैं यह कहूं, तो आपको बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी नहीं लगेगा, कि अगर उसको लैट्रिन में ह्यूमैन एक्सक्रीटा से कनेक्ट कर दें, और उसका प्रासेस कर दें, तो एक तरफ तो हम कालेरा और टायफाइड जैसी क्लिर डिज़ीज़िज़ और वर्म इनफेक्शन से बच जायेंगे और दूसरी तरफ फर्टलाइजर के तौर पर मुल्क का फायदा होगा।

अब मैं पंजाब की कुछ बातें कहना चाहती हूं। जी टी रोड बाघा से दिल्ली आती है। उस पर इतने एक्सिडेंट्स होते हैं कि मैं क्या बताऊं? किसी जमाने में हम चण्डीगढ़ से दिल्ली साढ़े तीन घंटे में पहुंच जाते थे—ज्यादा से ज्यादा चार घंटे लग जाते थे। लेकिन आज पांच, साढ़े पांच घंटे से कम नहीं लगते हैं। इस लिये इसका फोर लेनिंग करना बहुत जरुरी है। पंजाब में लुधियाना से गोराया तक काम शुरू है। अगर उसको जालन्धर तक एक्सटेंड कर दिया जाये, तो अच्छा होगा। गोविंदगढ़ और खन्ना इंडस्ट्रियल टाउन है, वाटल नेक्स हो जाते है। आपके माध्यम से वित्त मंत्री से मेरी रिक्वेस्ट है। कि वह इस तरफ भी ध्यान दें।

इसके लिये गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने साढ़े बारह करोड़ रुपये रखे हैं, लेकिन करेंट फिनांशल यीअर में खाली तीन करोड़ रुपये रिलीज किये गये हैं। इस तरह तो इस काम को पूरा होने में हजारों साल लग जायेंगे। अगर रुपया जल्दी रिलीज किया जाये, तो पंजाब और हरियाणा इस सड़क के फोर लेनिंग में मदद देंगे।

मेरी कांस्टीट्युएन्सी का नाम है मुक्तसर। वह एक हिस्टारिकल टाउन है, जहां गुरु गोविन्द सिंह के 40 मुक्ते लड़ाई में शहीद हुए थे। आज उसकी हालत एक प्लेट की तरह है। वह नीचा है और चारों तरफ का जो वाटर लेवेल है वह उपर आ रहा है जिस से यह टाउन सिंक कर रहा है। पहले जो यह हिस्टारिकल टाउन है और हिस्टारिकल टाउन न भी हो फिर भी सरकार का फर्ज है उसे देखने का। प्रधान मंत्री जब गई थीं तो उन को मैं ने दिखाया था। तो इस की तरफ तवज्जह देना जरूरी है। हम वित्त मंत्री जी

से कहेंगे कि वह स्टेट गवर्नमेंट की कुछ मदद करें ताकि फरीदकोट और मुक्तिसर को बचाया जा सके। वहां जो वाटर लागिंग है उस की ड्रेनेज की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह बड़ा जरूरी और अहम मसला है।

मैं आप को धन्यवाद देती हूं कि आप ने मुझे बोलने का टाइम दिया जिस के लिये मैं बहुत देर से बैठी थी।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय,

बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का।
जो चीरा तो कतरये खूं न निकला।

माननीय वित्त मंत्री ने जो यह अपना बजट पेश किया है और वित्त विधेयक पर मुझे चर्चा करने का जो अवसर मिला है उस में मैं विशेष रूप से एक चीज पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अन्दर पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन पूरे 33 साल में जो भी सरकार रही हो, केन्द्र ने पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी उपेक्षा की है। जो एजूकेशनली और सोशली बेकवर्ड हैं सरकारी नौकरियों में उन की आबादी के अनुपात में उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिये था, और भी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिये थीं। 60 प्रतिशत उन लोगों की आबादी है इस देश में, पिछड़े वर्ग की लेकिन आज तक उन की उपेक्षा की गई है। उन को आरक्षण मिलना चाहिये लेकिन इस बजट के अन्दर कोई भी व्यवस्था पिछड़े वर्ग के लिये नहीं है। इस तरह से इस देश के 60 प्रतिशत लोगों को ठुकराया जा रहा है, उन की उपेक्षा की जा रही है, । भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 (4), 16(4) और 340 कहता है कि जो सोशली और एजूकेशनली बैंकवर्ड लोग हैं, जिन का सरकारी नौकरियों में रेप्रेजेन्टेशन नहीं है उनको आरक्षण दिया जायेगा। वह आरक्षण उन को मिलना चाहिये। इस के अलावा जो शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उन का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ है। उनका कोटा कब तक आगे ले जाया जायेगा, कब तक उन के साथ मैं खिलवाड़ किया जायेगा। उन का भी आरक्षण का कोटा पूरा किया जाना चाहिये। सरकार को इन के आरक्षण को पूरा करने का जो तरीका है वह भी बदलना होगा। आज जो तरीका है उस में कुछ आर्डर्स, कुछ जी ओथ और कुछ नोटिफिकेशंस के जरिये यह आरक्षण पूरा करने की बात की जाती है। आफिसर्स कहीं उन को मानते हैं कहीं नहीं मानते हैं। अन्जाम यह होता है कि वीकर सैक्शन के लोग इस से नकसान उठा रहे हैं। यह सारा नोटिफिकेशन और जी ओ का तरीका खत्म कर के इस के लिये एक ऐक्ट होना चाहिये जिस के अनुसार जो भी अधिकारी कोटे को पूरा न करे या किसी तरह की मनमानी करे उस को कम से कम पांच साल की सजा का प्रावधान इण्डियन पीनल कोड में होना चाहिये ताकि वीकारी सैक्शन के लोगों की हिफाजत हो सके।

आज हमारे ट्रेजरी बैंच पर जो लोग बैठे हैं अगर वे यह कहते हैं कि हमारा राज है तो मैं कहता हूं कि उन का राज नहीं है भारत की कुछ स्टेटस को छोड़ कर उत्तर भारत के बहुत से ऐसे राज्यों को मैं जानता हूं जहां कि पूरा का पूरा पुलिस राज कायम हो गया

है, जहां सरकार की नहीं चलती है, पुलिस का आतंक छाया हुआ है, और इस तरह का आंतक है कि आज बड़े-बड़े आदमियों को अपनी इज्जत बचाना दूभर हो गया है। डाकुओं का डर तो रात में रहता है लेकिन पुलिस का डर हमें चौबीसों घंटे बना रहता है। गांवों में रास्ता चलते हुए भले लोग परेशान रहते हैं। जिस तरह से हिन्दुस्तान के कोने-कोने में पुलिस ने स्त्रियों के साथ व्यवहार किया है, रिश्वत न देने पर इटावा में गोरीशंकर मल्लाह जो ट्रक का मालिक था उस को गोली मार कर आप हत्या कर दें, स्त्रियों के गुप्तांगों में मिर्च भरी जायें, गोंडा में इन के गुप्तांगों में डन्डे किये जायें, बागपत जैसी घटनायें हों तो इस को क्या कहा जाये? अगर आप इस ऐडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला सकते हैं तो आप को कोई तरीका सोचना चाहिये कि लोगों की हिफाजत कैसे हो? कुछ हमारे फण्डामेंटल राइटस हैं कि अच्छे ढंग से हम अपनी जिन्दगी बसर कर सकें। हमें जीने का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी है, कांस्टीट्यूशन में दी हुई गारन्टी है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिये हुए हैं जिनके आधार पर पूरी सरकार चलती है और चलनी भी चाहिए लेकिन आपके बजट के इन प्रावझानों को उठाकर देखें तो यह कहीं पर भी पूरे नहीं हैं। आज बेरोजगार परेशान हैं और वे खुदकशी कर रहे हैं। आपको चाहिए कि इस देश में जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दें।

इसके अलावा इंडियन पीनल कोड और सी आर पी सी में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि जो पुलिस अधिकारी आज कतल करते हैं, एन्काउन्टर दिखाकर मर्डर कर रहे हैं, उन पर काउन्टर केस चल सके। दोनों केसेज साथ-साथ रजिस्टर होने चाहिय ताकि उनको भी प्राजीक्यूट किया जा सके। इसके अलावा जो पुलिस मशीनरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया जाना चाहिए और इंवेस्टिगेशन ब्रांच मजिस्ट्रेट के हाथ में सौंप दी जाये। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई तो इस देश की क्या हालत होगी? अभी बदायू जिले में श्री फन्ने आलम, एम० एल० ए० को पुलिस कप्तान ने, चूंकि उन्होंने जाकर पुलिस के अत्याचारों की शिकायत की थी और स्त्रियों के गुप्तांगों में मिर्चे भरने की शिकायत की थी, इसलिये आधे घंटे तक नाजायज तौर पर हिरासत में रखा और गोली मारने की धमकी भी दी। आज चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे कोई और हो, इस देश में उसकी इज्जत महफूज नहीं है। सारे लोगों को बड़ी गम्भीरता के साथ इस पर सोंचना चाहिये जहां तक कि प्रजातन्त्र का सवाल है और जहां तक भारतीय संविधान में दिये गये अधिकारों का सवाल है। और अधिक चर्चा न करते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : जनाव डिप्टी स्पीकर साहव, मैं आपकी मार्फत इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह बिल्कुल सही है कि जिस वक्त हम लोगों को हुकूमत मिली उस वक्त इस मुल्क की माली हालत बिल्कुल बदतर हो चुकी थी। यह बात भी बिल्कुल सही है कि बजट में मिडिल क्लास को कुछ राहत दी गई है, जो स्किल्ड लेबरर है उनको कुछ राहत दी गई है और जो अन-स्किल्ड लेबरर हैं उनको भी कुछ राहत दी गई है। छोटे किसान और छोटे धन्धे करने वालों को भी राहत दी गई है और इस बात की पूरी कोशिश है

कि उनको राहत मिले। टैक्सेज में भी छूट दी गई है ताकि लोग सही तरीके से अपने टैक्स अदा करें, और इमानदारी के साथ अदा करें जिससे कि मुल्क और कौम की आमदनी व मिल्कियत बढ़े, मुल्क की पैदावार बड़े और पैदावार बढ़ने से इंफ्लेशन कम हो। इस मायने में यह बजट तरक्की-याफता बजट कहा जा सकता है । इस बात की भी कोशिश की गई है कि अवाज पर कम से कम बोझ पड़े। कोशिश यह की गई है कि 80–85 फीसदी लोगों को इससे फायदा पहुंचे क्योंकि उनको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है।

जनता पार्टी की हुकुमत के दौरान इस मुल्क की जो माली हालत थी जिसमें मुल्क का दीवाला निकल चुका था, अगर वही दौर बना रहता तो शायद मुल्क के टुकड़े करके जनता पार्टी वाले मुल्क को दूसरों के हाथ बेच भी दे सकते थे। वह तो इन्दिरा जी की लीडरशिप थी और अवाम व मुल्क की अकलमन्दी थी जिस से मुल्क बच गया और लोग बच गये, कौम बच गई। कुछ लोग जो चीन और अमरीका की दौड़ लगाया करते थे, वे इतिफाक से इस वक्त नहीं हैं। इतना ही नहीं, अखबार की खबर के मुताबिक एक साहब जो हिन्दुस्तान के अमरीका में नुमाइन्दे थे वे जूते भी सीधे किया करते थे। इस से बढ़ कर बेइज्जती मुल्क की खुद मुख्त्यारी के लिये और क्या हो सकती है।

सन् 1980 के इलैक्शन के बाद मुल्क बचा, मुल्क की इज्जत बची और कौम बची। इतना ही नहीं, जिस ने मुल्क को बचाया उस पर जनता पार्टी के दौरे-हुकूमत में जो जो जुल्म ढाये गये हैं, वे किसी से छिपे नहीं हैं। इस के आलावा जिस बक्त हमारी सरकार आई, उस वक्त हम को क्या मिला? मिली-लूट मार, चोरी-डकैती, ब्लैक-मार्किटिंग, होंडिग। खजाना खाली और नार्थ-ईस्ट जोन की गड़बड़ी। ऐसे वक्त में सारे मुल्क को ले कर चलना यह हमारी लीडरशिप की तारीफ ही कही जा सकती है।

मोहतरम, एक बात बगैर कहे मैं नहीं रह सकता हूं और वह यह है कि कीमतों को कम होना चाहिये, गांवों में चीजें पहुंचनी चाहिये, गरीबों को चीजें मिलनी चाहिये— यह हमारा फर्ज है और इस के लिये हम कमिटेड भी हैं। अफसोस की बात है कि यह अभी तक नहीं हो पाया है। चीजों की कीमतें कम नहीं हुई हैं, गांवों में चीजें ठीक तरह से नहीं पहुंच रही हैं जिस से अवाम को बहुत तकलीफ है। इस से कैशपतलिस्ट लोग अनाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ऐसे होर्डर्स, ब्लैक मार्केटियर्स, स्मगलर्स, वगैरह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें, चाहे मीसा हो या मूजा हो या कोई भी कानून हो, इस पर लागू करें। अगर इन कानूनों में कोई कमी हो तो अमेंण्डमेंट के जरिये उस कमी को पूरा किया जाय।

एक बात में बैंकों के बारे में कहना चाहता हूं। जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था तो नीयत यह थी कि इन से गरीबों को फायदा हो, अवाम को फायदा हो, लेकिन जो छोटे धन्धे वाले, रिक्शावाले, इक्केवाले, टमटम वाले या पांच एकड़ की जमीन वाले, इस तरह के जितने लोग हों उन को इन बैंकों से रुपया लेने में कितनी परेशानी हुई है, वह बयान के बाहर है। रूल्ज एण्ड प्रोसीजर्स के तेहत इन गरीबों घो बैंकों में दोड़ते-दौड़ते जो परेशानी

है, जिस का कोई हिसाब नहीं है। चपरासी से लेकर मैनेजर तक बराबर डैमोक्रेटिकली बांटते हैं। इस तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये और रूल्ज एण्ड प्रोसीजर्स में ढीलापन होना चाहिये।

अब मैं एक सुझाव देता हूं--जो लोग छोटा धन्धा करने वाले हैं, रिक्शावाले, इक्के-वाले, टमटम वाले या दूसरे लोग हैं, उन को 2500 रूपये तक का कर्जा बगैर जमानत के, सिर्फ दो आइडेन्टिफायर के दस्तखतों से मिलना चाहिये, इस तरह की तबदीली बैंकों के रूल्ज और प्रोसीजर्स में लानी चाहिये। इस के लिये फाइनेन्स मिनिस्ट्री सर्कुलर ईसू करे, जिस की कापी हम लोगों को, लोकल एम० एल एज को, मुखिया को, सरपंच को भी भेजी जानी चाहिये और उस की वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिये ताकि नेशनलाइज्ड बैंकों के रुपये से लोग फायदा उठा सकें। बैंकों का नेशनलाइजेशन सिर्फ इस लिये ही नहीं किया गया है कि बड़े लोग ही फायदा उठा सकें, आम लोगों को भी इस का फायदा पहुंचना चाहिये सूद में भी कमी की जानी चाहिये।

जहां तक एप्वाइन्टमेंटस का सवाल है--मेरी यह मांग है कि जब से बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है, आप उन बैंकों से लिस्ट हासिल कर के पार्लियामेंट के सामने रखें ताकि हम लोग भी देख सकें कि उन में कितने हरिजनों, आदिवासियों, मुसलमानों और दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग बहाल हुए हैं। आप देखेंगे कि उन का आंकड़ा बिल्कुल "निल" के बराबर मिलेगा। ऐसी बात क्यों है? उस की वजह यह है कि बैंकों के लोगों का पहले से जो आइडिया और जहन बना हुआ है कि बैंक बड़े लोगों के लिये है, उस में कोई तबदीली नहीं आई है। जब हमारे लीडर ने कहा कि बैंक बड़े लोगों का नहीं है, बल्कि अवाम का है, मुल्क का है, गांव के लोगों का है और सारे लोगों का उस में बराबर का हिस्सा है--तब हमें कुछ तसल्ली हुई, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस जहन में अभी तक तबदीली नहीं हुई है। यह बदलना बहुत जरूरी है। इस लिये मैं आप के माध्यम से मांग करता हूं कि जितने बैंक नेशनलाइज हुए हैं उन से क्लास 3 और क्लास 4 के बहाल हुए लोगों की लिस्ट मंगा कर पार्लियामेंट के सामने रखी जाये।

बिहार एक बहुत गरीब सूबा है, जिस में खानें हैं, कोयला है, अभ्रक है, लोहा है, लेकिन मजाक की बात यह है कि उन कामों को करने वाले सारे दफ्तर बिहार से बाहर हैं। टैक्स बाहर जमा होता है। जो रायलटी किसी जमाने में फिक्स हुई थी, वही मिल रही है, उस में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो टैक्स वे बाहर जमा कराते हैं उस से बिहार को कोई फायदा नहीं होता है। यह जो इम्बैलेंस है--इस को अब हम लोग बरदाश्त नहीं करेंगे। इस का नतीजा आप देख रहे हैं--नार्थ ईस्ट रिजन की क्या हालत है? अब हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को एक्सप्लाएट किया जाय, अब तक हमारा बहुत एक्सप्लाएटेशन हो चुका है। इस लिये मैं आप से गुजारिश करूंगा कि जो दफ्तर हमारे यहां से बाहर ले जाने की बातें करते हैं या जो बाहर चले गये--उन सब को वापस लाया जाय। कहीं ऐसा न हो कि 'सब का पैमाना लवरेज हो जाय और कोई दूसरी बात पैदा

हो जाय। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इस वक्त मौजूद नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सेन्टीमैन्टस उन तक पहुंचा दिये जायें ताकि वे इस पर अमल कर सकें।

बिहार का जो मौजूदा प्लान-आउट-ले है, वह 425 करोड़ रुपये का है। हमारे मुख्य मंत्री ने 100 करोड़ रुपये की मांग की है, ताकि जो छोटी-छोटी स्कीमें हैं, जिन से गरीवों, हरिजनों, आदिवासियों को राहत पहुंच सकती है, उन को पूरा किया जा सके। इस लिये मैं मांग करूंगा कि बिहार को यह रुपया जरूर मिलना चाहिये ताकि हमारी गरीबी और पिछड़ापन दूर हो सके और हम तरक्की के रास्ते पर जा सकें।

मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूं—मेरे क्षेत्र किशन गंज में हम लोगों ने अपने वक्त में एक जूट मिल की स्थापना की थी, लेकिन वह अभी तक नहीं बन पाई है। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो लोग कहते हैं—जिससे मेरे गले पर छुरी चलती है—यह 1977 और 1980 के इलैक्शन की बात है—लोग कहते हैं कि मैं इस को उठा कर पूर्णिया ले जा रहा हूं, कोई कहते हैं फारबिसगंज ले जा रहा हूं, कोई कहते हैं, अररिया ले जा रहा हूं, जबकि यह हकीकत नहीं है। इस लिये मैं चाहूंगा कि किशनगंज की जूट मिल को जल्द से जल्द पूरा किया जाय। हमारा डिस्ट्रिक्ट मुल्क में फाइनेस्ट जूट का प्राड्यूसर है। इस मिल के बन जाने से वहां पक्का माल बनेगा, इस में लोकल लोगों को नौकरी मिलेगी, हमारा माल बाहर जायगा....

मैं चाहता हूं—इस मिल का काम जल्द पूरा हो ताकि मुल्क की पैदावार बढ़े, वहां के लोगों की बहाली हो और वह इलाका खुशहाल हो। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले तीन सालों में हमारा लैटर आफ इन्टेन्ट लैप्स कर गया है, उस को रिन्यू किया जाय, हमें उस के लिये रकम दी जाय ताकि वह काम पूरा हो सके।

हमारे लोगों की मांग है कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जाय, पीने के पानी का इन्तजाम हो ताकि वहां के गरीवों को राहत मिल सके। हमारे लैंड-लेस मजदूरों के लिये, जिन की मुल्क में बहुत बड़ी तादाद है, उन के लिये अच्छे कानून बनाये जायें उन के लिये धनराशि का इन्तजाम किया जाय, ताकि हमारा समाज पनप सके, गांवों की तरक्की हो, अनएम्पलायमेंट दूर हो और लोग खुशहाल हो सकें। ऐसा न हो कि हमारे जो लोग दूसरी तरफ़ बैठे हुए हैं वे उन को गलत रास्ते पर डाल कर एक्सप्लाएट करें।

मैं आप के माध्यम से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उन की एक शाखा जिले में या सब-डिवीजन में खोली जाय जो सिर्फ असलीयतों की जरूरतों को पूरा करे। माइनारटीज की यह बहुत बड़ी ग्रीवेन्स है कि पिछले तीस-बत्तीस सालों में उन को कभी ठीक ढंग से लोन नहीं मिला, जिस से दूसरों के मुकाबले उन की तरक्की नहीं हो सकी और इम्बैलेंसेज बहुत ज्यादा बढ़ गये, इस लिये वह बैंक खास तौर से अकलियतों के लिये होना चाहिये...

श्री मूल चन्द डागा: वाह क्या बात है?

श्री जमीलुरहमान : आप की तिजोरी ढीली पढ़ जायेगी, तुम ने हम लोगों को बहुत एक्सप्लाएट किया है।

मैं कह रहा था कि वह बैंक कलीयतों के लिये होना चाहिये और यह भी देखा जाये कि उस ने कितनी दरख्वास्तें ली हैं, कितनों पर अमल हुआ, कितनों को उस से फायदा हुआ, ताकि जो इम्बैलेंस पिछले 33 सालों में हमारे साथ पैदा हुआ है, वह दूर हो सके और दूसरों के मुकाबिले हम भी आगे आ सकें। उन की तरक्की से भारत की तरक्की होगी और हम भी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : यदि म श्री वेंकटारमन की सरहाना कर सकता, तो मुझे खुशी होती। परन्तु मैं इस बजट को लोगों का बजट या देश के हित का बजट नहीं कह सकता। यदि समूचे रूप दे से देखा जाय तो बजट प्रस्ताव जन विरोधी हैं। इस वित्त विधेयक का सब से पहला विशेष पहलू यह है कि यदि आप इस वर्ष के पहले कुछ महीनों की गत वर्ष की उसी अवधि से तुलना करें तो आप को ज्ञात होगा कि धन-सप्लाई और साथ साथ मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। गत वर्ष मूल्य वृद्धि 16 या 17 प्रतिशत तक सीमित रही थी, परन्तु इस वर्ष 7 महीनों के अन्दर यह वृद्धि 30 प्रतिशत हो गई है। यह वर्तमान सरकार विशेषकर वित्त मंत्री का विशेष योगदान है।

उन के प्रस्तावों की क्या क्या विशेषतायें हैं? उन्होंने प्रत्यक्ष करों में राहत दी है। प्रत्यक्ष कर समृद्ध वर्ग और बड़े व्यापार गृहों पर लगाये जाते हैं। उन करों में कटौती की गई है और उत्पादन में वृद्धि के नाम पर रियायतें दी गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तावों की एक अन्य विशेषता धन कर को समाप्त करना है। चाहे इस कर से 1 करोड़ रुपये की आय हो या इस से अधिक, इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। मैं मांग करता हूं कि यह कर पुनः लगाया जाना चाहिये। यही नहीं, कृषि आयकर भी लगाया जाना चाहिये। कृषि क्षेत्र में बड़े जमींदार धन बटोर रहे हैं। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के किसान कठिनाई में हैं और वे गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं। 70 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं।

कर से छूट दी गई है। निर्यात के लिये राजसहायता, कर से छूट बड़े व्यापार गृहों को दी गई विभिन्न रियायतों की राशि कुल मिला कर 3000 करोड़ रुपये है। परन्तु जब हम कहते हैं कि आप जनता के लिये 10-12 वस्तुयें उचित दर के मूल्य की दुकानों से 500 करोड़ रुपये की राज सहायता दे कर देश भर में एक समान मूल्य पर उपलब्ध कराइये, तो आप इंकार कर देते हैं। 165 करोड़ लोगों के लिये आप के पास कुछ नहीं है परन्तु 70 से 80 तक व्यापार गृहों और कुछ समृद्ध लोगों के लिये आप ने 3000 करोड़ रुपये की राज सहायता दे दी है। उद्यमियों को लाभ देने के लिये कर से छूट की अवधि बढ़ा दो गई है।

वित्त विधेयक में 1600 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा नहीं किया गया है। गत वर्ष यह घाटा 3000 करोड़ रुपये हो गया था और जैसा कि श्री उन्नीकृष्णन ने कहा है इस

वर्ष यह घाटा 4000 करोड़ रुपये से 5000 करोड़ रुपये तक हो सकता है। वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्होंने वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना के नियतन में वृद्धि कर दी है। यह धोखा है, क्योंकि आप नियतन में केवल 16 प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं, जबकि मूल्यों में पहले ही 30 प्रतिशत वृद्धि हो गई है।

अप्रत्यक्ष करों से आप को 250 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे तथा पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि, रेल भाड़े में वृद्धि और प्रत्यक्ष करों का जनता पर 3000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। यह भार साधारण जनता पर होगा, न कि समृद्ध वर्ग पर। इस से मुद्रास्फीति होगी तथा यह जनता के हितों के विरूद्ध है।

काले धन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में बड़े पैमाने पर जाल-साजी की जा रही है। प्रो० कालडोर ने लगभग 25 वर्ष पहले अनुमान लगाया था कि प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये का करापवंचन होता है। अब 1960 के बाद यह राशि अवश्य 500 करोड़ रुपये या इस से अधिक होगी। 30,000 करोड़ रुपये का सामान्तर कालाधन है, जिस से मूल्यों में वृद्धि हो रही है। फिर बीजक में राशि को घटा कर या बढ़ा कर दिया जाता है जिस से देश को प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की हानि होती है। यह सरकारी कोष केवल बड़े-बड़े व्यापार गृहों और जमींदारों के लिये ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप ने काला धन देखा है?

श्री निरेन घोष : मैं ने इसे मेज के नीचे सफेद धन में बदलते देखा है। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों, पत्तन अधिकारियों और एयर इण्डिया के अधिकारियों की इस काम में मिली भगत है। धन के आधार पर झूठे प्रमाण पत्र दिये जाते हैं कि इतना सामान चढ़ाया गया तथा इतना उतारा गया। एयर इण्डिया तथा अन्य एयर लाइनों में यह सब चल रहा है और सीमा शुल्क विभाग तथा पत्तनों के उच्चाधिकारियों का इस में हाथ है। जनेवा के बैंक ने कहा है कि हमारे देश की काले धन की जमा राशि से वे अपने देश का औद्योगिकीकरण कर रहे हैं। यह बड़ी विचित्र बात है।

हाल में अविकसित देशों पर बढ़ते हुए ऋण के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा अध्ययन किया गया था। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि कुछ ही वर्षों में अविकसित देशों पर ऋण भार बहुत बढ़ जायेगा और वे उसे अदा नहीं कर पायेंगे। व्यापार सन्तुलन हमारे खिलाफ है। हम मंहगे दामों पर खरीदते हैं और सस्ते दामों पर बेचते हैं।

इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा लाभ, लाभाश, रांयलटी, तकनीकी जानकारी और ब्याज के भुगतान के लिये लगभग 2,000 करोड़ रुपये देश से बाहर भेजे जाते हैं। इस के साथ-साथ तकनीकी जानकारी के लिये सरकार सें सरकार के साथ समझौता है और यदि इस राशि को भी जोड़ लिया जाये तो विदेशों को भेजी जाने वाली राशि 4,000 करोड़ रुपये से 4,500 करोड़ रुपये तक हो जाती है।

वस्तुतः हमें तथाकथित सहायताओं का लाभ मिलता रहा है। यह कहा जाता है कि हमें जो भी सहायता मिलती है उस का 50% सीधे ही पहले लिये गये ऋण के मूलधन और उस के ब्याज के भुगतान में चला जाता है। यह हमारी वास्तविक स्थिति है।

अब मैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु कृषि ऋणों के बारे में, जिन की राशि 49 करोड़ रुपये है, कुछ बातें कहूंगा। मेरी जानकारी यह है कि 49 करोड़ रुपये की इस राशि में से 15 से 20 करोड़ तक राशि जाली खातों के आधार पर दी गई है और महाराष्ट्र में इन नामों के कोई व्यक्ति नहीं हैं। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि यह राशि कहां गई होगी।

जहां तक "लघु किसान" और "सीमान्त किसान" की परिभाषा का सम्बन्ध है "लघु किसान" और "सीमान्त किसान" के अन्तर्गत वे व्यक्ति शामिल हैं; जिन के पास 7½ एकड़ तक बरानी भूमि है 7½ एकड़ तक समूची बरानी भूमि को आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद नहीं कह सकते। इस के अतिरिक्त ऐसे भी उदाहरण हैं जहां 7½ एकड़ से अधिक भूमि भी आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद है। बहुत सीमान्त किसानों को ऋण नहीं दिये गये हैं और जिन छोटे किसानों को ये ऋण माफ किये गये हैं उन में से अधिकांश जाली हैं। महाराष्ट्र में समूचे कृषि सहकारी ऋण का खुला दुरुपयोग हुआ है और हम मांग करते हैं कि रिजर्व बैंक इस बारे में विस्तृत जांच करे। यदि जांच की जाती है तो बहुत सी आश्चर्यजनक बात सामने आयेंगी।

इसके पश्चात् मैं राज्यों के लिये और अधिक वित्तीय शक्तियों की मांग करता हूं जब कभी राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है, लगभग सभी राज्यों ने, चाहे वहां कांग्रेस सत्ता में है अथवा गैर-कांग्रेस और अधिक शक्तियों की मांग की है विशेषतः वित्तीय शक्तियों की, क्योंकि उन्ह लोगों के साथ व्यवहार करना होता है, उन्हें फायदे पहुंचाने होते हैं क्योंकि लोगों के साथ उनका सीधा सम्पर्क होता है। इसलिए उन्हें बोझ वहन करना पड़ता है। लेकिन स्थिति यह है कि हर शक्ति दिल्ली से नियंत्रित है और उन्हें हर मास एक बार, दो बार अथवा तीन बार दिल्ली आकर मांगना पड़ता है ताकि वे लोगों को कुछ लाभ पहुंचा सके। यह एक असराहनीय स्थिति है। समय आ गया है जब केन्द्र के लिये राज्यों को इस वित्तीय शक्ति को देना जरूरी है और लगभग सभी पर, यदि नहीं तो कुछ मामलों पर तब भी राष्ट्रीय विकास परिषद में गहन रूप से विचार-विमर्श किया जाना चाहिये और उस पर निर्णय लिये जाने चाहिये। इन सभी मामले के लिये सातवां वित्त आयोग जादू की छड़ी नहीं है।

अब मैं कार्मिक वर्ग के लिये परिवहन भत्ते के बारे में कुछ कहूंगा जो 20 रुपये प्रतिमास है। वह भी कराधीन है क्यों? मैं नहीं जानता। मैं ट्रेड यूनियन वाला हूं और मुझे यह यकीन है कि यह कराधीन नहीं होगा।

कानपुर चमड़ा निर्माण कम्पनी विख्यात है—मुझे कहना चाहिये कुख्यात है वहां हर चीज जाली बनाई गई थी—आयात लाइसेंस तथा अन्य चीजें। उन्हें, रंगे हाथ पकड़ा गया था और वहां अब भी ऐसा चल रहा है। आपके नियंत्रण में, बल्कि मैं कहूंगा आपके संरक्षण में आपकी शुभकामनायें को लेकर ऐसी चीजें हो रही हैं।

अब मैं इस तथ्य को ज़ोर देकर कहूंगा कि हमारा देश बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के पास गिरवी हो गया है। यदि आप सहयोग करारों, तकनीकी जानकारी सम्बन्धी करारों को सैकिण्डों से गुणा करके देखें तो, कोई नहीं जानता कि उनकी संख्या कितनी है, संभवतः 2000 या तीन हजार है। आप देखते हैं विदेशी गैर सरकारी क्षेत्र ने हमारे देश में 4000 रुपये या 5000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी लगाई हुई है और महत्वपूर्ण उद्योगों पर कब्जा किए हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा रहे हैं। वे अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। उनके सहायक उद्योगों की संख्या कम हो गई है। उनकी शाखायें कम हो गई हैं किन्तु उनकी आस्तियां बढ़ गई हैं और उनका लाभ बढ़, गया है। ऐसा हो रहा है, भारत को विदेशियों, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के पास गिरवी रखा जा रहा है। हमारा देश तो पहले ही गिरवी में पड़ा हुआ है और हम अपनी आधी स्वतन्त्रता तो पहले ही खो चुके हैं। मैं इस सम्बन्ध में तृतीय वाचन पर अधिक बोलूंगा। धन्यवाद।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया): उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं कि सभा की बैठक 7 बजे तक बढ़ाई जाये क्योंकि वक्ताओं की संख्या काफी अधिक है, यदि सभा को ऐसा करने की एकमत राय हो तो हम भाषण आज समाप्त कर सकते हैं और वित्तमंत्री अपना उत्तर कल देंगे।

कुछ माननीय सदस्य: हम ऐसा नहीं कर सकते।

श्री पी० वेंकटसुब्बया: थोड़ा धैर्य रखिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री जी का प्रस्ताव है कि सभा की बैठक एक घंटा बढ़ाई जाये ताकि अन्य वक्ताओं को अवसर दिया जा सके।

कुछ माननीय सदस्य: यह संभव नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा करना कोई अत्यावश्यक नहीं है। वे कल बोल सकते हैं। आसमान नहीं गिर रहा है। यह सामान्य शिष्टाचार की बात है कि सदस्यों को इस बारे में पूर्व सूचना मिलनी चाहिये। इस प्रकार समय नहीं बढ़ाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: वे विरोध कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया: विरोध करने या समर्थन करने का कोई सवाल नहीं है। मैं तो सदन से केवल अनुरोध कर रहा हूं ताकि सदस्य थोड़ा धैर्य रखें और इसे मान जायें। आपने उन्हें मनवाना है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व): हम संसद के साथ एक बेतुके ढंग से क्यों पेश आ रहे हैं? नियम हैं उनका पालन किया जाना चाहिये। कल भी 5 बजे के बदले साढ़े पांच बजे तक सभा बैठी, हम तो बहुत सहयोग करते हैं किन्तु इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : हमारा अभिप्राय संसद के साथ बेतुके ढंग से पेश आने का नहीं है किन्तु सभा की यह प्रथा रही है कि जब कभी उसकी बैठक को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है हम सभा से तथा सभापति से अपील करते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : साढ़े छः बजे मेरा एक कार्यक्रम है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं यह पारस्परिक सहयोग और समायोजन का प्रश्न है क्योंकि हम उन सभी सदस्यों को जिन्होंने अपने नाम दिये हैं, अवसर दे सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह कोई अत्यावश्यक नहीं है। वे कल बोल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी का अभिप्राय है कि आज हम चर्चा पूरी कर लें ताकि मंत्री जी कल उत्तर दे सकें। सभी दलों से अभी ऐसे काफी सदस्य हैं जिन्हें बोलना है।

श्री कृष्ण दत्त (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर तीन किस्म से उद्योगों का काम चलता है। एक पब्लिक सैक्टर, दूसरा प्राइवेट सैक्टर और तीसरा को-आपरेटिव सैक्टर। पब्लिक सैक्टर में जो इस वक्त उत्पादन की क्षमता कम है, उसका कारण जनता रिजीम रहा है। इसके इन्तजाम में जो कुछ कमी है, वह आज की नहीं है बल्कि जनता पार्टी के पिछले 3 सालों के रिजीम में जो कमी थी उसके कारण यह कमी है। उस समय बहुत से कारखाने बन्द हो गये और किसी तरह से भी पब्लिक सैक्टर को लाभ नहीं पहुंच सका। जनता पार्टी के शासन में बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है और नौजवानों का जिस तरह से शोषण हुआ है, वैसा कभी नहीं हुआ। उस समय नौजवानों को सिर्फ एक्सप्लायट करने की बात थी।

जिस तरह से 1975 और 1976 में मुल्क आगे बढ़ रहा था, अगर जनता रिजीम में भी उसी तरह से आगे बढ़ता रहता तो आज यह दिन देखने को न मिलता। हमारे देश का बहुत सा पैसा पब्लिक सेक्टर में लगा है, लेकिन इस समय जो पब्लिक सैक्टर का इन्तजामिया ढांचा है, वह ऐसे अफसरों के हाथ में होना चाहिये जो उसको ठीक ढंग से चला सकें। आज कई कारखाने बन्द पड़े हैं, उससे यह अन्दाजा लगता है कि उनका मैनेजमेंट, इन्तजामिया ढांचा ठीक नहीं है। इसलिये टारगेट मुकर्रर किये जाने चाहिये कि यह कारखाना इतनी पैदावार बढ़ायेगा जिससे मुल्क में किसी किस्म की तंगी महसूस न हो।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश—हिमाचल प्रदेश—में कोई बड़ा कारखाना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

उपाध्यक्ष महोदय : पत्र सभा पटल पर रखा जाये ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको लिखा है कि इस सभा में यह एक आम बात हो गई है कि कुछ मंत्री लोग और दुर्भाग्यवश मेरे मित्र नियमित रूप से इस सभा में 6 बजे शाम को आते है....

श्री मलिक एम०एम०ए० खां : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है । (व्यवधान) । 6 बजे हाउस बन्द हो गया । आपने 6 बजे के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं किया है । इसलिए आप 6 बज के बाद हाउस को एक मिनट भी नहीं बढ़ा सकते हैं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता जबकि मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : आप उन्हें छः बजे के बाद क्यों अनुमति दे रहे हैं ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ? सभा की अनुमति के बिना आप सभा का समय एक मिनट के लिए भी नहीं बढ़ा सकते है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखा जाने वाला पत्र छः बजे लिया जाना था, मने उन्हें अनुमति दी है ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : आप उन्हें अनुमति कैसे दे सकते है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसका विरोध करने के लिए एक पत्र पहले ही दे चुके हैं और इसलिए मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं ।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : यह एक आम बात हो गई है । इस सभा को या तो सुस्थापित परम्पराओं, प्रक्रिया नियमों तथा अध्यक्ष के निदेशों के आधार पर कार्य करना है या फिर यदि आप अध्यक्ष महोदय की उदारता का अनुचित लाभ उठाकर तदर्थ निर्णयों के आधार पर सभा को चलाना चाहते हैं तो वह दूसरी बात है क्योंकि उनका बहुमत है । इस सभा में ऐसा कभी नहीं किया गया है । मैं देखता हूं कि इस मंत्री महोदय के लिए यह आम बात हो गई है छः बजे सभा में आना और पत्र सभा पटल पर रखना । जब कार्य सूची में कोई चीज रखी जाती है तो हमारे कतिपय अधिकार होते हैं । मैं आपका ध्यान नियम 31 तथा निदेश संख्या 2 (vii) की ओर दिलाता हूं जिनके अनुसार सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों का एक विशद पूर्वोदाहरण है । ऐसी रीति रही है कि अध्यक्ष महोदय ऐसे पत्रों को रखने की अनुमति तभी देते हैं जब वे असाधारण महत्व के हों या कोई खास कारण हो और उस कारण को बताना भी जरूरी है । इस तरह कभी नहीं किया गया। कुछ मंत्रियों के लिए इतनी देरी से सभा में आना और पत्र पटल पर रखना एक आम प्रथा बन गई है । यह संभव है कि सदस्य जिसे इसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा करना चाहेगा । मैं इस बात में बिलकुल नहीं जा रहा हूं । उसमें कितना सार है । मैं प्रक्रिया सम्बन्धी मालले पर बोल रहा हूं । मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि रचनात्मक पूर्वोदाहरणों, प्रथाओं तथा परम्पराओं के आधार पर कार्य चलेगा या तदर्थ निर्णयों के आधार पर चलाया जायगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इन मंत्री महोदय के बारे में मैंने कई बार व्यवस्था का यही प्रश्न उठाया है, वह पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। संसद केवल वैधीकरण करने के लिए ही नहीं है--मंत्री जी के लिए यह तरीका नहीं है कि वह जो कुछ कर रहे हैं यहां आकर उसका वैधीकरण करवा लिया किन्तु यह एक ऐसी मंच भी है जिसके माध्यम से जनता को सूचित किया जाता है कि क्या किया जा रहा है। इसलिए, यहां के कार्य की एक समुचित प्रक्रिया होना आवश्यक है।

कभी ऐसी बात हो जाये तो उसे हम बुरा नहीं मानते। पिछली बार जब मैंने इसका विरोध किया तो मंत्री जी ने मुझसे कहा कि अब आगे ऐसा नहीं होगा, किन्तु फिर हो गया है और मुझे यकीन है कि यदि हम इसका विरोध न करें तो फिर उसकी पुनरावृत्ति होगी। इसे आज ही सभा पटल पर रखने की इतनी तीव्र आवश्यकता क्या है और इसे कल क्यों नहीं रखा जा सकता, इसका वह कारण बताये जिससे हमारा पूर्ण समाधान हो।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन और स्वामी जो कुछ कहा उसके संदर्भ में मुझे कहना जरूरी है कि इस समय सभा पटल पर कतिपय पत्र रखने के लिए हम आपकी जो अनुमति ले रहे हैं उसमें सभा के प्रति निरादर की नहीं अपितु आदर की भावना है (**व्यवधान**)। मैं समझता हूं, मुझे उत्तर देने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए।

जब कभी कोई ऐसी तुरन्त कार्यवाही की जाती है जिसमें 50 लाख रुपए का और उससे अधिक का राजस्व अन्तर्ग्रस्त होता है तो आश्वासन सम्बन्धी समिति के समक्ष सहमति प्रकट की गई है ऐसे मामले को हम तुरन्त सभा के नोटिस में लायेंगे। हम इसे एक संवेदनशील अधिसूचना के रूप में मानते हैं। हम इसे सभा के समक्ष रखने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। हमने दूसरे सदन के सभापति से भी अनुरोध किया है कि वह हमे इसे राज्य सभा के पटल पर रखने की अनुमति दें। यह उसके अनुरूप है कि हम आपकी अनुमति ले रहे हैं। मान लीजिये यदि किसी खास मद का विरोध किया जाता है। तो वित्त मंत्री निश्चित रूप से कल वित्त विधेयक पर सामान्य चर्चा का उत्तर देंगे और कतिपय मदों के बारे में यदि कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो वह उठायी जा सकती है। किन्तु हम तो केवल सभा के प्रति आदर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस समय इसे सभा पटल पर रखना चाहते हैं क्योंकि यह एक आश्वासन है और इसमें प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए से अधिक की राशि अन्तर्ग्रस्त है। और ऐसी चीजे हर रोज होती हैं। हम इससे बच नहीं सकते। इसलिए, जब कभी ऐसी कोई चीज होती है तो हम तुरन्त अधिसूचना तैयार करते हैं। और साथ ही साथ हम आपसे और दूसरी सभा के सभापति से अनुरोध करते है और दिन समाप्त होने से पूर्व उसे सभा के समक्ष रखने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इसे सभा-पटल पर कल रखें।

श्री मगन भाई बारोत : यह आज से लागू हो रहा है। चूंकि इसमें प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए से अधिक की राशि अन्तर्ग्रस्त है अत: आप को आज ही सूचित करने का हमारा कर्त्तव्य

है। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा करना सभा के प्रति अशिष्टाचार की अपेक्षा शिष्टाचार ही होगा

श्री रवीन्द्र वर्मा : जहां तक सभा के अधिकारों का सम्बन्ध है, इतनी अधिक कृपा करने वाले मत बनिये, मंत्री जी को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है कि.... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसके लिए अवसर केवल अभी है ?

श्री मगन भाई बारोत : जी हां, ये मामले दिन प्रति दिन होते रहते हैं। इन मामलों में सरकार को निर्णय लेना पड़ता है, कभी-कभी खास घंटों में, और दिन के दौरान हम आपके पास आते हैं और आपकी अनुमति चाहते हैं। इस सभा ने खुद निर्धारित किया है कि 50 लाख रुपए की राशि से अधिक वाले मामले को सभा के नोटिस में लाया जाना जरूरी है। मेरे मित्र ठीक कहते हैं। किन्तु ऐसे अवसर आ जाते हैं जब ऐसा करना अत्यावश्यक हो जाता है....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इसे सुबह हमारे नोटिस में क्यों नहीं लाये ? आपको 12 बजे आना चहिए था। यह निर्णय कब लिया गया था। क्या हमेशा इतनी देरी से निर्णय लेते हैं ?

श्री मगन भाई बारोत : उपाध्यक्ष महोदय, हम निर्णय लेते ही तुरन्त आपके पास पहुंच जाते हैं। आप अधिसूचना देखिये, उससे स्थिति स्वत: स्पष्ट हो जायेगी। क्या मैं इसे पढ़ सकता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस पर आपका विनिर्णय क्या है ? सरकार को निदेश दीजिये कि वह भविष्य में सतर्क रहे। जब तक आप विनिश्चय नहीं देते हैं तब तक वह उस पत्र को सभा पटल पर नहीं रख सकते। (व्यवधान)।

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय सदस्य को आपत्ति उठाने का अधिकार है। उन्होंने सही तौर पर अपने अधिकारों का उपयोग किया है। लेकिन मंत्री जी ने इसके लिए स्पष्टीकरण दिया है यदि वह युक्तियुक्त है तो उसे स्वीकार किया जाये। परिस्थितियों कभी इतनी अत्यावश्यक बन जाती और इसलिए मंत्री जी जो इस अवसर पर पत्र या अधिसूचना को सभा पटल पर रखने की अनुमति देना जरूरी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपका विनिश्चय क्या है ?

श्री मगन भाई बारोत : यदि मैं अधिसूचना को विस्तार से पढ़ूं तो उससे स्थिति खुद स्पष्ट हो जायेगी। मैं आपका समाधान कर रहा हूं, यदि समाधान की बात है तो मैं आपका समाधान करने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने अपने बारहवें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में सिफारिश की है।

"ऐसी अधिसूचना को जिससे निर्यात शुल्कों में परिवर्तन किये जाएं, प्रक्रियाओं में बड़े परिवर्तन किये जाएं और आयात तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों में परिवर्तन किये जायें और जिसमें प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए से अधिक राशि अन्तर्ग्रस्त हो, यदि किसी दिन शाम 6 बजे से पहले जारी किया जाता है तो उसी उसी दिन सभा-पटल पर रखा जना चाहिए।"

श्री मगन भाई बारोत : वही मैं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सिफारिश की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा अपनी इक्कीसवें रिपोर्ट (छठी लोक सभा) में, जिसे 17 मई, 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, पुनरावृत्ति की गई है। इस अधिसूचना में जिसे आने की अनुपूरक कार्य सूची में रखा गया है 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक का राजस्व अन्तर्ग्रस्त है। ऐसी स्थिति है। इसलिए मैं समझता हूं, जब उन्हें इसे सभा पटल पर रखे जाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, तो वे इसे अध्यक्ष महोदय को नोटिस में ले आया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं आशा करता हूं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अपना स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, वे अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हैं। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिश के कारण उन्हें आना पड़ा है और वह कहते हैं कि वे ठीक समय पर आए हैं। उनका यह कहना है। इसलिए अब.....

श्री निरेन घोष : आपको टिप्पणी करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा न होने पावे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन और श्री नीरेन घोष की आपत्ति को सरकार ने नोट कर लिया है।

श्री मगन भाई बारोत : यकीनन हम इसे प्रथा नहीं बनाना चाहते किन्तु जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो हमें यकीन है कि आप उन नियमों के अधीन जो खुद आपने हमें दिये हैं आप हमें ऐसा करने की अनुमति देंगें।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने उन्हें इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

श्री मगन भाई बारोत : मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 154 सीमाशुल्क/80(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 29 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति तथा इलायची पर (अमोमम सुबुलेटम को छोड़कर) 31 जुलाई, 1980 के बाद निर्यात शुल्क की वर्तमान दर जारी रखने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं। **(ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1176/80)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे (म०पू०) पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6·12 बजे म०प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 30 जुलाई, 1980/8 श्रावण 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।